" ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका : जिले के विशेष सन्दर्भ में "

वाणिज्य में डी. फिल. उपाधि हेतु
प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

द्वारा

प्रबल प्रताप सिंह तोमर

पर्यवेक्षक
डा० आर० एस० सिंह

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

2002

प्राक्कथन

सच ही कहा गया है ''भारत माता ग्रामवासिनी''। महात्मा गाँधी का मानना था कि गाँवों के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने 1945 ई० में नेहरू को एक पत्र में लिखा था कि ''*मेरे आदर्श गाँव में बुद्धिमान व्यक्ति होगें। वे पशुओं की तरह गंदगी और अंधेरे में नहीं रहेंगे। पुरुष और महिलाएं स्वतंत्र होगें न कोई बेकार होगा और न कोई ऐशो आराम में लेटेगा।*''

प्रत्येक आर्थिक क्रिया का वित्त से अविभाज्य सम्बन्ध होता है क्योंकि वित्तीय आधार प्रत्येक आर्थिक क्रिया की एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा होती है। वित्त किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य कारक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास वित्त के बिना अधूरा रह जायेगा क्योंकि वित्त से कृषि के लिए कृषकों को उर्वरक, बीज, कृषि यन्त्र एवं कीटनाशक दवाइयां खरीदने, मजदूरी और लगान का भुगतान करने, भूमि का आधारिक सुधार करने, विभिन्न उपभोग वस्तुओं की प्राप्ति एवं पुराने ऋणों के परिशोधनार्थ, वित्त की आवश्यकता होती है। नियोजन के पूर्व कृषि का स्वरूप मलूतः परम्परावादी रहा। फलतः कृषि साख की आवश्यकता कम थी और उसकी आपूर्ति मुख्यतः निजी स्रोतों से हो जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह देखा गया कि सदियों के आर्थिक शोषण से देश को विपन्न कर दिया है। अतः उनके विकास के लिए वित्त की आवश्यकता को प्रमुखता से महसूस किया गया, एक विशाल देश के दूर–दराज क्षेत्रों तक वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करना सम्भव नहीं था। इन स्थितियों में काम करते हुए यह पाया गया है कि वित्त की माँग की पूर्ति बैंकों की सहायता से काफी हद तक पूरी हो सकती है। बैंक सदैव से ही राष्ट्र रूपी शरीर की रक्त शिराओं के रूप में देखे जाते रहे हैं। राष्ट्र के विकास के प्रत्येक पहलू पर पूँजी की आवश्यकता पड़ती है जिनमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि एक ओर वे जनसाधारण में बचत की आदत डालते हैं तो दूसरी ओर वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि इन जमा राशियों का प्रयोग अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया

जाय । वस्तुतः बैंक वित्तीय संसाधनों को आर्थिक उपयोग के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करते हैं। अतः इस दिशा में शासन ने कदम बढ़ाये और बैकों पर सामाजिक नियन्त्रण व राष्ट्रीयकरण आदि के द्वारा वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की गयी। राष्ट्रीयकरण करते हुए तत्कालीन प्रधानमत्री ने कहा था कि *"ऐसा करने से हम बैंकों को बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक घरानों के हानिकर प्रभावों से अलग रख सकेंगे ताकि वे कुशल और पेशेवर बैंकरों के रूप में कार्य कर सकें। साथ ही ऐसा करके ही एक व्यवस्थित ढंग से बैंकिंग को छोटे कस्बों और गांवों में पहुंचाया जा सकेगा जो धन के अभाव में अब तक पिछड़े रहे हैं।"* इतना हो जाने के बावजूद व्यापकता की समस्या गम्भीर बनी हुई है।

पूर्व स्थापित व्यावसायिक बैंको की स्थापना लागत अधिक थी अतः देश के दूर–दराज के अंचलों में इसकी शाखाओं का खेाला जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया और यही कारण था कि गरीब तबके तथा अधिकोषीय सुविधा प्रदान करना शासन के लिए दुश्कर हो गया। इन दो समस्याओं को देखते हुए शासन ने क्षेत्रीय ग्रामीण अधिकोषों की स्थापना की। क्षेत्रीय ग्रामीण अधिकोषों की स्थापना लागत पर नियन्त्रण एवं व्यापक स्तर पर शाखा विस्तार संभव हो सका।

प्रारम्भ में व्यापारिक बैंक कृषि को बिल्कुल ऋण नहीं देते थे किन्तु अब एक क्षेत्र विशेष के कृषकों की साख आवश्यकता का अनुमान लगाकर एकीकृत विकास की योजनाएं बनाते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण कारीगर, कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने बैंकों को यह आदेश दिया कि छोटे उद्योगों को भी प्राथमिकता क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाय। रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के तहत कुल ऋण का 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को देना है । इस 40 प्रतिशत का 17 प्रतिशत भाग कृषि को देना है। लेकिन बैंक इस आदेश का पालन ही नही करते हैं। व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में न तो अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहे थे और न ही कृषकों को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध करा रहे थे। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

नहीं हो पा रहा था। ऐसे में यह अनुभव किया गया कि ग्रामीणों के लिए एक अलग से बैक हो जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही सुविधाएं उपलब्ध कराये।

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन आया कि लोग अपनी ऋण जरूरतों के लिए अब बैंकों की तरफ आकर्षिक हेा रहे थे। अतः ग्रामीण ऋण के मामले में इतने व्यापक संस्थागत संजाल की वजह से अनौपचारिक संस्थानों तथा व्यक्तियों की भूमिका काफी सीमित हो गयी थी जिससे गाँवो में बैंकिंग पद्धति का विस्तार करना समाजिक बैंकों का प्रमुख लक्ष्य था। अग्रणी बैंक योजना के पश्चात गाँवों में तेजी से बैक शाखाएं खोली गयीं । लक्ष्य यह था कि अधिकाधिक ग्रामीण व्यक्ति बैंकों से व्यवहार करें किन्तु बैंक विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से गाँवों में जा रहे थे जबकि गाँवों में अलग दृष्टिकोण चाहिए। यह भी अनुभव किया गया कि गाँवेां में व्यापारिक बैंकों की शाखाएं जमाराशि में वृद्धि तो करती थी किन्तु वह अग्रिम देने मे संकोच करती थी क्योंकि वह अग्रिमेा की सुरक्षा के प्रति सतर्क थी। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का विचार आया और गाँव के सुस्पष्ट विकास हेतु *'गाँव गोद लेने'* की योजना बनाई गई। इसमें साधनहीन व्यक्तियों पर अधिक ध्यान दिया ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य न केवल किसानों वरन् छोटें एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, लघु उद्यमकर्ताओं तथा छोटे कारीगरों को भी ऋण व अन्य सुविधाएं दिलाना है जिससे ग्रामीण इलाकों में न केवल कृषि, बल्कि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का भी विकास हो सकें।

कालान्तर में देखा गया कि ग्रामीण विकास के लिए वित्त की अत्यधिक आवश्यकता होती है। देहातों में कृषि तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए साख सुविधाओं में वृद्धि के लिए तथा विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों, देहाती कारीगरों को वित्त की आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण बैंकिंग की शुरुआत की गयी जो इनको ऋण देते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों, कारीगरों आदि को वित्त के लिए महाजनों तथा साहूकारों के पास ऋण लेने के लिए जाना पड़ता था, ये

महाजन तथा साहूकार ग्रामीण जनता को अपने चंगुल में कस लेते थे। इन साहूकारों तथा महाजनों से बचाने के लिए सरकार ने ग्रामीण बैंकों का शुभारम्भ किया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में साख व बैकिंग की सुविधायें उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 83 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रो की बचतों को इकट्ठा करने मे भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण परिवारों के सबसे नजदीक है। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना था इसीलिए इन बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहित किया है। वास्तव में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये कुल प्रत्यक्ष ऋणों में कमजोर वर्गों का हिस्सा 90 प्रतिशत से अधिक है जो कि यह निश्चय ही प्रशंसनीय है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को निम्नलिखित महत्वपूर्ण अध्यायों में विभाजित किया गया है।

1- परिचय ।

2- भारत मे बैंकिंग : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य।

3- भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : स्थापना से वर्तमान समय तक।

4- इटावा जनपद जिला : सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिदृश्य।

5- ग्रामीण विकास : विभिन्न रोजगार योजनाएं (इटावा जिले के विशेष संदर्भ में)।

6- ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका:(इटावा जिले के विशेष संदर्भ में)।

7- निष्कर्ष एवं परामर्श ।

शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में विश्व में बैंकों का उद्‌भव, भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत, क्षेत्रीय ग्ग्रमीण बैंक का परिचय, शोध विषय की परिकल्पना, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन की विधि तथा सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत भारत मे सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तृतीय अध्याय के अर्न्तगत भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उद्देश्य तथा कार्य, जमाओ तथा अग्रिमों का वृहत अवलोकन किया गया है। अग्रिमों में क्षेत्रवार का भी विवरण किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में इटावा जनपद का सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्य का मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत जनपद की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था, जनसंख्या, शिक्षा, तापमान व वर्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कर्मकारों की संख्या कृषि फसल सुरक्षा, सिंचाई एवं बाढ़, पशुपालन, दुग्ध आपूर्ति, रोजगार, संचार व्यवस्था एवं सड़कों आदि के आंकड़ों को दर्शाया गया है।

पांचवें अध्याय में ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित की जा रही विभिन्न योजनाओं का वर्णन किया गया। जिसमें एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इन्दिरा आवास योजना, खादीग्रामो उद्योग योजना आदि का वर्णन किया गया है।

छठे अध्याय में ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका (इटावा जिले के विशेष सन्दर्भ में) का अध्ययन कार्य, विकास खण्डों तथा तकनीक स्तर पर, क्षेत्रवार को दर्शाया गया है। अग्रिमों में कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र, प्राथमिकता, क्षेत्र, गैर प्राथमिकता क्षेत्र, लक्ष्य समूह, गैर लक्ष्य समूह आदिका विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, सहकारी बैंकों, व्यावसायिक बैंकों पर भी प्रकाश डाला गया है।

सांतवें अध्याय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उपलब्धियां विभिन्न समस्याऐं तथा समीचीन सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

साभारोक्ति :

प्रस्तुत शोध के अद्यन्त स्वरूप की सम्पूर्णता में जिस ऋषिवत शोध निर्देशक करुणा की मूर्ति एवं विद्वता के व्यास मेरे पूज्य गुरु डॉ० राधेश्याम सिंह वरिष्ठ प्रवक्ता, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति आजीवन आभारी रहूंगा। जिन्होंने मेरे शोध अध्ययन के प्रत्येक चरण में अपना बहुमूल्य सुझाव, दिग्दर्शन, उत्साहवर्धन एवं सहयोग प्रदान किया है। उनकी ही सतत् प्रेरणा एवं स्नेहाशीष के फलस्वरूप यह कार्य पूर्ण हो सका।

मैं, वाणिज्य जगत के उत्कृष्ट विद्वान, सर्वगुण सम्पन्न, अभिव्यक्ति के धनी, सरलता के प्रतिमूर्ति तथा वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रो० के०एम० शर्मा का आभारी हूँ जिन्होंने सदैव अपने आर्शीवचनों से अभिसिंचित कर मुझे भविष्य में इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

मैं, वाणिज्य विभाग के अधिष्ठाता प्रो० पी०एन० मेहरोत्रा का विशेष आभारी हूँ जिन्होनें मेरे शोध कार्य के प्रत्येक चरण में अपने बहुमूल्य सुझाव दिये ।

मैं, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अपने गुरुजन वृन्द प्रो० रमेन्द्रु राय, प्रो० एस०ए० अन्सारी, डा० प्रदीप जैन, डा० जे०एन०मिश्रा, डा० एच० के सिंह का आभारी हूं जिन्होंने मेरे शोध कार्य के प्रत्येक स्तर पर मुझे बहुमूल्य सुझाव प्रदान किया।

मैं, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो०जी०सी०अग्रवाल एवं प्रो० जगदीश प्रकाश का विशेष आभारी हूं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

मैं, ईश्वर शरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य डा० जे०एस०एल० श्रीवास्तव का विशेष आभारी हूं जिन्होंने मुझे शोध कार्य के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

मैं, डा० ए०के० अग्रवाल रीडर एवं डा० प्रदीप सक्सेना रीडर वाणिज्य विभाग ईश्वर शरण डिग्री कालेज के प्रति आभारी हूं। जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया और समय–समय पर शोध के लिए प्रेरित करते रहें।

मैं, अनिद्य, अगणित गुणों के आगार अपने पूज्य गुरु श्री संजय कुमार निगम रीडर (ईश्वर शरण डिग्री कालेज) का विशेष रूप से आभारी हूं। जिन्होंने अपने उत्कृष्ट गुणों से मुझे सदैव सहयोग दिया एवं उनकी पत्नी डा० नमिता निगम (प्रवक्ता ईश्वर शरण डिग्री

कालेज) का भी विशेष आभारी हू। इनके आर्शीवचनों से शोध कार्य पूर्ण करने में मुझे सरलता का अनुभव हुआ। श्री निगम के उत्कृष्ट सहयोग के लिए मैं सपत्नीक आजीवन ऋणी रहूगा तथा मै इन सरस्वती के वरद पुत्र की दीर्घायु की कामना करता हूं।

मेरे साथ प्रतिक्षण तत्पर रहने वाले एवं उत्प्रेरणा के स्रोत बहुमुखी प्रतिभा के धनी डा० श्याम कृष्ण पाण्डेय का विशेष आभारी हूं, जिनके अनन्य सहयोग के परिणामस्वरूप मैं यह दुर्गम शोध कार्य पूर्ण कर सका।

वाणिज्य विभाग के मेरे सहपाठी डा० जितेन्द्र नाथ दूबे, डा०राजेश केशरी, डा० श्रीमती दिव्या द्विवेदी, श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र, रुद्र प्रभाकर मिश्र, कृष्ण बिहारी लाल श्रीवास्तव का विशेष आभारी हूं जिनके सहयोग एवं सानिध्य में शोध कार्य को पूर्ण करने में सरलता का अनुभव हुआ।

मैं, अपने मित्रगण हेरम्ब पाण्डेय, पंकज पाण्डेय, श्रीश मिश्र, कृष्ण पाल सिंह एवं गुरु भाई रणविजय सिंह, आशीष शुक्ला का भी आभारी हूं जिन्होंने समय–समय पर शोध कार्य में सहयोग दिया।

मैं, अपने मित्र श्री जितेन्द्र कुमार यादव अर्थ एवं संख्याधिकारी औरैया इटावा एवं इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा के कर्मचारियों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने मुझे शोध के लिए समय–समय पर सामग्री उपलब्ध करायी।

मुझे इस जगह पर पहुंचाने के लिए अपने पित्रवत मौसा जी डा० एस०पी० सिंह तोमर, रीडर, ईश्वर शरण डिग्री कालेज एवं मातृवत मौसी जी श्रीमती कमला तोमर के प्रति परम कृतज्ञ हूं। जिन्होंने मुझे हर स्थिति परिस्थिति में हताश नहीं होने दिया तथा उनके स्नेहाशीष आर्शीवाद एवं अमूल्य सहयोग की छाया से ही मैंने शोध कार्य पूर्ण किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे सदैव इनकी छत्रछाया प्राप्त होती रहे।

मेरी आत्मा को इस शरीर में आकार देने वाले साक्षात् जागृति एवं जीवित देव स्वरूप मेरी पूजयनीया माताजी श्रीमती श्यामा तोमर एवं मेरे पूजनीय पिताजी डॉ० कुँवर सिंह तोमर का स्नेह एवं आशीर्वाद सदैव रहा है जिसके परिणामस्वरूप मैं विपरीत परिस्थिति में इस कार्य को पूर्ण कर सका । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस धरती पर मेरा जन्म हो तो इन करूणा की मूर्ति माता–पिता की सन्तान होने का सौभाग्य मुझे प्रत्येक जन्म में प्राप्त होता रहे।

मै, अपने पूजनीय दादा जी स्व० श्री मन्नू सिंह एवं पूजनीया दादी जी स्व० श्रीमती भगवती देवी के चरणों में कोटिशः प्रणाम अर्पित करता हूँ जिनकी शुभाशंसा और आशीर्वचनों से ही यह कार्य पूर्ण कर सका उन्हीं पुण्यात्मा की स्मृति में यह शोध प्रबन्ध को पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करते हुए मैं स्वयं को धन्य समझ रहा हूं।

मैं, अपनी जीवन संगिनी कोमलता की साक्षात् प्रतिमूर्ति श्रीमती सत्यम् तोमर के प्रति विशेष आभारी हूं। जिन्होंने विषम परिस्थिति में सम सहयोग प्रदान करते हुये अनन्य उत्साहवर्धन कर शोध कार्य के लिए प्रेरित किया। वास्तव में शोध कार्य सम्पन्न करने में इनकी पूर्ण भागीदारी निहित है।

मैं, अपने अनुज मनोज कुमार तोमर व सुनील सिंह तथा बहन निशा सिंह, डॉ० अनुराधा सिंह व सोनम सिंह के प्रति विशेष कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे शोधकार्य पूर्ण कराने में विशेष सहयोग प्रदान किया।

अन्त में, मैं अपने इस शोध प्रबन्ध को इतने सुन्दर ढंग से व समय पर मुद्रित करने के लिए कॉमटेक कम्प्यूटर सेन्टर, शिवपुरी कालोनी, गोविन्दपुर, इलाहाबाद के श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव व पंकज श्रीवास्तव को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके सहयोग से ही मैं इसे समय पर प्रस्तुत कर सका।

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

(प्रबल प्रताप सिंह तोमर)

दिनांक :

अनुक्रमणिका

अध्याय : 1

परिचय

"साहस व्यापार का जीवन है, परन्तु सावधानी, न कि भीरुता, आधुनिक बैंकिंग का सार है"

- बैजहॉट

बैंकिंग एक अति प्राचीन व्यवसाय है। यद्यपि प्राचीन काल में आज जैसे बैंक नहीं थे, अनेक देशों में बैंकिंग कार्य महाजन, सुनार और सर्राफ आदि द्वारा किया जाता था। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोन में साख के लेन–देन प्रचलित थे। ईसा–पूर्व सांतवीं शताब्दी में असीरिया में साख पत्र मिट्टी के टुकडों पर लिखे जाते थे । प्रारम्भिक बैंकिंग के प्रमाण चाल्दिया, फोनीसिया और मिश्र के इतिहास को देखने से मिलते हैं। प्राचीन रोम में भी बैंकिंग के विकास के प्रमाण मिलते हैं रोमन सभ्यता के पतन के बाद ईसा–उपरान्त पांचवी शताब्दी में यूरोप को अन्धकार युग से गुजरना पड़ा, और इस काल में बैंकिंग व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया था। 12 वी शताब्दी में यहूदियों द्वारा बैंकिंग कार्य पुनः शुरू किया गया । ईसाईयों को अपने ऋणों पर धर्म द्वारा ब्याज लेने की मनाही थी, जिससे यहूदियों का बैंकिंग व्यवसाय निर्वाध रूप से चलने लगा। कुछ समय पश्चात इटली के लोगों ने भी बैकिंग का कार्य शुरु कर दिया और 200 वर्ष के अन्दर ही उनकी क्रियाएं समस्त यूरोप में विस्तृत हो गयी।[1]

बैंक शब्द का प्रयोग काफी समय से होता आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह इटेलियन भाषा के शब्द 'बैंको' (Banco) से बना है जो फ्रेंच भाषा 'Banke' में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में Bank हो गया है। 'Banco' का अर्थ बैंच होता है। चूंकि इटली में कुछ लोग बैंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे तथा उनमें से किसी का व्यापार बन्द होने पर उसकी बैंच का तोड दिया जाता था। अतःकलान्तर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा–परिवर्तन करने वाली और बाद में साख की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा।[2]

आधुनिक बैंकिंग का वास्तविक विकास सत्रहवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ। सन् 1609 में हालैण्ड में बैंक आफ एम्सटर्डम, सन् 1619 में जर्मनी में बैंक आफ हेम्वर्ग तथा

स्रोत 1 - मुद्रा एवं बैंकिंग, शर्मा, डॉ० हरिश्चन्द, पृष्ठ, 26

2 - मुद्रा, बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, सेठी, टी०टी०, पृष्ठ, 160

1694 में इंग्लैण्ड में बैंक ऑफ इग्लैण्ड की स्थापना हुई। आर्थिक क्षेत्र में धीरे–धीरे बैंकों का महत्व बढ़ने लगा। कलान्तर में संयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना हुई जिससे विकास की गति तेज हो गयी, और आज बैकिंग व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है।[3]

प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवसाय :

वैदिक समय (2000–1400 ईसा पूर्व) के साहित्य मे भारत में धन उधार देने की क्रियाओं के प्रादुर्भाव में होने के साक्ष्य मिलते हैं। बुद्ध के समय का साहित्य उदाहरण के लिए जातक और वर्तमान पुरातत्व अन्वेषण श्रेष्ठियों या बैंकर्स का प्रादुर्भाव में होने का प्रमाण प्रदान करते हैं। मनु के विधि नियमों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में धन उधार देने एवं सहायक समस्याओं का बहुत महत्व था।[4]

प्राचीन भारत में ब्याज दरों की भूमिका को मान्यता दी गयी थी। ब्याज दर को लगभग सभी हिन्दू विधि गुरुओं जैसे मनु, वशिष्ट, याज्ञवल्कय, गौतम और कौटिल्य ने निर्धारित किया। यह सर्वमान्य ब्याज दर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। बैंकर अर्थशास्त्री डा० थिंगालय ने इसे हिन्दू ब्याज दर की सज्ञा दी।[5]

मनु और वशिष्ट के अनुसार ब्याज दर न तो जोखिम के अनुसार परिवर्तनशील थी और न ही उद्‌देश्य के अनुसार थी जिसके लिए धन उधार लिया गया था। बल्कि यह उधार लेने वाले व्यक्ति की जाति के आधार पर वर्गीकृत था। ब्राह्यण से 2 प्रतिशत प्रतिमाह, क्षत्रिय से 3 प्रतिशत, वैश्य से 4 प्रतिशत, और शूद्र से 5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लिया जाता था। फिर भी चाणक्य का ब्याज ढाँचा जोखिम पर निर्भर था;

स्रोत 3 - **मुद्रा, बैंकिंग एवं विदेशी विनिमय, सिद्‌दीकी, डॉ० ए०ए०, पृष्ठ, 130**

4 और 5 **Reserve Bank of India Bulletin , January 2000, Page 47**

चूंकि ब्याज दर ऋणी के व्यवसाय के जोखिम के अनुसार बढ़ती थी सामान्य अग्रिमों के लिए ब्याज दर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। व्यापारी वर्ग से 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाता था। जो व्यापारी जंगलों के रास्ते से व्यापार करते थे, उनसे 120 प्रतिशत प्रतिवर्ष और जो व्यापारी आयात–निर्यात व्यापार विशेष रूप से सामुद्रिक माल में व्यापार करते थे उनसे 240 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाता था।[6]

प्रत्येक व्यक्ति बैकिंग व्यवसाय मे संलग्न नही था। केवल वैश्य जाति के लोग उधार देने के पेशे में लगे हुए थे। दूसरे शब्दों में प्राचीन समय में जाति ही बैंकिंग व्यवसाय करने का प्रमाण है।

मनु ने ऋण अदायगी न होने की दशा में विवाद होने पर दण्ड देने की व्यवस्था की थी और इस प्रकार के 18 विवाद उन्होंने निर्धारित किये। जब एक ऋण दाता ऋणी पर धन वसूली के लिए वाद करता था, तो राजा का यह कर्तव्य था कि वह ऋण दाता को धन वसूली के धन वसूल करने हेतु सहायता दे। मनु ने राजा को धन वसूल करने में सभी प्रकार के साधन, गलत तथा सही अपनाने की स्वीकृति दे रखी थी जैसे ऋणी की पत्नी, बच्चों और जानवरों की हत्या आदि। मनु इस बात के पक्षधर थे कि एक ऋणी जो अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है। अपनी मृत्यु के बाद अपने ऋण भार से स्वयं मुक्त हो जाता था । चाणक्य के अनुसार मृतक के ऋण को उसके पुत्रों को ब्याज सहित चुकाना चाहिए। पत्नी को पति के ऋण को चुकाने के दायित्व से मुक्त रखा गया था, यदि वह ऋण उसकी सहमति के बगैर लिया गया था फिर भी यदि पत्नी द्वारा ऋण लिया गया होता था तो पति उसके भुगतान के लिए जिम्मेदार था। शायद यही आधार था कि ग्रामीण ऋण ग्रस्तता पर कहा गया है कि "भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में रहता है, और ऋण में ही मर जाता है।"[7]

स्रोत - 6 & 7 - Reserve Bank of India Bulletin, January 2000, Page 48

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में बैकिग का विकास पाश्चात्य ढ़ग से प्रारम्भ हुआ। वाणिज्यिक बैकों को बढती आवश्यकताओं और विकास की जटिलताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक ढाले जाने का उल्लेखनीय उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद के चौंवन वर्षो के दौरान आर्थिक विकास मे बैकिग ने जो भूमिका निभायी है उसको समझने के लिए स्वतंत्रता से पहले विद्यमान बैकिंग स्थिति का अध्ययन करना होगा। 1935 में भारत को बैंक कार्यालयों की संख्या 946 थी जिनमें से 160 शाखाएं इम्पीरियल बैंक की तथा शेष अन्य बैंको की थी। इससे लगभग तीन लाख की जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय था। वस्तुतः अधिकांश जनसंख्या के लिए बैंकिंग सुविधाए उपलब्ध नहीं थी देशी बैंकरों और महाजनों को अपने कार्यो के लिए बहुत गुंजाइश थी। यह आम विश्वास था कि मुद्राबाजार का असंगठित क्षेत्र, जिसमे देशी बैंकरों और महाजनों के नाम से मुख्यता दो स्थूल श्रेणियां थीं, उतना ही बड़ा था, जितना संगठित क्षेत्र। देशी बैंकर जमा राशियां प्राप्त करते थे, संयुक्त पूँजी वाले बैंकें के साथ सामान्यतया हुंडियों को भुनाने के रुप में ऋण व्यवस्था रखते थे और मुख्यता व्यापार और उद्योग के लिए वित्त प्रदान करते थे। वे प्रेषणों के क्रय और विक्रय के माध्यम से सामान्य बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करते थे, देशी बैंकरों से अग्रिम अधिकतर जमानत के आधार पर होते थे । उनकी ऋण पर दरें वाणिज्य बैकों द्वारा लगायी जाने वाली दरों से उच्चतर होती थीं। दूसरी ओर महाजन आम तौर पर जमाराशियां प्राप्त नहीं करते थे। संगठित बैंकिंग क्षेत्र से बहुत कम उधार लेते थे और मुख्य रुप से अनुत्पादक व्यय के लिए वित्त प्रदान करते थे। सामान्यतया बैंकिंग सेवाएं देश के किसी भी भाग में पर्याप्त नहीं थीं। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद की शुरु की अवधि में बैंक शाखाओं का महानगरों और शहरी केन्द्रों तथा अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों तक ही सीमित रहने के कारण रुढ़िवाद और बैंकिग की सही सम्भावनाओं की समझ का अभाव था। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में बना, जो हिल्टंन यंग आयोग की सिफारिश के बाद इस प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए बहुत से प्रयासों

का फल था। हिल्टंन यंग आयोग ने सिफारिश की थी कि, मुद्रा और ऋण नियन्त्रण के लिए कार्यो का द्विभागीकरण और उत्तरदायित्व का विभाजन समाप्त होना चाहिए।[8] रिजर्व बैंक ने चौथे दशक के अन्तिम वर्षों में जो मुख्यता कार्य हाथ में लिए, उनमें से एक था उत्कृष्ट और पर्याप्त बैंकिंग एव ऋण विन्यास को आधुनिक ढंग से निर्मित करना है।[9] इस प्रयोजन के बैंकों के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण हेतु बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम 1949 (1965 में जिसका नामान्तरण बैकिंग विनियमन अधिकनियम के रूप में हुआ) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को व्यापक अधिकार सौंपे गये। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान बैंकों द्वारा न्यूनतम सांविधिक चलनिधि और न्यूनतम नकद प्रारक्षित निधि रखने बैंकिंग कम्पनियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण तथा अन्तिम लेखा प्रस्तुत करने से सम्बन्धित है। इस अधिनियम में 1949 और 1965 के बीच किये गये मुख्य संशोधन समापन प्रक्रिया भारतीय बैंकों के कार्यालय विदेशों में खोलने तथा नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को देने से सम्बन्धित है। जो गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं से सम्बन्धित मानदण्डों के अनुरूप खरे नहीं उतरे अथवा जो बैंकिंग कारोबार को गैर–बैंकिंग कारोबार से मिलाने पर निषेध का पालन नहीं कर सके। ऐसे बहुत से बैको को रिजर्व बैंक ने बन्द करवा दिया। अन्य अनेक बैंक मिला दिये गये। पुनर्गठन और समेकन की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बैंकों की कुल संख्या दिसम्बर 1947 से 640 से घटकर दिसम्बर 1957 में 389 रह गयी।[10]

भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपे गये अधिकार नकदी प्रारक्षित अनुपात तथा संविधिक चलनिधि अनुपात, इन दोनों के माध्यम से पूर्व क्रय को कम करने के मध्यावधिक उद्देश्य के अनुसरण में इन्हें न्यूनतम सांविधिक स्तर तक ले आया है। नकदी प्रारक्षित अनुपात में

---

8. **भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जनवरी, 1989 पृष्ठ-18**

9. **योजना नवम्बर 1997 पृष्ठ-7**

10. **भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जनवरी, 1989 पृष्ठ-18,19**

कमी लाने के कार्य में प्रगति वास्तिविक उत्पाद में वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा बाजारों में अनिश्चितताओं की तुलना में राजकोषीय घाटे में कमी की गति तथा मौद्रिक गतिविधियों से घनिष्ठ रुप से संबद्ध बनी रही है। नकदी प्रारक्षित अनुपात में और अधिक तेजी से कटौती करने के मध्यावधि उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें सहायता मिली होती यदि उपर्युक्त क्षेत्रों में हमारा अतीत काल अधिक बेहतर रहा होगा। संरचनात्मक दृष्टि से जब भी यह सम्भव है,भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी प्रारक्षित अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात को क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से भी नीचे लाने के लिए, पूर्व क्रयों से सम्बन्धित कानून में सुधार करने के लिए प्रस्ताव पहले ही बढ़ा दिया गया है।[11]

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है। बैंक छोटी–छोटी धनराशि एकत्रित करते हैं तथा बचत को बढ़ावा देते हैं। इस एकत्रित धनराशि को उन क्षेत्रों में विनियोजित करते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है इस प्रकार बैंक दूसरे रूप में धन एकत्रित करके उसे उपभोग, व्यापार, उद्योग तथा सेवा को ऋण के रूपमें प्रदान करते हैं। इस प्रकार बैंक देश में पूंजी की आवश्यकताओं की बड़ी मात्रा में पूर्ति करके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं।

कृषि वित्त की समस्या वाणिज्य और उद्योग के लिए वित्त की समस्या से भिन्न है। वाणिज्य और उद्योग अपेक्षाकृत संगठित व्यवसाय है और इसकी वित्त की मांग उत्पादक कार्यों के लिए बहुत पहले ही विभिन्न देशों में बैंकों और औद्योगिक वित्त की विशिष्ट संस्थाओं का विकास हुआ है। कृषि अपेक्षाकृत असंगठित व्यवसाय है। इसकी सफलता या असफलता बहुत कुछ मौसम पर निर्भर होती है। इसके अलावा किसानों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों में स्पष्ट रूप से उत्पादक और अनुत्पादक में भेद कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए बैंकों ने खेती के लिए उससे सम्बन्धित दूसरे कार्यों के लिए ऋण देने में प्रायः दिलचस्पी नहीं दिखाई और लम्बे समय से किसान ऋण के लिए मुख्य रूप से

स्रोत -11. भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन अप्रैल 2001, पृष्ठ-396

साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहे हैं।

स्वतंन्त्रता के समय भारत को एक धूल भरे, अलसाए, अधनंगे, बीमार और बेरोजगार लोगों के देश की संज्ञा दी गयी थी। भारत की कल्पना करते समय ऐसे गरीब पिछड़े, दबे हुए लोगों की छवि उभरती थी जो शताब्दियों पुरानी परम्पराओं और तरीकों से जीते थे, जिनके मन में अपना जीवन स्तर सुधारने की न उमग थी न पर्याप्त साधन। उजड़े खेत, सूखी नदियां वर्षा के लिए आकाश की ओर निहारती आंखें, अधनंगें बच्चे और भूखीं औरते ही उस युग के भारतीय गाँवों की पहचान बन गये थे। स्वतंन्त्रता के बाद भारत की मुख्य समस्या अपने करोड़ों निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। सन् 1957 में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री आयंगर ने कहा था कि *"पिछले चालीस वर्षों की अवधि के दौरान गरीबी अपने उच्च शिखर पर बनी रही और लोग उन्हीं आदिकालीन दशाओं में बने रहे, जिनमें उनके पूर्वज रहते थे। यही तथ्य भारतीय उपमहाद्वीप के लाखों गांवों के बारे में भी सत्य है। हालांकि इस देश में हाल ही में विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।"* इस गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति को दूर करने के लिए योजनाबद्ध विकास के मार्ग को अपनाया गया है, ताकि कृषि, उद्योग व यातायात आदि सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था ही देश के आर्थिक विकास के लिए उचित वातावरण बनाने में तथा विकास की गति को तीव्र करने में सक्रिय योगदान कर सकता है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। कृषि विकास सम्बन्धी कार्यो को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है । कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि व्यवस्था की अनिश्चितता के कारण किसान के निजी साधन बहुत कम हैं, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए किसान द्वारा साख की मांग निरन्तर बनी रहती थी।[12] सम्भवतः इसी कारण से रिजर्व बैंक ने आरम्भ से ही कृषि साख को संगठित

स्रोत 12 - मुद्रा, बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टी०टी०सेठी, पृष्ठ-462

तथा कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु कृषि साख विभाग की स्थापना कर दी थी। इस विभाग को निम्न कार्य सौपें गये थे।

1- कृषि साख के सम्बन्ध मे रिजर्व बैंक, राज्स सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना।

2- सहकारिता, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता, ग्रामीण वित्त आदि से सम्बन्धित कानूनों का अध्ययन करना तथा उन पर अपना मत प्रकाशित करना।

3- कृषि साख की समस्याओ के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों कार्यदल रखना, जो आवश्यकता के समय, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सहकारी संगठनो को परामर्श दे सके।

विधान द्वारा रिजर्व बैंक कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से वित्त प्रदान नहीं कर सकता। कृषकों को वित्तीय सहायता सहकारी क्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जाती है।

रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया अगस्त 1951 में श्री ए०डी० गोरवाला की अध्यक्षता में ग्रामीण साख की समस्याओं की जांच करने तथा उनके सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की और सुझाव दिया कि देश में ग्रामीण साख की उचित व्यवस्था करने के लिए एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना करनी चाहिए; जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का जाल बिछाकर देहातों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करे तथा कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में साख की व्यवस्था करे।[13]

भारत सरकार ने गोरवाला समिति को सिफारिश की स्वीकार कर लिया, परन्तु सरकार ने कोई राष्ट्रीय बैंक स्थापित न करके तत्कालीन इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में परिणत कर दिया। सन् 1955 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट स्वीकृत किया गया और इस ऐक्ट के अन्तर्गत इम्पीरियल

स्रोत 13 - मुद्रा एवं बैंकिंग, सेठ, एम०एल०, पृष्ठ-559

बैंक की भारत स्थित समस्त सम्पत्ति और दायित्व स्टेट बैक को 1 जुलाई 1955 को सौंप दिय गये। इस प्रकार 1 जुलाई 1955 से स्टेट बैंक भारत वर्ष में कार्य कर रहा है।[14]

काफी लम्बे समय तक व्यापारिक बैंकों का ग्रामीण साख में हिस्सा बहुत कम था। उदाहरण के लिए कुल ऋण में व्यापारिक बैंकों का हिस्सा 1950-51 में 0.9 प्रतिशत तथा 1961-62 में 0.6 प्रतिशत था। इसके अनेक कारण थे – एक तो यह कि भारत में कृषि रुप से जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र रही है और दूसरे इसका स्वरुप असंगठित व वैयक्तिक है। इसके अलावा, कृषि अधिकतर मानसून पर आधारित है इसलिए इसके उत्पादन में, अनियमितता है और उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। इसके विपरीत, औद्योगिक क्षेत्र अधिक संगठित होता है। और वह प्राकृतिक कारकों पर निर्भर नहीं करता। यही कारण है कि बैंकों का ध्यान कृषि की अपेक्षा उद्योगों पर अधिक केन्द्रित रहा। यहां तक कि बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त बचतों का प्रयोग भी औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए किया ।

रिजर्व बैंक के अधिकारों में और वृद्धि करते हुए सन् 1955 में एक अधिनियम पास किया गया जिसमें राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिया गया तथा उन्हें वे सुविधाएं दी गयीं जो अनुसूचित बैंकों को प्राप्त थी।

इसके बावजूद देश का सामान्य व्यक्ति, लघु एवं सीमान्त कृषक, लघु उद्यमी एवं लघु व्यवसायी बैंकिंग सेवाओं से बिल्कुल अछूते रहे। बैंकिंग सुविधाएं समाज के कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर थी। परिमाण स्वरूप यह वर्ग अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों, महाजनों, अमीर कृषकों इत्यादि असंस्थागत स्रोतों पर ही निर्भर थे और यह वर्ग समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करते थे।

ग्रामीण साख की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और उसमें व्यापारिक बैंकों की अत्यन्त सीमित भूमिका के कारण सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ रुपये से अधिक

स्रोत 14 - योजना नवम्बर 1997 पृष्ठ-7, 8

जमा पूँजी वाले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय बैकिग इतिहास का एक युग प्रवर्तक एवं क्रातिकारी कदम था। इसका मुख्य उद्देश्य "अर्थव्यवस्था की चोटियों पर नियंत्रण करना" बताया गया। 5 अप्रैल 1980 को 6 अन्य निजी बैंको का राष्ट्रीकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपये से अधिक थी। जिन उद्देश्यों को लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वे हैं–

1. बैक शाखाओं में वृद्धि विशेषकर ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में करना ।
2. बैकों के माध्यम से अधिक बचत राशियां जुटाना तथा
3. ऋण की दिशा निर्धारित करना ताकि कृषि, लघु उद्योग और छोटे कर्जदार तथा उपेक्षित वर्ग को लाभ प्राप्त हो सके।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई बैंकिंग नीति घोषित की गई थी–

1. शाखाओं को इस शर्त पर लाइसेन्स दिया जायेगा कि वे अपने कार्यालय ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में खोलेंगें।
2. इन क्षेत्रों से जुटाई गयी जमाराशियां उसी क्षेत्र में 60 प्रतिशत तक खर्च करेंगे।
3. बैंकों की ऋण दरों का विन्यास तय करने में प्रति उत्पादन की तत्व इसमें समाविष्ट किया गया।
4. बैंकों द्वारा दिया गया ऋण विकास कार्यो में खर्च करने के लिए जिला ऋण योजना नीति बनाई गयी।
5. राष्ट्रीयकृत बैंक अपने साधनों का अधिक से अधिक भाग पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च करेंगें ।
6. गरीबी कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं में बैंक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा।

इस प्रकार बैंकों के ऋण विनियोजन में दूरगामी महत्व का संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। और बैंकिंग देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में उभरी है।[15]

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी शाखाएं खोली और ग्रामीण साख में अपने योगदान में काफी वृद्धि की। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीयकरण से ठीक पहले (अर्थात् जून 1969 में) भारत में व्यापारिक बैंकों की कुल शाखाएं 8262 थी जिनमें से केवल 1832 (अर्थात् 22.2 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। जून 2001 मे कुल शाखाएं 65800 तक पहुंच चुकीं थीं जिसमें से 32631 शाखाएं (अर्थात् 49.59 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थीं।

कृषि क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त होने वाले ऋणों में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, बैंको से कृषि क्षेत्र को बकाया प्रत्यक्ष ऋण की मात्रा जून 1969 में 441 करोड़ रुपये थी। जो कुल बैंक साख (नेट) का मात्र 14.6 प्रतिशत थी। 1 मार्च 2001 में यह राशि 146546 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी जो कुल बैंक साख (नेट) का 43.00 प्रतिशत था। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंकों के सामने कुछ लक्ष्य रखे गये हैं। जैसे कि अपने कुल ऋण का 40 प्रतिशत भाग बैंक घोषित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (यथा कृषि, लघु उद्योग, लघु व्यवसाय इत्यादि) को प्रदान करेंगे। यह भी लक्ष्य रखा गया कि कृषि व संवद्ध क्षेत्रों को कुल ऋण का 17 प्रतिशत तथा कमजोर वर्गो को 10 प्रतिशत दिया जायेगा। 1 मार्च 2001 के अन्त तक बैंकों ने 43 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान किये थे।

इस विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि ग्रामीण ऋण प्रदान करने में बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इससे किसानों को कृषि आगत खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हैं। नई कृषि युक्ति को बढ़ते हुए पैमाने पर

स्रोत 15 - योजना नवम्बर 1997 पृष्ठ-9

अपनाने का अवसर मिला है, तथा कृषि निवेश को बढ़ाया जा सका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैकों की बढ़ती हुई भूमिका के बावजूद उनकी निम्न नीतियों के आधार पर आलोचना की जाती है–

1. अनेक ग्रामीण शाखाएं साख विकास के कार्यक्रमों को बनाने व उन्हें लागू करने में असफल रही हैं।
2. बिना व्यावसायिक सम्भावनाओं पर ध्यान दिये अंधाधुंध ग्रामीण शाखाएं खोलते जाने से प्रशासनिक खर्च बढ़े तथा बैंकों को लाभ कम हुए है।
3. बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का संकेन्द्रण भी कुछ राज्यों में है।
4. ग्रामीण शाखाओं में कार्यरत बहुत से कर्मचारी बड़ी अनिच्छा से काम करते हैं तथा अल्प अवधि में ही स्थानान्तरण की कोशिश में लगे रहते है।
5. व्यापारिक बैंकों ने अपनी ऋण सेवाओं का विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में किया है जिनमें पहले से ही सहकारी समितियां कार्यरत थी। इस प्रकार भौगोलिक रिक्तता को पूरा करने में व्यावसायिक बैंक असफल रहे हैं।
6. ऋणों की वसूली की स्थिति अच्छी नहीं हैं। जहां एक ओर कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा बढ़ते हुए पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, वहां लगभग आधा धन वापस नहीं लौटता है । यह निःसंदेह एक चिन्ता जनक बात है। इससे कृषि को ऋण देने वाली संस्थाओं का अस्तित्व ही खतरे में आने की आशंका रहती है ।
7. बैंकों के ऋण कार्यक्रमों का लाभ अधिकतर बड़े व मध्यम किसानों को ही हुआ है। छोटे व सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज भी महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है ।
8. बैंकों की शाखाएं जितनी शीघ्रता से बढ़ी है लेकिन बैंकों की जमाराशियां उसी अनुपात में नहीं बढ़ी हैं।

9. बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में गिरावट आयी है।

10. राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंकों के संगठन, कार्य प्रणाली अथवा नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक का ग्रामीण साख व बैंकिग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसके आधार पर ही अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण 1951-52 में हुआ। इसके अध्ययन में यह पाया गया कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता एजेंसी आधार पर है और यह भी पाया गया कि सहकारिता फेल हो गयी है लेकिन इसे सफल होना चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट इस विषय पर एक उच्च्व श्रेणी की रिपोर्ट समझी जाती है। प्रारम्भिक चरण में सहकारी साख ढ़ाँचे को मजबूत बनाने और विकसित करने में प्रयास किये गये। भारतीय रिजर्व बैंक भी सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सुविधाएं जैसे, कृषि को साख की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।[16]

1955 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के पारित होने से ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की बात इसके उद्देश्यों में कही गयी। इसीलिए भारतीय स्टेट बैंक सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण साख प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण साधक बन गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका उद्देश्य "अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों का नियन्त्रित" करना था। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण बैंकिंग के विकास मे भारतीय स्टेट बैंक तथा सहकारिताओं के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण साधक बने।[17]

Source 16 - Reserve Bank of India Bulletin , January 2000, Page 48

Source 17 - Reserve Bank of India Bulletin , January 2000, Page 49

ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करना 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक अंश था और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं कारीगरों को संस्थानात्मक उधार उपलब्ध कराना था। 1975-76 में तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने प्रत्येक 17000 की आबादी पर एक बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय लिया, जो स्थानीय जनता की ऋण एवं साख की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और उनकी आय में वृद्धि हो सके । इस सन्दर्भ में उन्होंने जापान, फ्रास, तथा श्रीलंका आदि देशों की तरह भारतवर्ष में भी सम्पूर्ण जनता को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग बैंकिंग संस्थाओं से विहीन था। इस सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों ने अपनी शाखा खोलने में असमर्थता प्रदर्शित की, क्योंकि उनकी शाखा खोलने की लागत अधिक थी तथा कर्मचारी भी सुदूर क्षेत्रों में काम करने के अभ्यस्त नहीं थे।

सन् 1975 में भारत में आपात–स्थिति की घोषणा के बाद बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का विचार सरकार के समक्ष आया और तत्कालीन सरकार ने कम लागत अवधारण के आधार पर बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय लिया, जिसमें यह परिकल्पना की गयी थी कि निश्चित क्षेत्रें में खुलने वाली शाखाएं केवल ऋण वितरण का कार्य करेंगी ।

नये आर्थिक कार्यक्रम के इस पहलू को आगे बढ़ाने के लिए ही भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि मजूदरों, कारीगरी तथा छोटे उद्यम कर्ताओं को उधार तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उतपादक क्रियाओं को विकसित कर सकें।

आरम्भ में 2 अक्टूबर 1975 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। उत्तरप्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर औरपश्चिमी बंगाल में माल्दा के स्थान पर ये बैंक क्रमशः सिंडीकेट बैक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चालू कियेगये। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूँजी एक करोड़ रुपये औरचुकता पूँजी 25 लाख रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूँजी में केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत तथा इसको सचालित करने वाले बैंक की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत हैं यद्यपि मूल रुप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणज्यि बैंक ही है। किन्तु वे कुछ पहलुओ में इनसे भिन्न हैं।

1- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे तथा सीमान्त किसानों देहाती कारीगरों कृषि मजदूरों और अन्य छोटे सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण तथा अग्रिम देते है।

2- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य क्षेत्र राज्य के एक या कुछ जिलों के निर्धारित इलाकों तक ही सीमित कर दिया जाता है।

3- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उधार दरें किसी राज्य में सहकारी समितियों की उधार दरों की तुलनीय है।

1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये जा रहे ग्रामीण प्रयासों और विभिन्न व्यवस्थाओं को समन्वित करने के उद्देश्य से की गयी। यद्यपि कुछ प्रयास कृषि एवं ग्रामीण उधारी के समबन्ध में संस्थागत साख को बढ़ाने हेतु किये गये क्योंकि साख व उत्पादन में समानता नहीं थी। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अध्ययन हुए जिसमें पाया गया कि स्थानीय स्तर पर नियोन का प्रभावशाली न होना इसका मुख्य कारण था। यह महसूस किया गया कि शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने से एक ऐसी पद्धति बनेगी जो प्रत्येक शाखा को विशेष ध्यान देगी

और क्षेत्र का भार सौपा जायेगा जिससे यह शाखा ऋण देने पर विशेष ध्यान देगी और क्षेत्र का विकास करने में सहयोग देगी। इस आशय हेतु आर०बी० आई० ने 'Service Area Aproach' नामक योजना वाणिज्यिक बैंकों हेतु बनायी है । संस्थागत मशीनरी को और अधिक सहयोग देने के लिए 1996-97 में 'Local Area Bank' की अवधारणा सामने आयी और सिद्धान्तता 8 'Local Area Bank' की अनुमति मिली।[18]

ग्रामीण क्षेत्रों मे साख के प्रवाह को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की साख नीतियों के अतिरिक्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अवधारणा प्रत्यक्ष साख बढ़ाने हेतु प्रादुर्भाव में आयी। वर्तमान में यह माना गया कि घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को कुल बैंक साख का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना चाहिए और इसमें से भी 18 प्रतिशत प्रत्यक्ष कार्यो हेतु दिया जाना चाहिए। इस 18 प्रतिशत में 13.5 प्रतिशत उत्पाद ऋणों के रूप में होना चाहिए। और शेष अप्रत्यक्ष ऋणों के रुप में। जहां एक बैंक अपनी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी की पूर्ति करने में असफल रहता है, इसको नाबार्ड द्वारा स्थापित ग्रामीण संरचनात्मक विकास कोष में अंशदान करना चाहिए। नाबार्ड इस कोष को राज्य सरकारों एवं राज्य धारित निगमों को विभिन्न ग्रामीण संरचनात्मक योजनाएं पूरी करने के लिए उपलब्ध कराती है।

1991 में शुरु हुए वित्तीय क्षेत्र में सुधार का उद्देश्य साख संस्थाओं को संगठनात्मक रुप में मजबूत , वित्तीय जीव्यता और क्रियात्मक कुशल इकाई बनाना थां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उधार दर को अनियमित किया गया। सुधारात्मक उपायों में बजटरी सहायता में कमी साधनों मेंछूट प्रदान करना, विकास कार्य योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सम्पत्तियों का वर्गीकरण आदि थे। इन सुधारों से अनेकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक नई दिशा मिली और वे अधिक जीव्यता वाले संस्थान के रुप में उभरे।[19]

Sourse 18- Reserve Bank of India Bulletin , January 2000, Page 49

Sourse 19- Reserve Bank of India Bulletin , January 2000, Page 50

हाल ही में, ग्रामीण बैकिंग के विकास हेतु अनेक नीतिगत फैसले किये गये हैं। इनमें गुप्ता समिति की सिफारिशो के आधार पर भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को अतिरिक्त पूंजी अंशदान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुर्नपुँजीकरण एवं पुर्नढाँचाकरण और उधार देने की प्रक्रिया का सरलीकरण शामिल है। इन प्रयासों से ग्रामीण वित्तीय संस्थानों का नेटवर्क काफी बढ़ा है। तथा बैंकिंग संस्कृति को बढ़ावा मिला है।

जून 2001 तक देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा उनकी कुल 14456 शाखाएं 451 जिलों में कार्य कर रही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणों का 90 प्रतिशत कमजोर वर्गो को उपलब्ध कराया गया है ।

आजादी के 50 वर्षो के पश्चात बैंकिंग सेवाओ का व्यापक रूप से विस्तार किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक तथा राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में शाखाएं स्थापित करने में ये बैंक आज भी अपनी मानसिकता मे परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। फलतः यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में बहुत सी निष्क्रिय पूँजी गांवों में पड़ी रहती है। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए उसका संग्रह किया जा सकता है। और ग्रामीण विकास के लिए उसका उपयोग ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जा सकता है। किसानों को साख की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

अतः ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

परिकल्पना :

इस अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पना का निरुपण किया गया है।

1. ग्रामीण बैंक की स्थापना से पूर्व भारत मे विद्यमान ग्रामीण वित्त के स्रोत अपर्याप्तं थे।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे क्षेत्रो में स्थापित किये गये जहां पहले से कोई बैंक नही थे। स्थापना के पश्चात शाखाओं, जमा तथा ऋण में ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि हुई है।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, कृषि श्रमिकों, लघु और सीमान्त कृषकों, कारीगरों, लघु उद्यमियों, छोटे व्यापारियों तथा अन्य ग्रामीण समुदायों के सहायतार्थ ही स्थापित किये गये हैं । वे ग्रामीण बचतों को गतिशील बनाने में भी सहायक हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुषुप्तावस्था में पड़ी निष्क्रिय पूंजी को भी एकत्रित करके उसी क्षेत्र के लोगो का विकास करना इन बैंकों के माध्यम से सम्भव हुआ है।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों, व्यापारिक बैंकों तथा अन्य व्यापारिक कमियेंा को दूर किया गया है।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य महाजनों एवं साहूकारों के चंगुल से ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को मुक्त कराना रहा है ।

6. व्यापारिक बैंकों ने अपनी ऋण सेवायों का विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में किया, जिनमें पहले से ही सहकारी समितियां कार्यरत थीं । इस प्रकार भौगोलिक रिक्तता को पूरा करने में व्यावसायिक बैंक असफल रहे । इस कमी को पूरा करने के लिये ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी ।

7. यह आशा की गयी थीं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल ऋण देने का कार्य करेंगें ।

अध्ययन का क्षेत्र :

यद्यपि अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से इटावा जनपद (विभाजन से पूर्व) का चयन किया गया है। इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं की जमाओं तथा अग्रिमो का तहसील वार, विकासखण्ड स्तर अध्ययन किया गया तथा उनका तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण के ऋणोंका क्षेत्रवार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, लक्ष्य समूह, गैर लक्ष्य समूह, कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र और इटावा जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की गैर निष्पादन सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही साथ जनपद के स्थित सहकारी बैंकों तथा व्यावसायिक बैंकों के निक्षपों तथा अग्रिमों का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत में सभी व्यावसायिक बैकों और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समग्र जमा तथा अग्रिमों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रदेश में अन्य ग्रामीण बैकों तथा अखिल भारतीय स्तर पर समस्त ग्रामीण बैकों व वाणिज्यिक बैंकों से तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन की विधि :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यावसायिक बैंकों के लिए तथा इटावा जनपद के सामाजिक, आर्थिक तथा सास्कृतिक अध्ययन के लिए मुख्यतः प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकडें, अवलोकन, साक्षात्कार तथा पुस्तकालय पद्धति का प्रयोग किया गया है।

कार्य क्षेत्र :

शोध सम्बन्धी संमकों को इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक इटावा, बैंकर्स ग्रामीण संस्थान लखनऊ, जिला अर्थ एवं संख्या कार्यालय औरैया एवं इटावा, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कानपुर एवं लखनऊ तथा नाबार्ड लखनऊ में कार्यरत उपयुक्त अधिकारियों से साक्षात्कार करके प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य पुस्तकालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पुस्तकालय ईश्वर शरण डिग्री कालेज इलाहाबाद, पुस्तकालय काशी विद्यापीठ वाराणसी, टैगोर पुस्तकालय लखनऊ विश्वविद्यालय, पुस्तकालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से अध्ययन करके समकों को संकलित किया है।

द्वितीयक संमकों का संग्रहण :

अध्ययन मुख्यतया द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। यह आंकड़ें संस्थाओं से प्रकाशित बुलेटिनों तथा यथा रिजर्वबैंक आफ इण्डिया, नाबार्ड विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालयों और विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों से संकलित किया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड की वेबसाइट से भी समंकों को भी प्राप्त किया गया है।

सीमाएं :

वर्तमान अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक संमकों पर आधारित है। अतएव गौण समंक आधारित शोध की समस्त सीमाए इस शोध प्रबन्ध में भी विद्यमान है। शोध का कार्य करना वर्तमान समय (2002) तक है। जिसमें भारत स्थित सभी व्यावसायिक बैंकों के आंकड़ें 10 मई, 2002 तक के हैं। अखिल भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आंकड़ें

31 मार्च 2001 तक के हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रवार आंकड़ें मार्च 2002 तक लिए गये हैं। इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आंकड़े मार्च 2002 तक तथा इसके विकास खण्डवार, तहसीलवार व शाखावार आंकडे 2001 तक ही प्राप्त हुए हैं और सभी व्यावसायिक बैकों के भी आंकडे 2002 तक लिये गये हैं । अखिल भारतीय स्तर पर ऋण एवं अग्रिम विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ आंकड़ें 1999 तक तथा कुछ आंकड़ें 2000 तक ही प्राप्त हो सके हैं।

अध्याय : 2

भारत में बैंकिंग : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

"Cridit Supports the former as the Hangman's rope supports the hanged ! But ; even it cridit is sometimes 'fatal' it is often indispensable to the cultivator"

- French Proversb.

भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। विश्वके प्रकाशनों एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा समय–समय पर उसे अर्द्धविकसित व अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सदियों से कृषि प्रधान, पिछड़ी एवं अल्पविकसित रही है। इसीलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एम०एल० डार्लिंग ने कहा था कि *"भारत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी मिट्टी धनी, किन्तु जनता गरीब है।"* ब्रिटिश साम्राज्य की उपनिवेशवादी नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक गति हीनता की अवस्था में पहुंच गयी थी परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गतिशीलता की अवस्था से निकालने के प्रयास की रूप रेखा निर्मित की गयी जो नियोजित विकास प्रक्रिया के रूप में सामने आयी है। आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर 1951 में प्रथम योजना प्रारम्भ की गई। उसी समय योजना आयेाग ने कहा था *"आर्थिक नियोजन आवश्यक रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूपसाधनों को अधिकतम लाभ के लिए संगठित एवं उपयोग करने का मार्ग है। इसके अन्तर्गत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी गयी नीति एवं उपलब्ध साधनों तथा उनके अधिकतम आवंटन के सन्दर्भ में ज्ञान है।"* वर्तमान समय तक देश में विभिन्न योजनाएं सम्पन्न हो चुकी हैं। किसी भी देश के विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। एक विकासशील राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण उनकी बचत कम होती है। जो भी बचत होती है उसका उपभोग भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। बचत को सही दिशा प्रदान करने के लिए देश की बैंकिग प्रणाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटी–छोटी बचतों को एकत्रित कर उन क्षेत्रें में विनियोजित करते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। भारत के आर्थिक नियोजन में बैंकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से बैकों की संरचना में आधारभूत परिवर्तन किये गये। यद्यपि इस समय भी देश में मुद्रा बाजार संगठित एव असंगठित दोनों रूपों में विद्यमान हैं परन्तु पिछले दिनों में देश के संगठित मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के आर्थिक विकास में बैकिग संस्थाओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में बैंकिग विकास का इतिहास बढ़ती आवश्यकताओं और विकास की जटिलताओं के अनुरूप बैकों के सफलतापूर्वक ढाले जाने का उल्लेखनीय उदाहरण है। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में बना जो हिल्टन यंग आयेाग की सिफारिश के बाद इस प्रकार की सस्था की स्थापना के बहुत से प्रयासों का फल था। हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश की थी कि मुद्रा और ऋण के लिए कार्यो का द्विभागीकरण और उत्तरदायित्व का विभाजन समाप्त होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने चौथे दशक के अन्तिम वर्षो में जो मुख्य कार्य हाथ में लिए उनमें से एक था *"उत्कृष्ट और पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण विन्यास को आधुनिक ढंग से निर्मित करना।"* [1]

सन 1947 के विभाजन के तुरन्त बाद बैंकों की जमा राशियां बहुत कम हो गई थीं परन्तु धीरे–धीरे उद्योग तथा व्यापार के विकास के कारण बैकों की जमाराशियों में वृद्धि आरम्भ हो गई। स्वतंत्रता के पश्चात् देश में बैंकिग के स्वरूप एवं सन्तुलित विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। 1 जनवरी 1949 में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करके देश के बैंक को पूर्ण रूप से सरकारी बैंक कर दिया। बैंकों के सन्तुलित विकास तथा उन पर अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण करने के लिए 17 जनवरी 1949 को बैंकिंग कम्पनी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में पाये जाने वाले विभिन्न दोषों एवं त्रुटियों को दूर करना था। सरकार ने इस अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक को विस्तृत अधिकार दिये जिससे वह देश की सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को संतुलित एवं शक्तिशाली बनाये रख सकें।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारतीय बैंक ग्रामीण साख उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। गाँवों में बैंकिंग विस्तार भी नहीं हो रहा था। अतः अगस्त 1951 में रिजर्व बैंक ने ए०डी० गोरवाला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति नियुक्ति

स्रोत 1 - **योजना, नवम्बर,** 1997

की। समिति ने सुझाव दिया कि इम्पीरियल बैंक तथा अन्य 10 बैकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना करनी चाहिए। भारत सरकार ने 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैक ऑफ इण्डिया की स्थापना की।

साख समिति के निष्कर्षो के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सामाजिक नियन्त्रण बैंकिग स्थिति में वांछित परिणाम लाने में असमर्थ रहे हैं। अतः सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले 14 बड़े बैंकों का 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसी कड़ी में 15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा 6 अन्य निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अपने स्वामित्व में ले लिया। जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपये से अधिक थी।

प्रारम्भ समय में वित्तीय पहलुओं का उतना महत्व नहीं था, जितना कि आज के इस औद्योगिकीकरण के समय में हैं। वर्तमान युग विज्ञान एवं तकनीकी विकास का युग है। आज मशीनीकरण के माध्यम से ही विशालकाय औद्योगिक आधारशिला निर्मित हुई है। और बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव हो सका। इसलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए वित्तीय पूँजी की आवश्कता भी बड़े पैमाने पर होती है। औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए देश में कई विकास बैंकों की स्थापना की गई। 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र में उपक्रमों के निर्माण विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए 1955 में औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना की गयी। देश के औद्योगिकीकरण के स्तर को उन्नत बनाने तथा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित परियोजना की स्थापना के लिए 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। देश में औद्योगिक वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति क लिए भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैंक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गयी।

ग्रामीण क्षेत्रों की साख संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय बैंकिंग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए बैंकिंग आयोग ने 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों की स्थापना तथा आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि कुशल सहकारी बैंकों को ग्रामीण बैंकों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।[2] पिछड़े क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के लिए परियोजना निर्माण के लिए 1968 में कृषि वित्त निगम की स्थापना की गयी। 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 12 जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गयी। यह बैंक कृषि के उन्नयन, लघु उद्योगों, गृह एवं ग्रामोद्योगों, दस्तकारी एवं दूसरी ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाली अन्य सम्बद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण सुलभ कराने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण योजना एवं कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सर्वोच्च संगठन है।[3]

देश की आयात–निर्यात की वित्तीय आवश्कताओं की पूर्ति के लिए 1 जनवरी 1982 को भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना की गयी। यह पूर्ण रूप से भारत सरकार का बैंक है। इसके अधिनियम के अध्याय 5 में लिखा है कि, *"बैंक निर्यात अथवा आयात के उद्‌देश्य से भारत में अथवा भारत के बाहर स्वयं अथवा किसी देशी अथवा विदेशी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के साथ मिलकर ऋण अथवा अग्रिम दे सकता है और निर्यात तथा आयात के लिए वित्तीय व्यवस्था करने वाली संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए जैसे भी चाहे पमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करेगा।"*

इस प्रकार देश के नियोजित आर्थिक विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के उद्‌देश्य से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में बैंकिंग व्यवस्था में बहतु से महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। देश में कार्यरत विभिन्न बैंकों में कुछ प्रमुख बैंक इस प्रकार हैं–

स्रोत 2 - भारतीय अर्थव्यवस्था - त्रिपाठी, बद्री विशाल

3- कृषीत्तर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका - नौटियाल, जे०पी०

बैंकों का वर्गीकरण :

1. भारतीय रिजर्व बैंक ।

2. व्यावसायिक बैंक ।

(i) अनुसचित व्यावसायिक बैंक (ii) गैर–अनुसूचित व्यावसायिक बैंक (iii) लाइसेन्स धारी व्यावसायिक बैक (iv) गैर लाइसेन्स धारी व्यावसायिक बैंक (v) असार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (vi) निजी क्षेत्र के बैंक (vii) विदेशी बैंक।

3. सहकारी बैंक ।

(i) राज्य सहकारी बैंक (ii) केन्द्रीय सहकारी बैंक (iii) प्राथमिक सहकारी बैंक

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ।

5. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ।

6. विकास बैंक ।

(i) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (iii) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (iv) भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैंक (v) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (vi) राज्यों के वित्तीय निगम (vii) राज्य औद्योगिक विकास निगम (viii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (ix) भूमि विकास बैंक ।

7. गैर–बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ ।

(i) भारतीय निर्यात–आयात बैंक (ii) जीवन बीमा निगम (iii) सामान्य बीमा निगम (iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (v) राष्ट्रीय आवास बैंक ।

8. अन्य प्रकार के बैंक ।

(i) निक्षेप बैंक (ii) व्यापारी बैंक (iii) बचत बैंक ।

1. भारतीय रिजर्व बैंक :

भारत में दीर्घकाल से मुद्रा एवं बैकिंग में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। वर्ष 1913 मे चेम्बर लेन आयोग ने भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया लेकिन प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण इस पर कोई विचार नही हो पाया। सन् 1921 में तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई जिसे केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य सौपें गये थे। लेकिन वर्ष 1933 के गोलमेज सम्मेलन में भारत में केन्द्रीय बैंक स्थापना करने का निर्णय लिया जा सका और 8 सितम्बर 1933 को विधान सभा में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बिल पेश किया गया जो 1934 में एक्ट के रूप में पारित हुआ। इसी अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। तत्पश्चात् 1 जनवरी 1949 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण करके पूर्ण नियन्त्रण में ले लिया। रिजर्व बैंक देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है।[4]

रिजर्व बैंक के कार्यो का संचालन केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा होता है। संचालन की दृष्टि से समस्त देश को चार भागों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र। इसमें प्रत्येक के लिए 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड होता है। केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों की संख्या 20 होती है। इसमें से 1 गवर्नर तथा अधिक से अधिक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं; जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 5 वर्ष के लिए करती है। चार संचालक, चारों स्थानीय बोर्डो से केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। दस अन्य संचालक तथा एक सरकारी अधिकारी, उद्योग, व्यापार, सहकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ 4 वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते हैं।[5]

एम०एच०डी० कोक ने केन्द्रीय बैंक के रुप में इसके कार्यो को बताते हुए स्पष्ट

स्रोत 4 - **मुद्रा एवं बैंकिग - शर्मा, डॉ० हरिश्चन्द्र**

5 - **मुद्रा बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार - सेठी, टी०टी०, पृष्ठ, 379**

किया है कि एक केन्द्रीय बैंक देश में नोट निर्गमन, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, अन्तिम ऋणदाता, विदेशी मुद्राओं के नियन्त्रण, समाशोधन गृह तथा साख के नियन्त्रक के रुप में कार्य करता है। किसी भी देश के केन्द्रीय बैंक का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सरकार की आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य मे मौद्रिक प्रणाली को इस प्रकार विनियमित करना है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास होकर देश में आर्थिक स्थायित्व स्थापित हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के बैंकर के रुप में कार्य करता है तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों को विभिन्न आर्थिक मामलों में सलाह देता है। रिजर्व बैंक देश में साख नियन्त्रित करता है। साख नियन्त्रण करने के लिए बैंक दर खुले बाजार की क्रियाएं, न्यूनतम नकद कोष, चयनात्मक साख नियन्त्रण तथा नैतिक दबाव आदि रीतियों का प्रयोग करता है।

कृषि साख की व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक ने कृषि साख विभाग की स्थापना करके कृषि साख एवं वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी करता है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सस्ती दरों पर वित्त प्रदान करता है। राज्य सहकारी बैकों, भूमि विकास बैंकों को अल्पकालीन साख उपलब्ध कराने तथा नाबार्ड को भी सहायता प्रदान करता है।

इस प्रकार ग्रामीण साख क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह ग्रामीण साख की आपूर्ति करने वाली वित्तीय संस्थाओं के उदार दर पर साख प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें सुझाव एवं मार्गदर्शन में भी सहयोग प्रदान करता है। इसी के प्रयास में ग्रामीण क्षेत्रें में बैंकों एवं सहकारी अभिकरणें के विस्तार को गति मिली है और गैर–संस्थागत वित्त के साधन में कमी आयी है।

२. व्यावसायिक बैंक (Commercial Bank) :

सामान्य रूप से बैंक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिप्राय व्यावसायिक बैंक से ही होता है। यें बैंक मुख्यता व्यापार एवं उद्योगों को उनकी

अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ये बैक छोटी–छोटी बचतों को एकत्रित करके आवश्यकता वाले क्षेत्रो में विनियोजित करते हैं व्यावसायिक बैंकों को अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, लाइसेन्सधारी बैक, गैर लाइसेन्स धारी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक तथा भारतीय बैंक और विदेशी बैंकों के रूप में बाटा जा सकता है।

दिसम्बर 1999 के अन्त तक भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में 298 अनुसूचित बैंक (विदेशी बैकों सहित) और एक गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक था। जबकि जून 1969 में देश में बैंकों की कुल संख्या 89 थी। जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 73 तथा गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 16 थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण के बाद देश में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है जबकि गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या में कमी आयी है। वर्ष 2000 तक एक भी गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नहीं रहे थे। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या निम्न है–

क्रमांक	**बैंक का नाम**	**संख्या**
1	**2**	**3**
1.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	1
2.	भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	7
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	19
4.	भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक	31
5.	विदेशी बैंक	41
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196
	योग	295

सारिणी देखने से स्पष्ट होता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम हुई है तथा विदेशी बैंकों की सख्या में बढ़ोत्तरी हुई है । कुल मिलाकर वाणिज्य बैंकों की संख्या 295 है । जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की संख्या 196 है तथा विदेशी बैंकों की सख्या 41 है ।

जून 1969 के अन्त तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां 4646 करोड़ रूपये थी जो 10 मई 2002 तक बढकर 1196593 करोड़ रूपये हो गयी। इसी प्रकार इन बैंकों की साख जून 69 में 3615 करोड़ रूपये थी जो कि 10 मई 2002 को बढ़कर 644036 करोड़ रूपये हो गयी है तथा साख जमा अनुपात 10 मई 2002 को 53.82 प्रतिशत था ।

(i) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक (Sheduled Commercial Bank):

अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनिमयम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया हो । अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिए जाने के कारण ही इन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है । अधिनियम की धारा 42(6) के अनुसार किसी ऐसे बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हो तथा निम्न शर्तो को भी पूरा करता हो ।

(i) बैंक की प्रदत्त पूँजी और समुचित कोष 5 लाख रूपये से कम न हो ।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की सन्तुष्टि हो कि बैंक का कोई कार्य कलाप जमाकर्त्ताओं के हित में हानिकारक नही होगा ।

(iii) यह बैंक राज्य सहकारी बैंक अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार परिभाषित एक कम्पनी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय से

अधिसूचित एक संस्था अथवा भारत के बाहर प्रचलित किसी सन्नियम के अन्तर्गत समामेलित कोई निगम अथवा कम्पनी हो ।

रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक को निम्न सुविधाएं प्रदान करती है ।

(i) वह बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।

(ii) प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वतः ही समाशोधन ग्रह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है ।

(iii) ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के विनिमय पत्रों की पुर्न कटौती की सुविधा भी प्रदान करता है । किन्तु इन सुविधाओं के बदले अनुसचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास उसके द्वारा निर्धारित औसत दैनिक नकद कोष रखना पड़ता है ।

(ii). गैर-अनुसूचित व्यावसायिक बैंक

(Non Scheduled Commercial Bank):

गैर–अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नही किया जाता है । ऐसे बैंको का नाम द्वितीय अनुसूची में इसलिये सम्मिलित नही किया जाता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम की धारा 42 (6) की अपेक्षाओं को पूरा नही करते हैं । इन बैंकों को वे समस्त सुविधाएं उपलब्ध नही होती जो कि अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होती है ।

परन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार ऐसे बैंकों को भी नकद कोष रखना आवश्यक है । बैंकिग नियमन अधिनियम की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी जो कि अनुसूचित बैंक नही है, को एक नकद कोष रखना आवश्यक है ।

(iii). लाइसेन्सधारी व्यावसायिक बैंक

(Licensed Commercial Bank) :

वे बैंक जो बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार लाइसेन्स प्राप्त करके बैंकिंग कार्य करते हैं । उन्हें लाइसेन्सधारी व्यावसायिक बैंक कहा जाता है । लाइसेन्स स्वीकृत के पहले रिजर्व बैंक को स्वयं को निम्नलिखित बातों से सन्तुष्ट करना पड़ता है ।

1. कम्पनी अपनी वर्तमान तथा भावी जमाकर्त्ताओं के दावों की मांग किये जाने पर पूर्ण भुगतान की स्थिति में होगी ।
2. कम्पनी के व्यवसाय का संचालन इस प्रकार से नही किया जा रहा है अथवा इस प्रकार से किये जाने की सम्भावना नही है जो कि कम्पनी के जमाकर्त्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो ।
3. कम्पनी के प्रस्तावित प्रबन्ध तन्त्र का सामान्य स्वरूप ऐसा नही होगा जो जनता अथवा जमाकर्त्ताओ के हितों के प्रतिकूल हो ।
4. कम्पनी की पूरी संरचना तथा उपार्जन क्षमता पर्याप्त हो ।
5. कम्पनी को लाइसेन्स प्रदान करना सामान्य हित में होगा ।
6. रिजर्व बैंक कोई अन्य शर्त लगा सकता है ।

(iv). गैर-लाइसेन्सधारी व्यावसायिक बैंक

(Non-Licensed Commercial Bank) :

वे बैंक जो बैकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त नही करते अथवा जिन बैंकों को लाइसेन्स के लिये प्रार्थना करने पर रिजर्व बैंक लाइसेन्स प्रदान नहीं करता । गैर–लाइसेन्सधारी बैंक कहलाते हैं ।

(v) सार्वजनिक बैंक (Public Sector Bank) :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है । सार्वजनिक बैंकों को दो भागों में बाँटा जा सकता है, स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंक तथा 20 अन्य राष्टीयकृत बैंक (वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है क्योंकि न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है) ।

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) :

प्रो० केन्स के सुझाव पर 3 प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर 27 जनवरी 1921 को इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गयी । इम्पीरियल बैंक को नोट निर्गमन का कार्य छोड़कर अधिकतर केन्द्रीय बैंक के कार्य सौंपे गये थे। इम्पीरियल बैंक मूलतः वाणिज्य बैंक था । सन् 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना होने के बाद केन्द्रीय बैंकिंग के सभी कार्य इम्पीरियल बैंक से वापस ले लिये गये और यह बैंक वाणिज्यिक बैंक ही रह गया था किन्तु आज अन्य वाणिज्यिक बैंकों से इसकी स्थिति भिन्न है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया । इसके बाद इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की मांग तीव्र हो गयी है । 1954 में गठित ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के सुझाव के आधार पर 16 अप्रैल 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना से सम्बन्धित विधेयक संसद ने पारित किया और एक जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना कर दी गयी तथा इम्पीरियल बैंक की समस्त सम्पत्ति एवं दायित्व स्टेट बैंक को हस्तान्तरित कर दिये गये ।

1959 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सबसीडियरी बैंक्स) ऐक्ट 1959 पारित किया गया । जिसमें भूतपूर्व रियासतों से सम्बन्धित 10 बैंको का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें भारतीय स्टेट बैंक का सहायक बैंक बना दिया गया । ये बैंक निम्न थे ।

1. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद — 1 अक्टूबर 1959
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर — 1 जनवरी 1960

3.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1 जनवरी 1960
4.	स्टेट बैंक ऑफ जयपुर	1 जनवरी 1960
5.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	1 जनवरी 1960
6.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1 मार्च 1060
7.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1 अप्रैल 1960
8.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1 मई 1960

बाद में 1 जनवरी 1963 में कुछ परिवर्तन करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का एकीकरण किया गया और उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कर दिया गया । इस प्रकार वर्तमान स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की संख्या 7 रह गयी है ।

स्टेट बैंक की जमा राशि मे काफी वृद्धि हुई है । जुलाई 1955 में 202 करोड़ रूपये थी जो जुलाई 1969 में बढ़कर जमा राशि 12 सौ करोड़ रूपये हो गयी तथा मार्च 1999 में 119833 करोड़ रूपये हो गयी है । जो समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 20 प्रतिशत है । स्टेट बैंक ने जून 1955 को 110 करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया जो कि मार्च 1999 में 68552 करोड़ रूपये हो गया । यह ऋण सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 2 प्रतिशत है ।

राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalised Bank) :

सरकार ने बैंक साख को कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ओर मोड़ने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण व्यवस्थाओ को लागू किया । *"सामाजिक नियन्त्रण से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा बैंको का राष्ट्रीयकरण किये बिना, बैंको की साख नीति का निर्धारण तथा इसके प्रबन्ध का नियमन इस प्रकार किया जाय कि बैंकों के साधनों का राष्ट्रीय हितों और लक्ष्यों के अनुसार*

अधिकाधिक उपयोग सम्भव हो सके" । किन्तु सरकार ने महसूस किया कि वित्त एवं साख को कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ओर मोड़ना समय की महती आवश्यकता थी, और इसी परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करके ही कृषि एवं ग्रामीण अंचलों को पर्याप्त मात्रा में ऋण व साख की इच्छित मात्रा में आपूर्ति सम्भव थी, किसी अन्य रीति से नहीं ।

छोटे एवं कमजोर वर्ग के लोगों तक ऋण एवं साख की व्यवस्था को सुलभ समयानुकूल एवं पर्याप्तता की दृष्टि से सरकार ने एक जुलाई 1969 का एक अध्यादेश (The Banking Companies Acquisition and Transfer of Under taking ordainence 1969) जारी किया गया । इसके अन्तर्गत 50 करोड़ से अधिक जमा वाले अनुसूचित बैंक जिनकी संख्या 14 थी, सरकार ने अपने स्वामित्व में लेने की घोषणा की। देश के सम्पूर्ण बैंकिंग इतिहास में राष्ट्रीयकरण एक सर्वाधिक क्रान्तिकारी घटना रही । इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रपति ने एक और अध्यादेश जारी करके 6 अनुसचित बैंक जिनकी पूँजी 200 करोड़ रूपये से अधिक थी, का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया । इस प्रकार अब राष्ट्रीयकृत बैंक 20 हो गये थे लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का विलय हो जाने से इनकी संख्या 19 रह गयी है। ये बैंक देश के विकास प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों के अनुरूप दे रहे हैं ।

यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात से व्यापारिक बैंकों में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिर्वतन हुये हैं जिसमें शाखा विस्तार, साख एवं अग्रिमों की स्वीकृत तथा सेवायें, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हैं जून 1969 से जून 2002 के बीच जो भी शाखा का विस्तार हुआ वह ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अधिक हुआ । कृषि एवं ग्रामीण साख में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की दिशा नगरीय बैंकिंग से ग्रामीण बैकिंग की ओर उन्मुख हुई है ।

(vi) निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Banks) :

क्षेत्रीय संसाधनो का विदोहन करके क्षेत्र विशेष की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित करने की अनुमति दे दी है । इसकी चुकता पूंजी 5 करोड़ रूपये होगी । इन बैंको का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट 1934, बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत होगा । रिजर्व बैंक ने केवल आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक (प्रत्येक में एक) में स्थापित करने की अनुमति दी है ।

निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेन्स 22 जनवरी 1993 को जारी दिशा निदेर्शो के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 बैंको का लाइसेन्स प्रदान किये थे । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 जनवरी 2001 को जारी किये दिशा निर्देश निम्न है ।

1. आरम्भ में न्यूनतम चुकता पूँजी 200 करोड़ रूपये होगी, कारोगार शुरू करने के
3 वर्ष के भीतर इसे 300 करोड़ रूपये करना होगा ।
2. प्रमोटरो का अंशदान चुकता पूँजी का 40,पतिशत रखा गया ।
3. प्राथमिक इक्विटी में अनिवासी भारतीयों की 40 प्रतिशत की भागीदारी होगी ।
4. कोई बड़ा औद्योगिक घराना किसी नये बैक को प्रमोट नी कर सकता केवल 10 प्रतिशत तक अंशदान कर सकता है ।
5. इन बैंको को अपनी उधारियों का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराना तथा पूँजी पर्याप्तता मानक 10 प्रतिशत रखना और 25 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करनी होगी ।
6. गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक के रूप में रूपान्तरण करने के लिए पूँजी पर्याप्तता मानक 12 प्रतिशत होना तथा उनकी गैर निष्पादनीय परिसम्पतियां 5 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये ।
7. नये बैंक कम से कम तीन वर्ष तक म्यूचुअल फण्ड स्थापित नही करेंगीं।

निजी क्षेत्र के बैंकों के पास समग्र जमाएं तथा पंजीकृत कार्यालय :

क्रमांक	*निजी क्षेत्र के बैंक*	*पंजीकृत कार्यालय*	*स्थापना की तारीख*	*30 सितम्बर 1996 को समग्र जमा (करोड़ रू० में)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	इण्डस टूडे बैंक	पुणे	02.04.1994	2050
2.	ग्लोवल ट्रस्ट बैंक	सिकन्दराबाद	06.09.1994	1800
3.	आई०सी०आई०सी०आई०बैंक	बड़ौदा	17.05.1994	1070
4.	यू०टी०आई० बैंक	अहमदाबाद	28.02.1994	1000
5.	टाइम्स बैंक	फरीदाबाद	26.04.1995	695
6.	सेंचुरियन बैंक	पणजी (गोवा)	13.01.1995	450
7.	बैंक ऑफ पंजाब	चण्डीगढ़	05.04.1995	400
8.	एच०डी०एफ०सी० बैंक	मुम्बई	05.01.1995	700
9.	आई०डी०वी०आई०बैंक	इन्दौर	28.09.1995	133
10.	डेवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक लि०	मुम्बई	31.05.1995	N.A.

(vii) विदेशी बैंक (Foreign Bank) :

विदेशी बैंक ऐसे बैंक हैं जो विदेशों में समामेलित हुए हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय विदेशों में स्थित है परन्तु भारत में इनकी शाखाएं कार्यरत हैं । ये समस्त बैंक अनुसूचित बैंक है । ये बैंक विदेशी मुद्रा में लेन–देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय व्यवस्था करते हैं । इन्हें काफी अधिक पूँजी तथा अपेक्षाकृत अधिक कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है । आजकल विनिमय बैंक साधारण बैंकों के समान बैंको के अन्य

कार्य भी करते हैं । भारत में विदेशी बैंको की शाखाएं मुख्य रूप से विदेशी विनिमय का व्यवसाय करती है ।

भारतीय विधान के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रभाव यह हुआ कि भारत स्थित विदेशी बैंक रिजर्व बैक के नियन्त्रण में आ गये हैं, परन्तु गत वर्षो में भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंकों में अधिकाधिक भारतीयों को नियुक्त करना आरम्भ कर दिया है जिसके फलस्वरूप अधिकांश बैंकों मे अधिकतर कर्मचारी भारतीय हैं इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीयों को बैंकिंग की उन्नत प्रणालियों तथा विदेशी विनियम सम्बन्धी क्रियाओं में प्रशिक्षण प्राप्त हो गया है जिससे भारतीय बैंकों को इन दिशाओं में कार्य करने का पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है ।[6]

3. सहकारी बैंक (Co-operative Banks) :

भारत में सहकारी समितियों का आरम्भ बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ तथा 1904 में सहकारी साख–समिति कानून के द्वारा सहकारिता आन्दोलन को कानूनी मान्यता मिली और तब से सहकारी समितियों का गठन किया जाने लगा । भारत में सहकारी बैंक की बैंकिंग के आधारभूत कार्य सम्पन्न करते हैं, किन्तु ये वाणिज्यिक बैंको से भिन्न होते हैं । वाणिज्यिक बैंकों का गठन संसद मे पारित विशेष अधिनियम द्वारा किया गया जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना अलग–अलग राज्यों द्वारा बनाये गये सहकारी समितियों के अधिनियम द्वारा की गई है । भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरों वाला है, राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य की शीर्ष संस्था होती है । इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती है ।

स्रोत 6 - **मुद्रा एवं बैंकिंग - शर्मा, डॉ० हरिश्चन्द्र, पृष्ठ, 45**

राज्य सहकारी बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देता तथा उनके कार्यो को नियन्त्रित करता है । यह भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करके केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक समितियों को वित्त प्रदान करता है । राज्य सहकारी बैंक अपनी चालू पूँजी अंश बेंचकर तथा ऋण लेकर प्राप्त करता है । 30 मार्च 1999 को 29 सहकारी बैंको की जमा राशि 25815 करोड़ रूपये थी तथा ऋणों की राशि 20252 करोड़ रूपये थी ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक जिन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है इनका कार्य क्षेत्र एक या दो जिलों तक ही सीमित होता है । यह बैंक सहकारी साख समितियों को आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करते हैं जिससे ये समितियां कृषको तथा अन्य सदस्यों को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सके । केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी चालू पूॅजी को राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेकर वृद्धि करते हैं तथा सहकारी समितियों को ऋण देते हें । मार्च 1999 के अन्त तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 367 थी और उनकी जमा पूँजी 41513 करोड़ रूपये तथा 33479 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया है ।

प्राथमिक साख समितियों की स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गयी थी । एक गाँव अथवा क्षेत्र में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं । भारत सरकार व रिजर्व बैक द्वारा किये गये पुर्नगठन से इन समितियों में कमी आई है । मार्च 1997 में इनके द्वारा दिये गय ऋण 13299 करोड़ रूपये के थे जबकि इनकी जमा राशियां 5255 करोड़ रूपये थी ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि भविष्य में कृषि साख की मांग में और भी वृद्धि होने की सम्भावना है । मांग में वृद्धि के साथ–साथ पूर्ति में वृद्धि करना भी आवश्यक है । इस दिशा में सहकारिता से सक्रिय योगदान प्राप्त करने के प्रयास करने होगें ।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks) :

ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषकर भारतीय कृषि तथा ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योगों के तीव्र विकास के लिए एम०नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति महात्मा गॉधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की स्थापना उ०प्र० मे मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर तथा पश्चिम बंगाल में माल्दा में की गयी थी बाद में देश के अन्य भागों में भी इन बैंकों की स्थापना की गयी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम व गोवा के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में कार्यरत है । केलकर सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1987 के बाद कोई नया बैंक नही खोला गया। बैंक की पूँजी 50:35:15 के अनुपात में केन्द्रीय सरकार प्रायोजक बैंक तथा राज्य सरकार में विभाजित है ।

वित्तीय प्रणाली पर गठित नरसिंम्हन समिति ने सिफारिश की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाने के लिए इन बैकों को सभी प्रकार के कार्य करने की छूट दी जाय, हालांकि उनका मुख्य कार्य लक्षित समूह को सुविधाएं देना होना चाहिए ।

वर्तमान में 26 राज्यों में 451 जिलों के अन्तर्गत 14456 शाखाएं कार्य कर रही हैं तथा इनकी कुल जमाएं 3827778 लाख रूपये व 1581489 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया ।

5. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (National Bank for Agriculture and Rural Development) :

कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख व्यवस्था का पर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त की गई समिति द्वारा मार्च 1981 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी । यह देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है । स्थापना के

समय 100 करोड रूपये पूँजी भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का बराबर (50:50) योगदान थी । लेकिन 1996-97 में 1000 करोड़ रूपये की गई जिसमे क्रमशः 200 व 800 करोड़ रूपये भारत सरकार व रिजर्व बैंक का योगदान है, 1998-99 में इसकी पूँजी 500 करोड़ की और वृद्धि की गयी तथा कहा गया कि आगामी पांच वर्षों में 2000 करोड़ रूपये कर दी जायेगी । जो कि मार्च 1999 में पूरी हो गयी थी । नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढाचें में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुर्नवित्त सुविधाएं प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है । अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार विश्व बैंक तथा अन्य एजेन्सियों से धनराशि प्राप्त करता है ।

6. विकास बैंक (Development Bank) :

वित्त उद्योग का जीवन–रक्त है । उद्योगों की स्थापना संचालन तथा विस्तार के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है। यह वित्त दीर्घ कालीन एवं मध्य कालीन औद्योगिक वित्त के रूप में, जिसकी पूर्ति करने के लिए देश में विकास बैंकों की स्थापना की गयी है । जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है ।

(i) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम :

(Industrial Finance Corporation of India) :

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति के सुझाव पर एक विशेष अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 1948 को की गयी । निगम का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करना है । निगम केवल ऐसी लिमिटेड कम्पनियों अथवा सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करता है जो भारत में स्थापित हो तथा वस्तुओं का निर्माण अथवा विधियन (Processing) खनन (Mining) विद्युत शक्ति का सृजन अथवा वितरण, जहाजरानी एवं जहाज निर्माण, होटल

उद्योग एवं वस्तुओं के संरक्षण (Preservation of goods) में संलग्न उद्योगों से सम्बन्धित हों ।

कार्य :

निगम के कार्य निम्नलिखित है :

(i) निगम अधिक से अधिक 25 वर्षों के लिए ऋण देता है ।

(ii) औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विदेशी मुद्रा में ऋण देकर

(iii) औद्योगिक संस्थाओं के स्टॉक एव शेयर खरीदता है ।

(iv) कुछ परियोजना के लिए सुलभ ऋणों की योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है ।

(v) मशीनों, संयन्त्रों तथा कम्प्यूटरों आदि के अपने उपयोग के लिए क्रय हेतु क्रेता ऋण योजना आरम्भ की है ।

(vi) देश के बाहर के किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिए गये ऋण व साख प्रबन्ध पर गारण्टी देता है ।

ऋण का दुरूपयोग न हो इसलिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऋण लेने वाले उद्योगों के प्रबन्धकों अथवा संचालकों से उनकी व्यक्तिगत या सामूहिक गारण्टी मांगता है। निगम को कम्पनी विशेष के संचालक मण्डल में से दो संचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार भी है ।

(ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक :

(Industrial Development Bank of India) :

औद्योगिक वित्त व्यवस्था के लिए देश में सर्वोच्च संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है । देश में अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना हो जाने के बावजूद एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जिसके विशाल वित्तीय साधन हो जिससे वह उद्योगों की

निरन्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । साथ ही विभिन्न औद्योगिक वित्त संस्थाओं के कार्यो में तालमेल बैठाने की भी आवश्यकता थी । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसद द्वारा पारित किये गये कानून के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गयी है । रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में इसने अपना कार्य 1 जुलाई 1964 से आरम्भ किया ।[7]

सन् 1976 तक यह बैंक रिजर्व बैंक का एक अनुषंगी बैंक (Subsidiary Bank) था। 1976 मे इसे रिजर्व बैक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार अपने हाथ में ले लिया । इस बैंक का मुख्य कार्य उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उद्योगों के विकास मे लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा मझोली औद्योगिक इकाइयों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जबकि छोटी एवं मझोली इकाइयों की बैंकों तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्सम से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(iii) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम :

(Industrial and Inrestment Corporation of India) :

विश्व बैंक की विशेषज्ञों की सिफारिशों पर औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना 5 जनवरी 1955 में की गयी थी । यह भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत है । इसके मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी विनियोग को प्रोत्साहित करना तथा औद्योगिक विनियोग के निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना एवं विनियोग बाजारों का विकास करना हैं इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में उपक्रमों के निर्माण, विकास एवं उनके आधुनिकीकरण के कार्य मे सहायता

स्रोत 7 - **मुद्रा बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार - सेठी टी०टी०, पृष्ठ, 485**

करना भी इसका उद्देय है । यह दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है जो 15 वर्ष तक के हो सकते हैं ।

इस प्रकार भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम निजी क्षेत्र के उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है । इसके द्वारा विदेशी मुद्राओं में प्रदान किये जाने वाले ऋणों की सहायता से अनेक औद्येगिक प्रतिष्ठानों के लिए भारी मात्रा में मशीनों और पूँजीकृत माल का आयात कर सकना सभव हुआ है । 16 अप्रैल 1996 को इसमें SCICI Ltd. का विलय कर दिया गया । इससे ICICI की स्थिति मजबूत हुई है ।

(iv) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम :

(Industrial Reconstruction Corporation of India) :

या

भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक

(Industrial Investment Bank of India) :

औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं की श्रृंखला में 1971 में भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम की स्थापना की गयी थी जिसका मुख्य कार्य उन औद्योगिक इकाइयों के पुर्ननिर्माण और पुर्नस्थापन को सहायता करना था जो या तो बन्द हो गयी या बन्द होने के खतरे में है । मार्च 1985 में इसको पुर्नगठित करके इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंक रखा गया, जिसने निगम की सभी सम्पतियों एवं दायित्वों को अपने ऊपर ले लिया । जनवरी 1997 में एक अध्यादेश जारी करके इसका नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (Industrial Investment Bank of India Ltd - IIBIL) रखा गया। इसकी अधिकृत पूँजी 1000 करोड़ रूपये है ।

इस निगम को मुख्य उद्देश्य बीमार औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने तथा विकास की सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त यह निगम उन इकाइयों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकता है जो सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहीं हैं । इस प्रकार यह स्वतन्त्र विकास वित्त संस्था के रूप में कार्यशील है ।

(v) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम :

(National Industrial Development Corporation) :

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना अक्टूबर 1954 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गयी थी । इसकी स्थापना उद्योगों की सन्तुलित एवं संगठित विकास में सरकार की स्थापना करने के लिए की गयी है ।

(vi) राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) :

देश में वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं की संरचना के विकास में राज्य वित्त निगम अभिन्न अंग हैं । 28 सितम्बर 1951 को राज्य अर्थ प्रबन्ध अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार राज्य सरकारों अपने–अपने राज्य में अर्थ प्रबन्ध निगम स्थापित करने का अधिकार मिल गया । इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम 1953 में पंजाब वित्त निगम की स्थापना की गयी । निगम अपने–अपने राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों के उन्नयन के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि, अधिक निवेश अधिक रोजगार और उद्योगों के व्यापक स्वामित्व में सहायक होते हैं ।

राज्य वित्त निगम लघु एवं मध्यम आकार की मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं निजी कम्पनियों, साझेदारी अथवा एकाकी फर्मो को अधिक से अधिक 20 वर्ष के लिए ऋण दे सकते हैं । राज्य निगम की अधिकृत पूँजी का 75 प्रतिशत

राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जानी चाहिये । शेष 25 प्रतिशत पूँजी शेयर बेचकर जनता से प्राप्त की जा सकती है । इसके शेयरों पर राज्य सरकार की गारण्टी होती है । वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों में 18 राज्य वित्त निगम कार्य कर रहे हैं ।[8]

(vii) राज्य औद्योगिक विकास निगमः

(State Industrial Development Corporation) :

राज्य सरकारों ने अपने पूर्व स्वामित्वाधीन कम्पनियों के रूप में राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की है । इनका उद्देश्य स्वयं अपने ही प्रबन्ध अथवा निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ साझे में उद्योगों की स्थापना करना तथा औद्योगिक विकास के लिए सहायता देना है । ये निगम औद्योगिक विकास से सम्बन्धित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करते हैं और औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित कर सकते हैं । इनको निजी अथवा सार्वजनिक उद्योगो की अंश पूँजी में सम्मिलित होने अभिगोपन करने तथा ऋणों पर गारण्टी देने के भी अधिकार प्राप्त है । व्यावहारिक रूप में इन निगमों ने अपने कार्य–क्षेत्र को अपने राज्य की औद्योगिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित कुछ कार्यों तक सीमित रखा है ।[9]

(viii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक :

(Small Industrila Development Bank of India) :

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गयी थी ।

स्रोत 8 - मुद्रा एवं बैंकिंग - शर्मा, डॉ० हरिश्चन्द्र

9 - मुद्रा , बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, सेठी, टी०टी० , पृष्ठ, 491

यह बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया है । यह बैंक (सिडवी) छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त, पोषण, विकास, तथा ऐसे कार्यो में समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है । इस बैंक की स्थापना हो जाने के बाद लघु क्षेत्र के उद्योगों के कार्य IDBI में इसको हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। यह बैंक लघु उद्योगों को व्यापारिक बैंको, सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा राज्य औद्योगिक वित्त निगमों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। अंश पूँजी के अतिरिक्त बैंक अपने संसाधन भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेकर भी बढ़ा सकता है । इसकी प्रदत्त पूँजी 450 करोड़ रूपये थी।

(ix) भूमि विकास बैंक (Land Development Bank) :

किसानों की अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण की आवश्यकताएं सहकारी साख समितियों द्वारा पूरी की जा सकती है, परन्तु भूमि में स्थायी सुधार, भूमि अथवा मशीने खरीदने तथा पुराने ऋणों को चुकाने के लिए कृषकों को दीर्घकालीन साख की आवश्यकता होती है ।[10] इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1929 में केन्द्रीय भूमि प्रबन्धक बैंक की स्थापना की गयी । इसके बाद देश के अन्य राज्यों में इनकी स्थापना की गयी । इनका ढ़ाचा दो स्तर वाला है । भूमि बन्धक बैंक किसान को भूमि बन्धक अथवा गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण देता है, जिनकी अवधि प्रायः 20 वर्ष होती है । चूँकि इन ऋणों का मुख्य उद्देश्य कृषि के विकास कार्य मे सहायता देना होता है, इसलिए भूमि बन्धक बैंकों को भूमि विकास बैंक कहा जाने लगा । वर्तमान में इन्हें सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (Cooperative Agriculture and Rural Development Bank) कहा जता है । आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कृषि का विकास करना है और इसके लिए भूमि विकास बैंक महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं ।[11]

स्रोत 10-मुद्रा एवं बैंकिंग - शर्मा, डॉ० हरिश्चन्द्र, पृष्ठ, 96

11 - भारतीय अर्थव्यवस्था - मिश्र, एस०के० एवं पुरी, वी०के०,पृष्ठ, 326

7. गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ :

(Non-Banking Financial Intermidiatries) :

(i) भारतीय निर्यात-आयात बैंक :

(Export-Import Bank of India) :

देश के निर्यात एवं आयात के लिए वित्तीय व्यवसाी करने के उद्देश्य से एक अधिनियम के अन्तर्गत 1 जनवरी 1982 को भारतीय निर्यात–आयात बैंक की स्थापना की गयी थी । इसका उद्देश्य निर्यात को तथा आयात कों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इसके अतिरिक्त इसे उन सभी वित्तीय संस्थाओं के काम का समन्वय करने का कार्य भी सौंपा गया, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एव आयात के लिए वित्त जुदाते हैं । यह बैंक न केवल भारत अपितु तृतीय विश्व के देशों के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त का प्रबन्ध करता है ।

एक्जिम बैंक निर्यातो के लिए वित्त–व्यवस्था करता है, परन्तु इसकी सुविधाएं अभी तक इंजीनियरिंग निर्यातो तथा तकनीकी और परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात को अधिक महत्व देती रही है । इस बैंक का कार्य क्षेत्र व्यापक करना चाहिए । आयात–निर्यात बैंक केन्द्रीय सरकार से रियायती दर पर ऋण ले सकता है, इसे और भी कई रियायते और छूटें उपलब्ध है ।

(ii) जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) :

भारत में जीवनबीमा ब्रिटेन की देन है । सर्वप्रथम 1818 में एक ब्रिटिश फर्म ने कलकत्ता में ओरिएण्टल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी की स्थापना की थी । इसके बाद 1823 में बाम्बे लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी व 1829 में मद्रास इक्विटेबिल लाइफ इन्श्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की गई । जीवन बीमा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए पहली बार 1912 में एक भारतीय बीमा कम्पनी ऐक्ट लागू किया गया । इसके बाद

1928 में एक और भारतीय इन्श्योरेन्स कम्पनी ऐक्ट पास किया गया जिसका उद्देश्य भारत मे कार्यरत भारतीय तथा विदेशी बीमा करने वालो के द्वारा जीवन बीमा तथा अन्य प्रकार के बीमा से सम्बन्धित सांख्यिकीय सूचनाएं सरकार को उपलब्ध कराना था ।

1956 में भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके जीवन बीमा व्यवसाय चलाने के लिए 1 सितम्बर 1956 को ये जीवन बीमा निगम की स्थापना की गयी । यद्यपि जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्य पालिसी धारियों के जीवन पर बीमा करना है परन्तु इस माध्यम ये यह छोटी–छोटी बचतों को एकत्रित करती है तथा उनका विनियोग करती है । इस समय जीवन बीमा निगम एक महत्वपूर्ण विनियोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है । इसमें देश के पूँजी बाजार को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है ।

(iii) सामान्य बीमा निगम (General Insurance Corporation) :

सामान्य बीमा निगम की स्थापना नवम्बर 1972 में भारत सरकार ने भारतीय साधारण बीमा निगम के रूप में की थी । निगम की अधिकृत पूँजी 75 करोड़ रूपये है जो 100-100 रूपये के 75 लाख समता अंशों में विभक्त है । सामान्य बीमा निगम एक सूत्रधारी कम्पनी है इसकी चार सहायक कम्पनी हैं जिसमें :

(i) नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(ii) न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(iii) ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा

(iv) यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड है ।

ये चार सहायक कम्पनियां हवाई उड़ान सम्बन्धी बीमा और फसल बीमा का छोंड़कर अन्य सभी प्रकार का बीमा सम्बन्धी कारोबार करती है । हवाई उड़ान तथा फसल बीमा भारतीय साधारण बीमा निगम करता है ।

(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (Unit Trust of India) :

भारत जैसे विकासशील देश में जहां पूँजी निर्माण की गति धीमी हो और बचतों का प्रवाह उचित प्रकार से निर्माण कार्यो की ओर न हो पाता हो, वहां पर उन वित्तीय संस्थाओं का काफी महत्व है जो छोटी–छोटी बचतों को एकत्र करके औद्योगिक संस्थाओं में विनियोजित करते है । इसकी पूर्ति के लिए संसद में दिसम्बर 1963 में भारतीय इकाई प्रन्यास अधिनियम पारित किया गया । इस अधिनियम के तहत 1 फरवरी 1964 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय इकाई प्रन्यास की स्थापना की गई थी ।[12]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट सार्वजनिक निजी, संयुक्त और वित्तीय क्षेत्र की सभी लाभ कारी कम्पनियों सहित विभिन्न कम्पनियों में दखल रखता है । ट्रस्ट सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार में एक बड़ा निवेशक है । निगमित क्षेत्र में भारतीय यूनिट ट्रस्ट का निवेश शेयर, डिवेंचर, अवधि ऋण और विशेष डिपाजिट के रूप में है । भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजनाओं का 50 प्रतिशत से अधिक धन शेयर के रूप में निवेश किया जाता है।

(x). राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) :

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में जुलाई 1988 में की गई थी । यह बैंक देश में आवास सम्बन्धी वित्त व्यवस्था के लिए शीर्षस्थ बैंक है । यह बैंक भूमि एवं भवन निर्माण सामग्री एवं संघटकों जैसे वास्तविक संसाधनों की आपूर्ति के संवर्द्धन के लिए भी प्रयत्नशील रहा है । राष्ट्रीय आवास बैंक बाण्डों तथा ऋण पत्रों को जारी करके अपने संसाधन जुटा सकता है । राष्ट्रीय आवास बैंक की अधिकृत पूँजी 500 करोड़ रूपये है ।[13]

स्रोत 12- **भारतीय अर्थव्यवस्था - मिश्रा, डॉ० जे०एन०, पृष्ठ** , 535

13 -**मुद्रा एवं बैंकिग - सेठ, डॉ० एस०एल०, पृष्ठ**, 581

8. बैंकिंग के कुछ अन्य प्रकार (Some other types of Banking):

(i) निक्षेप बैंकिंग (Deposit Banking) :

निक्षेप बैंकिंग, बैंकिंग की वह प्रणाली है जिसमें जनता से निक्षेप प्राप्त किये जाते हैं तथा उनका प्रयोग ऋण देने तथा विनियोग करने में किया जाता है । लोग अपनी बचत, बैंक मे जमाकर देते है जिस पर उन्हें ब्याज मिलता है तथा उनका धन सुरक्षित रहता है । बडे व्यापारियों को अपना धन बैंक के पास रखने में भुगतानों में बड़ी सुविधा होती है ।

(ii) व्यापारी बैंक (Merchant Banking) :

व्यापारी बैकिंग में उद्यमियों को परामर्श प्रदान किया जाता है। ये बैंक अपने ग्राहकों को नयी औद्योगिक संस्थाओं को स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। नई कम्पनियों की पूँजी निर्गमित करने, उनकी वित्त योजना बनाने पूँजी के पुनर्गठन में सहायता प्रदान करने के लिए गये ऋणों के लिए प्रतिभूति देने आदि का कार्य सम्पन्न करते हैं।

(iii) बचत बैंक (Saving Bank):

बचत बैंक से तात्पर्य ऐसे बैंकों से है जो जनता की छोटी–छोटी बचत एकत्रित करते हैं तथा उसे राष्ट्र के उत्पादक कार्यो में विनियोजित करते हैं। भारत वर्ष में डाकघर बचत बैंक इस कार्य को सम्पन्न करते हैं।

वाणिज्य बैंकों की प्रगति :

भारत में वाणिज्य अथवा व्यावसायिक बैंकों सेअभिप्राय उन बैंकों से है जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य सम्पन्न करते हैं और जिनका नियमन व नियन्त्रण भारतीय बैंकिंग विधान के अनुसार होता है। रिजर्व बैंक से सम्बन्धों के आधार पर वाणिज्य बैंक दो प्रकार के होते हैं–अनुसूचित बैंक तथा गैर–अनुसूचित बैंक। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनुसूचित बैंकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व उनकी संख्या तथा शाखाओं की संख्या निम्न है।

तालिका 2-1:अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की बैंक/शाखावार प्रगति का विवरण (राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति) :

		अनुसूचित बैंक		*गैर-अनुसूचित बैंक*	
क्रमांक	*वर्ष*	*बैंकों की संख्या*	*शाखाओं की संख्या*	*बैंकों की संख्या*	*शाखाओं की संख्या*
1.	1949	94	2852	526	1589
2.	1956	89	2953	333	1240
3.	1961	82	4388	209	725
4.	1967	74	6620	24	216
5	1969	73	8045	16	217

स्रोत : पाण्डेय श्यामकृष्ण–"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण" पृष्ठ–34

तालिका 2-1 से स्पष्ट है कि आजादी के पश्चात देश में बैंकों की संख्या बहुत कम थी तथा 1969 (राष्ट्रीयकरण) पूर्व इस स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ वर्ष 1949 में कुल अनुसूचित बैंकों की संख्या 94 थी जो 1969 में 73 रह गयी। बैंकों में कमी का कारण यह था कि जो अलाभकारी बैंक थे उनको बन्द कर दिया गया या दूसरे

में विलय कर दिया गया। वर्ष 1949 में इन बैंकों की शाखाओं की संख्या 2852 थी जो कि 1969 में बढ़कर 8045 हो गयी। इस प्रकार शाखाओं की संख्या में 182.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 1949 में 526 थी जो 1969 में घटकर मात्र 16 रह गयी। इसी प्रकार शाखाओं की संख्या 1589 से घटकर 217 रह गयी। गैर अनुसूचित बैंकों में कमी का कारण था कि राष्ट्रीयकरण के पहले छोटे–छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया तथा घाटे में चल रहे बैंक बन्द कर दिये गये।

तालिका 2-2 : व्यावसायिक बैकों की जमा ऋण प्रगति का विवरण

(राष्ट्रीयकरण से पूर्व की स्थिति)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	*वर्ष*	*सकल जमा*	*सकल ऋण*	*सकल ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)*
1.	1949	844	482	57.11
2.	1961	1873	1335	71.28
3.	1967	3741	2646	70.73
4.	1969	4674	3615	77.34

Sourse : Ansari Momd. Salman -"Working of the Regional Rural Banks in Eastern Uttarpradesh" Page-21.

तालिका 2-2 से ज्ञात होता है कि आजादी के पश्चात तथा राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैकों की जमाओं तथा ऋणों में निरन्तर प्रगति हुई है। वर्ष 1949 में कुल जमा 844 रुपये थी जो 1969 में बढ़कर 4674 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार जमाओं में 453.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1949 में सकल ऋण की राशि 482 करोड़ रुपये थी जो 1969 में 3615 करोड़ हो गयी। इस प्रकार सकल ऋणोंमें 650 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। इससे यह प्रतीत होता है कि बैंक ऋण देने में उदारता दिखाते थे। ऋण जमा अनुपात की स्थिति भी सन्तोषजनक रही। ऋण–जमा अनुपात 1949 में 57.12 प्रतिशत था जो बाद के वर्षों में क्रमशः 71.28,70.73 तथा 77.34 प्रतिशत रहा। ऋण–जमा अनुपात से यह विदित होता है कि बैंकों ने अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान प्रदान किया है।

तालिका 2-3 वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की प्रगति का क्रमवार विवरण :

क्रम संख्या	*वर्ष*	*भारत (शाखाओं की संख्या)*	*उत्तर प्रदेश (शाखाओं की संख्या)*	*भारत प्रति बैंक औसत जनसंख्या (हजार में)*	*उत्तर प्रदेश प्रति बैंक औसत जनसंख्या (हजार में)*	*उत्तर प्रदेश का अखिल भारत में प्रतिशत*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	1969	8262	747	65	119	9.04
2.	1990	59388	8355	12	13	14.06
3.	1992	60649	8512	11	13	14.02
4.	1993	61248	8578	11	13	14.01
5.	1994	61742	8607	14	16	13.94
6.	1995	62346	8646	14	16	13.87
7.	1996	63084	8680	14	17	13.76
8.	1997	63724	8765	14	17	13.75
9.	1998	64267	8810	14	16	13.71
10.	1999	64918	8867	14	16	13.65
11.	2000	65556	8871	13	16	13.65
12.	2001	65800	8892	16	19	13.51
13.	मई 02	65917	N.A.	16	N.A.	N.A.

स्रोत : **1. भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन**

2. Report on trend and progress of Banking in india 2000-2001

नोट : 1969 की औसत जनसंख्या 1961 की जनगणना पर आधारित है 1900 से 1993 तक 1981 की जनगणना के अनुसार तथा 1994 से लेकर 2000 तक 1991 की जनगणना के अनुसार और इसके बाद 2001 की जनसंख्या पर आधारित है।

तालिका 2-3 से परिलक्षित होता है वाणिज्य बैंकों की शाखाओं में निरन्तर प्रगति हुई है। जून 1969 में शाखाओं की संख्या 8263 थी जबकि 20 वर्ष पश्चात 1990 में 59388 हो गयी, इस प्रकार 618.72 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मई 2002 के अन्त में भारत में कुल शाखाओं की संख्या 65917 हो गयी। इस प्रकार 1990 की तुलना में 2002 में 10.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार उत्तरप्रदेश में भी 1990 की अपेक्षा 2001 में 6.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति बैंक औसत जनसंख्या जून 1969 में 65 हजार थी जबकि बाद के वर्षों में कम हो गई। मई 2002 के अन्त में 16 हजार रह गयी। इसी प्रकार उ०प्र० में भी जून 1969 के अन्त में प्रति बैंक औसत जनसंख्या 119 हजार थी तथा बाद के वर्षों में कम हो गयी है। उ०प्र० का अखिल भारत से प्रतिशत जून 1969 में 9.04 प्रतिशत था जबकि बाद के वर्षों में क्रमशः 14 व 13 प्रतिशत बना रहा।

तालिका 2.4 : भारत में वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का बैंक समूहवार/जनसंख्या समूहवार विवरण

निम्नलिखित दिनाकों को कार्यालयों की सख्या																
बैंक समूह	बैको की सख्या	जुलाई 1969					जून 30, 2000 @					जून, 30 , 2001 @				
		ग्रामीण	अर्द्ध–शहरी	शहरी	महा–नगरीय	योग	ग्रामीण	अर्द्ध–शहरी	शहरी	महा–नगरीय	योग	ग्रामीण	अर्द्ध–शहरी	शहरी	महा–नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
भारतीय स्टेट बैंक	1	462 (29.4)	796 (50.7)	163 (10.6)	150 (9.5)	1571 (100)	4110 (46.0)	2432 (27.2)	1406 (15.7)	985 (11.0)	8933 (100)	4111 (46)	2433 (27)	1408 (16)	990 (11.1)	8942 (100)
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	7	358 (40.0)	375 (42.0)	36 (9.6)	75 (8.4)	844 (100)	1404 (31.7)	1537 (34.8)	806 (18.2)	676 (15.3)	4423 (100)	1406 (31.0)	1541 (34.7)	811 (18.2)	686 (15.4)	4444 (100)
राष्ट्रीयकृत बैंक	19	703 (16.9)	1465 (35.1)	928 (22.3)	1072 (25.7)	4168 (100)	13867 (42.6)	6828 (21.0)	6384 (19.6)	5489 (16.9)	32568 (100)	13866 (42.5)	6842 (21.0)	6419 (19.7)	5508 (16.9)	32635 (100)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	--	--	--	--	--	12133 (44.0)	1949 (13.5)	342 (2.4)	12 (0.1)	14636 (100)	12108 (83.8)	1987 (13.7)	346 (2.4)	15 (0.1)	14456 (100)
विदेशी बैंक	41	N.A	N.A.	N.A.	N.A	N.A.	--	2 (1.1)	14 (7.5)	170 (91.4)	186 (100)	--	2 (1.0)	15 (7.8)	175 (91.1)	192 (100)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	`15	16	17
अन्य वाणिज्य बैंक	31	337 (20.0)	708 (41.9)	279 (16.5)	364 (21.6)	1688 (100)	1135 (22.7)	1683 (33.6)	1178 (23.5)	1014 (20.2)	5010 (100)	1140 (22.2)	1704 (33.2)	1220 (23.8)	1067 (20.8)	5131 (100)
योग	395	1860 (22.5)	3344 (40.2)	1456 (17.5)	1661 (20.0)	8321 (100)	32649 (49.8)	14431 (22.0)	10130 (15.5)	8346 (12.7)	65556 (100)	32631 (49.6)	14509 (22.1)	10219 (15.5)	8441 (12.8)	65800 (100)

Source : 1. Report Curency & Finanace, 1995-96, Vol. 2

2. Report on Trend & Progress of Banking In India, 2000-2001

@ वर्गीकरण जनगणना 1991 पर आधारित है ।

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रत्येक समूह में कुल का प्रतिशत है ।

तालिका 2-4 से स्पष्ट है कि जुलाई 1969 के दौरान वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में विद्यमान थी जबकि राष्ट्रीयकरण के पश्चात शाखाओं के विस्तार में काफी प्रगति हुई है। जून 2000 तथा 2001 में भी इनकी सर्वाधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में थी। जुलाई 1969 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल संख्या की मात्र 22.5 प्रतिशत शाखाएं कार्य कर रही थी जबकि 30 जून 2000 में 49.8 प्रतिशत और जून 2001 में 49.6 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं थी। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का तेजी से विस्तार हुआ और राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हुई। 1 जुलाई 1969 में कुल वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या 8321 थी जो 2001 मे बढ़ कर 65800 हो गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं जून 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 12133 थीं जो कि 2001 में घटकर 12108 रह गयी। जो कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 83.8 प्रतिशत शाखाएं थीं। इन बैंकों में कमी का मुख्य कारण था कि जो बैंक ज्यादा घाटे में चल रहे थे या तो उनको बन्द कर दिया गया या फिर उनको अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के विस्तार से ज्ञात होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित किये गये थे वे अपने उद्देश्यों को अच्छी तरह से निभा रहे हैं।

तालिका 2-5- उ०प्र० में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण जमा राशि प्रगति का विवरण :

(धनराशि करोड रुपये में)

क्रम संख्या	*वर्ष*	*जमा*	*ऋण*	*ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	मार्च 1991	20395.83	9346.96	45.82
2.	मार्च 1992	22539.38	10056.21	44.61
3.	मार्च 1993	25431.28	10773.00	42.36
4.	मार्च 1994	29619.47	11033.07	37.25
5.	मार्च 1995	35217.05	12331.93	35.02
6.	मार्च 1996	41450.81	14194.91	34.24
7.	जून 1997	49240.43	15114.28	30.68
8.	मार्च 1998	58760.00	16805.00	28.60
9.	मार्च 1999	70328.59	21872.19	31.10
10.	मार्च 2000	82568.89	25513.73	30.90
11.	मार्च 2001	83617.00	26463.00	31.64

स्रोत : 1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण पाण्डेय, श्याम कृष्ण पृष्ठ 40
2. रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स
3. बैंको से सम्बन्धित प्रवृत्ति एव प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट 2000-2001

तालिका 2-5 से स्पष्ट है कि उ०प्र० में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की जमा तथा ऋणों में निरन्तर प्रगति हुई है। मार्च 1991 में कुल जमा धनराशि 20395.83 करोड़ रुपये थी जो कि मार्च 2001 में बढ़कर 83617.00 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार मार्च 1991 तथा मार्च 2001–के समयान्तराल में 309.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसी प्रकार मार्च 1991 में 93.46.46 करोड़ रुपये 24663 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था कि मार्च 1991 की तुलना में मार्च 2001 में ऋणों 183.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऋण–जमा अनुपात में भी 1991 की तुलना में 2001 तक आते–आते कम होती चली गयी जहां 1991 में 45.82 प्रतिशत था जो 2001 में घटकर 31.64 प्रतिशत रह गया। ऋण–जमा अनुपात कमी का कारण था, कि बैंकों ने जमाओं की अपेक्षा ऋणों के वितरण में तत्परता नहीं दिखाई है।

तालिका 2-6 भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा-ऋण प्रगति का क्रमवार विवरण (मार्च की अन्तिम शुक्रवार की स्थिति) :

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*सकल जमा*	*सकल ऋण*	*ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	1971	5906	4884	79.3
2.	1981	37988	25371	66.8
3.	1988	118045	70536	59.8
4.	1990	166959	101453	60.8
5.	1991	192542	116301	60.4
6.	1992	237565	131520	55.4
7.	1993	268572	151982	56.6
8.	1995	386859	211560	54.7
9.	1996	433819	254015	58.6
10.	1997	505599	278401	55.1
11.	1998	592068	328837	55.4
12.	1999	714025	368837	51.7
13.	2000	813345	435958	53.6
14.	2001	962618	511435	53.13
15.	मई 2002	1196593	644036	53.82

Sourse : 1. Reserve Bank Of India Bullition - Nov, 1997, July 2002

2. Banking Statiatics 1994-95

तालिका 2-6 से परिलक्षित होता है कि भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाओं तथा ऋणों में निरन्तर प्रगति हुई है। वर्ष 1971 में सकल जमा 5906 करोड़ रुपये था वे मई 2002 में बढ़कर 1196593 करोड़ रुपये हो गया जब कि 2001 में 962618 करोड़ रुपये था जो कि 2002 की अपेक्षाा 24.31 प्रतिशत कम था। 2001 में सकल ऋण 511435 करोड़ रुपये था और मई 2002 में बढ़कर 644036 करोड़ रुपये हो जो कि 25.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। ऋण–जमा अनुपात प्रत्येक वर्ष संतोषजनक स्थिति में दर्शाती है जो कि सदैव 50 प्रतिशत से ऊपर रहा है। 1971 के बाद से लगातार ऋण–जमा अनुपात में कमी आयी है। सर्वाधिक ऋण–जमा अनुपात 79.3 प्रतिशत 1971 में रहा तथा सबसे कम 51.5 प्रतिशत 1990 में रहा था । तालिका देखने से स्पष्ट होता है कि ऋण जमा अनुपात में उतार–चढाव आते रहे हैं।

तालिका 2.7 : सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र/राज्यवार प्रगति :

(धनराशि करोड़ रूपये में)

		मार्च 1996 की अन्तिम शुक्रवार की स्थिति				मार्च 2001 की अन्तिम शुक्रवार की स्थिति			
क्रम संख्या	क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या	जमा धनराशि	ऋण	ऋण-जमा अनुपात प्रतिशत	कार्यालयों की संख्या	जमा धनराशि	ऋण	ऋण-जमा अनुपात प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	उत्तरी क्षेत्र	9738	94420	57415	60.8	10526	220461	104389	47.35
2.	उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र	1893	6881	2374	34.5	1885	23026	7046	30.60
3.	पूर्वी क्षेत्र	11451	55413	26439	41.7	11696	137886	51293	37.20
4.	मध्य क्षेत्र	13091	57101	23129	40.5	13375	131761	47741	36.23
4(a)	उत्तर प्रदेश	8680	41450	14194	34.2	8892	83617	26463	31.64
5.	पश्चिमी क्षेत्र	9660	117793	81805	69.4	10299	238171	166489	69.90
6.	दक्षिणी क्षेत्र	17251	102207	72368	70.6	18020	211314	134478	63.64
7.	अखिल भारत	63084	433819	263533	60.75	65800	962618	511435	53.13

Source 1- Report on Trend and Progress of Banking in India, 2000-2001
2 - Banking Statistics Quartely Handout, Reserve Bank of India.

तालिका 2-7 से स्पष्ट होता है कि मार्च 1996 में बैंकों की कार्यालयों की संख्या सर्वाधिक 17251 दक्षिणी क्षेत्र में तथा न्यूनतम 1893 उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र में स्थित थी जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है। 2001 में सर्वाधिक शाखाएं 18020 में थी। 1996 की तुलना में 4.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऋण–जमा अनुपात 1996 में 60.75 प्रतिशत था तथा 2001 में घटकर 53.13 प्रतिशत रह गया, इसका कारण यह है कि बैंकों में विगत वर्ष की अपेक्षा ऋणों का कम वितरण किया। ऋण–जमा अनुपात सबसे अधिक पश्चिमी क्षेत्र मे 69.9 प्रतिशत तथा न्यूनतम उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र में 30.6 प्रतिशत था। इससे लगता है उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में ऋण वितरण में बैंकें रुचि नहीं दिखा रही हैं। तालिका से स्पष्ट है कि जमा, ऋण तथा कार्यालयों तीनों में प्रगति हुई है।

तालिका 2-8 सभी अनुसूचित्त वाणिज्यिक बैंकों का प्रति कार्यालय बैंक जमा तथा ऋण का वितरण (मार्च की अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार) :

क्रमांक	*वर्ष*	*प्रति कार्यालय जमा*	*प्रति कार्यालय ऋण*
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	1995	6.21	3.39
2.	1996	6.88	4.03
3.	1997	7.93	4.37
4.	1998	9.21	5.12
5.	1999	10.99	5.68
6.	2000	12.41	6.65
7.	2001	14.63	7.77
8.	मई 2002	18.15	9.76

स्रोत : तालिका 2.3 तथा तालिका 2.6 पर आधारित ।

तालिका 2-8 से परिलक्षित होता है कि प्रत्येक वर्ष प्रति कार्यालय बैंक जमा तथा ऋण में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक प्रति कार्यालय जमा मई 2002 में तथा न्यूनतम 1995 में 6.21 प्रतिशत था। इसी प्रकार सर्वाधिक ऋण मई 2002 में वितरण किये गये जो 1995 में अपेक्षा 187.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। इस प्रकार तालिका से स्पष्ट है कि प्रति कार्यालय जमा व ऋण में लगातार वृद्धि हुई है।

तालिका 2-9 इटावा जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलनात्मक विवरण:

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	*विवरण*	*मार्च 1997*	*मार्च 1998*	*मार्च 1999*	*मार्च 2000*	*जून 2001*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	जमा धनराशि (अनु० वाणि० बैंक)	354.01 (3.73)	363.07 (2.56)	383.29 (5.57)	403.37 (5.24)	444.49 (10.24)
2.	जमा धनराशि (क्षे० ग्रा० बैंक)	55.16 (20.8)	60.35 (9.41)	78.87 (3.68)	91.47 (15.98)	103.64 (13.30)
3.	सकल ऋण (अनु० वाणि० बैंक)	101.13 (26.92)	87.01 (-13.96)	104.93 (20.59)	87.31 (-16.79)	108.13 (23.85)
4.	सकल ऋण (क्षे० ग्रा० बैंक)	30.02 (11.14)	32.97 (9.83)	32.99 (0.6)	29.81 (-9.64)	28.23 (5.30)
5.	ऋण जमा अनुपात (अनु० वाणि० बैंक)	28.57	23.96	27.38	21.65	24.33
6.	ऋण जमा अनुपात (अनुपात क्षे० ग्रा० बैंक)	54.42	54.63	41.84	32.59	27.23

स्रोत : 1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए लीड बैंक इटावा से प्राप्त आंकड़े।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा)।

3. कोष्टकों मे दी गई राशि विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि है।

तालिका 2-9 से परिलक्षित होता है कि अनुसूचित व्यावसायिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा धनराशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। दोनों की जमाओं में प्रतिशत वृद्धि में उतार–चढ़ाव आते रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा–संग्रहण की वृद्धि वाणिज्य बैंकों की अपेक्षा अधिक है। 1997 में वाणिज्य बैंकों की 1996 की तुलना में 3.73 प्रतिशत वृद्धि हुई है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रतिशत वृद्धि 20.8 है। इसी प्रकार जून 2001 में पिछले वर्ष की तुलना में 10.19 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जून 2001 में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रतिशत वृद्धि वाणिज्य बैंकों की तुलना में अधिक है। इसी प्रकार ऋण वाणिज्य बैंकों ने 2001 में पिछले वर्ष की तुलना में 23.85 प्रतिशत का प्रदान किया जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में इसी समय मात्र 5.3 प्रतिशत का ऋण वितरण किया है। इससे स्पष्ट है कि इटावा जनपद मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निपेक्ष प्रतिशत वृद्धि वाणिज्य बैंकों की अपेक्षा अधिक रहा। जबकि ऋणों के वितरण में शुरु में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आगे थे लेकिन बाद में वाणिज्य बैंको ने ऋण वितरण के मामले में आगे निकल गये हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण वितरण कम होने का मुख्य कारण है कि पिछले ऋण की वसूली कम होने की वजह से बैंक ने ऋणों का कम वितरण किया। लेकिन ऋण–जमा अनुपात को देखने से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वाणिज्य बैंकों की अपेक्षा अधिक ऋण वितरित किया गया है।

इटावा जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों में तुलनात्मक वृद्धि का ग्राफ

तालिका 2.10 : उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलनात्मक

क्रमांक	विवरण	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996	मार्च 1997	मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	जमा धन राशि (अनु०वाणि०बैंक)	29619.47	35217.05 (18.89)	41450.81 (17.70)	49240.43 (18.79)	58760.00 (19.31)	70328.59 (19.69)	82568.87 (17.40)
2.	जमा धनराशि (क्षे० ग्रा० बैंक)	2473.74	3018.83 (22.03)	3809.63 (26.19)	4588.03 (20.43)	5972.62 (30.17	7265.53 (21.65)	8429.60 (16.02)
3.	सकल ऋण (अनु० वाणि०बैंक)	11033.07	12331.93 (11.77)	14194.91 (15.11)	15114.28 (6.48)	16805.00 (11.19)	21872.19 (30.15)	25513.73 (16.65)
4.	सकल ऋण (क्षे०ग्रा० बैंक)	1111.48	1338.18 (20.39)	1560.56 (16.62)	1717.06 (10.03)	1874.04 (9.14)	2232.18 (19.11)	2541.65 (13.86)
5.	ऋण–जमा अनुपात (अनु०वाणि०बैंक)	37.25	35.02	34.24	30.69	28.60	31.10	30.90
6.	ऋण–जमा अनुपात (क्षे०ग्रा० बैंक)	44.93	44.32	40.96	37.42	31.38	30.72	30.15

स्रोत – रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन तथा क्षे०ग्रा० बैंक से सम्बन्धित सांख्यिकीय

तालिका 2.10 से स्पष्ट है कि उ०प्र० में जमा संग्रहण प्रतिशत वृद्धि वाणिज्य बैंकों की अपेक्षा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिक है। मार्च 1995 मे वाणिज्य बैंकों की प्रतिशत वृद्धि 1991 की अपेक्षा 18.89 है जबकि ग्रामीण बैंकों का 22.03 है। मार्च 2001 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रतिशत वृद्धि 16.59 है तथा वाणिज्य बैंकों की मात्र 1.29 है। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा संग्रह के मामले में स्थिति ठीक है। इसी प्रकार मार्च 1995 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में 20.39 प्रतिशत अधिक ऋण वितरण किया जबकि वाणिज्यिक बैंकों में मात्र 11.77 प्रतिशत का ऋण वितरित किया। मार्च 2001 में वाणिज्य बैंकों ने 3.72 प्रतिशत का ऋण दिया जबकि इसी समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 19.11 प्रतिशत का ऋण पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक वितरित किया। ऋण–जमा अनुपात का प्रतिशत भी (इधर के वर्षो को छोड़कर) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्रामीण बैंकों द्वारा जमा वृद्धि के साथ–साथ ऋण वितरण भी अच्छे ढंग से किया गया।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण वितरण में तुलनात्मक वृद्धि का ग्राफ

तालिका 2.11 : भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलनात्मक विवरण :

(धनराशि करोड रूपये में

क्रमांक	विवरण	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996	मार्च 1997	मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 200
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	जमा धन राशि (अनु०वाणि०बैंक)	315132	386859 (22.76)	433819 (12.13)	507533 (16.99)	592068 (16.66)	714025 (20.60)	813345 (13.91)	962618 (18.35)
2.	जमा धनराशि (क्षे० ग्रा० बैंक)	8826	11150 (26.33)	14187 (27.23)	17327 (22.13)	22182 (28.02)	26763 (20.65)	32197 (20.30)	38278 (18.89)
3.	सकल ऋण (अनु० वाणि०बैंक)	164418	211560 (28.67)	254015 (20.06)	282702 (11.29)	328837 (16.32)	368837 (12.16)	435958 (18.20)	511435 (17.31)
4.	सकल ऋण (क्षे०ग्रा० बैंक)	5253	6290 (19.74)	7505 (19.31)	8652 (15.28)	9758 (12.78)	11281 (15.60)	13185 (16.88)	15814 (19.94)
5.	ऋण–जमा अनुपात (अनु०वाणि०बैंक)	52.2	54.7	58.6	55.7	55.5	51.66	53.60	53.13
6.	ऋण–जमा अनुपात (क्षे०ग्रा० बैंक)	59.6	56.4	52.9	49.9	43.99	42.15	40.95	41.31

Source - 1. Reserve Bank of India , Bulletin, November 1999, July 2002, 2. Banking Statistics, 1994-95

तालिका 2-11 से परिलक्षित होता है कि अखिल भारतीय स्तर पर मार्च १९९५ से लेकर मार्च 2001 तक सभी वर्षों में ग्रामीण बैंकों का सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जमाओं में प्रतिशत वृद्धि अधिक है मार्च 2001 में 2000 की तुलना में 18.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण बैकों की प्रतिशत वृद्धि 18.89 है। इसी प्रकार सकल ऋण विभिन्न वर्षों में उतार–चढ़ाव वाणिज्य बैंकों में आते रहे और मार्च 2001 में पिछले वर्ष की तुलना में 17.31 प्रतिशत अधिक का ऋण दिया गया था जब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2001 में वर्ष 2000 की तुलना में 19.94 प्रतिशत अधिक ऋणों का वितरण किया। ऋण–जमा अनुपात में 1994 तथा 1995 में छोड़कर अन्य सभी वर्षो में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ग्रामीण बैंक की तुलना में अधिक रहा है। फिर भी ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में लगातार वृद्धि की है। जिससे हम कह सकते हैं कि ग्रामीण बैंकों ने अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करते हुए ऋणों के वितरण मे वृद्धि की है।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण वितरण का तुलनात्मक वृद्धि का ग्राफ

तालिका 2.12 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालय, जमा तथा ऋण का क्षेत्र/राज्य/जिलावार विवरण (31 मार्च 2001) :

(धनराशि लाख रूपये में)

		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			अनुसचित वाणिज्यिक बैंक		
क्रमांक	क्षेत्र/राज्य/जिला	कार्यालय	जमा राशि	ऋण	कार्यालय	जमा राशि	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तरी क्षेत्र	1911 (13.2)	5121.56 (10.6)	194587 (10.3)	10525 (15.9)	220461 (22.9)	104389 (20.4)
2.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	662 (4.5)	1542.48 (3.2)	40325 (2.5)	1885 (2.9)	23026 (2.4)	7046 (1.4)
3.	पूर्वी क्षेत्र	3593 (24.8)	9348.06 (19.4)	292694 (15.5)	11696 (17.8)	137886 (14.3)	51293 (10.1)
4.	मध्य क्षेत्र	4490 (31.1)	13283.25(27.6)	412769 (21.9)	13375 (20.3)	131761 (13.7)	47741 (9.33)
5.	उत्तर प्रदेश	2994 (20.7)	9828.69 (20.4)	302745 (16.1)	8892 (13.5)	83617 (8.7)	26463 (5.2)
6.	इटावा	50 (0.3)	103.64(0.2)	2823 (0.2)	79 (0.1)	44449 (4.6)	10813 (2.1)
7.	पश्चिमी क्षेत्र	969 (6.7)	2145.00 (4.4)	104880 (5.6)	10299 (15.71)	238171(24.7)	166489 (32.6)
8.	दक्षिणी क्षेत्र	2831 (10.5)	6837.43 (14.2)	530235 (28.1)	18020 (27.4)	211314 (22.2)	134478 (26.3)
9.	अखिल भारत	14456 (100)	48210.11 (100)	1887058 (100)	65800 (100)	962618 (100)	511435 (100)

स्रोत 1– क्षे० ग्रा० बैकिंग से सम्बन्धित सांख्यिकी, 2000-2001, (2) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बेवसाइड

3– उत्तर प्रदेश तथा इटावा मध्य क्षेत्र में शामिल है । (4) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ कुल का प्रतिशत है ।

तालिका 2.12 से यह स्पष्ट है कि उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालय वाणिज्य बैंकों की अपेक्षा अधिक है तथा, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र में वाणिज्य बैंको की प्रतिशत अधिक है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण बैक अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए कार्यालयों तथा जमाओं में निरन्तर वृद्धि कर रहे हैं। इसी प्रकार ग्रामीण बैंकों ने उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र तथा दक्षिणी–क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की तुलना में अधिक ऋण वितरित किये हैं। जबकि उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों ने अधिक ऋण वितरण किये। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

तालिका 2-13 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यालयों की संख्या का तुलनात्मक विवरण (30 जून 2001):

विवरण	*वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या*	*क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालयों की संख्या*
1.	*2.*	*3.*
(अ) ग्रामीण (Rural)	32631 (49.59)	12108 (83.76)
(ब) अर्द्ध–शहरी (Semi-Urban)	14509 (22.05)	1987 (13.75)
(स) शहरी (Urban)	10219 (15.53)	346 (2.39)
महानगरीय Metropolitan	.8441 (12.83)	15 (0.10)
योग	65800 (100)	14456 (100)

Source : Report on Trend and Progress of Banking in India 2000-2001, Page-204

नोट : (कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल का प्रतिशत है।)

तालिका 2.13 से स्पष्ट है कि 30 जून 2001 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालयों की संख्या 14456 तथा वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या 65800 है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों ने कार्यालयों का प्रतिशत 49.59 है जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 83.76 प्रतिशत है। अर्द्ध–शहरी, शहरी तथा महानगरीय क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं ग्रामीण बैंकों से अधिक है। महानगरों में ग्रामीण बैंक की मात्र 0.1 प्रतिशत शाखाएं कार्य कर रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थापना के पश्चात ग्रामीण बैंकों ने अपनी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक फैलायी है क्यों ये बैंक ग्रामीण विकास के लिए ही स्थापित किये गये हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक के कार्यालयो का बार चार्ट
30 जून 2001

तालिका 2-14 व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिया ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (अन्तिम शुक्रवार की स्थिति) :

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	*वर्ष*	*कृषि क्षेत्र को अग्रिम*	*लघु-उद्योग (अग्रिम)*	*अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र(अग्रिम)*	*कुल प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्र (अग्रिम)*	*बैंक साख (नेट)*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	जून 1969	162 (5.4)	257.00 (8.5)	22 (0.7)	441 (14.6)	3016
2.	मार्च 1998	34305 (15.7)	38109 (17.5)	18881 (8.7)	91319 (41.8)	218219
3.	मार्च 1999	40078 (16.3)	42674 (17.3)	24448 (9.9)	102200 (43.5)	246203
4.	मार्च 2000	46190 (15.8)	45778 (15.6)	35829 (12.2)	127807 (43.6)	292943
5.	मार्च 2001	53685 (15.7)	48445 (14.2)	40395 (11.8)	146546 (43.0)	340888

Source : 1. Report on Trend and Progress of Banking in india 2000-01, Page-206

2. Yojana, March 2002 Page 43

Note : Figures in brackets represent Percentage to net Bank Credit

तालिका से स्पष्ट है जून 1969 में 162 करोड़ रुपये व्यावसायिक बैंकों ने कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान किया दिया जो मार्च 2001 मे बढकर 53685 करोड़ रुपये हो गया यह 33038 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। लघु उद्योगों को 1969 की अपेक्षा 2001 में 18850 प्रतिशत का वृद्धि हुई है। कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र मे 1969 मे 441 करोड़ रुपये दिये गये थे जो कि 2001 में बढ़कर 146546 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार बैक ऋण वितरण में उदारता दिखा रहे हैं।

तालिका 2.15 : सीधे कृषि ऋण वितरण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की वसूली की स्थिति :

(धनराशि करोड रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	भारतीय स्टेट बैंक समूह के बैंक			राष्ट्रीयकृत बैंक			सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक		
		माँग	वसूली	माँग से वसूली का प्रतिशत	माँग	वसूली	माँग से वसूली का प्रतिशत	माँग	वसूली	माँग से वसूली का प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	1992	2785	1503	53.9	5935	3183	43.6	8719	4686	53.7
2.	1993	3064	1665	54.3	6843	3717	54.3	9906	5382	54.3
3.	1994	3439	1960	57.0	7658	4379	57.2	11097	6339	57.1
4.	1995	3701	2186	59.1	8265	4941	59.8	11965	7126	59.6
5.	1996	3864	2339	60.5	9146	5706	52.4	13009	8044	61.8
6.	1997	4538	2779	61.3	6339	6339	63.6	14508	9118	62.8
7.	1998	5139	3270	63.6	11730	7978	68.0	16868	11247	66.6
8.	1999	6056	3916	64.7	12128	8221	69.3	18204	12337	67.8

स्रोत – वार्षिक रिपोर्ट – राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, 2000-2001, पृष्ठ 128

तालिका से स्पष्ट है कि वाणिज्य बैंकों में स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंकों ने 1992 में वसूली 53.9 प्रतिशत ऋणों की की थी जो 1999 में बढ़कर 64.7 प्रतिशत हो गयी। इसी तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों की वसूली 1992 में 53.6 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर 69.3 प्रतिशत हो गयी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल बैंकों की 1992 में वसूली 53.7 प्रतिशत थी जो कि 2001 में बढ़कर 67.8 प्रतिशत हो गयी है। इससे स्पष्ट है कि बैंकों की वसूली बढ़ने से गैर–निष्पादन, सम्पत्तियों में कमी आयी है। जैसे–जैसे वसूली का प्रतिशत बढ़ता जाता है वैसे–वैसे गैर–निष्पादन सम्पत्तियां कम होती जा रही है। इस प्रकार वाणिज्य बैंकों को ऋणों की वसूली में और तेजी लानी चाहिए।

तालिका 2-16 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादन सम्पत्तियां क्षेत्रवार (31 मार्च 2001 की स्थिति) :

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विवरण	राष्ट्रीयकृत बैंक	स्टेट बैंक समूह	कुल
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	कृषि क्षेत्र	4357.21 (13.21)	3019.44 (14.95)	7376.65 (13.87)
2.	लघु उद्योग	6536.22 (19.82)	3803.19 (18.84)	10339.41 (19.44)
3.	अन्य	4334.46 (13.14)	2105.72 (10.43)	6440.18 (12.11)
4.	प्राथमिकता क्षेत्र (1+2+3)	15227.89 (46.17)	8928.35 (44.22)	24156.24 (45.43)
5.	सार्वजनिक क्षेत्र	498.09 (1.51)	1212.78 (6.01)	1710.87 (3.22)
6.	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	17257.44 (52.32)	10049.57 (49.77)	27307.01 (51.35)
7.	कुल (4+5+6)	32983.42 (100)	20190.70 (100)	53174.12 (100)

Source : Report on Trend and Progress of Banking in india 2000-01, Page-199

तालिका 2.16 से परिलक्षित होता है कि कृषि क्षेत्र में 13.87 प्रतिशत गैर–निष्पादन सम्पत्तियाँ थीं। सबसे अधिक अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गैर–निष्पादन सम्पत्तियां थी तथा न्यूनतम गैर–निष्पादन सम्पत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र में थीं। कृषि क्षेत्र में

ऋणों की वसूली सही ढंग से न हो पाने के कारण गैर–निष्पादन सम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार ऋणों की वसूली से निरन्तर वृद्धि होने से गैर–निष्पादन सम्पत्तियों में कमी आयी है। जितना अधिक ऋण वसूल किया जायेगा। गैर–निष्पादन सम्पत्तियां उतनी ही कम रह जायेगी। इस प्रकार बैंकों केा ऋणों के वसूली में और तेजी लानी चाहिए जिससे गैर–निष्पादन सम्पत्तियों में कमी की जा सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अन्तर :

यद्यपि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, परन्तु ये कुछ दृष्टिकोणों से अन्य वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न है। दोनों में अन्तर का मुख्य आधार निम्न है।

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों, भूमिहींन मजदूरों, कारीगरों तथा अन्य उत्पादकों को ऋण और अग्रिम धन प्रदान करते हैं जबकि व्यापारिक बैंक इसकी अपेक्षा बड़े उद्यमियों को ऋण प्रदान करते हैं।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। इसके अन्तर्गत किसी एक राज्य में एक अथवा एक से अधिक जिलों के एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है। जबकि व्यापारिक बैंकों का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है तथा किसी भी प्रतिबन्धात्मक शर्त से मुक्त होता है।
3. ग्रामीण बैंकों की ब्याज दरें सहकारी समितियों की ब्याज दरों से अधिक नहीं होती जबकि वाणिज्य बैंकों में अपेक्षाकृत अधिक होती है।
4. ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ते केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते है। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर ही वेतनमान इनको

दिया जाता है। जबकि व्यापारिक बैंकों के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक वेतनमान प्रदान किया जाता है।

5 भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधारा 1(क) कि उपबन्धों से छूट प्रदान की है। इसका अर्थ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखी जाने वाली आन्तरिक नकदी निधि उनके निवल माँग और मियादी देयताओं के तीन प्रतिशत ही बनी रहेगी, जबकि व्यापारिक बैंकों के सन्दर्भ में निरन्तर परिवर्तन होता रहा है।

6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामाजिक बैकिंग की तरह कार्य करते हैं तथा इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत करना है। जबकि व्यापारिक बैंक लाभोन्मुख दशाओं में ही कार्य करते हैं।

7 प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए एक 9 सदस्यों का संचालक बोर्ड होता है। जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह बोर्ड भारत सरकार के आदेशों के अनुसार कार्य करती है।

8 व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भिन्न है।

बैंकिंग सुधारों पर नरसिंहम समिति की सिफारिशें :

वित्तीय प्रणाली के ढांचे, संगठन कार्यों और कार्य विधियों से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अगस्त 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने श्री एम० नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसके बाद पुनः इन्हीं की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री एम० चिदम्बरम् ने इस समिति का गठन किया। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार क लिए गठित इस दूसरी नरसिंहम समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 अप्रैल 1998 को केन्द्रीय वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा को सौंप दी।

समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में दूसरे चरण के सुधार कार्यक्रम के लिए अपनी सिफारिशें इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की हैं।

अपनी नई रिपोर्ट में नरसिंहम समिति ने पूँजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व देश में मजबूत व प्रभावी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने, बैंकों की परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता को सुधार लाने, गैर–निष्पादन सम्पत्तियों में कमी करने, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि करने, बैंकों की खराब परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक ऐसेट रिकस्ंट्रक्शन फण्ड की स्थापना करने, रिजर्व बैंक की नियामक व देख–रेख सम्बन्धी क्रियाओं को पृथक करने के लिए बोर्ड फॉर फाइनेसियल सुपरविजन को स्वायत्तता प्रदान करने बैंकों को राजनीति से मुक्त करने निदेशक बोर्ड में पेशेवर व्यक्तियों को शामिल करने तथा बैंक कर्मियों के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही से पूर्व समुचित जांच–पड़ताल करने आदि की संस्तुतियां की हैं।

समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

1. देश मे बैंकिंग प्रणाली की इस प्रकार से पुर्नसरचना करना जिसमे 3 या 4 बड़े बैंक ही अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्रियाएं सम्पन्न करें। दूसरे स्तर पर राष्ट्रीय स्तर के 8 घरेलू साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करें। तीसरे स्तर के स्थानीय बैंक हों, जिनके कारेबार सामान्यतया विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित हों, और ग्रामीण बैंक अपना कारोबार ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रखें। इस प्रकार बैंकिंग का त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए।

2. उपर्युक्त व्यवस्था की मजबूती के लिए बैंकों के पारस्परिक विलय की संस्तुति भी समिति ने की है। समिति का मत है कि इसका उद्योग जगत पर गुणक प्रभाव होगा, किन्तु इसके साथ ही समिति ने स्पष्ट किया कि कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में विलय न किया जाय, क्योंकि इससे मजबूत बैंक की परिसम्पत्ति गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समिति के अनुसार यदि किसी बैंक का संचित घाटा व

शुद्ध गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति उसकी पूँजी से अधिक हो जाती है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का कोई बैंक यदि तीन वर्ष तक लगातार घाटे में रहे तो वह बैंक कमजोर बैंक की श्रेणी में माना जायेगा।

3. गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की ऋण –उपलबध कराने की गतिविधियों को वित्तीय व्यवस्था के साथ विलय पर विचार किया जाय।

4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता है।

5. छोटे स्थानीय बैंक राज्य अथवा जिले तक ही सीमित हों जिसे ये बैंक स्थानीय व्यापार, लघु उद्योग तथा कृषि की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

6. ऋण वितरण के मामले में सामाजिक प्राथमिकताओं के औचित्य को स्वीकार करने के बावजूद समिति ने कहा है कि इसका व्यावसायिक हितों के साथ टकराव नहीं होना चाहिए।

7. ऋण वसूल पंचाट के असंतोषजनक प्रदर्शन को देखते हुए समिति ने रिजर्व बैंक इण्डिया ऐक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेशनलाइजेशन एक्ट व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, की त्वरित समीक्षा कर इन्हें बैंकिंग उद्योग की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया है। इनके साथ–साथ सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स (स्पेशल प्रॉविजन) एक्ट व बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट की भी समीक्षा की जानी चाहिए।

8. बैंकों की बढ़ती हुई गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों को देखते हुए इस समस्या से निपटने के लिए परसम्पत्ति पुनर्गठन फण्ड को पुर्नजीवित करने का समिति ने सुझाव दिया है। इससे पूर्व 1991 में गठित पहली नरसिंहम समिति ने भी यह सुझाव दिया था।

9. बैंकों में भर्ती प्रशिक्षण व वेतन के भी पुर्नमूल्यांकन की संस्तुति करते हुए समिति ने कहा है कि कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होने पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की जानी चाहिए।

10. समिति का मत कि बैंकों के लिए पूर्व में पूँजी निर्धारित पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण बैंकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वासले समिति द्वारा निध्नरित स्तर के आधार पर किया गया थ। समिति का कहना है कि उसके बाद से अब तक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ चुके हैं। अतः पूँजी पर्याप्तता की मौजूदा सीमा की समीक्षा की आवश्यकता है। पुर्नसमीक्षा के क्रम में इस सीमा में बढ़ोत्तरी की सम्भावनाओं का पता लगायाजाना चाहिए।

11 समिति का मत है कि सुधार कार्यक्रमों का उद्देश्य बैंकों को परिचालन में अधिक स्वायत्तता दिये बिना पूरा नहीं हो सकता। इस नाते समिति ने सरकार से कहा है की स्वामित्व और प्रबन्धन के अन्तर को समझते हुए स्वामित्व को प्रबन्धन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्वामित्व के दबाव में प्रबन्धन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता और इससे व्यावसायिक हित भी प्रभावित हो सकते हैं।

12. बैंक के तुलन पत्रों में पारदर्शिता प्रदान करना और उनमें पूर्ण प्रकटीकरण की व्यवस्था करना।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति देना।

14. भारत में विदेशी बैंको द्वारा शाखाओं के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति से सम्बन्धित नीति को उदार बनाना।

15. शाखा लाइसेसिंग प्रणाली को समाप्त करना तथा शाखाओं के खोलने अथवा बन्द करने के मामले को प्रत्येक बैंक के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ देना।

16. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एक निगम के रूप में गठित किया जाय। गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की निवल मालियत प्रणाली आधार पर दो करोड़ रुपये तक बढ़ाई जाय।

17. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उनकी समीक्षा ऋण मूल्यांकन, पर्वेक्षण, अनुवर्त्ती कार्यवाही, ऋण वसूली रणनीतियों और बैंक–ग्राहक सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में की जाय। आगामी पांच वर्षो के भीतर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए यह सम्भव होना चाहिए। कि अपनी जोखिम भारित परिसम्पत्तियों के अनुपात में 8 प्रतिशत पूंजी का निर्वाह करें।

उपर्युक्त सुझाव बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंहम समिति ने दिये हैं। जिनका उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। साथ ही बैंकों की प्रकटन और लेखा परीक्षण अपेक्षाओं में सुधार लाना होगा। इसके लिए उपयुक्त विधायी संरचना की भी आवश्यकता होगी। आज बैंकों के सामने मुख्य समस्या उनकी अनर्जक परिसम्पत्तियों का ऊंचा स्तर होना है। तुलन पत्र स्पष्ट रूप से तैयार करने के साथ ही नयी अनर्जक परिसम्पत्तियों के पुनः उभरने को रोकने अथवा सीमित करने के लिए कदम उठाने होंगे। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ हो। सरकार ने 2000-2001 के बजट में घोषणा की, कि बैंकों द्वारा जनता से पूंजी जुटाने के उद्देश्य से सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपना स्वामित्व घटाकर 33 प्रतिशत कर देगी।

अध्याय : 3

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक

"Even as a banker cannot run a bank if he has nothing in his chest, so can a general hat lead a battle if he has no soldiers a whom he can ready in implecitly"

- **Mahatma Gandhi**

भारत का विकास गाँवों के विकास के बिना सम्भव नही है । इस बात की पहचान सबसे पहले महात्मा गाँधी ने की और उन्होनें देश के नेताओं तथा तत्कालीन सरकार को सुझाव दिया कि गाँवों का विकास कृषि आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंको की भूमिका के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है । इस लक्ष्य के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समय पर समुचित संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाना बेहद आवश्यक है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता के लिये रिजर्व बैंक को यह लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई यह जानने के लिये ग्रामीण परिदृश्य को देखना होगा । ग्रामीण ऋण ग्रस्तता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये सदैव एक चिन्तनीय विषय रहा है । पीढ़ी दर पीढ़ी की ऋण ग्रस्तता एवं पर्याप्त वित्तीय सुविधा न होने के कारण किसान, महाजन या साहूकार के जाल से मुक्त नहीं हो पाता और न हीं उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सफल हो पाता है । शायद इसी आधार पर शाही कृषि आयोग (1930) ने कहा है कि *'भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है ऋण में ही पल पोस कर बड़ा होता है और अपने आश्रितों के लिये भी ऋण छोड़कर चला जाता हैं'* ।

भारत को स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात यह देखा गया कि सदियों के आर्थिक शोषण से देश के अधिसंख्य नागरिकों को विपन्न कर दिया । अतः उनके विकास के लिये वित्त की आवश्यकता को प्रमुखता से महसूस किया गया, पर एक ओर जहाँ शासन को स्वयं के स्रोतों से इतनी अधिक मात्रा में वित्तीय संस्थानों का प्रबन्ध करना सम्भव नही था । वहीं दूसरी ओर विस्तार की दृष्टि से भी बड़े देश में विकास कार्यक्रमों से दूर-दराज तक पहुंच पाना कठिन था । इन स्थितियों में काम करते हुये यह पाया गया कि वित्त की मांग की पूर्ति बैंकों की मदद से काफी हद तक पूरी हो सकती है । अतः इस दिशा में शासन में कुछ कदम उठाये और बैंको का राष्ट्रीकरण व सामाजिक नियन्त्रण आदि के द्वारा वित्त की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गयी लेकिन इतना हो जाने

के बावजूद व्यापकता की समस्या अभी गम्भीर बनी हुई थी । पहले से स्थापित व्यावसायिक बैंकों की स्थापना लागत अधिक थी । अतः दूर–दूर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी शाखाओ का खोला जाना व्यवहारिक नहीं था । जिसके कारण गरीबों को अधिकोषीय की सुविधा प्रदान करना शासन के लिये दुष्कर हो गया है ।

ब्रिटिश काल में देश में ऐसी कोई व्यवस्था नही थी जिसके माध्यम सें छोटे किसानों, सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण शिल्पकारों आदि को अपने अपने कार्यो के लिए ऋण या साख उपलब्ध कराया जाता । भारतीय किसान, विशेष कर छोटे किसानों को भारी मात्रा में न केवल उत्पादन कार्यो के लिये ऋणों की आवश्यकता पड़ती थी बल्कि उपभोग कार्यो के लिये भी । छोटे किसानों को कम कामकाज के मौसम में भी उधार की आवश्यकता पड़ती थी या ऐसे समय पर जब फसल पूर्णतः विफल हो जाती थी। छोटे किसानों के घरेलू खर्चे, जन्म, मृत्यु, शादियों और धार्मिक उत्सवों के लिये ऋण की आवश्यकता पड़ती थी । जब ऋण की आवश्यकता पड़ती होती तो वे सूदखोर, महाजनों और सेठ साहूकारों की शरण में जाने को मजबूर थे । ये लोग उनके शोषण में कोई कसर नही छोड़ते थे । थोड़े से पैसों के लिये किसानों की जमीन गिरवीं रख ली जाती थी और कई पीढ़ियों तक सूद चुकाने के बाद भी कर्ज नहीं उतार पाता था । अनेक बार तो किसानों से ऋण के बदले उनकी जमीन तथा अपार धन भी छीन लिया जाता था ।

प्रसिद्ध उपन्सकार मुंशी प्रेमचन्द्र ने किसानों की ऋण ग्रस्तता और महाजनो के शोषण का यथार्थ चित्रण किया है । वह आज काल्पनिक लगता है मगर उस समय ग्रामीण जीवन की कड़वी सच्चाई थी । हमारे नीति निर्माताओं के प्रयास से आज काफी बदलाव आ चुका है । हालांकि छोटे किसानों, दस्तकारों, व्यापारियों आदि की ऋण सम्बन्धी समस्यायें आज भी बरकरार है मगर बीते जमाने जैसा शोषण अब नही होता ।

इससे हमारी बैंकिग नीतियां विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।

1950 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पर सरकार की ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं के विस्तार का सुझाव दिया । सन 1951-52 में रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये अखिल भारतीय सर्वेक्षण से किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई । इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विशेष प्रकार की वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता महसूस की गयी । इसी बात को ध्यान में रखकर बैंक भी बनाये गये लेकिन सहकारी बैंक खेतिहार मजदूरों, शिल्पकारों तथा सीमान्त किसानों को सन्तोषजनक सुविधायें उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे तथा इसका फायदा बड़े किसानों को ही मिल पाया था । आंकड़ो को देखने से पता चलता है कि खेतिहर मजदूरों, कास्तकारों और बटाईदारों को केवल 4 प्रतिशत ही ऋण मिल पाया । जबकि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को 35 प्रतिशत ऋण मिला और 2 हेक्टेयर से अधिक जोत वाले किसानों को 51 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक कृषि सहकारियों के माध्यम से प्राप्त हुआ ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सामाजिक बैंकिग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी लेकिन राष्ट्रीकृत बैंकों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने में कोई खास सफलता नही मिली क्योंकि भारत में करीब 7 लाख गाँवों में राष्ट्रीयकृत बैंको की सुविधा उपलब्ध कराना कोई आसान काम नही था । फिर भी व्यवसायिक बैंको का काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है । वे लाभ को ध्यान में रखें बिना कोई कार्य नही कर सकते । इसके अलावा इन बैंकों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि आम ग्रामीण इनमे जाने से हिचकते थे । दूसरी ओर ये बैंक भी कृषि जैसे मौसमी और अनिश्चित परिणाम वाले कार्यो के लिये किसानों को कर्ज देने में संकोच करते थे । छोटे किसानों और दस्तकारें को ऋण उपलब्ध कराने में तो वाणिज्यिक बैंक काफी पीछे रहे।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित ऋण सुविधाओं का सिर्फ 10 प्रतिशत इन लोगों को मिल पाता था । राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की बैकों की शाखाओं का विस्तार हुआ लेकिन ग्रामीण शाखाओं की उत्पादकता का स्तर काफी कम रहा इससे इनकी लाभ प्रदता कम हुई ।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने अपनी साख नीति में महत्वपूर्ण परिर्वतन किये । नई नीति के अन्तर्गत बैंकों ने ऐसे व्यक्तियों और वर्गो के लिये जो अब तक साख सुविधाओं के अभाव में विकास नही कर पाते थे अनेक नई योजनाओ को जन्म दिया । साख नीति में परिवर्तनों का प्रभाव यह हुआ कि आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से लघु उद्योग, कृषि तथा आयात–निर्यात क्षेत्रों को बैंकों द्वारा अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मांनते हुये उनके लिये ऋण विस्तार विशेष योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। कृषि क्षेत्र में इन बैंको विशेषकर ग्रामीण बैंकों द्वारा विविध कृषिगत क्रियाओं के लिये अल्पावधि तथा दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना है ।

समाज के उपेक्षित वर्ग की दशा सुधारने के साथ–साथ पेशेवर उद्यमियों या छोटे–मोटे दस्तकारों को भी अपने धन्धे चलाने के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाता है । झुग्गी–झोपड़ी वासियों की सहायता और कल्याण के लिये भी इन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है । महिलाओं की अर्थ सक्षम परियोजनाओं के लिये सभी संभव सहायता दिये जाने के प्रावधान भी इन बैंकों के पास है ।

ग्रामीणों के लिये विशेष बैंक :

व्यावसायिक बैंकों द्वारा पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने के बावजूद भी सरकार ने यह महसूस किया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषकर भारतीय कृषि तथा ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योगों के तीव्र विकास के लिये तथा निर्धन वर्गो की ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिये विशेष बैंक खोले जायें । 1975 में सरकार ने श्री एम०नरसिम्हन की अध्यक्षता ने एक कार्यदल गठित किया और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त होने वाले ऋणों के बारे में जानकारी हासिल कर रिपोर्ट देने को कहा। इस कार्यदल का गठन करके सरकार ने एक तरह से यह बात स्वीकार की कि गाँवों के छोटे और सीमान्त किसानों दस्तकारों और अन्य जरूरतमन्द लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति नही हो रही है तथा यह भी महसूस किया गया कि अगर जरूरतमंद लोगों को संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है तो कर्ज देने के नियमों और शर्तो में बदलाव लाना होगा । वाणिज्यिक बैकों के तौर तरीके अपनाकर यह लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सकेगा । नरसिम्हन कार्यदल ने इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट दी । रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुये राज्यों के नियन्त्रण वाले ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया । रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहकारिताओं की तरह स्थानीय ग्रामीण समुदाय की जरूरतों की पूरी जानकारी होनी चाहिये । साथ ही उनमें वाणिज्यिक बैंकों की तरह आधुनिक दृष्टिकोण प्रबन्ध कौशल और धन जमा करने की क्षमता भी होनी चाहिये ।

नरसिम्हन समिति के आधार पर 26 सितम्बर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश जारी किया गया । तत्पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर 1975 को चयन किये गये कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सरकारी अथवा व्यापारिक सुविधाये बिल्कुल अपर्यापत थीं तथा जहाँ कृषि विकास के लिये आशातीत संभवनायें रही

थीं । ग्रामीण बैंको की स्थापना करने का शुभारम्भ हुआ । देश का सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सिन्डीकेंट बैंक के तत्वाधान में रजबपुर गाँव में खोला गया । इसका उद्घाटन करते हुये वित्त मंत्री श्री सुब्रहमनियम ने कहा था कि *"बैंक लोगों के लिये होंगे न कि लोग बैंक के लिए"* । इसके अलावा गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी , राजस्थान में जयपुर, पश्चिमी बंगाल में मालदा, सहित पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की स्थापना की गई । देश में ग्रामीण साख के क्षेत्र में यह एक अभिनव परिवर्तन था । 2 फरवरी 1976 से इस अध्यादेश के स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम लागू हुआ । इस अधिनियम में कहा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को ऐसे स्थानों पर खोला जाय जहाँ पर सहकारी बैकों की कार्य प्रणाली ठीक नही है । इसके अलावा अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैक पिछड़े इलाकों तथा बैंकिग सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में स्थापित किये जाय । इस प्रकार वाणिज्यिक बैकों तथा सहकारी बैको की ग्रामीण शाखाओं की श्रृंखला में यह एक नई कड़ी थी ।

ग्रामीण बैकिग में इस युगान्तकारी व्यवस्था का सूत्रपात चटगाँव विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रो० मुहम्मद युनुस ने किया । प्रो० मोहम्म्द युनुस ने अपनी जेब से 42 गरीब लोगों को 30 डालर का ऋण देकर शुरूआत की । आज बंगलादेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है । इसी कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश में अब तक 32 हजार गाँवो के 20 लाख लोगों को ऋण दिये जा चुके हैं । मजे की बात यह है कि इन लाभार्थियों में से 98 प्रतिशत महिलायें हैं । वहाँ की सरकार का मानना है कि वित्तीय प्रबन्धन के मामले में महिलायें पुरूषों की तुलना में कहीं अधिक गम्भीर होती हैं । बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक माह में औसत 2 करोड़ डालर का ऋण वितरित करता है । ग्रामीण बैंक ने बांग्लादेश में गरीब लोगों के आवास के लिये प्रति व्यक्ति 300 डालर तक का आवास ऋण उपलब्ध कराता है ।

बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक ऋण के मामले में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देता है जिनके पास 0.5 एकड या उससे भी कम उपजाऊ भूमि है । बैंक ने भूमिहीनों को ऋण देने का कार्यक्रम भी बनाया है तथा शर्त यह रख दी है कि ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों द्वारा बताये गये किसी उत्पादक कार्य में इस ऋण राशि का निवेश किया जायेगा और एक वर्ष के भीतर लाभ में से ऋण का भुगतान किया जायेगा ।

इस प्रकार ग्रामीण बैकिंग की शुरूआत करने वाला देश दो दशको में ऋण देने और वसूली के लिये मिशाल बन गया है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य :

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना का उद्देश्य एक मात्र ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के लिये साख उपलब्ध कराना है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अनुसार इसकी स्थापना का उद्देश्य है कि *"ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूर, दस्तकार एवं लघु व्यवसायी और इनसे सम्बन्धित अन्य व्यवसायों को साख एवं सुविधायें प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है ।"* 1976 के अधिनियम में वर्णित कार्य एवं उद्देश्य निम्नवत हैं ।

1. कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादक गतिविधियों में विनियोजन बढ़ाना ।
2. ग्रामीण, लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराकर उनका विकास करना।
3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना ।
4. संस्थागत साख का विस्तार करके ग्रामीण साख की खाई को पाटना है ।
5. गरीब लोगों को उपभोग के लिये ऋण उपलब्ध कराना ।
6. बैंकिग का विकास कर ग्राम वासियों को महाजनों एवं सूदखोरों पर से निर्भरता कम करना ।

7. पिछड़े, दूर–दराज के आदिवासी बाहुल्य वाले इलाकों में व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है ।

8 निर्धन ग्रामीणो में बैंकिंग की भावना पैदा करना तथा बचत की आदत डालना है।

9. ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के लघु सीमान्त कृषको, भूमिहीन कृषि मजदूरों एवं ग्रामीण दस्तकारों जैसे – लक्षित समूह की साख आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनकी गरीबी दूर करना ।

10. इन बैकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना ।

इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अपने कमान क्षेत्र से साधन संग्रह कर उसी क्षेत्र में संसाधनो का फैलाव मुख्यतः उत्पादक उददृश्यों के लिए करने हेतु स्थापित किये गये हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र एक राज्य के एक से पांच जिलों तक सीमित होता है । इसके बाहर ये बैंक कार्य नही कर सकते है । इनकी स्थिति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तरह है । जिसका प्रयोजन सहकारी अथवा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है ।

क्रमांक	***क्षे० ग्रा० बैंक का नाम***	***स्थान व राज्य का नाम***	***प्रायोजक बैंक का नाम***
1.	प्रथमा बैंक	मुरादाबाद – उ० प्र०	सिन्डीकेंट बैंक
2.	गोरखपुर क्षे० ग्रा० बैंक	गोरखपुर – उत्तर प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक
3.	हरियाण क्षे० ग्रा० बैंक	भिवानी – हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक
4.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	लांवण – राजस्थान	यूनाईटेड कार्मशियल बैंक
5.	गौंण ग्रामीण बैक	माल्दा – प० बंगाल	यू० बैंक ऑफ इण्डिया

स्रोत –बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ ।

बैंक की पूँजी :

भारत के राष्ट्रपति के ओर से 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जिसका शीर्षक 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश 1975' (The Regional Rural Bank Ordinance 1975) था, जारी किया गया । इसके अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूँजी 1 करोड़ रूपये निर्धारित की गयी और प्रदत्त पूँजी 25 लाख ही रखी गयी । मार्च 1990 तक भारत सरकार की मंजूरी से 196 ग्रामीण बैंकों मे से 194 बैंको की प्रदत्त पूँजी बढ़ाकर 50 लाख कर दी गयी । जून 1996 के अन्त में 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से प्रत्येक की चुकता पूँजी एक करोड़ रूपये हो गयी थी तथा 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रदत्त पूँजी 75 लाख रूपये से अधिक तथा एक करोड़ से कम थी । 107 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रत्येक की प्रदत्त पूँजी 75 लाख रूपये तथा शेष 30 बैकों की 75 लाख रूपये से कम थी परन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की प्राधिकृत पूँजी 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये तथा प्रदत्त पूँजी 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गयी थी लेकिन प्रदत्त पूँजी को समय–समय पर बढ़ाया जाता रहा है । साझा पूँजी में 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार 15 प्रतिशत भाग राज्य सरकार तथा 35 प्रतिशत प्रायोजिक बैंक का अनुपात होता है ।[1]

बैंक का प्रबन्धन :

बैंक का प्रबन्धन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके 9 सदस्यीय संचालक होते हैं जिनमें से 6 सदस्य केन्द्रीय सरकार 1 सदस्य राज्य सरकार तथा 2 सदस्य प्रायोजक बैंक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । संचालक मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है । इस संचालक मंडल को समय–समय पर

स्रोत 1 - मुद्रा, बैंकिग एवं अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार - सेठी०टी०टी०, पृष्ठ 474

निगमित सरकारी आदेशों का पालन करना होता है । रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने इन बैकों को अनुसूचित बैंक मानकर अपनी दूसरी अनुसूची में अंकित कर लिया है परंन्तु रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा – 1(क) के उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है । इसके अनुसार इन बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 25 प्रतिशत तरल रूप में रखना पड़ता है और कुल मांग एवं समय दायित्वों का 3 प्रतिशत ही रखना पड़ता है ।[2]

शेयर पूँजी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों से संबन्धित कार्यदल की सिफारिशें :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों से सम्बन्धित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शेयर पूँजी से 50 लाख रूपये की बढोतरी के लिये मंजूरी दी । इस मंजूरी से 196 ग्रामीण बैंकों में से 194 की चुकता पूँजी बढ़कर 50 लाख हो गयी है ।[3]
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के लिये गठित भारत सरकार ने 1990-91 के दौरान 80 क्षेत्रीय ग्रामीाण बैको की शेयर पूँजी को 50 लाख रूपये से बढ़ाकर 75 लाख रूपये कर दिया ।[4]
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने 1991-92 में 83 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की निर्गमित शेयर पूँजी 50 लाख रूपये से बढ़ाकर 75 लाख रूपये कर दी गयी ।[5]

स्रोत 2 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण, पाण्डेय, श्याम कृष्ण, पृष्ठ, 68

3 - भारत में बैंकिग की प्रवृति एवं प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट, 1989-90, पृष्ठ, 57

4 - भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटन, अप्रैल, 1992 (परिशिष्ट) पृष्ठ, 58

5 - भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटन, जनवरी, 1993 (परिशिष्ट) पृष्ठ, 45

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1993-93 के दौरान 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की 50 लाख निर्गमित शेयर पूँजी से 75 लाख रूपये और 20 अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको मे से प्रत्येक के लिये 75 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये की वृद्धि को अनुमोदित कर दिया ।[6]

क्षेत्रीय ग्रामींण बैंक (संशोधन) बिल 1987 :

श्री एस०एम०केलकर की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिल 1987 द्वारा संशोधन किया गया । यह संशोधन 28 सितम्बर 1988 से लागू हुआ । संशोधन में निम्न को शामिल किया गया ।

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्राधिकृत पूँजी 1 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये तथा चुकता अंश पूँजी 25 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये कर दी गयी है ।
2. प्रयोजक बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे समय–समय पर अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति की निगरानी करें, उनका निरीक्षण तथा उनकी आन्तरिक लेखा परीक्षा करें एवं उनकी सुरक्षा की जाँच करें और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को सुधारात्मक उपाय सुझायें ।[7]
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रायेाजक बैंक द्वारा राष्ट्रीय बैंक से परामर्श करके की जायेगी ।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के समामेलन के सम्बन्ध में ही संशोधित अधिनियम में प्रावधान किया गया है । राष्ट्रीय बैंक द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक से विचार विमर्श करके 2 या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन किया जा

स्रोत 6 - भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटेन, मई, 1994 (परिशिष्ट), पृष्ठ, 44

स्रोत 7 - भारत में बैंकिग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट, 1987-88, पृष्ठ, 89

सकता है । इस तरह का समामेलन करते समय लोकहित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सेवित क्षेत्र के विकास तथा स्वयं ग्रामीण बैंको के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यो के बारे में प्रायोजक बैंको को और बड़े उत्तरदायित्व सौपें गये हैं । अंश पूँजी में अंशदान करने के साथ–साथ वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रथम 5 वर्ष कार्यकाल के दौरान उन्हें प्रबन्धात्मक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके और उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में उनकी सहायता करेंगें ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित विभिन्न समितियाँ तथा उनकी सिफारिशें :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित कार्यकारी दल (नरसिम्हन समिति 1975) :

इस समिति की निम्न सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं ।

1. पुर्न वित्त सुविधा सस्ते दर पर उपलब्ध करायें ।
2. प्रायोजक बैंक प्रति नियुक्त स्टॉफ का खर्च स्वये वहन करें ।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्टॉफ प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था करें ।[8]

2. दाँत वाला समिति (1977) The dantwala Committee (1977) :

वर्ष 1977 में केन्द्र सरकार के परिवर्तन के बाद पहली बार उनकी उपयोगिता की जाँच हेतु दाँत वाला कमेटी गठित की गयी । दाँत वाला समिति ने इन बैंकों के

स्रोत 8 - कुरूक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ, 15

प्रयासों तथा क्षमताओं की प्रशंसा की तथा यह विश्वास व्यक्त किया कि व्यवसाय का स्तर बढ़ने के साथ ही इनकी लाभ प्रदता का संकट भी समाप्त हो जायेगा, समिति ने यह भी कहा कि बैंको का प्रसार विशेष रूप से साख रहित बैंक क्षेत्र मे किया जाय तथा 60 प्रतिशत ऋण लघु कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों और अन्य ग्रामीण निर्धनों को दिया जाय ।[9]

3. केलकर समिति (1986) Kelkar Committee (1986) :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद केन्द्र सरकार ने केलकर समिति का गठन किया जिसने इन बैंकों की कार्य प्रणाली की कड़ी समीक्षा की तथा इनके प्रबन्ध और व्यावर्हायता सम्बन्धी अनेक पहलुओं पर अपने सुझाव दिये । यह रिपोर्ट सरकार को 10 मार्च 1986 को प्राप्त हुई जिसके आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संधोधन) एक्ट 1987 को मंजूरी दी गई लेकिन तब तक 196 ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आ चुके थे । इसके बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रृंखला को विराम लग गया, जो कि अभी तक बरकरार है । इसके अतिरिक्त प्रायोजक बैंक को अपना अंशदान बढ़ाने, पुर्न वित्त सहायता निम्न दर पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया । क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के समामेलन के सम्बन्ध में यह प्रावधान किया गया कि नाबार्ड, सम्बन्धित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक से विचार विमर्श करके 2 या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन किया जा सकता है । इस तरह समामेलन करते समय लोकहित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सेवित क्षेत्र के विकास तथा स्वयं ग्रामीण बैंकों के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

4. खुशरो समिति (1989) Khusro Committee (1989) :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को संगठनात्मक समस्याओं पर विचार करने के लिये 1989 में डॉ० ए०एम०खुशरो की अध्यक्षता में कृषि साख सर्वेक्षण समिति गठित की गयी । इस

स्रोत 9 - कुरूक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ , 15

समिति ने विभिन्न पहलुओं जैसे – खराब वसूली प्रबन्धकीय तथा स्टॉफ की समस्यायें, ह्रसित लाभ प्रदता आदि का अध्ययन करने के पश्चात इन बैंको का प्रायेाजक बैकों में विलय का सुझाव दिया ।[10]

5. नरसिम्हन समिति (1991) :

नरसिम्हन समिति की सिफारिश थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण सह इकाइयों की स्थापना की जाय जो बैकों की ग्रामीण शाखाओं को अपने अधिकार में ले लें, समिति ने इस बात का विकल्प क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनके प्रायोजक बैंक पर छोड़ दिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी पहचान बनाये रखे अथवा प्रायोजक बैकों की ग्रामीण बैंकिग सह इकाइयों के साथ स्वैच्छिक आधार पर मिल जाय ।[11] इसके साथ समिति ने यह भी कहा कि स्वतंत्र रहने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति दी जाय, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि बैंकिग प्रणाली की इस प्रकार से पुर्नसंरचना करना, जिसमें 3 या 4 अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के बड़े बैंक हों, 8 से 10 राष्ट्रीय बैंक हों, जिनकी शाखाये सारे देश में विश्व व्यापी बैकिंग कारोबार करें, स्थानीय बैंक हों जिनके कारोबार सामान्यतयः विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित हों और ग्रामीण बैक जिनके कारोबार ग्रामीण क्षेत्रो तक सीमित हों । समिति ने यह भी कहा कि बैंक के तुलन पत्रों में पारदर्शिता प्रदान करना और उनमें पूर्णप्रकटीकरण की व्यवस्था करना ।

स्रोत 10 - कुरूक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ, 24

11 - कुरूक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ, 25

6. नाबार्ड तथा भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सन्दर्भ में उपाय :

1. जिन 70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की संवितरण राशि 1992-93 के दौरान 2 करोड़ रूपये से कम थी उन्हें सेवा क्षेत्र दायित्वों से मुक्त करना ।
2. 1992-93 में पूर्व अनुमति नये उधार के 40 प्रतिशत के उनके गैर लक्ष्य समूह वित्त पोषण को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना ।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को नुकसान पहुंचाने वाली मौजूदा शाखाओं का स्थान बदलकर उन्हें विकासखण्ड/जिला मुख्यालय की मंडियों/कृषि उत्पादन केन्द्रों जैसी नई जगहों पर स्थापित करना तथा उन्हें विस्तार काउंटर खोलने की छूट देना ।
4. उनके कार्य कलापों में वृद्धि तथा गहनता लाना ताकि गैर निधिक व्यवसाय जैसे प्रेषण और बट्टे पर भुनाने की सुविधा शामिल हो सके ।[12]

7. भण्डारी समिति (1994) Bhandari Committee (1994) :

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के बजट में की गयी इस आशय की घोषणा कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 का पुनरूद्धार और पुर्नगठन किया जायेगा, के अनुशरण में पुर्नगठन हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अभिनिर्धारण करने के लिये डॉ० एम०सी०भण्डारी मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की गई । यह देखते हुए कि उक्त समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्तीय सुदृता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अभिनिर्धारण किया है। भारत सरकार ने 50 में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का पुर्नगठन करने के लिये समिति की संस्तुति को स्वीकार कर लिया है ।

स्रोत 12 - मुद्रा, बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार - सेठी, टी०टी०, पृष्ठ, 476

8. सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिये पूँजी पर्याप्तता की शर्मा समिति की संस्तुति (जनवरी 1998) :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैकों के प्रति नाबार्ड (NABARD) की देख–रेख सम्बन्धी भूमिका की समीक्षा के लिये गठित शर्मा समिति ने इन बैकों के लिये भी पूँजी पर्याप्तता मानक लागू करने की संस्तुति की है । रिजर्व बैंक के भूतपूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर यू०के० शर्मा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन जनवरी 1998 में किया गया । 27 अप्रैल 1998 में सौपें गये प्रतिवेदन में समिति ने कहा है कि ग्रामीण साख का 60 प्रतिशत से अधिक भाग का वितरण इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जायेगा किन्तु परिसम्पत्तियों के ह्रास के कारण वर्तमान में अधिकांश सहकारी बैकों के पास 1 लाख रूपये व क्षेत्रीय बैंकों के पास न्यूनतम पूँजी 5 लाख रूपये भी नही है । समिति ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक के माध्यम से इन बैंकों के पुर्नपूँजीकरण की एक योजना भी प्रस्तुत की । समिति ने सहकारी बैंकों के लिये 6600 करोड़ रूपये की प्रस्तावित सहायता के वितरण में तेजी लाने की संस्तुति की है ताकि मार्च 1999 तक यह बैंक 4 प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता के स्तर को प्राप्त कर सके ।

इन बैंको के कार्यकलापों पर निगरानी के लिये शर्मा समिति ने नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्वायत्त बोर्ड ऑफ सुपरविजन गठित करने की संस्तुति की है । सहकारी बैंकों की भूमि भवनों व अन्य भू–सम्पतियों के लेखे–जोखे का नियमित निरीक्षण करने की भी संस्तुति की है तथा यह भी कहा कि प्राथमिक ऋण समितियों की निगरानी का जिम्मा नाबार्ड पर न छोड़ा जाय ।[13]

Source 13 - Deposit Mobilisation by R.R.Bs - Pandey, Shyam Krishna

बैंक खातों का संचालन (Opereation of Bank Accounts) :

अन्य वाणिज्यिक बैंको की तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी विभिन्न प्रकार के खातो का संचालन करता है । इनमें से मुख्य खाते निम्न प्रकार है :– सावधि जमा खाता, बचत खाता, चालू खाता तथा आवर्ती जमा खाता इत्यादि ।

1. सावधि जमा खाता (Fixed Deposit Acoounts) :

किसी निश्चित अवधि के लिये धन जमा करने के लिये खोले गये खाते को सावधि जमा खाता कहा जाता है । यह खाता प्रायः ऐसे व्यक्तियों द्वारा खोला जाता है जो अपने धन पर अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं तथा किसी प्रकार की जोखिम भी नहीं लेना चाहते । इन खातों में जमा की अवधि कम से कम 45 दिन की होती है । प्रायः इस प्रकार की जमायें 3 माह, 6 माह, 12 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष तथा इससे ऊपर की अवधि के लिये होती है । इस खाते में निश्चित अवधि से पहले न तो रूपया निकाला जा सकता और न ही इसमें जमा किया जा सकता है । इस प्रकार की जमा राशि को बैंक की काल देनदारी कहा जा सकता है ।

सावधि जमा खाते पर ब्याज की दर :

क्रमांक	*16.8.2002 की स्थिति*	*ब्याज की दर प्रति वर्ष*
1.	15 दिन से 29 दिन तक	5 प्रतिशत
2.	30 दिन से 45 दिन तक	5.25 प्रतिशत
3.	46 दिन से 1 वर्ष तक	6.25 प्रतिशत
4.	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	7.25 प्रतिशत
5.	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	7.50 प्रतिशत
6.	3 वर्ष से अधिक	8 प्रतिशत

2. बचत बैंक खाता (Saving Bank Accounts) :

छोटी बचत वाले लोगों को के लिये बचत खाते अधिक उपयुक्त होते हैं । ये लोग थोड़ी–थोड़ी बचत करके ऐसे बचतकर्ता अपने खाते में जमा करते रहते हैं । इस प्रकार के खाते में सप्ताह में कई बार रकम जमा की जा सकती है परन्तु एक या दो बार से अधिक सप्ताह में रकम नहीं निकाली जा सकती है लेकिन एक वर्ष में सौ बार तक रकम निकाली जा सकती है । निर्धारित सीमा से अधिक रूपया निकालने पर बैंक को पहले से सूचना देनी होती है । इस तरह के खातों में सावधि जमा खाते से कम ब्याज दिया ज़ाता है । बचत बैंक खाता में वर्तमान समय में 4 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है ।

3. चालू खाता (Current Accounts) :-

चालू खाता माँग निक्षेपों जाना जाता है । इस प्रकार के खाते में जमाकर्मा दिन में जितनी बार चाहे रूपया जमा कर सकता है और निकाल सकता है । इस खाते में जब तक रूपया जमा रहता है बैंक चेक द्वारा भुगतान करने के लिये बाध्य है। चालू खाते सामान्यतः व्यापारियों, साझेदारी फर्मो, औद्योगिक संस्थानों द्वारा खोले जाते हैं । चालू खाते में जमा राशि पर बैंक ब्याज नही देते बल्कि कुछ बैंक तो जमाकर्ता से कुछ सेवा व्यय भी वसूल करते हैं । चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान करते हैं ।

4. आवर्ती जमा खाता (Recurring Deposit Accounts) :-

आवर्ती जमा खाता बचत खाते तथा सावधि जमा खाते का मिला हुआ रूप है । यह खाता छोटी धनराशि से खोला जा सकता है परन्तु नियमित रूप से मासिक एक निश्चित धनराशि जमा करना आवश्यक होता है । यह खाता 5 रूपया या उससे गुणित में खोला जा सकता है । जितने रूपये का खाता खोला जाता है उतनी ही राशि किस्त

के रूप में खाते में जमा करनी आवश्यक होती है । यदि किस्त को अन्तिम तिथि तक जमा करने में त्रुटि हो जाती है तो अगली किस्त मे अतिरिक्त राशि के प्रभार के साथ उसे जमा किया जा सकता है । आवर्ती खाते विभिन्न अवधियों के लिये खोले जाते हैं । सामान्यतः कम से कम छः माह के लिये और अधिक से अधिक 10 वर्ष के लिये ऐसे खाते खोले जा सकते हैं । इस खाते में ब्याज की दर बचत खाते से कुछ अधिक होती है ।

तालिका 3.1 क्षेत्रीण ग्रामीण बैंकों की प्रगति :

क्रमांक	*अवधि की समाप्ति पर*	*क्षे० ग्रा० बैंको की संख्या*	*क्षे०ग्रा० बैंकों के अन्तर्गत जिले*	*शाखाओं की संख्या*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	दिसम्बर 1975	6	12	17
2.	दिसम्बर 1980	85	144	3279
3.	दिसम्बर 1985	188	333	12606
4.	मार्च 1990	196	372	14443
5.	मार्च 1993	196	398	14543
6.	मार्च 1995	196	425	14509
7.	मार्च 1996	196	427	14497
8.	जून 1997	196	435	14500
9.	मार्च 1998	196	442	14461
10.	मार्च 1999	196	448	14475
11.	मार्च 2000	196	451	14517
12.	मार्च 2001	196	451	14456

स्रोत 1 – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण – पाण्डेय, श्याम कृष्ण

2 – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सांख्यिकी मार्च 1998, 99, 2000, 2001 ।

1. बैंको का प्रसार :

उपरोक्त तालिका से परिलक्षित होता है कि दिसम्बर 1975 में जहाँ केवल 6 ग्रामीण बैंक स्थापित थे जो 1985 में बढ़कर 188 हो गये । इस प्रकार 1975 से 1985 के बीच बैंकों की संख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुई और ग्रामीण बैकों के लिये यह एक स्वर्णिम काल था । जून 1987 से अगस्त 2002 तक बैकों की संख्या 1996 तक अपरिवर्तित रही।[14] वर्तमान समय में दिल्ली, सिक्किम, चडीगढ़ अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरानागर हवेली, दमन और दीव, लक्ष्य द्वीप तथा पांडिचेरी आदि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशो को छोड़कर अन्य सभी राज्यों बैंक स्थापित किये गये हैं ।

2. आच्छादित जिलों की संख्या :

दिसम्बर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के अन्तर्गत केवल 12 जिले थे । जबकि मार्च 96 में इनकी संख्या 427 हो गयी । नये जिले बनने के फलस्वरूप इनकी संख्या जून 1997 में 435 हो गयी तथा मार्च 2002 में बढ़कर इन जिलों की संख्या 451 हो गई। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के अन्तर्गत जिलों में बढोतरी हो रही है । जबकि नये ग्रामीण बैकों को नही खोला जा रहा है ।

3. शाखा प्रसार :

तालिका से स्पष्ट है कि दिसम्बर 1975 की अपेक्षा दिसम्बर 1980 में शाखाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है । जून 1997 तक देश में कुल 14500 शाखायें कार्य करने लगी थी जबकि मार्च 2000 में इनकी शाखायें 14517 हो गयी थी । वर्ष 1998, 1999 में इसकी शाखाओं में कमी आ गई थी । इसके बादवर्ष 2001 में इसकी शाखायें

स्रोत 14 - केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार

कम होकर 14456 रह गयी हैं । शाखाओ की संख्या में कमी होने का कारण है कि कुछ शाखायें ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक घाटे में चल रही थी क्योंकि वे क्षेत्र इतने पिछड़े हुयें हैं कि जिससे उनके ऋणों की वसूली भी नही हो पाती थी । जिससे उनको मुख्य शाखा से उधार लेना पड़ता था । बाद में इन शाखाओं को बन्द करने का निर्णय लिया गया । मार्च 2001 तक सर्वाधिक शाखायें 86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं ।

तालिका 3.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा/ऋण प्रगति का वि०:

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	अवधि की समाप्ति पर	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात(प्रति०)
1	2	3	4	5
1.	दिसम्बर 1975	20	10	50
2.	दिसम्बर 1980	19983	24338	122
3.	दिसम्बर 1985	128582	140767	109
4.	मार्च 1990	415052	355404	86
5.	मार्च 1993	693813	462673	67
6.	मार्च 1995	1115001	629096	56
7.	मार्च 1996	1418790	750502	53
8.	मार्च 1997	1732740	865241	50
9.	मार्च 1998	2218222	975858	44
10.	मार्च 1999	2676304	1128150	42
11.	मार्च 2000	3219693	1318595	41
12.	मार्च 2001	3827778	1581489	41

स्रोत 1 – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सांख्यिकी मार्च 1996 से 2001 तक ।

जमा संग्रहण :

इन बैंकों ने ग्रामीण जमा संग्रह में प्रमुख भूमिका निभायी है। ये बैंक अपने कमान क्षेत्र के अतर्गत निष्क्रिय पड़ी पूँजी को संग्रह कर ग्रामीण विकास में विनियोजित करते हैं। अनुमानतः 75% जमा इन बैंकों के अभाव में किसी भी बैक को प्राप्त नहीं होती और या तो बेकार पडी रहती है या अनुत्पादक कार्यो में लगायी जाती हैं । दिसंबर 1975 में कुल जमा धनराशि 20 लाख रूपये थी जबकि दिसंबर 1980 में बढ़कर 19983 लाख रूपये हो गयी । इस प्रकार 5 वर्षो में रिकार्ड वृद्धि हुई है। जून 1997 तक सकल जमा राशि बढ़कर 1732740 लाख रूपये हो गयी तथा मार्च 2001 में यह राशि बढ़कर 3827778 लाख रूपये हो गयी है जो कि 1980 की अपेक्षा 19155.17 % की वृद्धि दर्शाती है। इस बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों मे बचत की भावना पैदा हो गयी है।

ऋण की राशि :

तालिका 3.2 से स्पष्ट है कि बैंकों के द्वारा दिये गये ऋणों में भारी वृद्धि हुई है । दिसंबर 1975 में बैकों ने केवल 10 लाख रूपये का ऋण वितरण किया जबकि दिसंबर 1980 में 24,338 लाख रूपये प्रदान किये गये जो एक रिकार्ड वृद्धि को दर्शाता है। जून 1997 में कुल ऋणों की राशि बढ़कर 8,65,241 लाख रूपये हो गयी और मार्च 2001 में 15,81,489 लाख रूपये रूपये ऋण के रूप में वितरित किये गये। जो कि 1980 की अपेक्षा 6,498.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से पता चलता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित किये गये थे वे अपने उद्देश्यों में सफल होते दिखायी पड़ रहे हैं।

ऋण - जमा अनुपात :

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दिसंबर 1975 में ऋण जमा अनुपात 50% था जो 1980 तथा 1985 में 122 तथा 109% रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंकों ने भारी मात्रा में ऋण प्रदान किया इसके बाद निरंतर ऋण जमा अनुपात में कमी हुई है तथा जून 1997 में 50% था जो कि 2001 में घटकर 41% रह गया।

तालिका 3.3 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की औसत प्रति बैंक/शाखा का जमा/ऋण प्रगति का विवरण :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	*अवधि समाप्त पर*	*औसत प्रति क्षे०ग्रा०बैंक जमा*	*औसत प्रति क्षे०ग्रा०बैंक ऋण*	*औसत प्रति शाखा जमा*	*औसत प्रति शाखा ऋण*
1.	दि० 1975	3.33	1.67	1.18	0.59
2.	दि० 1980	335.09	286.33	6.09	7.42
3.	दि० 1985	683.95	748.76	10.20	11.17
4.	मार्च 1990	2117.61	1813.29	28.74	24.61
5.	मार्च 1993	3539.86	2360.58	47.71	31.81
6.	मार्च 1995	5688.78	3209.09	76.85	43.36
7.	मार्च 1996	7238.72	3829.09	97.87	51.77
8.	मार्च 1997	8840.51	4414.49	119.49	59.67
9.	मार्च 1998	11317.46	4978.87	153.39	67.48
10.	मार्च 1999	13654.61	5755.87	184.89	77.94
11.	मार्च 2000	16427.01	6727.53	221.79	90.83
12.	मार्च 2001	19529.48	8068.82	264.79	109.40

स्रोत तालिका 1 और 2 पर आधारित

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंकों की औसत प्रति बैंक जमा तथा ऋण और प्रति शाखा जमा तथा प्रति शाखा ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है । दिसम्बर 1975 में प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा 3.33 लाख रूपये था जो जून 1997 में बढ़कर 8840.51 हो गया तथा मार्च 2001 में 19529.48 लाख रूपये जमा किये गये । जो कि एक रिकार्ड वृद्धि 586470.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । इसी प्रकार मार्च 2001 में दिसम्बर 1975 की अपेक्षा प्रति बैंक ऋण 483162.87 प्रतिशत दर्शाता है । प्रति शाखा जमा दिसम्बर 1975 की अपेक्षा मार्च 2000 में 22439.83 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि प्रति शाखा ऋण दिसम्बर 1975 में 0.59 लाख रूपये था जो मार्च 2001 में बढ़कर 109.40 लाख रूपये प्रति शाखा हो गया जो 1975 की तुलना में 2001 में 18542.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

तालिका 3.4-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जमा, ऋण क्षेत्र/राज्यवार ग्रामीण क्षेत्र का विवरण, 31 मार्च 2002 :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	क्षेत्र/राज्य का नाम	क्षे०ग्रा० बैंक की शाखाएं	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण-जमा अनुपात
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तरी क्षेत्र	1672	444972 (14.69)	178877 (13.56)	40.20
2.	उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र	539	112583 (3.72)	40477 (3.07)	35.95
3.	पूर्वी क्षेत्र	3116	811623 (26.79)	277640 (21.05)	34.21
4.	मध्य क्षेत्र (उ०प्र०सहित)	3887	1075628 (35.50)	357548 (27.11)	33.24
5.	उत्तर प्रदेश	2650	826836 (27.29)	269323 (20.42)	32.57
6.	पश्चिमी क्षेत्र	805	153398 (5.06)	85338 (6.47)	55.63
7.	दक्षिणी क्षेत्र	2012	431725 (14.25)	379240 (28.75)	87.84
	योग	**12031**	**3029929**	**1319120**	**43.54**

स्रोत – रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की बेवसाइड ।

उपर्युक्त तालिका 3.4 से स्पष्ट है कि सबसे अधिक शाखाएं 31 मार्च 2002 को 3887 मध्य क्षेत्र में स्थिति थी जो कुल ग्रामीण शाखाओं का 32.31 प्रतिशत थी । मार्च 2002 में कुल ग्रामीण शाखाओं की संख्या 12031 थी । सबसे कम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक की शाखाए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 539 थी जो कुल शाखाओ का 4.48 प्रतिशत थी । इसी प्रकार सबसे अधिक जमा मध्य क्षेत्र में कुल जमा का 35.5 प्रतिशत था तथा सबसे कम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मात्र 3.72 प्रतिशत ही हो पाया । मार्च 2002 में दक्षिणी क्षेत्र में अग्रिम 3,79,240 लाख रूपये जो कुल अग्रिम 13,19,120 लाख का 28.75 प्रतिशत वितरित किया गया और सबसे कम 40,477 लाख रूपये कुल ऋणों का 3.07 प्रतिशत ही प्रदान किया गया । इस प्रकार मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक शाखाएं है लेकिन ऋण वितरण के मामले में क्षेत्र का द्वितीय स्थान है अगर प्रदेश को देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा उसकी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गयी है जो कि कुल शाखाओं का 22.03 प्रतिशत शाखाएं प्रदेश में कार्य कर रही है तथा इन बैकों ने कुलो ऋणों का उत्तर प्रदेश में 20.42 प्रतिशत ऋणों का (31 मार्च 2002 के अनुसार) वितरण किया है । इससे यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और समय से उनकों ऋणों की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

तालिका - 3.5 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजनवार ऋण और अग्रिम का संवितरण :

(धनराशि

क्रमांक	विवरण	1982	1985	1990	1992	1994	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अल्पकालीन फसल ऋण	108.64 (18.83)	264.16 (18.77	615.52 (17.32)	678.78 (16.59)	886.67 (16.88)	1115.09 (17.73)	1308.25 (17.43)	1631.70 (18.72)
2.	कृषि और उससे सम्बन्धित मीयादी ऋण	238.20 (41.27)	551.40 (39.17)	122.51 (34.30)	1305.48 (31.91)	1673.10 (31.85)	1893.84 (30.10)	2158.26 (28.76)	2346.90 (27.67)
3.	ग्रामीण शिल्पी, ग्रामीण रोजगार और कुटीर उद्योग	30.63 (5.31)	79.90 (5.68)	276.47 (7.78)	349.01 (8.53)	443.79 (8.45)	523.29 (8.32)	586.40 (7.81)	672.18 (7.71)
4.	खुदरा व्यापार और स्वनियोजन	124.70 (21.61)	366.00 (26.00)	1051.72 (29.59)	1219.15 (29.80)	1368.82 (26.06)	1555.21 (24.72)	1836.39 (24.47)	1972.3 (22.62)
5.	उपभोग ऋण	2.62 (0.45)	10.90 (0.77)	54.15 (1.52)	40.13 (0.93)	108.03 (2.06)	181.87 (2.89)	257.87 (3.44)	381.07 (4.57)
6.	अन्य प्रयोजन	46.91 (8.73)	101.85 (7.24)	289.97 (8.16)	459.56 (11.24)	739.27 (14.07)	988.87 (15.72)	1323.37 (17.63)	1533.44 (17.74)

क्रमांक	विवरण	*1982*	*1985*	*1990*	*1992*	*1994*	*1995*	*1996*	*1997*
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
7.	कुल कृषीत्तर ऋण	25.41 (4.40)	33.46 (2.37)	43.71 (1.23)	38.74 (0.95)	33.33 (0.63)	32.80 (0.52)	34.54 (0.46)	49.16 (0.57)
8.	कुल ऋण	577.11 (100.00)	1407.67 (100.00)	3554.04 (100.00)	4090.86 (100.00)	5253.02 (100.00)	6290.96 (100.00)	7505.02 (100.00)	8652.41 (100.00)

स्रोत – योजना (अंग्रेजी संस्करण), मार्च 2001, पृष्ठ, 42

नोट – कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल ऋण का प्रतिशत है ।

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि वर्ष 1982 में कुल कृषि ऋण 60.10 प्रतिशत तथा ग्रामीण शिल्पकार व कुटीर उद्योग व्यापारियों को 26.92 प्रतिशत ऋण दिया गया । जबकि 1998 में कुल कृषि ऋण 47.49 प्रतिशत (12.61 प्रतिशत की कमी) तथा गैर कृषि 31.68 प्रतिशत (4.76 प्रतिशत की वृद्धि) ऋण एवं अग्रिम प्रदान किये गये । इस प्रकार निर्धन ग्रामीणों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर आय को बढ़ाया जा सकता है ।

उपर्युक्त तालिका के आँकड़े 1982 से लेकर 1998 तक ही प्राप्त हो सके हैं इसके बाद के वर्षों के आँकड़े उपलब्ध नही हो पाये हैं ।

तालिका 3.6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली निष्पादन :

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*माँग*	*वसूली*	*शेष*	*माँग से वसूली की प्रतिशत*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	1993	2726.65	1123.49	1603.16	41.20
2.	1994	3159.95	1460.85	1699.10	46.20
3.	1995	3669.07	1870.36	1798.71	51.00
4.	1996	4426.88	2439.18	1987.70	55.10
5.	1997	5503.29	3143.08	2360.21	57.10
6.	1998	5884.99	3556.95	2382.04	60.44
7.	1999	6936.86	4445.98	2490.88	64.09
8.	2000	8688.47	5918.68	2769.79	68.12

स्रोत – वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 1999-2000, पृष्ठ, 128

तालिका 3.6 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वसूली के स्तर में 1992-93 से 1999-2000 के वर्षो मे निरन्तर सुधार हुआ है । मांग से वसूली का प्रतिशत 1992-93 में 41% था । यह 1999-2000 में बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया । वसूली की राशि 1992-93 में 1123 करोड़ रूपये थी जो कि 1999-2000 में बढ़कर 5919 करोड़ रूपये हो गयी है । इससे स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋणों की वसूली में तत्परता दिखायी है तथा वसूली में निरन्तर सुधार हुआ । तालिका को देखने से पता चला कि वसूली के प्रतिशत में प्रत्येक वर्ष सुधार होता गया है जिससे बैंक लाभ की स्थिति में पहुंच गये हैं । वर्तमान समय में अधिकांश बैंक घाटे से उबरकर लाभ कमा रहे हैं । कुछ ही बैंक शेष रह गये जो हानि की स्थिति में है । सरकार हानि अर्जित करने वाले बैंकों की शाखाओं को लाभ की स्थिति में लाने के लिए अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थान्तरण किया जा रहा है ।

तालिका 3.7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गैर निष्पादनीय सम्पतियाँ तथा वसूली का प्रतिशत :

क्रमांक	*वर्ष*	*गैर-निष्पादन सम्पतियाँ (NPAs)*	*वसूली प्रतिशत (पिछले वर्ष की)*
1	*2*	*3*	*4*
1.	1996	43.1	46.66
2.	1997	36.8	51.57
3.	1998	32.8	56.62
4.	1999	27.97	60.56
5.	2000	22.58	63.97
6.	2001	18.00	69.00

स्रोत –1. भारत बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 1998-99, पृष्ठ, 84

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों से सम्बन्धित सांख्यिकी 1998, 99, 2000, 2001

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1996 में 43.1 प्रतिशत गैर निष्पादन सम्पतियाँ थी जो कि वर्ष 2001 में घटकर 18 प्रतिशत रह गयी । इसका प्रमुख कारण है कि 1996 में ऋणों की वसूली 46.66 प्रतिशत थी । वसूली कम होने के कारण गैर निष्पादन सम्पतियों के प्रतिशत में बढोत्तरी हुई है । जैसे–जैसे वसूली का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, गैर निष्पादन सम्पतियों में कमी होती आ रही है इससे स्पष्ट है कि वसूली जितनी अधिक होगी, गैर निष्पादन सम्पतियाँ कम हो जायेगी तथा विकास का मार्ग प्रशस्त्र होगा ।

तालिका 3.8 उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण वितरण, गैर-निष्पादन सम्पतियाँ व वसूली का प्रतिशतः

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*कुल ऋण एवं अग्रिम*	*विगत वर्ष में वृद्धि (प्रतिशत)*	*गैर-निष्पादन सम्पतियां (प्रतिशत)*	*वसूली का प्रतिशत (विगत वर्ष की)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	1998	187300.60	--	39.53	53.18
2.	1999	223217.86	19.18	35.67	55.26
3.	2000	254164.82	13.86	31.14	56.27
4.	2001	302745.00	19.11	27.00	60.00

स्रोत –क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित संख्यिकी, 1998, 1999, 2000, 2001

तालिका 3.8 से स्पष्ट है कि 1998 में 187300.60 लाख रूपये का ऋण वितरण किया था जो 2001 में बढ़कर 302745 लाख रूपये का ऋण प्रदेश में वितरण किया गया । वर्ष 1998 में गैर निष्पादन सम्पतियां 39.53 थी जबकि वसूली 53.18 प्रतिशत थी, जो 2001 में गैर–निष्पादन सम्पतियों में कमी होकर 27.00 प्रतिशत रह गयी है और वसूली 60 प्रतिशत तक पहुंच गयी है ।

गैर निष्पादन सम्पतियों में कमी आने का प्रमुख कारण है बैंकों की वसूली में बढ़ोत्तरी हुई है, जैसे–जैसे बैंक वसूली में में बढ़ोतरी करती जायेगी, गैर निष्पादन सम्पतियों में कमी आती जायेगी । इस प्रकार बैंकों को वसूली का कार्य तेज करना चाहिए ।

तालिका 3.9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का पुर्नपूँजीकरण :

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*धनराशि*	*विगत वर्ष की तुलना मे वृद्धि*
1	*2*	*3*	*4*
1.	1994-95	300.00	0
2.	1995-96	447.00	14.9
3.	1996-97	400.00	89.49
4.	1997-98	400.00	100.00
5.	1998-99	152.65	38.16
6.	1999-2000	168.00	110.06

स्रोत – 1 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट 1998-99, पृष्ठ, 86

2. योजना (अंग्रेजी संस्करण) मार्च 2000 , पृष्ठ 11

उपर्युक्त तालिका 3.9 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुर्नपूँजीकरण की प्रक्रिया जो 1994-95 से अपनायी जा रही है । वर्ष 1998-99 के दौरान भी जारी रही लेकिन इसके लिये बजटीय आंवटन 1997-98 में 400 करोड़ रूपये से घटाकर 1998-99 में 152.65 करोड़ कर दिये गये । तथापि बजटीय आवंटन में इस कमी को 1998-99 में 305.30 करोड़ रूपये के अतिरिक्त इक्विटी समर्थन का प्रावधान करके समंजन कर दिया गया। वर्ष 1999-2000 के लिये केन्द्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 168 करोड़ रूपये का प्रावधान किया ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूँजीगत आधार को सुदृढ़ करने तथा उनके वित्तीय कार्य निष्पादन को सुधारने की दृष्टि से कुछ निश्चित मानदंडो (वसूली में सुधार, जमा राशि में वृद्धि, अग्रिमों में वृद्धि आदि) के आधार पर पुर्नपूँजीकरण प्रक्रिया के पांचवें चरण के अन्तर्गत नये निधियों के निवेश के लिये पहचान की गई । पात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की श्रेणी में निम्न शामिल है ।

1. ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनमें 1996-97 और 1997-98 के दौरान आंशिक रूप से पुर्नपूँजी निवेश किया गया था ।

2. ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनपर 1998-99 में पहली बार विचार किया गया है ।

उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को 1996-97 में आंशिक रूप से पुर्नपूँजीकृत किया गया था और 9 बैंकों को 1997-98 में फिर पूँजी दी गयी थी । 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रथम बार अतिरिक्त इक्विटी उपलब्ध करायी गयी। पाचवे चरण के अन्तर्गत पूँजी निवेश के साथ 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 175 बैंक पूर्णतः/अंशतः पुर्नपूँजीकृत रहे जबकि 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को पुर्नपूँजीकरण की आवश्यकता नही थी इससे केवल 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही पुर्नपूँजीकरण कार्यक्रम की परिधि से बाहर रह गये ।[15]

तालिका 3.10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय कार्य निष्पादन (लाभ की स्थिति) :

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*क्षे०ग्रा० बैंकों की संख्या*	*लाभ वर्जित करने वाले बैंकों की संख्या*	*लाभ*	*विगत वर्ष पर वृद्धि (प्रतिशत)*
1.	1987	196	45	7.00	--
2.	1992	196	23	13.00	85.21
3.	1995	196	32	28.96	122.77
4.	1996	196	44	42.38	46.34
5.	1997	196	44	70.00	65.17
6.	1998	196	126	291.00	315.71
7.	1999	177	132	399.00	37.11
8.	2000	196	159	429.31	7.61
9.	2001	196	171	609.06	41.87

स्रोत –1 योजना (अंग्रेजी संस्करण) मार्च, 2000, पृष्ठ, 11

2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सांख्यिकी 2000, 2001

स्रोत 15 - भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट 1998-99, पृष्ठ 87

उपरोक्त तालिका 3.10 से स्पष्ट है कि 1987 में 196 बैंकों में से 45 बैंकों ने लाभ अर्जित किया तथा 151 बैंक हानि की स्थिति में थे । 1998 में 126 बैंक लाभ की स्थिति में आ गये तथा मात्र 70 बैंकों को हानि हो रही थी । इसका मुख्य कारण 1998 में बैंकों की नीतियों में परिवर्तन किया गया था जिससे बैंक लाभ की स्थिति में आ गये थे । वर्ष 2001 में आकर 171 बैंक लाभ अर्जित कर रहे थे, मात्र 25 बैंक घाटे मे चल रहे थे । सरकार ने अपनी नीतियों में और परिवर्तन करके इन बैंकों को आगामी वर्षो में लाभ की स्थिति में लाने के लिये दृढ़ संकल्प है ।

वर्ष 1987 में 45 बैंकों ने 7 करोड़ रूपयों का लाभ अर्जित किया था जो वर्ष 1997 में मात्र 70 करोड़ रूपये ही लाभ अर्जित कर पाये थे । 1998 में बैंक नीतियों में परिवर्तन होने से 126 बैंकों ने 291 करोड़ रूपयों का लाभ अर्जित किया जो कि विगत वर्ष की तुलना में 315.71 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गयी । वर्ष 2001 में 171 लाभ अर्जित करने वाले बैंकों ने 609.06 करोड़ रूपये का लाभ कमाया जो विगत वर्ष की तुलना में 41.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती । इस प्रकार अधिकांश बैंक लाभ अर्जित करने लगे हैं शेष घाटे वाले बैंकों को आगामी वर्षो में लाभ की स्थिति में लाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे से उबरकर लाभ की स्थिति में आने का एक कारण यह भी था कि बैंक ने ऋण न लौटा पाने वालों को ऋण नही दिया ।

तालिका 3.11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, उनकी शाखाओं, जमा, ऋण इत्यादि की राज्यवार विवरण, 31

क्रम संख्या	राज्य का नाम	क्षे० ग्रा० बैकों की संख्या	क्षे० ग्रा० बैकों के अन्तर्गत जिले	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल ऋण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	आन्ध्र प्रदेश	16	23	1126	309237	202905
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	5	19	3103	3316
3.	असम	5	23	401	89989	24720
4.	बिहार (झारखण्ड सहित)	22	52	1869	465679	107736
5.	गुजरात	9	17	403	101329	49220
6.	हरियाणा	4	15	292	103024	51702
7.	हिमांचल प्रदेश	2	4	130	50369	12632
8.	जम्मू–कश्मीर	3	12	262	63121	10677
9.	कर्नाटक	13	22	1093	243362	197978
10.	केरल	2	6	325	80242	96981
11.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	24	44	1541	345456	110024

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
12.	महाराष्ट्र	10	18	581	113171	55660
13.	मणिपुर	1	8	29	2276	875
14.	मेघालय	1	4	51	12263	3034
15.	मिजोरम	1	3	54	6840	2293
16.	नागालैण्ड	1	7	8	528	150
17.	उड़ीसा	9	30	838	183185	93594
18.	पंजाब	5	13	202	60746	22958
19.	राजस्थान	14	31	1060	234896	96618
20.	तमिलनाडु	3	9	212	50902	32371
21.	त्रिपुरा	1	3	85	39249	11937
22.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	40	83	3004	982869	302745
23.	पश्चिमी बंगाल	9	19	871	285942	91364
	योग	**196**	**451**	**14456**	**3827778**	**1581489**

स्रोत – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सांख्यिकी मार्च, 2001

तालिका 3.11 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सर्वाधिक संख्या 40 उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि कुल का 20.4 प्रतिशत है । इसके पश्चात क्रमशः मध्यप्रदेश में 24 तथा बिहार में 22 है । अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजारेम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा में न्यूनतम एक–एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हैं । सर्वाधिक सेवित जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 83 है । कुल जमा तथा ऋण की सर्वाधिक राशि 982869 तथा 302745 लाख रूपये उत्तर प्रदेश में है । सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात केरल में 120.86 प्रतिशत व न्यूनतम 16.92 प्रतिशत जम्मू–कश्मीर में है । इस प्रकार जमा राशि व ऋण वितरण देखने से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।

तालिका 3.12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा, ऋण, एन०पी०ए०, वसूली, 31 मार्च 2001 की समाप्ति पर :

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रम संख्या	प्रायोजक बैंक का नाम	क्षे०ग्रा० बैंकों की संख्या	क्षे०ग्रा० बैंकों के अन्तर्गत जिले	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल ऋण	एन०पी०ए० प्रतिशत	क्षे०ग्रा० बैंकों के कर्मचारी	ऋण-जमा अनुपात प्रतिशत	उधार	लाभ/हानि नेट	ऋण दिया गया (निर्गत)	कुल ऋण विगत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	वसूली प्रतिशत (जून 2000)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	इलाहाबाद बैंक	7	12	509	138652	46175	29	2278	33.30	9480	5266	17566	21.55	54
2.	आन्ध्र बैंक	3	5	159	44776	22600	10	695	50.47	8052	558	16631	17.69	70
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	19	31	1230	336915	124015	25	5610	36.81	29438	3840	50968	17.03	59
4.	बैंक ऑफ इण्डिया	16	32	987	262100	87014	19	4419	33.20	17197	2763	38896	20.04	62
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3	8	310	64158	30136	26	1392	46.97	10567	711	12851	11.19	64
6.	बैंक ऑफ राजस्थान	1	4	58	14096	4496	9	235	31.90	959	- 60	2100	20.92	67
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	23	50	1777	402779	114043	21	7282	28.31	20801	2973	45704	20.82	57
8.	केनरा बैंक	8	12	712	193993	147338	10	4579	75.95	44914	5680	117701	20.72	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	कारपोरेशन बैंक	1	2	44	8370	6923	22	185	82.71	2176	177	3170	4.64	66
10.	देना बैक	4	8	259	59619	22134	24	1034	37.13	6214	909	9292	15.58	61
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	3	10	323	88768	57030	8	1728	64.25	19624	647	48530	30.58	83
12.	इण्डियन बैंक	4	6	151	37503	25749	7	719	68.66	6770	1163	22729	18.91	80
13.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	2	6	172	51945	9060	21	827	17.44	2634	770	3632	15.88	47
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1	3	22	4973	2880	22	66	57.91	946	185	2157	14.14	80
15.	पंजाब नेशनल बैंक	19	47	1267	383695	120660	21	5863	31.45	26686	7662	61193	16.51	70
16.	स्टेट बैंक ऑफ बी० एण्ड जयपुर	3	5	205	54688	21226	5	834	38.81	3233	416	12736	18.51	86
17.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4	4	169	52367	28866	16	710	55.12	8034	788	20078	24.19	65
18.	भारतीय स्टेट बैंक	30	88	2311	514527	216750	20	10779	42.13	64376	7685	120359	22.26	70
19.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1	2	23	8271	4765	7	82	57.61	1395	290	1571	33.36	78
20.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2	5	208	33179	22079	19	921	66.55	5318	697	14320	10.70	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	3	41	9057	6099	3	124	67.34	2560	509	5251	36.23	95
22.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3	6	128	30187	17051	5	499	56.48	7254	878	13127	30.17	90
23.	सिंडिकेट बैंक	10	22	1083	337248	246254	9	7031	73.02	77213	12474	163146	23.15	78
24.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	11	43	1016	304476	91718	35	5842	30.12	12400	761	33529	16.88	38
25.	यूको बैंक	11	25	800	203504	63159	25	4112	31.04	10613	-375	25388	15.74	46
26.	यू०पी०स्टेट का० ऑ० बैंक लि०	1	2	64	12313	6575	31	278	53.40	1124	-175	2148	32.08	55
27.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	4	9	403	171337	33456	36	2069	19.53	5261	3612	12481	9.38	51
28.	विजया बैंक	1	1	25	4284	3238	8	101	75.82	786	101	2485	23.49	74
	योग	**196**	**451**	**14456**	**3827778**	**1581489**	**18**	**70294**	**41.32**	**406026**	**60906**	**879737**	**19.95**	**69**

उपरोक्त तालिका 3.12 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है जिसके अन्तर्गत 88 जिले तथा 2311 शाखाएं आती है । सबसे कम 22 शाखाएं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अन्तर्गत आती है । दूसरी एक विशेषता यह है कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रायोजक यू०पी०स्टेट को आ० बैंक लि० है, जिसके अन्तर्गत 2 जिले और 64 शाखाएं आती हैं तथा इस बैंक ने अपना कोई स्टॉफ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नियुक्त नही किया है ।

तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2001 की समाप्ति पर ऋण–जमा अनुपात सबसे अधिक 82.71 प्रतिशत कारपोरेशन बैंक का है और सबसे कम 17.44 प्रतिशत जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक का है । एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायेाजक बैंक ऑफ राजस्थान को 31 मार्च 2001 की समाप्ति पर 60 लाख रूपये की हानि हुई थी और सबसे अधिक हानि यूको बैंक को 375 लाख रूपये की हुई। सबसे अधिक लाभ 12474 लाख रूपये सिडीकेंट बैंक और सबसे कम 101 लाख रूपये विजया बैंक को हुआ है ।

31 मार्च 2001 तक गैर–निष्पादन सम्पतियों में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की 36 प्रतिशत बकाया है तथा सबसे कम एन०पी०ए० 3 प्रतिशत बैंक ऑफ पटियाला का है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक की वसूली में सुधार हुआ है जिससे एन०पी०ए० में कमी आयी है ।

तालिका 3.13 उत्तर प्रदेश में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण वितरण का क्रमवार विवरण :

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रमांक	*ग्रामीण बैंक*	*स्थापना दिवस*	*मार्च 1998*	*मार्च 1999*	*मार्च 2000*	*मार्च 2001*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	प्रथमा बैंक	02.10.75	20652.68	23291.30 (12.8)	25609.93 (10.1)	31573 (23.3)
2.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	02.10.75	12489.65	17994.44 (44.1)	21555.80 (19.8)	27362 (26.9)
3.	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	06.01.76	5855.28	7180.27 (22.6)	8275.59 (15.3)	9699 (17.2)
4.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	27.03.76	3607.32	8380.00 (21.4)	5032.89 (14.9)	6464 (28.4)
5.	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29.03.76	3291.14	3568.36 (8.4)	4217.40 (18.2)	5302 (25.7)
6.	फररुर्खाबाद ग्रामीण बैंक	29.03.76	3438.57	5790.11 (68.4)	6645.75 (14.8)	8047 (21.1)
7.	भागीरथ ग्रामीण बैंक	19.09.76	4900.30	5697.01 (16.3)	5980.32 (5.1)	7110 (18.9)
8.	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	25.12.76	5708.77	6235.61 (9.2)	6677.30 (7.1)	5819 (12.85)
9.	सुल्तानपुर क्षे० ग्रा० बैंक	08.02.77	7602.83	9025.41 (18.7)	10514.65 (16.5)	11829 (12.5)
10.	अवध ग्रामीण बैंक	07.06.77	6422.82	7967.95 (24.1)	9391.87 (17.9)	10636 (13.3)

1	2	3	4	5	6	7
11.	कानपुर क्षे० ग्रा० बैंक	27.02.80	6945.00	8072.29 (16.2)	9189.06 (13.8)	10182 (10.8)
12.	श्रावस्ती ग्रा० बैंक	04.03.80	6072.60	7038.54 (15.9)	8838.95 (25.6)	9749 (10.2)
13.	इटावा क्षे० ग्रा० बैंक	18.03.80	3297.00	3299.67 (0.1)	2891.04 (-9.66)	2823 (-5.3)
14.	किसान ग्रा० बैंक	19.05.80	2418.21	2866.80 (18.6)	3194.13 (11.4)	4269 (33.7)
15.	क्षेत्रीय किसान ग्रा० बैंक	20.05.80	3543.39	4390.85 (23.9)	4981.83 (12.1)	6575 (32.1)
16.	काशी ग्रा० बैंक	28.07.80	5733.00	6572.62 (14.6)	7108.11 (8.1)	8740 (23.0)
17.	बस्ती ग्रा० बैंक	01.08.80	5259.53	6344.12 (20.6)	6859.19 (8.1)	8844 (28.9)
18.	इलाहाबाद क्षे० ग्रा० बैंक	23.08.80	5666.00	6063.54 (7.1)	6554.18 (8.1)	7937 (21.1)
19.	प्रतापगढ़ क्षे०ग्रा० बैंक	25.08.80	3628.07	3947.84 (8.8)	4329.99 (9.7)	5719 (32.1)
20.	फैजाबाद क्षे० ग्रा० बैंक	05.09.80	3438.57	3844.07 (11.8)	4690.44 (22.1)	5778 (23.2)

1	2	3	4	5	6	7
21.	फतेहपुर क्षे०ग्रा० बैंक	06.09.80	2251.23	2632.81 (61.4)	3049.16 (15.8)	3457 (13.4)
22.	बरेली क्षे० ग्रा० बैंक	27.09.80	3552.64	4658.52 (31.12)	5754.53 (23.5)	7194 (25.1)
23.	देवीपाटन क्षे०ग्रा० बैंक	17.01.81	3424.42	4109.15 (20.1)	4603.47 (12.1)	6167 (34.1)
24.	अलीगढ़ क्षे०ग्रा० बैंक	22.03.81	9338.36	11263.33 (20.6)	13100.59 (16.3)	14809 (13.1)
25.	तुलसी ग्रा० बैंक	23.03.81	4854.94	5788.21 (19.2)	6671.23 (15.3)	8850 (32.7)
26.	एटा ग्रा० बैंक	29.03.81	4981.84	6084.08 (22.1)	6663.00 (9.5)	7043 (5.7)
27.	गोमती ग्रा० बैंक	30.03.81	6819.58	8271.14 (21.3)	9193.12 (11.1)	9708 (5.6)
28.	छत्रसाल ग्रा० बैंक	30.03.82	3484.92	4277.07 (22.7)	4520.36 (5.7)	6085 (34.6)
29.	रानी लक्ष्मीबाई क्षे० ग्रा० बैंक	31.03.82	1920.60	2369.98 (23.4)	2300.38 (-2.9)	2672 (16.1)
30.	विदूर ग्रा० बैंक	18.01.83	1752.95	2142.59 (22.2)	2690.60 (25.6)	3171 (17.9)
31.	शाहजहाँपुर क्षे० ग्रा० बैंक	24.03.83	2349.82	3431.86 (46.1)	4591.18 (33.8)	5438 (18.4)
32.	नैनीताल–अल्मोड़ा क्षे० ग्रा० बैंक	26.03.83	3158.07	3997.00 (26.6)	5305.33 (32.7)	6625 (24.9)

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
33.	जमुना ग्रा० बैंक	02.12.83	5305.20	5740.54 (8.2)	5624.64 (-2.1)	5410 (-3.8)
34.	विन्धयवासिनी ग्रा० बैंक	30.03.83	3870.68	4282.95 (10.7)	4912.66 (14.7)	5358 (9.1)
35.	सरयू ग्रा० बैंक	09.08.83	2500.44	3349.52 (34.0)	4069.20 (21.5)	5498 (35.1)
36.	मुजफ्फरनगर क्षे०ग्रा० बैंक	27.03.84	1413.31	1792.64 (26.8)	1943.66 (8.4)	2382 (22.6)
37.	पिथौरागढ़ क्षे०ग्रा० बैंक	27.03.85	1263.96	1408.34 (11.4)	1702.96 (20.9)	2190 (28.6)
38.	गंगा–यमुना ग्रा० बैंक	29.03.85	1545.87	1722.94 (11.5)	2027.19 (17.7)	2557 (26.1)
39.	अलकनन्दा ग्रा० बैंक	31.08.85	1001.38	1232.05 (23.0)	1586.52 (28.8)	2022 (27.5)
40.	हिडोंन ग्रा० बैंक	28.03.87	851.07	1089.34 (28.00)	1226.62 (12.6)	1649 (34.4)
	उत्तर प्रदेश (40)		187403.63	223217.86 (19.11)	254164.82 (13.86)	302745 (19.11)

स्रोत – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सांख्यिकी, (1998. 1999. 2000, 2001)

टिप्पणी – कोष्ठकों में दी गयी राशि ऋण एवं अग्रिमों का विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि है ।

तालिका 3.13 से परिलक्षित होता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है । प्रदेश की 40 बैकों में से मार्च 1998 में प्रथमा बैंक ने 20652.68 लाख का ऋण वितरण किया था जो वर्ष 2001 में 31573 लाख रूपये का ऋण प्रदान किया है जबकि गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसी समय क्रमशः 12489.65 व 27362 लाख रूपये का ऋण वितरण किया है जबकि इन दोनों बैंकों की स्थापना वर्ष अक्टूबर 1975 एक ही दिन का है । इसी प्रकार 1976 में 6 बैंकों की स्थापना हुई थी उनमें सर्वाधिक ऋण मार्च 1998 में 5855.28 लाख रूपये संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ऋण प्रदान किया जो 2001 में बढ़कर 9699 लाख रूपयों का ऋण वितरित किया गया जो उत्तर प्रदेश के कुल ऋण का मात्र 3.25 प्रतिशत है । 1997 मे स्थापित दो बैंको में से उनमें सर्वाधिक ऋण 1998 में 7602.83 लाख रूपये सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने वितरण किये तथा मार्च 2001 में इसी बैंक ने 11829 लाख रूपयों का ऋण ग्रामीण विकास के लिए वितरण किये गये । 1980 में प्रदेश में 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जिसमें कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक ऋण 1998 में 6445 लाख रूपये (कुल ऋण का 4.7 प्रतिशत) वितरित किये गये जबकि मार्च 2001 में 10182 लाख रूपये ग्रामीण जनता को उनकी आवश्यकताओं में लिये प्रदान किये गये । 1981 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जिसमें अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सर्वाधिक 9338.36 लाख रूपये (कुल ऋण का 4.9 प्रतिशत) का ऋण वितरण किया तथा इसी बैंक ने मार्च 2001 की समाप्ति पर 14809 लाख रूपये (कुल ऋण का 4.89 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के रूप में प्रदान किये । 1982 में दो बैंकों की स्थापना की गयी थी, जिसमें छत्रसाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सर्वाधिक ऋण 1998 में 3484.92 लाख रूपये (कुल ऋण का 2.4 प्रतिशत) वितरित किये तथा 2001 में बढ़ाकर इस बैंक ने 6085 रूपये (कुल का 2.1 प्रतिशत) का ऋण प्रदान किया ।

1983 की अवधि में प्रदेश में 6 ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये और 1998 में सर्वाधिक 5305.20 लाख रूपये का ऋण जमुना ग्राम बैंक (कुल ऋणों का 2.8) ने

वितरित किये गये जो मार्च 2001 की समाप्ति पर इसी बैंक ने 5410 लाख रूपये (कुल ऋण का 1.8) का ऋण प्रदान किया गया है । बैंक की उदासीनता के कारण 2001 में इस बैंक ने ऋणों के वितरण में ढिलाई बरती है । 1984 में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया इसके 1998 में 1413.31 (कुल ऋण का 0.8 प्रतिशत) लाख रूपये तथा मार्च 2001 की समाप्ति पर 2382 लाख रूपये (कुल का 0.8) लाख रूपये वितरित किया गया है । इस बैंक ने ऋण वितरण में कोई प्रगति नही है । 1998 में 0.8 प्रतिशत था जो 2001 में भी 0.8 प्रतिशत ही ऋणों को वितरित किया । इसी प्रकार 1985 में 3 तथा 1987 में एक ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये । मार्च 1998 की समाप्ति पर सर्वाधिक ऋण क्रमशः गंगा–जमुना ग्रामीण बैंक ने 1545:87 लाख रूपये (कुल का 0.9 प्रतिशत) तथा 851.07 लाख रूपये हिन्डोन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का रहा जो मार्च 2001 की समाप्ति पर क्रमशः 2557 लाख रूपये (कुल का 0.8 प्रतिशत) तथा 1649 लाख रूपये (कुल का 0.5 प्रतिशत) के ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता के लिए प्रदान किये गये ।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की संख्या 40 तथा उनकी 3004 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रही है । केलकर समिति की सिफारिश के अनुसार 1987 के बाद कोई नया बैंक स्थापित नही किया गया । उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2001 की समाप्ति पर 302745 लाख रूपये (कुल ऋण का 19.14 प्रतिशत) 196 ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए वितरित किये गये जबकि मार्च 1998 की समाप्ति पर 187403.63 लाख रूपये (कुल 196 बैंकों का 19.20 प्रतिशत) का ऋण वितरण किया गया था ।

उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण वितरण में लगभग 1/5 भाग कुल ऋण का वितरण किया गया । ग्रामीण विकास में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।

इस प्रकार ग्रामीण बैंकों का सामाजिक दायित्व सहकारी एवं व्यापारिक बैंकों की तुलना में पर्याप्त भिन्न और विस्तृत रखा गया । इसमें सन्देह नही कि बैकों ने अपनी

सामाजिक जिम्मेदारियों को भली भांति समझा है और इन बैंकों ने लाखों मुरझाए चेहरों पर मुस्कराहट लाने और लाखों झोपड़ियों में आशा की नई किरण उत्पन्न की है । फिर भी ये बैंक कमजोर वर्गो और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को आगे बढ़ाने में असफल रहे हैं । कृषि ऋणों के भाग को उन्नत करने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी ये सफल नही हो सके । इन बैंक की कुछ कमियां हैं जिससे ऋण चाहने वालों में उदासीनता रहती है ।

बैंकों का कार्य एक हाथ लेकर दूसरे हाथ में देने का होता है । अतः ग्रामवासियों विशेष कर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को चाहिए कि वे अपनी लघु बचत को घर में न रखकर बैंकों में जमा करें । बैंकों में जितनी अधिक राशि जमा होगी, जरूरतमंद लोगों को उतना ही अधिक रूपया समय पर दिया जा सकेगा । दूसरी महत्वपूर्ण बात ऋण वापस करने की है । बैंको के पास रूपये का सदैव बहाव बना रहना चाहिए इसके लिए यह आवश्यक है कि लोग ऋण की अदायगी समय पर करें । यह अदायगी बिना किसी दबाव और कानूनी कार्यवाही के होनी चाहिए । इसके लिए लोगों में बैंक भावना पैदा करनी होगी । आज तो गरीब और कम पढ़ा लिखा ग्रामीण बैंक काउन्टर पर जाते हुए अपनी को सर्वथा उपेक्षित महसूस करता है । आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक बैंक में एक सहायक लिपिक का ऐसा पद हो जिसका काम सभी प्रकार के ग्राहकों विशेषकर ग्रामीण तथा महिलाओं को उनके बैंक लेन–देन में सहायता करना हो । इन बैंकों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अकर्मण्यता तथा उनके व्यवहार का रूखापन भी एक कारण रहा है जहाँ बैंकों की उदार ऋण नीति का लाभ समाज के निम्न वर्ग को नही के बराबर मिला हैं ।[15]

इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंक सरकार द्वारा निर्धारित किये ज्यादातर लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें अभी दो दिशाओं में विशेष प्रयास करना होगा । एक तो बैंक को अपनी वसूली में तेजी लानी

स्रोत 15 - कुरुक्षेत्र, फरवरी 2000, पृष्ठ, 46

होगी, भले ही इसके लिए सख्त कदम क्यो न उठाने पडे । इस मामले में राजनीतिक दृढ़ता भी आवश्यक है । इसके अलावा बैंकों को ग्रामीण ऋणों में नये और कारगर तरीके अपनाने की दिशा में भी पहल करनी होगी । वैसे भी सरकार धीरे–धीरे ऋणों के मामले में अपनी जटिल प्रक्रियाओं को सख्त बना रही है । हमारे देश की अधिकांश जनता आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । अतः ग्रामीण आबादी की वित्तीय जरूरतों को पूरा किये बिना देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का सपना एक दूरस्थ लक्ष्य ही बना रहेगा ।

तालिका 3.14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चुनिन्दा संकेतक 1997-1999 तक :

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्रमांक	विवरण	28 मार्च 1997	27 मार्च 1998	26 मार्च 1999	घट-बढ़	
					1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7
1.	रिपोटिंग बैंक	196	196	196	--	--
2.	बैंकिंग प्रणाली की देयताएं	125.31	136.70	151.11	11.39 (9.1)	14.41 (10.5)
3.	अन्य देयताएं	17542.24	21659.75	26318.53	4117.51 (23.5)	4658.78 (21.5)
3.1 (i)	कुल जमा राशियां	16971.34	20977.37	25427.83	4006.03 (23.6)	4450.46 (21.2)
3.1 (ii)	मांग जमा राशियां	2946.53	3804.79	4688.33	858.26 (29.1)	883.54 (23.2)
3.1(iii)	मीयादी जमा राशियां	14024.81	17172.58	20739.50	3147.77 (22.4)	3566.92(20.8)
3.2	उधार	0.59	3.71	7.90	3.12 (528.8)	4.19 (112.9)
3.3	अन्य मांग और मीयादी देयताएं	570.31	678.67	882.80	108.36 (19.0)	204.13 (30.1
4.	बैंकिंग प्रणाली की अस्तियां	7593.85	9414.68	11319.45	1820.83 (24.0)	1904.77 (20.2)
5.	बैंक ऋण	8544.02	9686.69	11016.47	1142.67 (13.4)	1329.78 (13.7)

1	2	3	4	5	6	7
6.	निवेश	2487.66	3527.61	5006.90	1039.95 (41.8)	1479.29 (4.9)
6 (i).	सरकारी प्रतिभूतियां	722.91	1011.09	1190.54	288.18 (39.9)	179.45 (17.7)
6 (ii).	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1764.75	2516.32	3816.36	751.77 (42.6)	1299.84 (51.7)
7.	नकदी शेष	225.99	253.22	299.59	27.23 (12.0)	46.37 (18.3)
8.	ऋण–जमा अनुपात	50.3	46.2	43.3	28.52	29.88

स्रोत 1 – कोष्ठकों मे दिये गय आंकड़े प्रतिशत घट–बढ़ दर्शाते हैं ।

2 – भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट 1998-99, पृष्ठ, 81

तालिका 2.14 से परिलक्षित होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या में 1998 और 1999 में कोई वृद्धि नहीं हुई । सकल जमा मे 1998 में 1999 की तुलना में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 1999 में 1998 की तुलना में 21.2 प्रतिशत की ही वृद्धि हो पायी है । तालिका से स्पष्टहै मांग जमा तथा सावधि जमा में भी वृद्धि हुई थी जो कि क्रमशः पिछले वर्ष की तुलना में 29.1 व 23.2 तथा 22.4 व 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । बैंक ऋण 1997 में 8544.02 करोड़ रूपये था । 1998 में बढ़कर 9686.69 करोड़ रूपया तथा 1999 में 11016.47 करोड़ रूपये के ऋणों का वितरण किया गया इस प्रकार 1999 में 1998 की अपेक्षा 13.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई । विनियोगों में भी 1998 की अपेक्षा 1999 में 4.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई तथा इसकी राशि 1470.21 करोड़ रूपये हो गयी ।

सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों में भी वृद्धि हुई है । हस्तगत रोकड़ में 1998, 1998 तथा 1999 तीनों वर्षों में लगातार वृद्धि हुई । 1997 में 225.99 करोड़ रूपये से बढ़कर 1999 में 299.59 करोड़ रूपये हो गया है ।

अध्याय : 4

इटावा जनपद : सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

"ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातन्त्र होगा जो अपनी अहम् जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नही रहेगा ।"

महात्मा गांधी

भारत :

भौगोलिक स्थिति (भारत) :

भारत विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है जो $8^0 4'$ और $37^0 6'$ उत्तरी अक्षांश तथा $68^0 7'$ और $97^0 25'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है । भारत के उत्तर–पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान, पूर्व में म्यांनमार व बांग्लादेश स्थित है । मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरुमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, भारत के पूर्व में बंगाल की खाडी तथा पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिन्द महासागर है । भारत तीन तरफ जल से घिरा होने के कारण प्रायद्वीप कहा जाता है । भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1,02,70,15,247 है । ऑकड़ो के अनुसार जनसंख्या में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है । भौगोलिक दृष्टि से इसका क्षेत्रफल 32,87,236 वर्ग कि०मी० होने से यह विश्व में सातवें स्थान पर है ।

प्रशासनिक ढ़ाचाँ (भारत) :

प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत को 28 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में तथा भूतत्वीय संरचना के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है जिसमें हिमालय तथा उससे सम्बद्ध पहाड़ों का समूह, सिन्धु और गंगा का मैदान तथा प्रायद्वीपीय भाग है।

उत्तर प्रदेश :

प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यावर्त के नाम से प्रसिद्ध था । हिन्दू साहित्य में उ०प्र० को पवित्र स्थल माना जाता है क्योंकि हिन्दुओ के प्रसिद्ध देवताओं में राम तथा कृष्ण की जन्म भूमि यहीं है । इसके अतिरिक्त जैन एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर एवं गौतम बुद्ध का जन्म भी यहीं हुआ था । आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मन्दिर का निर्माण भी (पूर्व) उत्तर प्रदेश में कराया था ।

उत्तर प्रदेश एक सीमान्त प्रदेश है जिसके उत्तर मे नेपाल, उत्तर–पश्चिम में हिमांचल प्रदेश एवं उत्तरांचल, पश्चिम में हरियाणा एवं दिल्ली, दक्षिण–पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम में म०प्र० एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड की सीमाएं मिलती हैं । उ०प्र० $23^0 52'$ तथा $31^0 28'$ उत्तरी अक्षांश तथा $77^0 30'$ एवं $84^0 39'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है । इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी है जो कि सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.3 प्रतिशत है । क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से राजस्थान, म०प्र० एवं महाराष्ट्र के बाद इसका चौथा स्थान है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रथम स्थान रखता है ।

प्रशासनिक ढांचा :

कुशल एवं सुगम प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रदेश को 17 मण्डल एवं 70 जिलों में विभाजित किया गया है । भौगोलिक स्थलाकृति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों की एकरुपता के आधार पर संतुलित नियोजित विकास हेतु प्रदेश को पांच आर्थिक क्षेत्रों यथा पर्वतीय, पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभाजित किया गया है । प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबन्धीय है । वनस्पति को निर्धारित करने वाले कारकों यथा वर्षा, तापक्रम, ढाल, उच्चावचन, मिट्टी आदि का असमान वितरण होने से यहाँ भिन्न–भिन्न तरह की वनस्पति मिलती है । प्रदेश के क्षेत्रफल की तुलना में 17.4 प्रतिशत (विभाजन के पूर्व) भाग पर ही वन पाये जाते हैं ।

इटावा जनपद

1. जनपद का संक्षिप्त परिचय :

जनपद इटावा के नाम की उत्पत्ति स्वयं में एक रोचक दास्तान से परिपूर्ण है । लोक प्रचलित कथानक के अनुसार राजपूत काल में प्रसिद्ध चौहान वंश के राजा सुमेरशाह वर्तमान इटावा के निकट यमुना नदी के तट पर स्नान करने गये थे, नदी तट पर उन्होंने देखा कि बकरी और भेड़िया एक साथ पानी पी रहे हैं । इस दृश्य के परिप्रेक्ष्य मे राजा ने ज्योतिषियो से परामर्श लिया तो उन्होंने राजा को उस स्थान पर किले का निर्माण राजा के लिए अत्यन्त शुभफलदायी होने का सुझाव दिया ।

जब राजा द्वारा इंगित स्थान पर किले का निर्माण प्रारम्भ किया गया तो नींव खोदते समय मजदूरों को यहाँ पर एक सोने तथा एक चांदी की ईट प्राप्त हुई । मजदूरों ने शोर मचाकर कहा "ईट आया" अर्थात् (ईट मिली ईट मिली) मजदूरों के चिल्लाने की ध्वनि के आधार पर उस जगह का नाम "ईट आया" पड़ा जो बाद में क्रमशः ईटाया और इटावा में परिवर्तित हो गया है ।

2. अवस्थिति एवं भौतिक विशेषताएं :

इटावा जनपद उ०प्र० के कानपुर मण्डल के पश्चिम में यमुना नदी के तट पर स्थिति है । इटावा के पूर्व में औरैया, उत्तर में जनपद मैनपुरी एवं फरुर्खाबाद, पश्चिम. में कुछ भाग आगरा एवं फिरोजाबाद तथा दक्षिण सीमा आंशिक रूप से जनपद जालौन एवं मध्य प्रदेश की सीमा से लगी है । इटावा जनपद समुद्र तल से 146.3 मी० से 149.7 मी० तक की ऊंचाई पर स्थित है । जो $26^{0}21'$ और $27^{0}1'$ उत्तरी अक्षांश तथा $78^{0}45'$ और $79^{0}45'$ पूर्वी देशातंर के बीच स्थित है ।

3. भौगोलिक संरचना :

भौगालिक दृष्टि से जनपद को तीन भागों में विभाजित किया गया है । प्रथम भाग पचार कहलाता है जो सेंगर नदी के उत्तर–पूर्व में स्थित है इसके अन्तर्गत दो विकास खण्ड आते हैं । इस भाग की भूमि ऊंची नीची और सामान्यतः दोमट है । जनपद की अधिकांश कृषि अयोग्य भूमि इसी भाग में है । दूसरा भाग थार के नाम से जाना जाता है । इसके अन्तर्गत तीन विकास खण्ड आते है । इसकी मिट्टी दोमट एवं अधिक उपजाऊ है । यह भाग यमुना और सेंगर नदी के बीच में स्थित है । तृतीय भाग पारपट्टी कहलाता है । यह भाग आगरा की सीमा से यमुना एवं क्वांरी नदी के संगम तक फैला है । चम्बल तथा यमुना के तट बरसाती कटाव के कारण बीहड के रूप में परिवर्तित हो गये हैं जो नदियों के दोनों ओर 5 कि०मी० के क्षेत्र में 10 मी० तक गहरे थार बन गये हैं । इस भाग की जलवायु जिले के अन्य भागों की तुलना में अपेक्षाकृत शुष्क गर्म है । इस भाग में सिचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में नही है । इस भाग की भूमि अधिकांशतः बलुई, दोमट एवं कंकरीली है जिसके कारण कटाव अधिक होता है । इस भाग में सिचाई साधनों की कमी तथा बीहड़ होने से भूमि उपजाऊ होते हुए भी उपयोगी नही है जनपद में 5 तहसीलें, 8 विकासखण्ड, 6 नगर और 695 ग्राम आते हैं जिसमें आबाद ग्रामों की संख्या 687 है । जनपद में तीन नगर पालिका परिषद, तीन नगर क्षेत्र समिति तथा 75 न्याय पंचायतें और 420 ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं । जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 13 व नगरीय क्षेत्र में 6 पुलिस स्टेशन है । इसके अलावा जिले में 8 रेलवे स्टेशन भी हैं ।

4. भू-गर्भीय पदार्थ :-

जनपद इटावा में किसी प्रकार की खान उपलब्ध नही है और न कोई विशेष प्रकार का खनिज पदार्थ ही मिलता है । जनपद के यमुना व चम्बल नदियों में रेत पाया जाता है । यमुना का रेत गंगा के रेत की भांति मध्यम प्रकार का होता है जबकि चम्बल

का रेत मोटा एवं काला होता है जो भवन पुल एवं पुलिया आदि के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है । चम्बल व यमुना नदी का रेत विकास खण्ड बढपुरा एवं चंकर नगर में पाया जाता है । जनपद के ऊसर व बंजर भूमि में कहीं–कहीं कंकड़ भी पाया जाता है । पूर्व मे कंकड़ो का प्रयोग सड़क निर्माण एवं नमूना बनाने में किया जाता था, परन्तु अब कंकड़ का प्रयोग बन्द हो गया है ।

जनपद में यमुना, चम्बल, सेंगर, अरिन्द तथा क्वांरी सतत प्रवाहशील नदियां हैं । जनपद के विकास खण्ड चकर नगर में ग्राम पथरी के पास पांच नदियों (यमुना, चम्बल, सिन्धु, पहूंच, क्वारीं) का संगम होता है जिसे पचनदे के नाम से जाना जाता है । जनपद की नदियां सतत प्रवाहशील होने के कारण बरसात के दिनों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है ।

5. तापमान एवं वर्षा :-

जनपद की जलवायु समशीतोष्ण है जिसके कारण गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी तथा सर्दी के दिनों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है । बरसात के दिनों में मौसम सुहावना होता है । अक्टूबर के अन्त में या नवम्बर के आरम्भ में सर्दी प्रारम्भ होकर जनवरी माह में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है । इसके बाद धीरे–धीरे मौसम बदलता जाता है। जपनद में वर्ष 2000-2001 में उच्चतम तापमान 45.7 डिग्री सेन्टीग्रेट रिकार्ड किया गया। वर्ष 2001 में जनपद का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेन्टीग्रेड मापा गया । वायु में आर्द्रता मानसून की अवधि में 80-90 प्रतिशत रहती है । मानसून के बाद गर्मी 20 प्रतिशत रह जाती है।

जनपद के प्रत्येक भाग में वर्षा औसत मात्रा में होती है । वर्षा उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व बढ़ती जाती है । 90 प्रतिशत वर्षा मानसून में ही होती है । जनपद में लौटते मानसून से भी वर्षा होती है । वर्ष 2001 में 795 मिली ली० सामान्य वर्षा हुई तथा वास्तविक वर्षा जनपद में 832 मि०ली० रिकार्ड की गई ।

6. भूमि की किस्म :

भौगोलिक दृष्टि से जनपद को तीन भागों में बॉटा गया है । जिसमें प्रथम भाग में भरथना एवं ताखा विकास खण्ड आते हैं । इस क्षेत्र की मिट्टी दोमट है लेकिन यहॉ की भूमि ऊंची–नीची होने के कारण बड़े–बड़े गड्ढ़े है जिले की कृषि अयोग्य अधिकांश भूमि इसी भाग में पायी जाती है । द्वितीय भाग में जसवन्तनगर, सैंफई, बसरेहर तथा महेवा विकासखण्ड आते हैं जो यमुना व सेंगर नदी के बीच का भाग होने से भूमि उपजाऊ है तथा दोमट मिट्टी पायी जाती है । तृतीय भाग में यमुना, चम्बल व क्वांरी नदियों के आस–पास का क्षेत्र होने से यहाँ की मिट्टी बलुई दोमट एवं कंकरीली पायी जाती है । इस भाग की भूमि उपजाऊ होने पर भी पूर्ण उपयोगी नही है क्योंकि यहाँ सिचाई के साधनों का अभाव है । इसके अलावा इस क्षेत्र में बीहड़ होने की वजह से भी भूमि उपयोगी नही है । इस बीहड़ का फैलाव यमुना व चम्बल नदियों के बीच का भाग जनपद औरैया तक फैला हुआ है । भूमि ऊँची–नीची होने की वजह से यह क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली बनी हुई है ।

7. क्षेत्रफल एवं प्रशासनिक ढांचा :

वर्ष 1997 तक जनपद का विभाजन नही हुआ था तब जनपद औरैया भी इटावा जनपद में शामिल था । जनपद का विभाजन होने से अधिकांश उपजाऊ भूमि जनपद औरैया में चली गयी इसके अलावा जनपद औरैया में बड़े–बड़े उद्योग भी चले गये हैं जिसमें एन०टी०पी०सी०, गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लि०, पेट्रोकेमिकल्स शामिल है । जिसकी वजह से इटावा जनपद एक पिछड़े जनपद के रूप में जाना जाता है ।

सर्वेयर ऑफ इण्डिया के अनुसार इटावा जनपद का क्षेत्रफल 2,434 वर्ग कि०मी० है तथा वर्ष 1998-99 राजस्व अभिलेखों के अनुसार जनपद का क्षेत्रफल 2355.64 वर्ग कि०मी० है । जनपद का क्षेत्रफल प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.5 प्रतिशत है । जनपद का विभाजन होने के कारण अब कुल 5 तहसीलें (इटावा, भरथना, सैंफई, चकरनगर व

जसवन्तनगर) शेष रह गयी हैं । इटावा जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय इटावा नगर है। जनपद में कुल 695 ग्राम हैं जिसमें आबाद ग्रामों की संख्या 687 है तथा गैर आबाद ग्राम 8 है । जनपद के सभी ग्रामों को मिलाकर 8 विकासखण्डों में विभाजित किया गया है ।

वर्तमान समय में जनपद में तीन नगर पालिका परिषदें एवं तीन नगर क्षेत्र समितियां कार्य कर रही है । वर्ष 2002 में 420 ग्राम सभाएं तथा 75 न्याय पंचायतें और तीन छावनी क्षेत्र भी जनपद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है । इन सभी के अलावा जनपद में जिला ग्राम विकास अभिकरण, पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम, केन्द्रीय खाद्य एवं भण्डार निगम, जीवन बीमा निगम, राज्य सड़क परिवहन निगम आदि संस्थाएं भी कार्यरत है । उपर्युक्त सभी संस्थाएं जनपद के सर्वांगीण विकास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है । जनपद में सहकारी संस्थाओं का भी विशेष महत्व है ।

8. जनांकिकी : (अ) जनसंख्या :

वर्ष 1951 में जनपद की जनसंख्या 9,70,704 थी जो कि बढ़कर वर्ष 1971 में 14,47,702 (संयुक्त जनपद) हो गयी । जनगणना 1991 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 11,30,108 थी जिसमें 6,16,100 पुरूष एवं 5,14,008 स्त्रियां थीं । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अब जनपद की कुल जनसंख्या बढ़कर 13,40,031 हो गयी है जिसमें 7,21,913 पुरूष और 6,18,118 महिलाएं शामिल थीं । जनगणना 1991 की तुलना में 2001 में जनपद की जनंसख्या में 21.59 प्रतिशत की बढ़ात्तरी हुई है । 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद का प्रदेश की क्रम संख्या में 59वें स्थान पर था जो 2001 की जनगणना के जनपद का 60वाँ स्थान है । जनपद की जनसंख्या वृद्धि 1931 से प्रारम्भ हुई और 1971 में आकर दुगनी हो गयी । विगत वर्षो के अध्ययन से पता चलता है कि जनपद की जनसंख्या 92.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि प्रदेश की

जनसंख्या 89.1 प्रतिशत बढी है । स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं मे सुधार तथा मृत्युदर में कमी के कारण यह जनसंख्या बढ़ी है जिस पर नियन्त्रण करना आवश्यक है ।

(ब) घनत्व :

जनपद इटावा का जनसंख्या घनत्व 1991 की जनगणना के अनुसार 482 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० था जो कि 2001 की जनगणना में बढकर 586 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० हो गया है जबकि उत्तर प्रदेश का जनसख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है । जनगणना 2001 के अनुसार जनपद मे ग्रामीण जनसंख्या 8,95,090 व्यक्ति हैं जिसमें 4,90,525 पुरूष एव 4,04,565 स्त्रियां है । जनपद की नगरीय जनसंख्या 4,49,506 व्यक्ति है । ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो मे यह अनुपात 895:449 है। जनसंख्या घनत्व में विकासखण्ड में देखा जाय तो सबसे अधिक जनसंख्या महेवा 540 है। जबकि सबसे कम जनघनत्व विकासखण्ड चकर नगर में 197 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है । इसी प्रकार नगरीय जनघनत्व में इटावा नगर में सबसे अधिक और जसवन्तनगर में सबसे कम जनघनत्व है ।

(स) लिंग अनुपात :

जनगणना 1991 के अनुसार जनपद में प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या 834 थी । यह अनुपात सबसे अधिक प्रति हजार पुरूषों पर इटावा में स्त्रियों की संख्या 880 थी । ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रति हजार पुरूषों पर 902 स्त्रिया थीं । वर्ष 2001 में यह अनुपात 856 स्त्रियां प्रति हजार पुरूषों पर है । जिसमे सबसे अधिक इटावा नगर में है तथा सबसे कम जसवन्तनगर में है जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात 898 स्त्रियां प्रति हजार पुरूषो पर है । जनपद इटावा में 4,85,194 पुरूष विवाहित है एवं 4,90,604 महिलाएं विवाहित हैं । जनपद में 36,886 स्त्रियां विधवा हैं और 34,865 पुरूष विदुर

की श्रेणी में आते हैं । इसके अलावा जनपद मे 640 पुरूष एवं 330 तलाकशुदा महिलाओं की संख्या है ।

(द) अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां :

जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार जनपद मे अनुसूचित जातिया एव जनजातियो की जनसख्या 2,62,998 थीं जो कुल जनसंख्या की 24 प्रतिशत थीं जिसमें नगरीय जनसख्या 30,803 तथा ग्रामीण में 2,32,195 थीं । नगरों में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं जन जातियों में 16,588 पुरूष और 14,235 स्त्रियां थीं तथा गांवों में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में 1,29,055 पुरूष एवं 1,30,148 महिलायें थीं । जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जन जातियों की जनसंख्या बढ़कर 2,80,341 हो गयी है।

(य) कर्मकारों की जनसंख्या :

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार, कुल जनसंख्या 11,30,108 थी, जिसमें 3,53,723 कुल मुख्य कर्मकार, 738 सीमान्त कर्मकार, 3,44,470 अन्य कर्मकार, 3,281 निर्माण कार्य में लगे कर्मकार, 29,230 वाणिज्य एवं व्यापार कार्य में लगे कर्मकार, 11,283 गैर पारिवारिक, 6,390 यातायात संग्रहण एवं संचार में लगे कर्मकार, 4,960 पारिवारिक उद्योग में लगे कर्मकार, 3,900 खनन सम्बन्धी कर्मकार, 26,364 पशुपालन, एवं वृक्षारोपण 61,607 कृषि श्रमिक तथा 2,70,409 कृषक कर्मकार हैं । इस प्रकार कुल जनसंख्या का 30.5 कर्मकार हैं । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 13,40,031 में कुल मुख्य कर्मकारों की संख्या 4,21,513 है।

9. साक्षरता :

जनपद में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 56.7 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी, जिसमे ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता 49.5 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 64.0 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र में पुरूष साक्षरता 63.5 प्रतिशत व स्त्रियां 32.2 प्रतिशत साक्षर थीं । नगरीय क्षेत्र मे 72.1 प्रतिशत पुरूष एव 54.8 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी । कुल पुरूष साक्षरता 67.8 एवं महिला साक्षरता 43.5 प्रतिशत थी जबकि प्रदेश की कुल साक्षरता 36.4 थी । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार विकास खण्ड महेवा में सबसे अधिक 71.7 प्रतिशत एवं सबसे कम विकास खण्ड चकर नगर में 56.7 प्रतिशत पुरूष साक्षर थे । इसी प्रकार सबसे अधिक महेवा में 41.5 प्रतिशत एवं चकर नगर में सबसे कम 24.2 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं । वर्ष 2001 की जनगणना में जनपद इटावा की साक्षरता बढ़कर 70.75 प्रतिशत हो गयी जिसमें 81.15 प्रतिशत पुरूष व 58.9 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है । समग्र व्यक्तियों की साक्षरता प्रतिशत में सर्वाधिक साक्षर जिलों के हिसाब से कानपुर नगर औरैया, गाजियागाद के बाद इटावा का चौथा स्थान है । इसी प्रकार पुरूष साक्षरता में इटावा का वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया के बाद पाचवां स्थान है तथा महिलाओं की साक्षरता में भी जनपद का पाचवां स्थान है ।

10. वन :

राजस्व अभिलेखों के अनुसार, जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2,35,564 हेक्टेयर है, जिसमें वन के अन्तर्गत 26,447 हेक्टेयर है जो कुल क्षेत्रफल का 11.23 प्रतिशत है । वन का अधिकांश क्षेत्र विकास खण्ड चकर नगर में 9,617 हेक्टेयर है तथा सबसे कम सैंफई विकास खण्ड में 533 हेक्टेयर क्षेत्र पाये जाते हैं । इसके अलावा बढ़पुरा में 8,155 हेक्टेयर, बसरेहर में 2,063, चकरनगर में 1,290, भरथना में 1,751, ताखा में 1,527 एवं महेवा में 1,446 हेक्टेयर क्षेत्र में वन पाये जाते हैं । जनपद में 16

हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र पाये जाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में 26398 हेक्टेयर तथा नगरीय क्षेत्र में 49 हेक्टेयर भूमि पर वन पाये जाते हैं ।

11. कृषि :

जनपद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन उसकी भूमि और मिट्टी है । इसको अधिकाधिक उपयोग में लाने की आवश्यकता है । वर्ष 1999-2000 में जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2,35,564 हेक्टेयर रहा है, जिसमें 26,447 हेक्टेयर वन क्षेत्र, 6,373 कृषि योग्य बन्जर भूमि, 8,088 वर्तमान परती, 9,602 हेक्टेयर अन्य परती, 12,551 हेक्टेयर ऊसर और कृषि–अयोग्य भूमि, 616 हेक्टेयर चारागाह, 20,098 हेक्टेयर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि, 692 हेक्टेयर उद्यानों का क्षेत्रफल, 1,51,099 शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 82,385 हेक्टेयर एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल खरीफ, 1,09,640 हेक्टेयर रबी एवे 4,824 हेक्टेयर जायद का क्षेत्रफल है तथा 1,17,651 हेक्टेयर शुद्ध सिंचिंत क्षेत्रफल है । जनपद में कुल क्रियाशील जोतों की संख्या 1,74,493 तथा क्षेत्रफल 1,53,715 है । जनपद में अधिकांश जोतें छोटी हैं । जो 0.5 हेक्टेयर से भी कम हैं, जो 47.75 प्रतिशत है । 0.5 से 1.0 से कम जोते 23.80 प्रतिशत तथा इसे अधिक 4 हेक्टेयर से कम 8.37 प्रतिशत 10 हेक्टेयर से अधिक की जोते मात्र 0.14 प्रतिशत है ।

12. भूमि सुधार :-

जनपद में कृषि योग्य बंजर भूमि 6373 हेक्टेयर है तथा ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि 12551 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है । जनपद की कृषि अयोग्य भूमि को सुधारने के लिए भूमि संरक्षण विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है । भूमि संरक्षण विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों से भूमि कटाव रोककर उत्पादन में वृद्धि की जाती है जिसके अन्तर्गत समतलीकरण

बन्धीकरण गूल हौज निर्माण एवं भूस्खलन आदि कार्य किये जा रहे हैं । जनपद की सबसे अधिक बेकार भूमि विकास खण्ड चकरनगर में पायी जाती है क्योंकि बीहड़ क्षेत्र इसी विकास खण्ड में आता है ।

13. कृषि उत्पादन से सम्बन्धित कार्यक्रम :-

जनपद में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जिसमे अधिक उपज देने वाली जातियों के बीज वितरण एवं उर्वरक वितरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है । कृषि यन्त्रों के प्रयोग, खाद एवं बीज की खरीद के लिए व्यावसायिक बैकों, सहकारी बैकों एवं ग्रामीण बैंकों से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था की जा रही है । साथ ही उवर्रक एवं बीज के नकद बिक्री को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(अ) फसल उत्पादन :-

प्रदेश के औसत खाद्यान्न उत्पादन में जनपद का खाद्यान्न उत्पादन अधिक है । वर्ष 1999 में जनपद में गेहूं 2,58,737 मी०टन, धान 96,952 मी०टन, ज्वार 662 मी०टन, जौ 13,045 मी०टन, दालें 29,090 मी०टन, सरसों 22,261 मी०टन, गन्ना 66,550 मी०टन एवं आलू 1,53,164 मी०टन का उत्पादन हुआ था । खाद्यान्न उत्पादन में और वृद्धि के लिए यथा सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । जहाँ उन्नतशील बीजों के वितरण की व्यवस्था के साथ–साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं ।

(ब) कृषि फसल की सुरक्षा :

कृषि फसलों को कीट एवं रोगो से सुरक्षा के लिए कृषि रक्षा विभाग कृषि रसायनों की व्यवस्था करता है । जनपद में कृषि रक्षा उपकरण वितरण, फसल उपयोगिता तथा प्रदर्शनी के आयोजन की व्यवस्था की जा रही है । उत्पादन में वृद्धि के लिए विकास खण्ड क्षेत्र में आदर्श ग्राम बनाकर कृषि कार्यक्रमों जैसे – बखारी वितरण, गोबर गैस सयन्त्र की स्थापना, कृषि रक्षा उपकरण वितरण फसल उपयोगिता तथा प्रदर्शन आदि सभी समायोजन की व्यवस्था की गयी है ।

14. सिचाई एवं बाढ़ :

इटावा कृषि प्रधान जनपद है । जनपद के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषि प्रधान जनपद होने की वजह से सिचाई के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है । खाद्यान्न उत्पादन के लिए आवश्यक है कि सिचाई के साधन अधिक से अधिक उपलब्ध करायें जायं जिससे कृषि सघनता को बढाया जा सके । इटावा जनपद में सिचाई के साधन प्रदेश एवं मण्डल की तुलना में अधिक है । जनपद में कुल बोये क्षेत्रफल में 77.2 प्रतिशत सिचाई हुई । जिसमें सर्वाधिक सिचाई 54.4 प्रतिशत नहर द्वारा, 44.7 प्रतिशत नलकूपों द्वारा, 0.9 प्रतिशत कूपों द्वारा या अन्य साधनों से की गई । जनपद में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 69,972 हेक्टेयर 5,995 हेक्टेयर राजकीय नलकूपों द्वारा 41,017 हेक्टेयर निजी नलकूपो द्वारा, 24 हेक्टेयर तालाब, झील, पोखर द्वारा, 316 हेक्टेयर अन्य साधनों द्वारा सिचाई की गई है । जनपद के विकास खण्ड बढ़पुरा एवं चकरनगर में जलस्तर काफी नीचे होने के कारण गहरे कुएं लगाये जाने की आवश्यकता है जसके लिए सरकार एक योजना चला रही है जिसमें कुल खर्च का आधा भाग किसान व आधा भाग सरकार ग्रामीण बैंकों द्वारा अनुदान दे रही है । सरकार सिचाई के लिए जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा ऋण उपलब्ध करा रही है ।

15. पशुपालन एवं दुग्ध आपूर्ति :-

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद पशुपालन का एक महत्वपूर्ण अंश है । वर्ष 1999-2000 में जनपद में कुल पशुओं की संख्या 6,40,728 थी जिसमें गौवशीय पशुओं की संख्या 1,54,245 एवं महिष वंशीय पशुओं की संख्या 3,14,358 थी । भूलेखों के अनुसार जनपद में 616 हेक्टेयर चारागाह तथा वनों के अन्तर्गत 26,449 हेक्टेयर है । इन उपलब्ध प्राकृतिक साधनों से पशुओं के उदर पोषण में सहायता मिलती है इसके अतिरिक्त चारे के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्र में 5,90,481 पशु एवं नगरीय क्षेत्रों में 25,530 पशु थे । वर्ष 2001 की पशुगणना के अनुसार दूग्ध देने वाली गायों कीं सख्या 79424 थी तथा भैसों की संख्या 1,09,807 थी बकरियों की संख्या 1,20,481 थीं । जनपद इटावा में भदावरी भैंसे पायी जाती है जिसकी विशेषता है कि अधिक दूध के साथ अधिक चिकनाई की मात्रा भी होती है । बकरियो में जमुनापरी में सामान्य से दो गुणा अधिक दूध होता है ।

पशुपालन के विकास हेतु तथा दुग्ध उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हेतु उन्नतिशील नस्ल के जर्सी एवं फ्रिजियन साड़ों तथा शंकर जाति की गायों के लिए अभियान चलाया जा रहा है । आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे दुग्ध उत्पादकों का दूध सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर खरीदा जाता है । पशुओं की नस्ल सुधारने, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । जिसके लिए सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है ।

16. विद्युतीकरण :

(अ) ग्रामों का विद्युतीकरण :

गावों के सर्वोन्मुखी विकास के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि सिचाई साधनों का निर्माण, रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन एवं सिचाई साधनों के सफलतापूर्वक संचालन भी विद्युत की आवश्यकता पर निर्भर है । वर्ष 1999-2000 तक जनपद में 596 गांवो का विद्युतीकरण किया जा चुका था जो कुल आबाद ग्रामों का 86.75 प्रतिशत है । जनपद में वर्ष 1999-2000 में 1102 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया । जनपद के सभी टाउन एरिया एवं नगर पालिका का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

(ब) नलकूप/पम्पसेटों का विद्युतीकरण :

जनपद के चहुँमुखी विकास के लिए पानी की व्यवस्था ठीक की जा रही है । वर्ष 1999-2000 तक जनपद में 5,863 नलकूपों/पम्पसेटों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। जनपद के बढ़पुरा व चकरनगर विकास खण्ड में जलस्तर नीचे होने के कारण सिचाई एवं पेयजल के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिए सरकार ने उस क्षेत्र की सिचाई व्यवस्था के लिए नलकूपों व पम्पसेटों के लिए अलग से व्यवस्था की है और उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

(स) विद्युत उपभोग :

वर्ष 1999-2000 तक जनपद में घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति 44,543 हजार किलोवाट, वाणिज्यक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति 10,001 हजार किलोवाट, कृषि विद्युत दर 102731, औद्योगिक विद्युत शक्ति पर 14,768 हजार किलोवाट, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था 2,457 हजार किलोवाट, सर्वाजनिक जल व्यवस्था पर 2,835 हजार

किलोवाट उपभोग हुआ । जनपद में कुल विद्युत उपभोग 1,77,335 हजार किलोवाट रहा लेकिन प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 172.2 किलोवाट प्रति घण्टा प्रति व्यक्ति रहा ।

जनपद में 33 के०वी० सब स्टेशन की संख्या 14 थी तथा 11 के०वी०वाट हाईटेंसन लाइन 3,695 किमी० तथा 33 के०वी०वाट 370 कि०मी० लाइन थी । इसके साथ–साथ 3,847 कि०मी० लोअर टेंसन लाइन भी है ।

17. खनिज :

जनपद इटावा में किसी प्रकार की खान उपलब्ध नही है और न कोई विशेष प्रकार का खनिज पाया जाता है । जनपद में चम्बल व यमुना नदियों मे रेत पाया जाता है । यमुना का रेत गंगा के रेत की भांति मध्यम प्रकार का होता है जबकि का चम्बल का रेत काला एवं मोटा होता है जो इमारतों पुलिया पुल के निर्माण कार्य में प्रयोग होता है । चम्बल व यमुना का रेत विकास खण्ड चकरनगर व बढ़पुरा में पाया जाता है । यह रेत आसपास के जनपद में भी भेजा जाता है ।

18. उद्योग :

औद्योगिक दृष्टिकोण से इटावा जनपद उ०प्र० राज्य द्वारा घोषित पिछड़े जिले में से एक है । जपनद का विभाजन होने से सभी उद्योग जनपद औरैया में चले गये हैं । फिर भी इटावा, जसवन्तनगर एवं भरथना नगरीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित है उक्त स्थानों पर धान एवं दालमिल कार्यरत है जबकि इटावा में एक सूत मिल तथा दवाइयों का कारखाना है जनपद में धान, दाल एवं हैण्डलूम से निर्मित कपड़ा काफी मात्रा में निर्मित किया जाता है । कपड़ा यहां से फर्रुखाबाद भेजा जाता है । जहां से छपाई के बाद विदेशों में निर्यात किया जाता है । भरथना में तेल मिल कार्य कर रही है जहां से

कानपुर तेल भेजा जाता है । औद्योगिक नीति के अनुसार जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता रहा है ताकि पर्याप्त विकास हो सके । जिला उद्योग केन्द्र अपनी स्थापना के बाद से ही उद्यमियों के चयन एवं प्रशिक्षण से लेकर पंजीकरण तथा वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है । औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 137 थी जिसमें कार्यरत औसत कर्मचारियों की संख्या 2462 थी । वर्ष 1992-93 में लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 788 थी जिसमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 2295 थी जनपद में विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से व्यक्तियों को विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

(अ) औद्योगिक आस्थान :

जनपद के विभाजन के पहले उद्योगों की संख्या काफी थी जिसमें नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लि०, पेट्रोकेमिकल्स सहित कई उद्योग कार्य कर रहे थे । विभाजन के बाद अधिकतर उद्योग जनपद औरैया में चले गये अब जनपद में औद्योगिक आस्थानों की संख्या वर्ष 1998-99 में 2 थी । शेडों की संख्या आवंटित 10 तथा कार्यरत 10 थे । प्लाटों की संख्या आवंटित 17 एवं कार्यरत 17 थे । रोजगार मे लगे व्यक्तियों की संख्या 172 तथा उत्पादन 1,446 हजार रुपये का था । औरैया जनपद में उद्योगों की स्थापना की वजह से इटावा जनपद की भूमि को भी अधिग्रहण की योजना बनाई जा रही है । टाटा ग्रुप ने अपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए भूमि का सर्वे कराया है । जनपद में बेरोजगारी बढ़ने की वजह से शासन को बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए लिखकर भेजा गया है ।

जनपद में एक आई०टी०आई० और एक इंजीनियरिंग कालेज एवं एक पालिटेक्नीकल कालेज की स्थापना ने युवकों को प्रोत्साहित किया है ।

19. सड़क यातायात :

औद्योगिक विकास एवं जनजीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यातायात के साधन अत्यन्त आवश्यक है । जीवन उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाने एवं आर्थिक कार्यकलापों में सड़कों की एक विशेष भूमिका है । इटावा जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा सघृत सड़कों की लम्बाई वर्ष 1998-99 म 1302 कि०मी० प्रति वर्ष 1998-99 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 90 कि०मी० प्रादेशिक राजमार्ग 95 कि०मी० जिला मुख्य सड़कें 99 कि०मी० एवं अन्य जिला एवं ग्रामीण सडके 1018 कि०मी० थी । स्थानीय निकायों के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ कैण्ट के अन्गर्तत कुल सड़के 203 कि०मी० थी । लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त सड़क की लम्बाई वर्ष 1998-99 में प्रति लाख जनसंख्या पर 15668 कि०मी० थी ।

परिवहन की दृष्टि से जनपद का मुख्यालय सड़क के साथ साथ रेलमार्ग से भी जुड़ा हुआ है । यह उत्तर रेलवे के दिल्ली–हाबड़ा रेलमार्ग पर स्थित है । जनपद में 8 रेलवे स्टेशन है तथा लगभग 56 कि०मी० रेलवे लाइन की लम्बाई है । इसके अलावा इटावा से गुना के लिए रेलवे लाइन का निर्माण कार्य जारी है । जनपद से सड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 2 गुजरता है । इटावा सड़क मार्ग से ग्वालियर–बरेली से भी जुड़ा है । जनपद में 75 बस स्टेशन है ।

20. संचार सेवाएं :

जनपद में दूरस्थ समस्त ग्रामों को पूर्ण रूप से पक्की सड़कों से नही जोड़ा जाता तब तक जनपद की संचार व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य नही कर सकती फिर भी वर्ष 1999-2000 के दौरान जनपद मे कुल 123 डाकघर थे जिसमें नगरीय क्षेत्र में 19 तथा

ग्रामीण क्षेत्रो में 104 डाकघर एवं 5 तारघर ग्रामीण क्षेत्र मे तथा 5 तारघर नगरीय क्षेत्र में कार्य कर रहे थे । जनपद में पब्लिक कॉल आफिस की संख्या 435 एवं टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 10,343 थी । जिसमें 265 पब्लिक कॉल आफिस 9,157 टेलीफोन नगरीय क्षेत्र में तथा 170 पब्लिक कॉल आफिस एवं 1,186 टेलीफोन ग्रामीण क्षेत्रों में थे।

21. टेलीविजन सेवाऐं :

जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्वच्छ एवं साफ प्रसारण के लिय जनपद मुख्यालय पर एक कम शक्ति वाला दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया गया है । इस रिले केन्द्र पर कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं कम कर्मचारियो की वजह से सुचारू रूप से नही चलाया जाता है ।

22. सेवायोजन :

बेरोजगार अभ्यार्थियों को उपयुक्त नियोजन एवं आवश्यकता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जनपद में एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है । जिसमें बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण किया जाता है । इस कार्यालय के अधीन एक शिक्षण एवं मार्गदर्शन की शाखा है । जिसमें 60 व्यक्तियों के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है प्रत्येक वर्ष आशुलिपिक प्रशिक्षण का एक सत्र एवं लिपिकीय प्रशिक्षण के दो सत्र स्थापित किये जाते हैं । वर्ष 2001-2002 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 24658 थी इसमें से वर्ष 2000-2001 के दौरान 7128 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया । वर्ष 2000-2001 के दौरान अधिसूचित रिक्तियों की संख्या 79 थी तथा इसी वर्ष कार्यालय द्वारा कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या 19 थी । रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बेरोजगार व्यक्तियों को स्वतः रोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है । इसके

अलावा विभिन्न भर्ती बोर्डो तथा अयोगों एवं विज्ञापन द्वारा सीधी भर्ती किये जाने, छटनी शुदा कर्मचारियों को समायोजन तथा सवेतन रोजगार के घटते अवसरों के कारण रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार के अवसरों में कोई उत्साह नही दिखाई देता है। जनपद में वर्तमान समय में 6634 शिक्षक केन्द्र एवं राज्य सरकार के 12153 कर्मचारी, 6098 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोगगारों के लिए जनपद में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है उन्हें टंकण एवं आशुलिपिक के लिये आई०टी०आई के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अलावा एक पालीटेक्नीकल के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगारो को प्रशिक्षण दिया जाता है । सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से 5 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है । सेवायोजन कार्यालय में समस्त सेवाएं सभी वर्ग के लिए निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

अ. श्रम :

श्रम विभाग की वर्तमान नीति श्रमिकों के रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि करना है जिसके लिए उद्योग धन्धे स्थापित हो चुके हैं । जिसमें श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है । श्रम अधिनियम के प्रभावी प्रवर्त्तन के लिये जनपद की सभी 5 तहसीलों पर श्रम निरीक्षक कार्यालय स्थापित किये गये हैं जो अपने क्षेत्र में श्रम अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन का कार्य देखता है । 14 जनवरी 1982 को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्बल वर्ग के उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम घोषित किये गये थे । जिसमें ग्रामीण अंचलों के मजदूरों हेतु मजदूरी का निर्धारण व प्रवर्तन, उद्योग के प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी निर्माण कार्य के मजदूरों व असंगठित मजदूरों के वेतन भत्तों को मूल्य सुचकांक से जोड़ना, श्रम कानूनों को प्रगतिशील बनाना, प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में मजदूर श्रमिकों का पंजीकरण आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

23. सहकारिता :

इटावा औद्योगिक रूप से पिछड़ा होने के कारण जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है इसके लिए आवश्यक है कि प्रारम्भिक ऋण समितियों द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्य के लिए मध्य कालीन एवं अल्पकालीन ऋण सहकारिता के माध्यम से देना चाहिए । अतः सहकारी समितियों को पुर्नगठित करना चाहिए ।

वर्ष 2001-2002 में प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की संख्या 60 थी जिसमें 131063 सहकारी सदस्य थे । समिति में पूंजी स्रोत सदस्यता शुल्क और अंश पूंजी, शासकीय अंश पूंजी जमानती ऋण जिला सहकारी बैंक से अनुदान एवं अन्य स्रोतों से पूंजी एकत्रित करके अपने सदस्यों से उपलब्ध कराती है । इन समितियों की अंशपूजी 15328 हजार रूपये थी । इन समितियों द्वारा 58801 हजार रूपये अल्पकालीन तथा 41215 हजार रूपये दीर्घकालीन ऋण वितरण एल०डी०वी० द्वारा किया गया । जनपद में जिला सहकारी बैंक की 14 शाखाएं हैं जिनमें बसरेहर में दो बैंक कार्यरत हैं । जनपद मे 3 क्रय–विक्रय समितियां एवं 2 संयुक्त कृषि समितियां भी कार्य कर रही हैं । इसके अलावा जनपद में भूमि विकास बैंक की 4 शाखाएं कार्य कर रही हैं ।

उ०प्र० एक निर्धन प्रदेश होने के कारण घरेलू बचत कम हो पाती है अतः घरेलू बचत को प्रात्साहन देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । यह बैंक कृषि क्षेत्र मे ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों एवं नागरिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं ।

24. बैंकिंग :

जनपद में घरेलू बचत को प्रोत्साहित किया जाता है इसके लिए बैंक सबसे अच्छी भूमिका निभाता है । जनपद में विकास कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक चलाने हेतु कृषि क्षेत्रों में कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने में ये बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । साथ ही ये बैंक लघु एवं बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं जनपद के

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के उपलब्धि मे बैंको द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है । बैको के योगदान के अभाव में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त नही किया जा सकता है । जनपद मे विकास योजनाओं पर होने वाला व्यय केन्द्र प्रदेश के अतिरिक्त बैको के माध्यम से बचत के आधार पर किया जाता है ।

जनपद इटावा का अग्रणी बैक (लीड बैक) सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया है 31 मार्च 2002 तक जनपद में 36 व्यावसायिक बैक, 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, 14 सहकारी बैंक, 4 भूमि विकास बैंक, कार्य कर रहे है । इस प्रकार जनपद मे कुल 79 बैक कार्य कर रहे है। जिला का विभाजन होने के पहले जनपद मे कुल 144 बैक कार्य कर रही थी । 65 बैंक जनपद औरैया मे चले जाने के कारण इनकी सख्या 79 रह गयी है । 30 जून 2001 को जनपद के व्यावसायिक बैको द्वारा 444.49 करोड रूपये जमा किये गये उसमे से 90.48 करोड़ रूपये ऋण वितरण किया गया । जिला सहकारी बैंक द्वारा 71.32 करोड़ जमा हुआ । 9.59 करोड रूपये ऋण दिया गया । इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 43.27 करोड़ रूपये जमा किये गये एवं 13.33 करोड रूपये ऋणों के रूप मे दिया गया । इसके अतिरिक्त भूमि विकास बैकों द्वारा 17.65 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया ।

प्राथमिक क्षेत्रो में जैसे कृषि, लघु उद्योग, फसली ऋण, मत्स्य पालन, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, गंगा कल्याण कार्यक्रम, डेरी परियोजना आदि के अन्तर्गत जनपद के कुल व्यावसायिक बैंको द्वारा वर्ष 1999-2000 में 10,38,821 हजार रूपये ऋण वितरित किये गये ।

25. शिक्षा :

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में 56.69 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे जिसके 67.8 प्रतिशत पुरूष एवं 43.5 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता 70.75 प्रतिशत थी । जिसमे 81.15 प्रतिशत

पुरूष तथा 58.49 प्रतिशत महिलाओ की साक्षरता थी । इस प्रकार जनपद की साक्षरता का प्रतिशत 10 वर्षों मे 80.12 प्रतिशत बढकर एक रिकार्ड किया है जिसकी वजह से प्रदेश की साक्षरता मे जनपद का चौथा स्थान है तथा पुरूष एवं महिलाओ की साक्षरता में 5वां स्थान प्राप्त है ।

वर्ष 1999-2000 तक जनपद मे जूनियर बसिक स्कूलों की सख्या 1273, सीनियर बेसिक स्कूलों की सख्या 450, उच्चतर माध्यमिक इण्टर कालेजो की संख्या 88 तथा महाविद्यालयों की सख्या 6 थी ।

वर्ष 1999-2000 में जूनियर बेसिक स्कूल में 1,12,036 छात्र तथा 96,260 छात्राएं अध्ययनरत थी । सीनियर बेसिक स्कूलो में 45,212 छात्र एवं 13,769 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही थीं । उच्चतर माध्यमिक इण्टर कालेजों मे 28,485 छात्र एवं 13,392 छात्राएं अध्ययन कर रही थी । जबकि महाविद्यालयों मे 6,236 छात्र एवं 3,017 छात्राएं अध्ययनरत थीं । अनुसूचित जाति के छात्र जूनियर बेसिक में 47510 एवं 38787 छात्राएं थी। सीनियर बेसिक में 5792 छात्र व 2520 छात्राएं अनुसूचित जाति की शिक्षा ग्रहण कर रही थीं । जबकि महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के 1194 छात्र एवं 362 छात्राएं अध्ययन कर रही थी ।

वर्ष 1999-2000 मे जूनियर बेसिक स्कूलो में 4889 अध्यापक थे जिसमें 1500 महिलायें थी सीनियर बेसिक में 2861 अध्यापको मे 903 महिला अध्यापक थीं । उच्चतर माध्यमिक इण्टर कालेजों में 1509 अध्यापकों में 300 महिला अध्यापक थीं । महाविद्यालयो में 154 अध्यापकों मे 35 महिलाएं थीं ।

वर्ष 1999-2000 में जपनद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 380 केन्द्रों मे शिक्षा दी जा रही है । 9066 प्रौणशिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा भी दी जाती है । जनपद में एक पालीटेक्नीकल दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे है ।

26. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य :

शासन का यह दृष्टिकोण है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक परिवार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध करायी जाय, जनपद के मुख्यालय इटावा नगर मे एक चिकित्सालय जो सभी के लिए उपलब्ध है तथा एक जच्चा बच्चा अस्पताल भी मुख्यालय पर अपनी सेवाए दे रहा है ! इसके अलावा जनपद मुख्यालय पर एक कुष्ठ रोग तथा दो क्षय रोग चिकित्सालय है । इस प्रकार जनपद मे सभी चिकित्सालयों में लगभग सभी सुविधाए उपलब्ध है ।

जनपद में वर्ष 1999-2000 में ऐलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय राजकीय सार्वजनिक 40, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 8, स्थानीय निकाय के 2, सहायता प्राप्त 2 चिकित्सालय कार्यरत हैं । जिसमें शैयाओं की संख्या 717 तथा डाक्टरों की संख्या 49, पेरामेडीकल 314 एवं अन्य कर्मचारी 101 कार्यरत हैं ।

जनपद में आर्युवैदिक चिकित्सालय/औषधालयों की संख्या 22 और 108 शैयाएं है जिसमे 16 डाक्टर है । इसके अलावा जनपद में हैम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय 12 जिसमें 14 डाक्टर कार्यरत हैं । जनपद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कालेज भी कार्य कर रहे हैं जिसमें डाक्टरो की संख्या 8 है ।

इस प्रकार जनपद मे चिकित्यालयों की सख्या कम है उसमें डाक्टरों की संख्या ठीक नही है जिसका परिणाम यह होता है कि मरीजों को कानपुर, आगरा या ग्वालियर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है । क्षय रोग अस्पताल को छोड़कर और किसी भी अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध नही है । जनपद में निजी अस्पताल चलाये जा रहे हैं उनमें कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन कानपुर, ग्वालियर, आगरा जैसी सुविधाएं नही है ।

27. विविध :

अ. परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र :

वर्ष 1999-2000 में जनपद में 29 परिवार कल्याण केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे हैं । जनपद में 141 मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र भी परिवार कल्याण एवं शिशु कल्याण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं । परिवार कल्याण उपकेन्द्रों में सबसे अधिक विकासखण्ड जसवन्तनगर में 27 और सबसे कम सैंफई विकास खण्ड में 3 उपकेन्द्र सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं । इसके अलावा जनपद में 1999-2000 में 2253 परिवार नियोजन के अन्तर्गत आपरेशन किये गये हैं ।

ब. पेयजल :

प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत जल तत्व को महत्वपूर्ण माना जाता है । अतः समस्त प्राणियों एवं वनस्पतियों का जीवनदायक जल को ही माना जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा, हैण्डपम्प कुंआ व झील एवं नदियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । चम्बल व यमुना नदियों के किनारे गर्मी के मौसम में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है । जिसको दूर किया जा रहा है ।

वर्ष 1999-2000 तक जनपद के कुल 687 आबाद ग्रामों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 634 ग्रामों में नल द्वारा 9.92 लाख जनसंख्या को स्वच्छ एवं शुद्ध पानी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ।

जनपद में समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की सुविधा पहुंचा दी गयी है । जिले के प्रत्येक समस्याग्रस्त ग्राम में हैण्डपम्प मार्क – 2 लगाकर पेयजल उपलब्ध कराया गया है। विकास खण्ड चकरनगर एवं बढ़पूरा में जल स्तर नीचा होने के कारण वहां यह परियोजना सफलता से संचालित नहीं हो पा रही है । इन दोनों विकासखण्ड में प्रत्येक

गांवों में कम से कम 3-3 हैण्डपम्प लगाये जाने चाहिए क्योंकि जल स्तर नीचा होने के कारण पानी के लिए लाइन लग जाती है ।

वर्ष 1999-2000 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत जनपद में 54 हैण्डपम्प लगाये गये हैं तथा 23 कुएं खुदवाये गये हैं । अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जनपद में 206 हैण्डपम्प एवं 53 कुंए खुदवाये गये हैं । जनपद में राजकीय नलकूप 346 एवं व्यक्तिगत नलकूप एवं पम्पसेटों की संख्या 27977 थी ।

स. मनोरंजन :

अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरजन आवश्यक है । वर्ष 1999-2000 तक जनपद में 10 सिनेमा ग्रह संचालित किये जा रहे थे । इन 10 सिनेमाग्रहों में कुल बैठने वाली सीटों की संख्या 6499 थी । जनपद के विभिन्न टाउन एरिया एवं नगरो में केबिल आपरेटरो के माध्यम से जनता को लाभान्वित किया जा रहा है ।

द. खेलकूद :

जनपद में खेलकूद के लिए दो स्टेडियम बने हुए हैं । एक स्टेडियम जनपद के मुख्यालय पर बना है तथा दूसरा स्टेडियम विकास खण्ड सैफंई में बना है । सैफंई स्टेडियम में हाकी का अन्तर्राष्ट्रीय मैच आयोजित किये जाते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कुस्ती का आयोजन सैफंई स्टेडियम में प्रति वर्ष किया जाता है । इसके अलावा छोटे–छोटे स्टेडियम महाविद्यालय एवं इण्टर कालेजों में बनाये गये हैं ।

य. रेस्ट हाउस/डाक बंगला :

वर्ष 1999-2000 तक जनपद में 4 रेस्ट हाउस एवं 18 डाक बंगले बने हुए थे । डाक बंगलो में सिचाई विभाग के 15 लोक निर्माण विभाग के 2 तथा जिला पंचायत का एक डाक बंगला बना हुआ था ।

र. मुद्रणालय :

वर्ष 1999-2000 में जनपद में कुल 223 मुद्रणालयों की संख्या थी जो सभी निजी क्षेत्र में लगाये गये हैं । सार्वजनिक क्षेत्र मे एक भी मुद्रणालय स्थापित नही किये गये । जनपद की साक्षरता 70.75 तक पहुचने की वजह से मुद्राणलयों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । जिसके लिए सरकार ग्रामीण बैंक एवं अन्य व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा रही है ।

ल. पंचायत घर :

वर्ष 2000-2001 में जनपद में न्याय पंचायतों की संख्या 75 थी, ग्राम सभाओ की संख्या 420 एवं 172 पंचायत घर जनपद में कार्य कर रहे थे । जनपद में 3 नगर पालिका परिषद एवं 3 नगर क्षेत्र समितियां है । प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण करने की वजह से 73वें संविधान संशोधन पारित होने के बाद ग्राम पंयाचतों को अधिक अधिकार प्रदान करने की वजह से इसकी महत्ता और बढ़ती जा रही है ।

व. पशु चिकित्सालय :

जपनद में वर्ष 1999-2000 में 22 पशुचिकित्सालय कार्य कर रहे थे । जपनद में पशुधन सेवा केन्द्र 33, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र7, कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रों की संख्या 30 थी जो अपनी सेवायें उपलब्ध कर रहे थे । सरकार पशुओं की खरीद पर ग्रामीण बैंको या व्यावसायिक बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा रही है ।

श. सस्ते गल्ले की दुकानें :

वर्ष 1999 की जनगणना के अनुसार जनपद में कुल सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या 612 थी जिसमें 519 ग्रामीण क्षेत्रों में और 93 दुकानें नगरीय क्षेत्रों में थी । जनगणना 2001 के अनुसार जनपद में ये दुकानें बढ़कर 709 हो गयी जिसमें 553

ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 156 नगरीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है । जिसमें विकासखण्ड भरथना में सबसे अधिक 94 और सबसे कम ताखा विकास खण्ड में 54 दुकानें कार्य कर रही है । इन सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम में जनपद की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या जो गरीबी रेखा के नीचे है उनकों सस्ते मूल्य पर खाद्य सामंग्री उपलब्ध करा रही है । जिससे लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार हो रहा और जनपद के विकास में मदद मिल रही है । इसके अलावा जनपद के प्रत्येक जूनियर बेसिक स्कूल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे को दोपहर को भोजन एवं महीने में एक बार प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को गेहूँ व चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।

नोट :- *"समस्त आंकड़े, सामाजार्थिक समीक्षा एवं सांख्यिकी पत्रिका जनपद इटावा से तथा अर्थ एवं संख्या प्रभाग योजना भवन, लखनऊ से प्राप्त किये गये हैं ।"*

अध्याय : 5

ग्रामीण विकास : विभिन्न रोजगार योजनायें (इटावा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

"भारत का हृदय गाँवों में बसता है, गाँवों की उन्नति से ही भारत की उन्नति हो सकती है ।"

– **महात्मा गाँधी**

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के अनुसार भारत गांवों में बसता है । ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास सम्भव नही है क्योंकि तीन–चौथाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा राष्ट्रीय आय का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से प्राप्त होता है । विगत दो दशकों से केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने हेतु अपने बजट का अधिक से अधिक हिस्सा आवंटित किया है । राज्य सरकारें भी पर्याप्त व्यय राशि ग्रामीण विकास पर आवंटित कर रही है । ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं ।[1]

भारत में अब तक बनीं तेरह राष्ट्रीय सरकारों एवं सभी राज्य सरकारों ने हमेशा ही अपनी आर्थिक विकास की योजनाओं में ग्राम–विकास को प्रधानता दी है । स्वतन्त्र भारत के 53 वर्ष बीत जाने के बाद तथा योजनाबद्ध विकास के मार्ग में चलते हुए नवीं योजना समाप्त होने के बाद दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) काल में प्रवेश करने के उपरान्त भी ग्रामीण विकास को प्राथमिकताएं उतनी ही प्रांसगिंग है जितनी प्रथम पंचवर्षीय येाजना के निर्माण के समय थी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया गया वह था सामुदायिक विकास को योजना निर्माताओं ने एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा को एक ऐसी संस्था के रूप में स्वीकार किया जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में मदद करें साथ ही जहाँ सामुदायिक विकास को विकास का एक आधारभूत प्रखण्ड माना गया जो कि तीन वर्ष के अन्दर प्रखण्डपूर्ण जीवन में परिवर्तन ला सके वहीं राष्ट्रीय विस्तार सेवा को एक स्थायी बहुउद्देशीय विस्तार संस्था के रूप में स्वीकार किया गया । इनके अतिरिक्त जन–मानस में स्वयं उत्थान की भावना को जगाना था ।

स्रोत - 1 कुरूक्षेत्र फरवरी 2000 - पृष्ठ - 42

गाँधीजी की ग्राम विकास के सम्बन्ध मे एक कल्पना थी इस कल्पना को उन्होनें सर्वप्रथम 1909 में छपी अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में स्पष्ट किया था वे भारत की प्राचीन ग्राम–व्यवस्था को बनाये रखना चाहते थे जिसने पचायतो का महत्वपूर्ण योगदान होता था और गांव अपनी जरूरतों के मामलों में आत्मनिर्भर होते थे जो कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट है *"आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए । हर एक गांव में जम्हूरी सल्तनत या पंचायत का राज होगा । उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी । इसका मतलब कि हर गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा । अपनी जरूरतें खुद पूरी करनी होगी ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके । जिस समाज का हर एक आदमी और औरत यह जानती है कि उसे क्या चाहिए और उससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबर की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती है वह खुद भी किसी को नही लेनी चाहिए । वह समाज जरूर ही बहुत ऊंचे दर्जे की सम्भता वाला होना चाहिए । ऐसा समाज अनगिनत गांवो का बना होगा । उसका फैलाव एक के ऊपर एक ढग पर नही बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक ही शक्ल में होगा । जिन्दगी मीनार की शक्ल में नही होगी जहां ऊपर की तंग चोटी के नीचे के चौड़ पाये पर खड़ा होना पड़ता है ।"* इस उद्धरण में गॉधीजी की कल्पना को साकार करने के लिए जिस ढ़ग से आवश्यकता थी, उसके स्थान पर नेहरू जी ने पश्चिमी ढग के विकास के ढाचें को अपनाया । तभी तो गाँधीजी कहा करते थे, *"भारत का हृदय गांवों में बसता है गाँवों की उन्नति से ही भारत की उन्नति हो सकती है ।"*

अब तक गांवों का जो भी विकास हुआ है वह पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित नौकरशाही तंन्त्र और पंचायत प्रणाली तन्त्र के माध्यम से हुआ । ब्रिटिश राज से चले आ रहे नौकरशाही तन्त्र को इनपर निगरानी रखने का दायित्व सौंपा है । 73वें संविधान संशोधन से पंचायत प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिल जाने के बाद और भी सभी राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लगभग सभी काम जनता द्वारा चुनी गई पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के माध्यम से होने की उम्मीद की जा रही है ।

पिछले पचास वर्षो में ग्राम विकास के जो काम हुए हैं, उन पर संतोष व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें गांवों में पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा आदि उपलब्ध कराया गया है । भूमिहीनो, खेत मजदूरो और अन्य असहाय तथा निर्धन वर्गो के लिए गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम जैसे – जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, दस लाख कुओं की योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, डवाकरा गंगा कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना आदि इन योजनाओ के माध्यम से गावो के निर्धन वर्गो को राहत मिल रही है

कुल मिलाकर ग्राम विकास की विभिन्न योजनाओं के कारण गाँवों की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है । आज की स्थिति और पिछले 50 साल पहले की स्थिति में काफी अन्तर है यह अन्तर साहित्य मे भी प्रतिबिबिंत हो रहा है । हिन्दी के कहानीकार मुंशी प्रेमचन्द्र ने ग्रामीण जीवन की स्थितियों का जो चित्रण अपने उपन्यासों और कहानियों में किया, वह अपने समय का यथार्थ चित्रण था । यह परिवर्तन और विकास हमारी आशाओ के अनुरूप नही है । इसका सबसे बडा कारण भष्टाचार रहा है । भष्टाचार देश के विकास की रफ्तार को धीमा कर देता है । इसके सन्दर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की स्वीकारोक्ति बिल्कुल सही है कि सरकार द्वारा दिये गये प्रत्येक रूपये मे से सिर्फ 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते है शेष 85 पैसो का ऊपर–ऊपर गायब हो जाना ही धीमी विकास का मुख्य कारण है । भष्टाचार का अध्ययन करने वाले जान मांटरी ने अपनी पुस्तक 'करप्शन' मे लिखा है *"भष्टाचार के निवारण के लिए जनता की निगरानी अत्यन्त आवश्यक है । केवल सक्त कानून बनाकर अथवा जांच अनुसंधान के लिए नई–नई संस्थाएं बनाने से ही यह काम सम्भव नही है । इसकी रोकथाम के लिए जनता को संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा । संघर्ष के लिए अच्छे नागरिको को संगठित करना आवश्यक होगा ताकि वे इस संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सकें ।"* इस प्रकार यदि भष्टाचार पर अंकुश पा लिया जाये तो ग्रामीण विकास के साथ–साथ देश का भी विकास होगा ।

नियोजन के प्रारम्भ मे ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने अलग से इस समस्या के समाधान पर कोई विशेष ध्यान नही दिया, किन्तु चौथी योजना के समय से इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा । ग्रामीण विकास के लिए आठवीं पचवर्षीय योजना में आवंटित राशि 30,000 करोड़ रूपये थी जो कि नौवीं पचवर्षीय योजना में 42,874 करोड़ रूपये कर दी गयी, वर्ष 2000-2001 के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु 9760 करोड़ रूपये रखे गये है, वर्तमान समय में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण निम्न है।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम :

बहुत से अर्थ–विशेषज्ञों ने अपने अध्ययन मे यह बात साफ कर दी है कि जहॉ आर्थिक संवृद्धि द्वारा विकासशील देशों मे प्रति व्यक्ति आय को उन्नत किया जा सकता है उसके साथ यह जरूरी नही कि निर्धनता कम हो जाय और बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार को समाप्त किया जा सके । इसके विरूद्ध तृतीय विश्व के देशों में विकास प्रक्रिया ने सापेक्षतः विकसित क्षेत्रों और आर्थिक दृष्टि से उन्नत लोगों को लाभ पहुंचाया है । इस परिस्थिति के लिए यह जरूरी था कि ग्राम निर्धनता को कम करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाये जायं जिससे निर्धनता रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों का स्तर निर्धनता रेखा के ऊपर लाया जा सके । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छठीं योजना मे ग्राम–विकास के समन्वित कार्यक्रम की कल्पना की गई । "समन्वित" यहाँ चार आयामों को शामिल करता है : क्षेत्रीय प्रोग्रामों का समन्वय, भौगोलिक समन्वय, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं का समन्वय और इन सबसे ऊपर उन सभी नीतियों का समन्वय करना होगा जो विकास, निर्धनता की समाप्ति और रोजगार–जनन के बीच बेहतर तालमेल बिठाना चाहती है ।[2]

स्रोत 2 - भारतीय अर्थव्यवस्था - रुद्र दत्त एवं के०पी०एम० सुन्दरम् - पृष्ठ 285

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश के 5011 ब्लाक खण्डों में एक साथ चालू किया गया । इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप मे जारी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने के लिए समर्थ बनाना है । यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्त पेाषित है । इस येाजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे ही जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी (डी०आर०डी०ए०) को उपलब्ध करायी जाती है ।

यह प्रोग्राम साहाय्यों की एक क्रमिक योजना पर आधारित है जिसके अधीन पूंजी–लागत को 25 प्रतिशत छोटे किसानों को, 33.3 प्रतिशत सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को और 50 प्रतिशत जनजातीय लाभ प्राप्तकर्ताओं को साहाय्य के रूप में प्रदान किया जायेगा । छठीं योजना में 4,762 करोड रुपये का विनियोग किया गया सातवीं योजना में 182 लाख परिवारों को 8,688 करोड रूपये का अनुदान दिया गया आठवीं योजना को साख पर आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में देखा गया ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इटावा जनपद में भी 1980 में प्रारम्भ किया गया। तब से यह योजना जनपद में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वालो को विभिन्न बैंकों के माध्यम से अनुदान प्रदान कर रही है । एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अगस्त 1998 में 516 परिवारों को 73.47 लाख रूपयों का अनुदान दिया गया जबकि सितम्बर 1998 में 738 परिवारों को 105.49 लाख रूपये का अनुदान मिला था। जनवरी 1999 में 1,839 लाख रूपये 2,163 परिवारों को लाभ विभिन्न बैकों के माध्यम से पहुचाया गया है । वर्ष 1999-2000 में 4,000 परिवारों के लिए 59,000 हजार रूपये की व्यवस्था की गई थी । वर्ष 2000-2001 में 4,873 परिवारों को 71876.75 हजार रूपये का अनुदान दिया गया है।[3]

स्रोत - 3 - वार्षिक योजना - उ०प्र० सरकार, राज्य योजना विभाग द्वारा

इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अगस्त 1998 में 230 परिवारों को 34280 हजार रूपये का अनुदान दिया । सितम्बर 1998 मे 316 परिवारों को 46,860 हजार रूपये तथा जनवरी 1999 में 825 परिवारों को 71,000 रूपये का अनुदान दिया गया । वर्ष 1999-2000 में 1,132 परिवारों को 16,697 हजार रूपये तथा 2000-2001 में 1,549 परिवारों को 22803.5 हजार रूपये का अनुदान दिया गया ।[4] इस प्रकार जनपद की सभी बैंको की तुलना में ग्रामीण विकास में इटावा क्षेत्रीय बैक की भूमिका सराहनीय रही है ।

ट्राइसेम :

ग्रामीण युवकों की बेरोजगारी जैसी समस्या हल करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम योजना शुरू की गई । इसका उद्देश्य उन ग्रामीण युवाओं को तकनीकी तथा उद्यमशीलता का कुशलताएं प्रदान करना है जो गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के हैं ताकि कमाई करने वाले काम शुरू कर सकें । इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, नेहरू युवक केन्द्रों, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों द्वारा संचालित संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है ।
- प्रशिक्षण की अवधि छः माह से या इससे अधिक जिसे घटाया बढ़ाया जा सकता है।
- प्रशिक्षण पाने वाले युवा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्भावित लाभार्थी होता है ।

  प्रशिक्षण पाने वालों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं की संख्या कम से कम 50 प्रतिशत तथा युवतियों की संख्या 40 प्रतिशत होती है ।

स्रोत 4 - वार्षिक योजना, उ०प्र० सरकार, राज्य योजना विभाग द्वारा प्रकाशित

- प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार या नौकरी में समर्थ विकलांगों के लिए कम से कम 3 प्रतिशत लाभ निर्धारित होता है ।
- इस कार्यक्रम के लिए अधिकतम आयु सीमा 18-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।[5]

छठीं योजना में 10.05 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था लेकिन वास्तव में 9.4 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण पाने वालों में 34.85 प्रतिशत महिलाएं और 31.5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के थे । सातवीं योजना में 8.73 लाख और 1990-91 से 1998-99 तक नौ वर्षों में 23.28 लाख ग्रामीण युवकों को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया । अप्रैल 1999 में इस योजना को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है ।[6]

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण योजना जनपद इटावा में 1979 में शुरू हो गयी थी । यह योजना जनपद इटावा में प्रत्येक विकास खण्ड से कम से कम 40 व्यक्तियों को प्रति वर्ष अवश्य प्रशिक्षित करती है । इसमें लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर तथा अन्य निर्धनता रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को राजगीरी, बढ़ईगीरी, माचिस बनाना, दरी कालीन बनाना, वस्त्र बुनना, सिलाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थियों को वित्तीय सहायता प्रति माह उपलब्ध करायी जाती है । इटावा जनपद में इस कार्यक्रम के संचालन में व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण, सहकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं सहयोग दे रही हैं ।

वर्ष के 1999-2000 में जनपद में कुल 788 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित था जबकि 2000-2001 में 768 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना था जिसमें से सिर्फ 345 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षित व्यक्तियों में से 309 व्यक्तियों ने अपना स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय आरम्भ कर लिया है ।

स्रोत - 5 **कुरुक्षेत्र मार्च**, 1998 , **पृष्ठ** 34

स्रोत - 6 **भारतीय अर्थव्यवस्था , मिश्र, एस०के० एवं पुरी वी० के० , पृष्ठ 129**

स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) :

देश के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी और बेरोजगारी का निर्धारित अवधि में उन्मूलन करने के लिए वहां छोटे–छोटे उद्यम स्थापित करके सम्पन्नता और खुशहाली के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 से एक बहुउद्देशीय तथा बहुआयामी योजना स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) के नाम से प्रारम्भ की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत तौर पर रोजगार की व्यवस्था करने के साथ–साथ सामूहिक रूप से उद्यम स्थापित करने हेतु स्वयं सहायता समूहो के गठन का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त इन लोगों को रोजगार चलाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, समुचित तकनीकी सहायता, पूंजीगत ऋण तथा अुनदान की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है ।

इस येाजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास की पहले से चल रही येाजनायें – समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों को औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, तथा 10 लाख कुँआ योजना को समन्वित करते हुये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार येाजना के संचालन का निर्णय किया है।[7] इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं ।

1. ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी की रेखा से नीचे वालों को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनको आगामी तीन वर्षो में गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है ।
2. छोटे–छोटे उद्यमों की स्थापना करके पिछड़े गावों तथा ग्रामवासियों को विकसित करना ।
3. गरीब ग्रामीणों को आसान शर्तो पर ऋण तथा आर्थिक सहायता देकर आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना ।
4. गरीब ग्रामीणों में से भी अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांगो तथा महिलाओं आदि को वरीयता देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना ।

---

7. **स्रोत - भारतीय अर्थव्यवस्था - विभन्न प्रतियोगिता पत्रिकाओं से**

5. कृषि उत्पादन बढाने के लिए लघु सिंचाई योजनाओ को अनुदान उपलब्ध कराना।

योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एव जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत विकलांगों के लिए निर्धारित किया गया है । इस योजना में ऋण एवं सब्सिड़ी कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं, सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की एक समान दर होगी । किन्तु सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम सीमा 7500 रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीमा 50 प्रतिशत या 10000 रूपये तक होगी । सामूहिक रूप से सबिसडी परियेाजना लागत का 50 प्रतिशत या 1.25 लाख रूपये है । यह येाजना केन्द्र तथा राज्य सरकार के सहयोग ये चलाई जा रही है जिसमें 75:25 के अनुपात में विभाजित है । इस योजना के लिए वर्ष 2001-2002 के लिए बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान है किया गया।

इटावा जनपद में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरूआत वर्ष 1999 में की गई थी । जनपद के गरीबों कों आर्थिक सामाजिक रूप से सामर्थ्य बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे–छोटे उद्यमों की सहायता करना है । जनपद में सभी वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को वित्तीय अनुदान उपलब्ध करा रही है । 1999-2000 में इस योजना के अन्तर्गत 570 आवदेकों को 28,500 हजार रूपयों की वित्तीय सहायता दी गयी । वर्ष 2000-2001 के लिए 30 जून 2000 को व्यावसायिक बैंको ने 285 समूहों को 1,71,000 हजार रूपयों में से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने 132 अवदेकों को 79200 हजार रूपयों की सहायता प्रदान की गई । जबकि 2001-2002 के लिए 30 अगस्त 2001 को सभी व्यवसायिक बैंको ने 157000 हजार रूपये का ऋण दिया । उसमें से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 160 आवेदकों को 1,25,000 हजार रूपये का अनुदान दिया है । वर्ष 2001-2002 के लिए इस योजना में 3,69,900 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है ।[8]

इस प्रकार बैंको की समीक्षा से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक

स्रोत - 8 - अग्रणी बैंक कार्यालय इटावा

बैंकों की उपलब्धि नगण्य रही है लेकिन व्यावसायिक बैको ने स्वर्ण जयंती शहरी से स्वरोजगार योजना के लिए निर्धन वर्गो को वित्तीय अनुदान देने मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । जबकि ग्रमीण बैको की समीक्षा की जाय तो ग्रामीण क्षेत्र मे योजनान्तर्गत अभी तक ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि अच्छी नही रही है, फिर भी व्यवासायिक बैंकों की तुलना मे ग्रामीण बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । योजना की शुरूआत से ही जनपद के ग्रामीण बैक इस योजना मे लगातार अनुदान की वृद्धि करते जा रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए०) :

ग्रामीण क्षेत्रों मे महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवार की महिलाओ का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए सितम्बर 1982 में यह योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में प्रारम्भ की गई । इस कार्यक्रम में 5-10 महिलाओं का एक सूमह बनाया जाता है । लक्षित वर्ग की महिलाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ऋण तथा अनुदान का लाभ उठा सकती हैं । वर्ष 1995-96 में प्रत्येक महिला समूह को 25000 रूपये का एक रिवाल्बिग कोष प्रदान किया गया । रिवाल्बिंग कोष की राशि केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा यूनीसेफ द्वारा 40:40:20 के अनुपात में वहन की जाती है। 1995-96 से शिशुपालन को भी डवाकरा कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है, इसके लिए प्रत्येक जिले को 1.50 लाख रूपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है । जिसमें केन्द्र का अंश एक लाख रूपये तथा राज्य का 50000 रूपये होता है । डवाकरा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । आज देश के सभी जिलों में डवाकरा कार्यक्रम चल रहा है । जुलाई 1997 तक 193170 समूह बने जिसमें 3150907

महिलाये लाभान्वित हुई । जून 2001 तक 215431 समूह बनाये गये जिसमें 3959793 महिलाओ को लाभान्वित किया गया ।

इटावा जनपद मे यह योजना अपनी स्थापना के कुछ समय पश्चात ही प्रारम्भ कर दी गयी थी । यह योजना जनपद मे (औरैया सहित) 8 विकास खण्डो मे लागू की गई थी । वर्ष 1998-99 मे 945 हजार रूपये महिलाओ को ऋण दिया गया ; जबकि 2000 मे 240 महिलाओ को 4800 हजार रूपयो का ऋण प्रदान किया गया है ।

जवाहर रोजगार योजना :

गाँवो में कृषि से जुडी गतिविधियां मौसम पर आधारित होने से रोजगार की स्थिति और बेरोजगारी की समस्या भी मौसमी आधार पर तय होती रहती है । सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 28 अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन कार्यक्रम नामक दोनो रोजगार योजनाओं को मिलाकर एक वृहद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है ।

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उददे्श्य गांवों में बेरोजगार तथा आंशिक रोजगार वाले स्त्री पुरूषों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना है । इस येाजना को 120 पिछड़े जिलों में लागू करते समय 500 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था । इससे पहले से चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में लगाये गये धन से शुरू किया गया । लेकिन बाद में पुराने दोनों कार्यक्रम को इसी मे विलय कर दिया गया । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य के लिए 80:20 के अनुपात में धन लगाने का प्रावधान था ।

"जवाहर रोजगार योजना के प्रमुख बात इसका विकेन्द्रीकृत रूप था । इसमें रोजगार बनाने व चलाने का दायित्व पंचायतों को सौपा गया था । देश में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत होने से तथा उनके लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने से, समाज के गरीब वर्गो

को लाभ मिलने की संभावना रहती थी क्योंकि चुनाव द्वारा बनी हुई पंचायतों को ही योजना लागू करने के लिए साधन दिये जाते है ।"[9]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 तक कुल 2872.02 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये थे । परन्तु इसमें से 79.90 प्रतिशत राशि का ही उपयोग हो पाया । इस अवधि में 70003 लाख श्रम दिवसों को रोजगार सुलभ हो पाया । वर्ष 1998-99 के लिए 2078.44 करोड़ रूपये का आवटन किया गया ।

योजना का समवर्ती मूल्यांकन से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उभर कर आया कि गांवों के दरिद्र और अत्यंत गरीब वर्गो के बजाय अपेक्षाकृत ऊंची आय वाले वर्गो को इस योजना में रोजगार के अधिक अवसर मिले । इससे पता चलता है कि योजना के अन्तर्गत रोजगार पाने वालो मे से 57 प्रतिशत ऐसे थे जिनकी वार्षिक आय 6401 रूपये से अधिक थी । स्पष्ट है कि कम आय वालों को पर्याप्त लाभ नहीं मिला । मात्र 2265 रूपये वार्षिक तक आय वाले सिर्फ 1.14 प्रतिशत, यदि 4800 रूपये आय वाले लोगों को शामिल करते हैं तो उनका कुल योग 18.36 प्रतिशत होता है । परन्तु जवाहर रोजगार योजना का सुखद पहलू यह भी है कि 53.8 प्रतिशत मामलो में रोजगार भूमिहीनों को, 7.36 प्रतिशत छोटे किसानों, 34.32 प्रतिशत सीमान्त किसानों को तथा 2.80 प्रतिशत दस्तकारों को लाभ मिला ।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जवाहर रोजगार योजना का परिकल्पन अत्यन्त ही पवित्र उददेश्यों को दृष्टि में रखकर किया गया । इसका केन्द्र अनुसूचित जाति, जनजाति मुक्त कराये बंधुवा मजदूरों और अन्य ऐसे व्यक्तियों पर था जो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे । रोजगार उपलब्ध कराने में थोड़ी प्रगति हुई है । परन्तु प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए 90 सें 100 दिन को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य अभी एक दूरस्थ स्वप्न ही प्रतीत होता है ।

इटावा जनपद में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार पुरूषों एवं महिलाओं के सृजन करने के लिए लायी गई थी । इस योजना द्वारा ग्रामीण ढाँचें को सृदृढ़ करके

स्रोत 9 - भारतीय अर्थव्यवस्था - मिश्रा एस०के० एवं पुरी वी०के० , पृष्ठ 129

उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार लाना था । महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित थे । इस योजना में जिला स्तर पर धन का उपयोग आर्थिक दृष्टि के उत्पादक परिसम्पत्तियो मे 35 प्रतिशत सामाजिक वानिकी में, 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति को 22.5 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों के लिए 17.5 प्रतिशत का जनपद मे प्रावधान रखा गया था । वर्ष 1998-99 में 28,600 हजार रूपये का प्रावधान था जबकि 1999 में यह योजना जवाहर समृद्धि योजना के रूप मे लागू कर दी गई।

जवाहर समृद्धि योजना :

ग्रामीण विकास के कार्य मे तेजी लाने के उदद्देश्य से समय–समय अनेक योजनाये प्रारम्भ की गई और जब भी आवश्यकता हुई उनमे आवश्यक संशोधन भी किये गये । जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को संशोधित करके जवाहर समृद्धि योजना के रूप में लायी गई । इस येाजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभप्रद योजना की व्यवस्था करके निर्धन ग्रामीणों के रहन सहन को उन्नत करना है । अर्थात् गांवों में स्थाई रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा गावों के बेरोजगार गरीबों को पूरक रोजगार मिल सके । वैसे तो जवाहर समृद्धि योजना का लक्ष्य गांवों में रहने वाले सभी लोगों के जीवन में सुधार लाकर उन्हें समृद्धि की ओर ले जाना है । पर गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले अनुसूचित जातियो एव जन जातियों के लोगों तथा विकलागो का विशेष ध्यान रखा जायेगा । इस योजना में केन्द्र की तरफ से 75 प्रतिशत तथा राज्य की तरफ से 25 प्रतिशत की भागीदारी होगी ।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित जवाहर समृद्धि योजना को दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों मे पंचायतों द्वारा अपनाया गया है। ग्राम पंचायतें 50000 रूपये तक की परियोजनाओं को लागू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंन्त्र है

परन्तु 50,000 रूपये से अधिक के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लेने के अलावा उपयुक्त अधिकारियों से तकनीकी तथ प्रशासनिक मंजूरी लेनी होती है ।

जवाहर समृद्धि योजना के अन्तर्गत आवंटित की गई धनराशि का 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों को, 3 प्रतिशत विकलांगो के लिए प्रावधान है । योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में धन आवंटित करने का प्रावधान है । वर्ष 1999 में योजना के लागू होते समय जवाहर रोजगार योजना के खातें के 457.01 करोड़ रूपये बचे थे तथा इसी वित्त वर्ष में 1655 करोड़ रूपये और आवंटित किये गये । 1999 के अन्त तक 7889.55 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार ने और जारी किये थे । जो कि इसी वित्त वर्ष के अन्त तक 46.11 प्रतिशत धन का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों में किया जा चुका था । वर्ष 2000-2001 के बजट में इस योजना के तहत 1650 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्रों और वहां रहने वाले बेरोजगारों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रहीं हैं । जवाहर समृद्धि योजना को शुरू हुए अभी दो वर्ष ही हुए है लेकिन पिछले अनुभव के आधार पर इस योजना पर सन्तोषजनक प्रगति की आशा की जाती है । योजना के अमल की बहुत सी खामियों से दिशा निर्देश पर ईमानदारी से अमल करके बचा जा सकता है ।

इटावा जनपद में इस योजना को वर्ष 1999-2000 में 3,500 हजार रूपये का प्रावधान था जो कि 2000-2001 में बढ़कर 10,907 हजार रूपये तथा 2001-2002 में 22400 हजार रूपये का प्रावधान रखा गया है । जनपद के अनुसूचित जाति व जनजाति तथा विकलांग व्यक्ति इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

दस लाख कुंओं की योजना :

दस लाख कुओं की योजना को जो 1888-1989 से राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना के अधीन कार्य की रही है, के अधीन खुले सिचाई के कुएं गरीब छोटे तथा सीमान्त किसानों को जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों को बिना किसी लागत के उपलब्ध कराये करते हैं । नवम्बर 1998 तक इसमें कुल 4728 करोड़ रूपये खर्च करके 12.63 लाख कुओं को निर्माण किया । इस योजना का दोहरा लाभ यह हुआ कि सिचाई के लिये पानी मिलने से किसानों की उत्पादकता बढ़ी जिससे अधिक उपज मिली और उनकी आय बढ़ी है । दूसरी तरफ कुओं के निर्माण में मजदूरी के रूप में भी भागीदारी की आय बढ़ी । यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति /जनजाति और छोटे गरीब किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुई है ।

जनपद इटावा में यह योजना लागू तो की गई लेकिन यह योजना कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विशेष सफलता प्राप्त नही कर सकी । विकास खण्ड बढ़पुरा में यह योजना सफल रही है वहां सिचाई के साथ साथ पीने के पानी के लिए प्रयोग किया गया है ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना :

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2 अक्टूबर 1993 से प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई । इस योजना के अन्तर्गत आठवीं योजना के दौरान उद्योग, सेवा तथा कारोबार में सात लाख लघुत्तर उद्योग स्थापित करके लगभग 10 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था । नौवीं पंचवर्षीय येाजना में कुछ संशोंधनों के साथ इस स्कीम को जारी रखा गया । इसके लिए चुने हुए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगारों, जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है तथा जिनकी पारिवारिक आय 40,000 रूपये वार्षिक से कम है, को व्यापारिक कारोबार के लिए एक लाख रूपये तक तथा अन्य गतिविधियों के लिए 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है । इसके तहत कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत जो कि अधिकतम

15,000 रूपये होता है, सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है । 24 दिसम्बर 1998 से सरकारी निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत मार्जिन मनी के मामलों में बैंकों को छूट दी गयी है । एक लाख रूपयों तक ही परियोजनाओं के लिए किसी जमानत गारण्टी की आवश्यकता नही होगी । यह योजना केन्द्रीय उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रशासित की जा रही है । इस योजना में अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछडी जाति के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किया गया वर्ष 1993-94 के दौरान यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू थी । अप्रैल 1994 से इसे शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू कर दिया । वर्ष 1999-2000 के दौरान 2.20 लाख को ऋण देने का लक्ष्य था जबकि 2.44 लाख युवाओं को ऋण स्वीकृत किये गये । इस योजना का कार्यान्वयन उद्योग मन्त्रालय द्वारा किया जाता है ।

इटावा जनपद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारम्भ मे इटावा शहर मे लागू की गई थी लेकिन बाद में इस योजना का विस्तार करके छोटे–छोटे कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रो में भी प्रारम्भ कर दी गयी है ।

सितम्बर 1998 तक बैकों को 452 प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये थे जिसमें मात्र 70 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये थे । जनवरी 1999 में बैक को प्रेषित 459 तथा स्वीकृत 198 । सितम्बर 1999 को 515 प्रार्थना पत्र बैक को प्रेषित तथा 72 आवेदन पत्र स्वीकार किये गये । मार्च 2000 को 856 बैकों में प्राप्त आवेदन पत्र तथा 334 स्वीकृत किये गये। मार्च 2001 को 315 आवेदन पत्र स्वीकार करके 250 को ऋण वितरण किये गये हैं तथा अगस्त 2001 को 420 आवेदन पत्र विभिन्न शाखाओं को प्राप्त हुए और 38 आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया ।

इस प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना जनपद इटावा में सही तरह से कार्य नही कर रही है । आवेदन पत्र बैक तक तो आ जाते हैं लेकिन बैंक की उदासीनता के कारण आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नही की जाती है इसके साथ–साथ बढ़ते भष्ट्राचार की वजह से भी आवेदक ऋण लेने का साहस नही कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ऋण तो स्वीकृत हो जाता है लेकिन पूरा ऋण उन्हें नही मिल पाता है ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति :

वर्ष	लक्ष्य (लाभार्थी)	स्वीकृतियों की संख्या लाभार्थी	राशि करोड़ रूपये	लक्ष्य स्वीकृत का प्रतिशत	ऋण को औसत आकार
1	2	3	4	5	6
1998-99	354358	272704	1627.10	76.46	59665
1999-2000	354450	250544	1624.89	70.69	64854
2000-2001	356150	54386	337.23	15.27	62008

स्रोत – प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2002

किसान क्रेडिट कार्ड योजना :

किसानों को उनके उत्पादन आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार ने 1998-99 में प्रारम्भकी थी। यह योजना व्यवसायिक बैक, क्षेत्रीण ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंको से प्राप्त ऋण को सुधाध्य करने के लिए प्रारम्भ की गई थी । इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं :–

1. 5000 रूपये अथवा अधिक उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के हकदार होगें ।
2. पात्र किसानों को किसान कार्ड और पास बुक अथवा कार्ड सह पास बुक उपलब्ध कराई जायेगी ।
3. सीमा के भीतर कितनी बार आहरण और भुगतान सहित परक्रामी नकद उधार सुविधा का प्रावधान होगा ।

4. समय सीमा निर्धारित करते समय पूरे वर्ष के लिए सम्पूर्ण उत्पादन ऋण आवश्यकता सहित फसल उत्पादन से सम्बन्धित सहायक क्रिया कलापें पर विचार किया जायेगा।
5. प्रचालनात्मक जोत, फसल पैटर्न और वित्त श्रेणी के आधार पर सीमा निर्धारित की जायेगी ।
6. बैंकों के विवेक पर उपसीमाएं निर्धारित की जायेगी ।
7. वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कार्ड 3 वर्ष के लिए वैध होगे ।
8. प्रत्येक आहरण का भुगतान 12 महीने में करना होगा ।
9. भारतीय रिजर्व बैक के मानदण्डो के अनुसार ब्याज की दर आदि में परिवर्तन किया जा सकता है ।
10. कार्डजारी करने वाली बैक के विवेक पर उसकी अन्य नामित शाखाओं के माध्यम से प्रचालन किया जायेगा ।
11. कार्ड और पास बुक साथ होने पर स्लिप/चैक के माध्यम से आहरण किया जायेगा ।

इस येाजना का कार्यान्वयन 27 वाणिज्यिक बैंको 334 केन्द्रीय सहकारी बैंकों 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के माध्यम से किया जा रहा है ।

इस योजना के आरम्भ से अब तक सार्वजनिक व्यापारिक बैंकों द्वारा 7521.77 करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि के लिए 29.67 लाख किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये गये। इसी समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों ने 31 मार्च 2000 तक 4847.83 करोड़ रूपये की साख सुविधाएं देने के लिए 39.30 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं ।

नवीनतम आंकड़ो के अनुसार 2000-2001 तक दिसम्बर 2000 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2985 करोड़ रूपये की राशि के लिए 11.56 लाख कार्ड जारी किये साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों ने 8527 करोड़ रूपये स्वीकृत राशि के लिए 36.03 लाख कार्ड निर्गत किये ।

उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अक्टूबर 1999 तक 10911 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये थे जिसमे 3035.22 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था।

इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 2000-2001 के अन्तर्गत 4004 किसान क्रेडिट कार्ड 29 शाखाओं द्वारा जारी किए गये है जबकि इसकी लीड़ बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने 1932 कार्ड जारी किये तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने 2073 कार्ड निर्गत किय इसी समय इलाहाबाद बैंक ने 170 व बैक ऑफ इण्डिया ने 112 कार्ड जारी कियें। इस प्रकार इटावा जपनद में कुल मिलाकर 8291 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके थे ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान :

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 2 अक्टूबर 1980 को जनपद के एरवा कटरा विकासखण्ड से शुरूआत की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता के रूप में विभिन्न आर्थिक योजनाओं के लिए बैंको के माध्यम से प्राप्त ऋण की धनराशि पर अधिकतम रूपये तक अनुदान तथा अधिकतम 5000 रूपये तथा मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के ही व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है । इसके कार्यान्वयन का क्षेत्र ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में ही है । शासन द्वारा सभी विभागों के बजट में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के लिए 20-30 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जाता है जिसका व्यय केवल अनुसूचित जाति आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर किया जाता है । अनुसूचित जाति के ऐसे जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 11800 रूपये तथ ग्रामीण क्षेत्र ने 11000 रूपये से अधिक न हो उन्हीं परिवारों को लाभान्वि्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा प्रगति विवरण :

(धनराशि लाख रूपये में)

वर्ष	*भौतिक लक्ष्य*	*पूर्ति भौतिक*	*वित्तीय लक्ष्य*	*वित्तीय पूर्ति*
1996-97	1800	1728.00	108.00	108.62
1997-98	900	900.00	148.00	108.28
1998-99	1100	759	275.00	137.43
1999-2000	1210	733	302.00	184.47
2000-2001	1008	735	252.00	136.09

स्रोत – इटावा जनपद की सामाजार्थिक समीक्षा

इन्दिरा आवास योजना :

इन्दिरा आवास योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है वर्ष 1993-94 से यह योजना का लाभ गैर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उन ग्रामीणों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं । आवास का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है । इस योजना में अब तक 45 लाख आवास निर्मित कर आवंटित किये गये हैं ।

इटावा जनपद के निर्बल वर्ग के लोगों के लिए 20000 रूपये अनुदान देकर आवास एवं शौचालय का निर्माण इन्दिरा आवास योजना द्वारा किया जा रहा है तथा ऊचीकृत आवास में एक परिवार को 10000 रूपये काअनुदान देकर आवास बनाएं जा रहे हैं । 2000-2001 की प्रगति इस प्रकार है ।

क्रमांक		लक्ष्य	पूर्ति
1.	इन्दिरा आवास योजना		
	(अ) सामान्य	363	363
	(ब) अनुसूचित जाति	907	907
2.	उच्चीकृत आवास योजना		
	(अ) सामान्य	193	193
	(ब) अनुसूचित जाति	451	451

गंगा कल्याण योजना :

सिचाई को बढ़ावा देने के लिए एक फरवरी 1997 को यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य छोटे तथा सीमान्त किसानों या किसान समूहों को भूमिगत जल के उपयोग के माध्यम से सिचाई सुविधा उपलब्ध कराना है । इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण से मदद की जाती है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में निर्धारित की गई है । इटावा जनपद में 1998 के लिए 730 हजार रूपये तथा 1999-2000 के लिए 25369 हजार रूपये ऋण प्रदान किये गये हैं ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :

सड़के किसी भी देश के आर्थिक विकास को आधारशिला समझी जाती है । यह भी कथन सर्वथा उचित है कि सड़के किसी राष्ट्र की रक्तवाहिनी धमनियां तथा शिरायें होती है जिनसे होकर समस्त सुधार प्रभावित होता है जिस तरह धमनियां तथा शिरायें स्वच्छ रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाती है उसी तरह सड़के भी जीवन के लिए आवश्यक उपकरण वस्तुएं और विचार एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाती हैं ।

स्वतन्त्रता के बाद केन्द्र तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के कार्य को प्रथमिकता दी गई लेकिन विकास सन्तोष जनक नही रहा । विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सड़को के विकास के लिए अलग से वित्त की व्यवस्था होती रही है । लेकिन अभी भी बहुत से गाँव ऐसे हैं जहां सड़कों की कोई व्यवस्था नही है ।

देश के सभी गांवों को पक्के सड़क मार्गो से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2000 को घोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ किया और आशा व्यकत की कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी आयेगी ।

60000 हजार करोड़ रूपये वाली यह योजना 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को 2007 तक वर्ष भर चलने वाली सड़को से जोड़ दिया जायेगा तथा 1000 से अधिक आबादी वाले गांवें को अगले 3 वर्षो तक मुख्य सड़को से जोड़ दिया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत प्रायोजित इस योजना का एक लक्ष्य दसवीं योजना के अन्त तक 1.4 लाख गावो को सड़क प्रदान करना है । नई सड़को के निर्माण पर 34 हजार करोड़ रूपये व्यय का अनुमान है तथा मौजूदा सड़को को भी दिये गये मानक के अनुसार सुधारा जायेगा । वर्ष 2000-2001 के लिए 25 सौ करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। वर्ततान समय में 40 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जो अच्छी सड़को से नही जुडे हैं ।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था :

हमार पृथ्वी पर तीन चौथाई जल और एक चौथाई धरती है । लेकिन इस तीन चौथाई जल का अधिकांश भाग खारा या नमक मिला है जो पीने योग्य नही है । इसीलिये एक कहावत है कि “सर्वत्र पानी ही पानी लेकिन पीने को एक बूंद नही” पानी ही जीवन है । पानी के बिना किसी किस्म के जीवन की कल्पना ही नही की जा सकती पानी के बिना हम जिन्दा नही सह सकते, अन्न नही उगा सकते तथा उपयोगी और आवश्यक कार्य नही कर सकते ।

स्वतन्त्रता के बाद 1954 में जल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरूआत की गयी । पहली योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए 49 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी इसे बाद की प्रत्येक योजनाओं में बढ़ोत्तरी होती गई । आठवी योजना में 16711 करोड़ रूपये तथा 1999-2000 में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिये 1800 करोड़ रूपये रखे गये चूकिं गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकारों को दायित्व होता है। इसलिए केन्द्र सरकार राज्यों को यह कार्य सौंपती है । अक्टूबर 1999 में भारत सरकार ने एक पेयजल आपूर्ति विभाग की स्थापना की । 1973 में एक त्वरीत ग्रामीण जल आपूर्ति की शुरूआत की गयी थी जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन 40 लीटर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने का मानक रखा गया था ।

भारत सरकार ने जल आपूर्ति कार्यक्रम को एक नया रूप दिया है इसमें जल आपूर्ति की डिजाइन बनाने से लेकर उसका निर्माण करने और उसे चलाने का कार्य स्वयं ग्रामीण करेगें। राज्य सरकारों ने यह कार्यक्रम प्रयोग के तौर पर 58 जिलों में लागू किया है ।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार शुद्ध पेयजल आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 1985 में 56.3 प्रतिशत 1995 में 82.8 प्रतिशत तथा 1998 में 92.5 प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी । इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 1985 में 72.9 प्रतिशत, 1995 में 84.3 प्रतिशत तथा 1998 में 90.2 प्रतिशत जनसंख्या को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है ।

स्वतंत्रता के पश्चात जनपद इटावा में गाँवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काफी प्रगति हुई है । लेकिन इस दिशा में कुछ समस्यायें अभी भी बनी हुई है । जल स्रोतो का सूख जाना, जल स्रोतो का प्रदूषित हो जाना, जल आपूर्ति व्यवस्था के उपकरणों को न होना इत्यादि दूसरे प्रमुख कारण हैं । जनपद में वर्ष 1999-2000 में जल निगम तथा ग्राम विकास विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल पर क्रमशः 8006 हजार रूपये व 1680 हजार रूपये खर्च हुए हैं । वर्ष 2000-2001 में जल निगम व ग्राम विकास द्वारा क्रमशः 5000 व 1573 हजार रूपये खर्च किये गये । वर्ष 2001-2002 के लिए

जल निगम तथा ग्राम विकास विभाग द्वारा 4965 तथा 1771 हजार रूपये खर्च किये गये ।[10]

जनपद इटावा में रेशम कीट पालन परियोजना :

जनपद के विकास हेतु समय–समय पर विकासशील एवं उपयोगी योजना तैयार कर क्रियान्वित की जाती रही हैं । इसी क्रम मे रेशम विकास परियोजना शहतूत की खेती एवं रेशम कीटपालन का अनुमोदन प्राप्त हो गया है । रेशम कीट पालन ग्रामीण कुटीर उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग है । जो ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है तथा सूखे की विषम परिस्थितियों में कीटपालन द्वारा नियमित लाभ अर्जित किया जा सकता है । रेशम के कीड़े केवल शहतूत की पत्तियां खाते हैं जिनको जनपद के समतल व उपजाऊ भूमि में लगाया जा सकता है । रेशम कीट केवल 25 से 30 दिनों में साधारणतः पूर्ण हो जाता है । यह योजना जपनद के 4 विकास खण्डों में शुरू की गयी थी । वर्ष 1999-2000 मे 240 हजार रूपये खर्च किये गये । वर्ष 2000-2001 में 1045 हजार रूपये तथा 2001-2002 के लिये 2200 हजार रूपये खर्च करने का प्रावधान है । यह परियोजना जनपद के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा चलाई जा रही हैं ।

मशरूम (ढिंगरी) उत्पादन परियोजना :

जनपद इटावा के समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिये एक परियोजना मशरूम उत्पादन की प्रारम्भ की गई है जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके । ग्रामीण अंचल में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके । यह परियोजना जनपद के 5 विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई है । इन विकास खण्डों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की समस्त शाखाएं ऋण उपलब्ध करा रही है । इस

स्रोत 10 - विभिन्न वार्षिक योजना, जिला येाजना - राज्य योजना विभाग लखनऊ ।

परियोजना में प्रति इकाई कुल लागत 2,925 रूपये का खर्च आता है । इसके लिये 1995-96 में 5,261 हजार रूपये का ऋण दिया गया था तथा 1996-97 का 5302 हजार रूपये ऋण का प्रावधान था । वर्ष 2001-2002 के लिये इस परियोजना के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैक द्वारा 6302 हजार रूपये खर्च किये गये ।

ग्रामीण विकास में दुग्ध उत्पादन :

पशुपालन व्यवसाय हमारे देश का प्राथमिक व्यवसाय रहा है । इस बात की पुष्टि सिन्धु घाटी की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से हो जाती है । पशुओं के महत्व को देखते हुए ही भारतीय मनीषियों ने पशुओं के संरक्षण हेतु विभिन्न विधान बनाये जो आज तक चले आ रहे हैं ।

दुधारू पशुओं से हमें जीवनदायी दूध की प्राप्ति होती हैं दूध ही एक ऐसा पदार्थ है जो अपने आप में पूर्ण आहार माना जाता है । अर्थात् दूध में भोजन के सभी आवश्यक तत्व पाये जाते हैं । गाय का दूध तो अमृत के समान माना गया है और बकरी के दूध को भी औषधि तुल्य माना जाता है ।

दूध से अनेक तरह के खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं । वैसे भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्र 225 ग्राम दूध का उपयोग होता है जबकि चिकित्सकों के अनुसार 280 ग्राम मात्रा में प्रतिदिन दूध मिलना चाहिये वर्ष 1951 से 1961 तक दूध के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है जो 1966 में कम हो गयी थी । उसके बाद निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । दूध उत्पादन के लिये सरकार अनेक योजनायें चला रही है । 1951 से 1982 के मध्य गाय व भैसों की संख्या में 71.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में दुग्ध उत्पादन में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 1970 में श्वेत क्रांन्ति योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । योजना के पूर्व 2.25 करोड़ टन दुध का उत्पादन होता था । श्वेत क्रान्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय की समाप्ति पर दूग्ध उत्पादन बढ़कर क्रमशः 3.43, 4.15 एवं 6.5 करोड़ टन हो गया । 1999-2000 में यह बढ़कर

7.81 करोड टन हो गया । वर्तमान समय में भारत मे प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । यदि आगामी वर्षों मे यही वृद्धिदर बनी रही तो वर्ष 2020 तक भारत मे 22 से 25 करोड टन दूध का उत्पादन होने लगेगा ; जबकि विश्व भर में इसी अवधि म 62 से 65 करोड़ टन दूध का उत्पादन होने का अनुमान है । इस तरह विश्व का लगभग एक तिहाई दूध का भारत में उत्पादन होगा । वर्तमान समय में दूध उत्पादन मे भारत का विश्व मे प्रथम स्थान है । निम्न तालिका से दूध का उत्पादन एव उपभोग प्रदर्शित है ।

दूग्ध उत्पादन एवं उपभोग की मात्रा

वर्ष	*दूग्ध उत्पादन करोड़ टन*	*प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूग्ध उपभोग (ग्राम में)*
1950-51	1.74	132
1960-61	2.4	127
1171-72	2.25	112
1981-82	3.43	130
1984-85	4.15	136
1989-90	5.14	165
1991-92	5.57	170
1995-96	6.62	185
1997-98	7.08	190
1998-99	7.41	200
1999-2000	7.81	211
2000-2001	12.00	225

स्रोत – कुरूक्षेत्र, नवम्बर, 2001, पृष्ठ, 33

इटावा जनपद में आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में दूग्ध उत्पादकों को दूग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दूध को उचित मूल्य देकर ग्रामीण जनता को दूधियों के शोषण से बचाना है गांवों में दूग्ध व्यवसाय हेतु बाजार उपलब्ध कराना, साथ ही दूग्ध उत्पादकों के पशुओं के पशु सेवा मुहैया कराना तथा उन्नतशील चारा उपलब्ध कराकर ग्रामीणों की आय बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा रहा है । जनपद में प्रति दुधारू पशु का औसत दूग्ध उत्पादन 94.23 किलाग्राम प्रतिदिन है । कुल मिलाकर प्रतिदिन 117558.52 कुन्टल दूग्ध का उत्पादन वर्ष 2000-2001 में हुआ था ।

मत्स्य पालन योजना :

भारत में प्राचीन काल से मत्स्य पालन एक व्यवसाय के रूप में चलता आया है । पहले सागर – नदियों का जल केवल मछली पकड़ने और मछली पालन के लिये प्रयोग में आता था तटीय क्षेत्र में रहने वाले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये छोटे पैमाने पर यह व्यवसाय अपनाते थे । आज पानी मैं न केवल साधारण मछलियां बल्कि नाना प्रकार के जल जीव आदि पाले जाने लगे हैं । लगभग 7000 किलोमीटर लम्बी तट रेखा वाले विशाल भारत के लिये निर्यात का यह एक अच्छा क्षेत्र है । तटीय क्षेत्रों के निवासियों के लिये बेरोजगारी दूर करने में सहायक यह व्यवसाय आने वाले समय में भारत के लिये विशेष महत्व का होगा ।

विश्व के लगभग 100 मिलीयन टन मत्स्य का उत्पादन भारत में होता है जो कि लगभग 6 प्रतिशत है । वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत मछलियां समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पचास मीटर गहराई तक की सीमा में पकड़ी जाती है । नदीय मस्त्यिकी संसाधन में अनेक नदियों में मछली पकड़ी जाती है । भारत के जलाश्यों में भी अच्छा भंडार है, जिससे मत्स्य उत्पादन लगभग 2 किलाग्राम से लेकर 109 किलाग्राम प्रति हेक्टेयर होता है ।

मत्स्य उत्पादन में इटावा जनपद का काफी योगदान रहा है । जनपद में अधिकतर मत्स्य उत्पादन तालाबों द्वारा किया जाता है । वर्ष 1998-99 में 125 हजार रूपये, वर्ष 1999-2000 में 130 हजार रूपये, वर्ष 2000-2001 में 179 हजार रूपये तथा 2001-2002 में 182 हजार रूपये खर्च किये गये हैं ।[11]

मत्स्य उत्पादन जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का भी विशेष योगदान रहा है । सितम्बर 1998 में 56 हजार (1998-99) रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया । जनवरी 1999 में 55958 रूपये, कुल मिलाकर 1998-99 में 130662 रूपये का ऋण प्रदान किया गया । वर्ष 1999-2000 में 43000 रूपये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किया गया ।[12]

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के लिये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितम्बर 2000 को स्व० पं० दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर उन्ही के जन्म स्थली नगला चन्द्रभान (फरह जिला – मथुरा) से शुभारम्भ किया गया । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली इस योगजना के लिये 10 हजार करोड़ रूपये 2001-2002 के लिये स्वीकृत किये गये । इस राशि में से 5000 हजार करोड़ रूपये का भुगतान एफ०सी०आई० को अनाज के लिये तथा शेष रूपयों को श्रमिकों की मजदूरी के रूप में दी जायेगी ।

इस योजना से 50 लख टन खाद्यान्न राज्यों को प्रति वर्ष निशुल्क दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 100 करोड़ श्रमिक दिवसों के लिये रोजगार पैदा करना है । इस योजना के अन्तर्गत प्रति श्रम दिवस के आधार पर 5 किलाग्राम खाद्यान्न देने का प्रवधान , शेष मजदूरी का भुगतान नकद किया जायेगा ताकि अधिसूचित न्यूनतम

स्रोत- 11. वार्षिक योजना (जिला योजना) उत्तर प्रदेश राज्य योजना विवाद 1998-99 से 2001-2002 तक

12. इटावा अग्रणी बैंक अधिकारी से प्राप्त आंकडे

मिल सके । सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पंचायती संस्थाओं के माध्यम मे लागू की गई है यह योजना पहले चरण में जिला व विकासखण्ड पंचायत के माध्यम से 50 प्रतिशत राशि में से जिला परिषद को 20 प्रतिशत व पंचायती समितियां को 30 प्रतिशत खर्च करने को प्रावधान है । दूसरे चरण में 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों के माध्यम से खर्च किया जायेंगा । इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे से निपटने के उपाय व भूसंरक्षण के साथ पारम्परिक जल स्रोतों के निर्माण, सड़क, विद्यालय सहित अन्य भवनों के निर्माणकार्य भी किये जायेगें ।

ग्रामीण विकास में खादी और ग्रामोद्योग :

खादी केवल एक कपड़ा ही नही बल्कि यह जीवन दर्शन है । खादी से भारत का दर्शन होता है । इसमें पावन धरती की सुगन्ध आती है । अपने हाथों द्वारा काती हुई, अपने हाथों के द्वारा बुनी हुई यह भारत की शक्ति , गौरव , इतिहास , महान व्यक्त्यिों की दूरदर्शिता तथा स्वदेशी की नीव का प्रतीक है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि "खादी वस्त्र ही नही विचार है ।" स्वतंन्त्रता के पूर्व यदि खादी आजादी की वर्दी थी तो आज उसे आजदी की रक्षा की वर्दी कहना उपयुक्त होगा ।[13]

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दिशा में खादी और ग्रामोद्येग विशेष भूमिका निभा रहा है । खादी और ग्रामोद्योग (के०वी०आई०सी०) आयोग ग्रामीण विकास में कार्यरत एक विधि विहित संगठन है । इसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा 1956 में की गई थी । खादी से हम हर किस्म का कपड़ा बना सकते हैं तथा ग्रामोद्योग में स्थानीय संसाधानों का उपयोग करने और बेरोगजार और साधनहीन ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करता है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना से लेकर आज तक उल्लेखनीय प्रगति की है । आयोग ने विभिन्न इकाइयों के अन्तर्गत 60 लाख से अधिक व्यक्तियों को

---

13. **कुरूक्षेत्र, मार्च** , 2002 , **पृष्ठ** 4 ।

रोजगार दिया है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 'मार्जिन मनी योजना' ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख तक के लिये के०वी०आई०सी० द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप मे उपलब्ध कराई जाती है । 10 लाख रूपये से अधिक और 25 लाख रूपये से कम की येाजनाओं के लिये, 10 लाख रूपये तक की 25 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाती है तथा 10 प्रतिशत योजना बकाया राशि पर दी जाती है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की उपलब्धियां

क्रमांक	*वर्ष*	*उत्पादन (करोड़ रूपये में)*	*बिक्री (करोड़ रूपये में)*	*रोजगार (लाख में)*
1.	1957-58	25.98	13.17	17.00
2.	1967-68	98.85	86.72	21.05
3.	1977-78	257.45	256.81	24.16
4.	1987-88	1488.40	1611.74	41.80
5.	1997-98	4519.30	5065.27	56.50
6.	1998-99	5112.37	5601.01	58.29
7.	1999-2000	6165.35	6769.20	59.23
8.	2000-2001	7212.00	8000.00	62.73

स्रोत – कुरूक्षेत्र, मार्च 2002 , पृष्ठ 5

ग्रामीण विकास में इटावा जनपद के खादी ग्रामोद्योग का विशेष महत्व रहा है । के०वी०आई० द्वारा ग्रामीणों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 1998-99 में 176 हजार रूपये, 1999-2000 में 190 हजार रूपये 2000-2001 में 250 रूपये तथा वर्ष 2001-2002 में 280 हजार रूपये का ऋण ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया।[14] जिसमें इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50000 रूपये वर्ष

14. स्रोत - वार्षिक योजना (जिला योजना) उत्तर प्रदेश राज्य योजना विभाग, लखनऊ । 1999 से 2002 तक ।

1999-2000 में 70 हजार रूपये तथा 2000-2001 में 85 हजार रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया जबकि चालू वर्ष में 105 हजार रूपये ग्रामीण क्षेत्रो के लिये ऋण उपलब्ध कराना है ।[15]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

स्रोत - 15 इटावा अग्रणी बैंक अधिकारी से प्राप्त आंकडे ।

अध्याय : 6

ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिकाः (इटावा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

"पहले बैंक नकद जमा में व्यवसाय करते थे, आजकल वे प्रमुख रूप से साख जमा में व्यवसाय करते हैं"

—सेलिगमैन

भारत वर्ष गाँवों का देश है । यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवो में निवास करती है । भरतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग कृषि है । देश के आर्थिक विकास की योजनाओं में कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है । कृषि विकास के कार्यो को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है जिससे कृषि के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है । अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मे साख की माग बनी रहती है । उचित समय पर वित्त उपलब्ध न हो पाने के कारण किसानों को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिये राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था कि *"सुदृढ़ संतुलित और दूरगामी विकास करना हो तो हमें ग्रामीण अंचलों को सशक्त बनाना होगा व ग्रामों की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने वाले संसाधन उपलब्ध कराने होगें । भारतीय कृषि एवं भारतीय कृषक पिछले कई दशक से समस्याओं से लड़ रहे हैं । उन समस्याओं ने हमारे गरीब किसानों को प्रताड़ित किया, जिसमें एक सबसे प्रमुख समस्या वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता की है।"*

ग्रामीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है । आयोजन काल में ग्रामीण विकास के लिये बहुत योजनायें बनायी गई थीं लेकिन वे पर्याप्त बैकों के अभाव से कृषि एवं कुटीर उद्योग तथा बेरोजगारी से निपटने के लिये वित्तीय बाधायें आ रही थी। अनुसूचित बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपने व्यापार को बढ़ा नही पा रहे थे । सामाजिक बैंकिंग अवधारणा 1967-68 तथा बृहद बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969) के बाद भी बैंक ग्रामीण क्षेंत्रों व निर्धन व्यक्तियों के पास पहुंचने में सक्षम नही हो पाये । यद्यपि सहकारी बैंक इस दिशा में कुछ कर सकते थे । लेकिन सहकारी बैंकों की अपनी असफलता के कारण ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त नही हो सकता था । अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि *"आजकल जिस प्रकार की कृषि साख उपलब्ध है वह सही मात्रा में काफी कम है । सही प्रकार की नहीं है, सही उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती और आवश्यकता की कसौटी के सन्दर्भ में प्रायः सही व्यक्ति तक*

नहीं पहुंच पाती है ।" ऐसी स्थिति में देश के विकास के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिये ग्रामीण बैकों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ।

ग्रामीण बैंकिग जांच समिति (1950) ने यह मत प्रकट किया कि ग्रामीण साख की व्यवस्था सहकारी बैंकों को ही करनी चाहिये, साथ ही व्यापारिक बैंकों को अनेक कार्यो में सहयोग देना चाहिये । ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण बैंकों की अवधारणा सर्वप्रथम बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा प्रस्तुत की गई है । जी०आर०सरैया की अध्यक्षता में गठित बैकिंग आयोग (1972) ने भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों की सहायता के लिये ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का सुझाव दिया । साथ ही यह भी सुझाव दिया कि कुशल सहकारी बैंकों को ग्रामीण बैंकों में परिवर्तित किये जा सकते हैं अथवा व्यापारिक बैंक अपने सहायक बैंक के रूप में ग्रामीण बैकों की स्थापना कर सकते हैं लेकिन राजनीतिक पहल के अभाव के कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी ।

स्थापना के प्रमुख कारण :-

1. इटावा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कृषकों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी संस्थाओं एवं व्यापारिक बैंकों ने पर्याप्त रूचि नहीं दिखलाई । क्योंकि व्यापारिक बैंकों का रूख शहरों की तरफ ज्यादा था ।
2. ग्रामीण साख की व्यवस्था वाणिज्यिक बैकों में कार्यरत शहरी मनोवृत्ति वाले कर्मचारियों द्वारा नही की जा सकती थी । इन कर्मचारियों का मानस एवं वेतन स्तर ग्रामीण साख सुविधाओं के विस्तार एवं प्रबन्धन के अनुकूल नहीं है इसलिये ग्रामीण क्षेत्र के लघु कृषकों, कारीगरों, भूमिहीन मजदूरों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को दूर करने के लिये ग्रामीण दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित व्यक्तियों की आवश्कयकता समझी गयी ।

3. व्यापारिक बैकों मे कार्यरत कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों क विषय में जानकारी नही थी जो कि ग्रामीणों को साख उपलब्ध कराने के लिये अति आवश्यक था इसलिये ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता देने के लिये एक अलग से वित्तीय संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई ।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की कोष लागत व्यापारिक बैको की तुलना मे बेहतर मानी गई क्योंकि व्यापारिक बैकों का वेतन ढाँचां काफी ऊंचा तथा प्रशासनिक लागत काफी अधिक थी ।[1]

इटावा जनपद में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की भूमिका :

सरकार ने बैंक साख को कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ओर मोड़ने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों पर सामाजिक नियन्त्रण व्यवस्थाओं को लागू किया लेकिन सरकार ने यह महसूस किया कि कृषि एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की तरफ वित्त एवं साख को ले जाना समय की आवश्यकता थी और इसी परिप्रेक्ष्य में बैकिंग व्यवस्था का राष्ट्रीकरण करके ही कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पर्याप्त मात्रा में ऋण एवं साख की आपूर्ति संभव है ।

छोटे एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों तक ऋण एवं साख सुलभता से प्राप्त हो तथा आर्थिक आयोजन की सफलता के लिये 1968 में बैंकों में सामाजिक नियन्त्रण लागू करके 19 जुलाई 1969 को देश के प्रमुख 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया । बदलते आर्थिक परिवेश में राष्ट्रीयकरण के पश्चात सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए और व्यापारिक बैंकों ने सकारात्मक परिणाम दिये । ये बैंक सामाजिक बैंकिंग सिद्धान्त के मार्ग से हट गये तथा लाभ प्रदता को महत्व देने लगे और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की वित्तीय सहायता काल्पनिक सिद्ध हुई ।

इटावा जनपद में अनुसूचित बैंकों की शाखायें तथा जमा ऋण प्रगति का विवरण तालिका 1 तथा तालिका 2 में स्पष्ट है ।

---

1. **स्रोत - क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण - पाण्डेय, श्याम कृष्ण**

तालिका - 6.1 - इटावा जनपद में कार्यरत बैंकों की संख्या : (31.3.2001 तक की स्थिति)

क्रमांक	बैंक का नाम	शहरी	अर्द्ध शहरी	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5	6
1.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3	3	7	13
2.	भारतीय स्टेट बैंक	3	3	9	15
3.	पंजाब नेशनल बैंक	2	0	0	2
4.	इलाहाबाद बैंक	1	--	1	2
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1	--	--	1
6.	बैंक ऑफ इण्डिया	1	--	--	1
7.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	1	--	--	1
8.	बरेली कारपोरेशन बैंक	1	--	--	1
	योग	13	6	17	36
1.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	1	23	25
2.	जिला सहकारी बैंक	2	4	8	14
3.	भूमि विकास बैंक	1	1	2	4
	सम्पूर्ण योग	17	12	50	79

स्रोत –उपरोक्त आंकड़े लीड बैंक अधिकारी द्वारा प्रदान प्राप्त किये गये (इसमें जनपद औरैया के बैंकों को शामिल नही किया गया है ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में वाणिज्यिक बैकों की संख्या 35 है जिसमें 12 शहरी क्षेत्रों में, 6 अर्द्धशहरी क्षेत्रों में तथा 17 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कार्य कर रहे हैं । इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, बरेली कारपोरशन बैंक भी जनपद के विकास के लिये निरन्तर प्रयासरत हैं। जनपद में बैकों की अधिकांश शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं ।

तालिका - 6.2 - इटावा जनपद में अनुसूचित व्यावसायिक बैकों की ऋण-जमा प्रगति का विवरण :

धनराशि हजार रूपये में

क्रमांक	*वर्ष*	*जमा*	*ऋण*	*ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत में)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	मार्च 1996	3412801	798274	23.39
2.	मार्चा 1997	3540147	1013117	28.62
3.	मार्च 1998	3630731	870100	23.96
4.	मार्च 1999	3832852	1049328	27.38
5.	मार्च 2000	4033687	873122	21.65
6.	जून 2001	4444900	1081300	24.33
7.	मार्च 2002	4856112	1137514	23.42

स्रोत – उपर्युक्त आंकड़े लीड बैंक अधिकारी इटावा से प्राप्त किये गये हैं ।

तालिका 6.2 व्यवसायिक बैंकों की जमा ऋण की प्रगति क्रमवार दर्शाती है । तालिका से स्पष्ट है कि बैंफों की जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा इसकी तुलना में ऋणों में वृद्धि नाममात्र की हुई है । ऋण–जमा अनुपात से स्पष्ट है कि इसका सर्वाधिक प्रतिशत 1997 में 28.62 प्रतिशत था तथा सबसे कम 2000 में 21.65 प्रतिशत रहा । ऋण–जमा अनुपात निम्न रहने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंकों ग्रामीण विकास के कार्यो को पूर्ण नही कर सके । वाणिज्यिक बैकों की ग्रामीण विकास में असफलता के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता महसूस की गई ।

सहकारी बैंक :

भारत में सहकारी आन्दोलन की नींव सर फ्रेडरिक निकलसन ने रखी । उन्होंने 1895 में अपनी रिपोर्ट "Land and Agricultural Bank in Madras" मे रेफेजन साख समितियों के निर्माण का सुझाव दिया । इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के श्री ड्यूपर्ने ने सहकारी साख सामितियां निर्मित करने का प्रयत्न किया । 1904 मे भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम पास करके साख समितियां बनाने की व्यवस्था की गयी।

भारत में सहकारी बैंक भी बैंकिंग के आधारभूत कार्य सम्पन्न करते हैं । सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समितियों के अधिनियमों द्वारा की गयी जबकि वाणिज्यिक बैकों का गठन ससद द्वारा पारित अधिनियन द्वारा किया गया है । भारत में सहकारी बैंकेां का गठन तीन स्तरों वाला है । राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य मे शीर्ष संस्था है । इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं । तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करतीं है ।

इटावा जिला सहकारी बैंक लि० की भूमिका :

इटावा जिला सहकारी बैंक की स्थापना 1922 मे की गयी थी । यह बैंक जनपद की शीर्ष सहकारी संस्था है । जनपद इटावा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के पहले इटावा जिला सहकारी बैंक लि० जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ऋण उपलब्ध करा हा था और आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

यह बैंक जनपद में कार्यरत (सदस्य) कृषि ऋण, बुनकर, औद्योगिक एवं वेतन भोगी सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ।

यह बैंक कृषकों को रसायनिक उर्वरक, बीज कीटनाशक दवाएं, कृषि यन्त्र के रूप में तथा भूमिहीन कृषकों, मजदूरों, बेरोजबारों, ग्रामीण दस्तकारों को एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं के अन्तर्गत तथा वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन भोगी सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण सुविधा आसान किस्तों पर व कम ब्याज पर ऋण प्रदान करता है ।

बैंक कृषकों को सहकारी शीतग्रहों में आलू भण्डारण पर व वेयर हाउस में कृषि उत्पाद रखने की निर्गत रसीदों पर ऋण सुविधा प्रदान कर कृषकों को अपनी उपज भण्डारण करने की क्षमता प्रदान करता है जिससे उपयुक्त समय पर अपनी उपज बेंचकर अधिक लाभ कमा सकें ।[2]

स्रोत 2 - विभिन्न वर्षो के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा जिला सहकारी बैंक लि०, इटावा ।

तालिका - 6.3 - इटावा जनपद में सहकारी बैंक की शाखावार प्रगति :

क्रमांक	वर्ष	शाखाओं की संख्या	वृद्धि या कमी
1	2	3	4
1	1922	1	--
2	1940	2	+1
3	1955	3	+1
4	1969	5	+2
5	1975	8	+3
6	1980	10	+2
7.	1985	15	+5
8	1990	20	+5
9.	1994	24	+4
10	1996	26	+2
11	2000	26	--
12	2002	26	--

स्रोत – वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1990-91, 1996-97 इटावा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड इटावा

तालिका से स्पष्ट है कि 1922 से 1940 तक इसकी एक प्रधान शाखा ही कार्य कर रही थी । 1969 तक इसकी शाखाओं की संख्या 5 तक ही पहुंच सकी । 1980 के बाद से इसकी शाखाओं में वृद्धि हुई और 1996 के बाद इसकी संख्या 26 तक जाकर स्थिर हो गयी ।

वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्र में 3 शाखाएं तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 12 शाखाएं तथा ग्रामीण क्षेत्र में 11 शाखाएं कार्य कर रही हैं । उपर्युक्त तालिका में इटावा व औरैया दोनों जनपद की शाखाएं सम्मिलित हैं ।

तालिका - 6.4 - इटावा जिला सहकारी बैंक लि० विभिन्न वर्षो की जमा-ऋण प्रगति का विवरण :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*जमा*	*ऋण*	*ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत में)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	1990-91	2024.74	1205.74	59.55
2.	1991-92	2270.69	1335.67	72.03
3.	1992-93	2461.43	2179.12	88.53
4.	1993-94	3010.84	2330.10	77.39
5.	1994-95	3650.14	2560.98	70.16
6.	1995-96	4502.91	2588.01	57.47
7.	1996-97	5727.39	2429.21	42.41
8.	1997-98	6911.50	2765.01	40.01
9.	1998-99	8321.45	2966.75	35.65
10.	1999-00	10208.44	3179.65	30.56
योग		49089.53	23840.24	48.56

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा जिला सहकारी बैंक लि०, इटावा

तालिका 6.4 से स्पष्ट होता है कि बैंक की जमाओं में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई । वर्ष 1990-91 में 2024.74 लाख रूपये से बढ़कर 1999-2000 में 10208.44 लाख रूपये हो गयी । इस प्रकार जमाओं में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है । जनता को दिया गया ऋण 1990-91 में 1205.74 लख रूपये था जो वर्ष 1999-2000 में 3179.65 लाख तक जा पहुंचा जो कि 3 गुने से भी कम है । ऋण–जमाओं का अधिकतम अनुपात 1992-93 में 88.53 % तथा न्यूनतम 1999-2000 में 30.50% रहा ऋण जमा अनुपात से स्पष्ट है कि बैंक ने जमा के अनुसार अच्छा ऋण वितरण नही किया है । इसमें से अधिकांशऋण इनके सदस्यों को ही प्राप्त हुआ । ये सदस्य साहूकारों की ही भांति कार्य करते हैं । इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्धि करने में इनका योगदान नकारात्मक रहा है ।

तालिका 6.5 - इटावा जिला सहकारी बैंक लि. द्वारा दिया ऋण एवं अग्रिम :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	विवरण	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1996-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अल्प कालीन कृषि ऋण	352.87	617.58	763.29	858.67	904.05	856.38	743.52	806.68	830.11	1049.50
2.	मध्य कालीन ऋण	31.37	7.75	18.76	0.47	2.08	--	--	--	64.74	73.35
3.	वेतन भोगी सहकारी समितियां	50.00	53.58	73.81	120.02	172.33	223.53	197.89	195.87	209.14	277.46
4.	खाद्य एवं सार्व० वितरण प्रणाली हेतु	598.19	762.43	988.38	1050.98	1173.63	1132.57	957.16	1051.34	1125.20	1333.55
5.	उपभोक्ता सामग्री हेतु	8.87	5.98	9.58	4.32	10.27	11.70	20.57	27.88	20.72	27.65
6.	अन्य समितियों को	164.44	188.35	325.30	295.64	298.62	363.83	510.07	683.24	716.84	418.14
	योग	**1205.74**	**1635.67**	**2179.12**	**2330.10**	**2560.98**	**2588.01**	**2429.21**	**2765.01**	**2966.75**	**3179.65**

स्रोत -- विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा जिला सहकारी बैंक लि० इटावा ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अल्पकालीन कृषि ऋण वर्ष 1990-91 में 352.87 लाख रूपये थे जो कि वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 1049.50 लाख रूपये दिये गये । इस प्रकार सबसे अधिक ऋण खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये दिये गये और सबसे कम मध्यकालीन ऋणों को वितरण किया गया । वर्ष 1995-96, 96-97, 97-98 में मध्यकालीन ऋणों का वितरण ही नही किया गया था ।

इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

प्रस्तावना :

ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का बहुत बड़ा योगदान है । ग्रामीण क्षेत्रो मे वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व सर्वप्रथम सहकारिता आन्दोलन को सौपा गया था परन्तु ग्रामीणो को इसका पूरा लाभ नही मिल सका । भारत में अधिकांश जनसंख्या गांवों मे निवास करती है और उसके सामने ऋण ग्रस्तता की समस्या लगातार बनी रहती है । ग्रामीण क्षेत्रो मे संस्थागत ऋणों की असाधारण उपलब्धता के बावजूद इस बात को महसूस किया गया कि ग्रामीण समदाय के गरीब लोगों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक सुनियोजित ढ़ग से प्रयास करने की आवश्यकता है । इस भावना के अनुरूप भारत सरकार ने श्री एम०नरसिम्हन की अध्यक्षता मे एक कार्य दल नियुक्त किया गया । इस कार्य दल को ग्रामीण लोगों की ऋण आवश्यकतओं को पूरा करने के लिए विस्तृत जांच करने का कार्य सौपा गया । कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 1975 को प्रस्तुत की ।

समिति की रिपोर्ट के तत्पश्चात सरकार के 20 – सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी । इसके कुछ समय पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा (3) के अन्तर्गत इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 18 मार्च 1980 को की गयी थी । इसका प्रवर्तक बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया है । यह केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसकी पूँजी में अंशदान का अनुपात क्रमशः 50:15:35 का है ।

उद्देश्य :-

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिए की गयी है । इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से ऋण उपलब्ध कराना है ।
2. समाज के कमजोर वर्ग को कृषि एवं उसके सम्बन्धित कार्यों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।
3. बैंक लघु सीमान्त कृषको, भूमिहीन श्रमिकों और ग्रामीण शिल्पकारों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है ।
4. व्यापार वाणिज्य, स्वयं सेवी समूह, कुटीर उद्योग, रेशम पालन, डेरी, मधुमक्खी पालन आदि को आर्थिक सहायता देना ।
5. शिक्षित ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना तथा उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देकर ग्रामीण बैक की लागत को न्यूनतम स्तर पर बनाये रखना ।
6. अन्य बैकिंग सुविधायें प्रदान करना ।

कार्यक्षेत्र :

बैंक का कार्य क्षेत्र जनपद इटावा व औरैया है । 1997 से पहले दोनों जनपद को इटावा जनपद के नाम से जाना जाता था । 1997 में जनपद का विभाजन हो गया जो जनपद औरैया के नाम से जाना जाता है लेकिन इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों जनपदों में अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है । दोनों जनपदों को मिलाकर 7 तहसीले 15 विकासखण्ड हैं । जो सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र को भूमि संरचना, भूमि की किस्म, कृषि एवं जलवायु के आधार पर विभाजित किये गये हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । दोनों जनपदों में औसत वर्षा 100 मिलीमीटर है । जनपद की कुल

कृषि में समस्त जोतों का आकार एक हेक्टेयर हैं । जिसमें सीमान्त जोता का 0.6 हेक्टेयर है तथा समस्त जोतो में लघु एव सीमान्त जोतों का 82.2 है ।[3]

बैक ने कृषकों मुख्यतः लघु एवं सीमान्त श्रेणी के लियें कृषि उत्पादन एवं रोजगार को बढावा देने के लिये अनेक कदम उठाये हैं, जैसे – अनेक नजदीक क्षेत्रों में शाखायें खोलकर कृषि उत्पादन हेतु वित्त पोषण एवं कृषि से सम्बन्धित व्यवसायो द्वारा आय बढ़ाना ।

निदेशक मंडल :

भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अधिनियम 1976 की धारा (9) के अन्तर्गत निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्त करती है । इन बैकों का प्रबन्ध नौ सदस्यों के संचालक मंडल द्वारा किया जाता है । इसके अध्यक्ष सहित केन्द्र सरकार, प्रवर्तक बैंक व राज्य सरकार के सदस्य शामिल होते है।

अंशपूँजी :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के समय बैंक की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ और प्रदत्त पूंजी 25 लाख रूपये रखी गयी थी । कुछ समय पश्चात केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर बैंक की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये कर दी गयी थी और प्रदत्त पूंजी समय–समय पर परिवर्तित होती रही है । वर्तमान में प्रदत्त पूंजी 1 करोड़ रूपये है । प्रदत्त पूंजी समस्त अंश पूंजी का अंशदान भारत सरकार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में विभाज़ित की गयी है । निम्न तालिका से अंश पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी दृष्टव्य है ।

स्रोत - 3 **सांख्यिकी पत्रिका, जनपद इटावा व औरैया ।**

तालिका - 6.6 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंश पूँजी का विवरण:

क्रमांक	*वर्ष*	*अधिकृत पूँजी रूपयों में*	*प्रदत पूँजी रूपयों में*
1	*2*	*3*	*4*
1.	1988-89	10000000.00	5000000.00
2.	1989-90	10000000.00	5000000.00
3.	1990-91	50000000.00	7500000.00
4.	1991-92	50000000.00	7500000.00
5.	1993-94	50000000.00	7500000.00
6.	1995-96	50000000.00	7500000.00
7.	1996-97	50000000.00	10000000.00
8.	1999-2000	50000000.00	10000000.00
9.	2000-2001	50000000.00	10000000.00
10.	2001-2002	50000000.00	10000000.00

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा

तालिका 6.6 से स्पष्ट है कि 1988-89 में बैक की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रूपये थी जो 1990-91 में बढ़कर 5 करोड़ रूपये हो गयी तथा वर्तमान समय में बैंक की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ ही है । प्रदत्त पूंजी 1989-90 तक 50 लाख रूपयें थी । जो कि 1990-91 में बढ़कर 75 लाख रूपये हो गयी थी । इसी प्रकार भावी वित्तीय वर्ष में भी वृद्धि हुई है और 1996-97 में प्रदत्त पूंजी 1 करोड़ रूपये हो गयी । जिससे सभी अंशधारकों से 25 लाख रूपये उनके अनुपात के अनुसार अतिरिक्त पूंजी प्राप्त हो गयी । विभिन्न वर्षो में बैक के व्ययों को पूरा करने के लिये प्रदत्त पूंजी में परिवर्धन किया गया है । वर्तमान समय में बैंक की प्रदत्त पूंजी 1 करोड़ है ।

तालिका 6.7 - इटावा क्षेत्रीय बैंक की प्रगति क्रमवार विवरण :

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	विवरण	1989-90	1990-91	1991-92	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	जमा धनराशि :–											
	अ. खाता संख्या	98766	106885	118791	136131	120484	111836	116839	119724	139253	130282	137587
	ब. धनराशि	166910	210240	242265	324815	392343	456525	551636	603545	914744	1036363	1217052
2.	अग्रिम :–											
	अ. खाता संख्या	35958	40987	42485	43448	42773	42799	42979	43559	43714	44106	44311
	ब. धनराशि	106900	130300	151600	203900	232300	269400	300200	329700	298104	282301	315564
3.	प्रति खाता जमा धनराशि	1.69	1.97	2.04	2.37	3.26	4.08	4.72	5.04	5.57	7.95	8.85
4.	प्रति खाता अग्रिम	2.97	3.18	3.57	4.69	5.43	6.30	6.90	7.57	6.82	6.40	7.12
5.	शाखाओं की संख्या	48	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6.	प्रति शाखा जमा	3477.29	4290.6	4845.3	6496.0	7846.0	9130.0	11032.0	12070.9	18294.9	20727.3	24341
7.	प्रति शाखा अग्रिम	2227.1	2659.2	3032.0	4078.0	4646.0	5388.0	6004.0	6594.0	5962.1	5646.0	6311.3
8.	अग्रिम जमा अनुपात	64.05 प्रतिशत	61.98 प्रतिशत	62.58 प्रतिशत	62.78 प्रतिशत	59.27 प्रतिशत	59.01 प्रतिशत	54.42 प्रतिशत	54.63 प्रतिशत	32.59 प्रतिशत	27.23 प्रतिशत	25.93 प्रतिशत

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

उपर्युक्त तालिका 6.7 से स्पष्ट है कि जमा खाता संख्या 1989-90 में 98766 थे। जो कि 2001-2002 में बढ़कर 137587 हो गये हैं । इसी प्रकार अग्रिम खाते 1989-90 में 35958 थे जो 2001-2002 में 44311 हो गये है । वर्ष 1989-90 में जमा धनराशि 166910 हजार रूपये थीं जो 2001-2002 में 1217052 हजार रूपये तक पहुंच गयी है जो 729.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । ऋण एवं अग्रिम 1989-90 में 106900 हजार रूपये से बढ़कर 2001-2002 में 315564 हजार रूपये हो गयी । यह 295.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । इसी प्रकार प्रति खाता अग्रिम व प्रति शाखा अग्रिम 1989-90 में क्रमशः 2.97 व 2227.01 हजार रूपये थी । जो 2001-2002 में बढ़कर क्रमशः 7.12 तथा 6311 हजार रूपये हो गयी । इससे स्पष्ट है कि बैंक के अग्रिम में वृद्धि तो हुई है लेकिन जमाओं की अपेक्षा कम है । बैंक की स्थापना के समय से ही ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंक काफी आगे थीं लेकिन क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव की वजह से बैंक की वसूली कम हो पाती थी । पिछले 2 वर्षों में बैंक ने कम ऋण वितरण किया है क्योंकि वसूली न होने के लिए बैकों पर दबाव डाला जाता है ।

जमा सवृद्धि :

बैंक की स्थापना के समय से ही साख–जमा मे निरन्तर वृद्धि होती रही है। 1989-90 में बैंक में 1669.10 लाख रूपये जमा हुये थे जो कि 2001-2002 में बढ़कर 5217052 लाख रूपये हो गये । विगत कुछ वर्षो में जमा संग्रह निम्नलिखित है ।

तालिका - 6.8 - इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमा संवृद्धि

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*जमा धनराशि*	*विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि*
1	*2*	*3*	*4*
1	1989-90	1669.10	21.2 %
2.	1990-91	2102.40	25.96 %
3.	1991-92	2422.65	15.23 %
4.	1992-93	2590.00	6.90 %
5.	1993-94	3248.15	25.36 %
6.	1994-95	3923.43	20.79 %
7.	1995-96	4565.25	16.36 %
8.	1996-97	5516.36	20.83 %
9.	1997-98	6035.45	9.41 %
10.	1998-99	7586.85	25.70 %
11.	1999-2000	9147.44	20.57 %
12.	2000-2001	10363.63	13.30 %
13.	2001-2002	12170.52	17.43 %

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बैंक की जमाओं में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । वर्ष 1990-91 में विगत वर्ष की तुलना में 25.96 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि हुई थी। जबकि 1992-93 में न्यूनतम 6.9 प्रतिशत की वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में रही है। इसके बाद के वषों में बैंक की जमाओं में उतार–चढ़ाव आते रहे हैं । फिर भी बैंक की जमाओं में वृद्धि हो रही है । वर्ष 2000-2001 में 10363.63 लाख रूपये जमा हुये थे । जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.30 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है । वर्ष 2001-2002 में बढ़कर 12170.52 लाख रूपय जमा किये गये जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

खातों की संख्या :

बैंक के जमा खातों की संख्या में स्थापना वर्ष को छोड़कर भावी वित्तीय वर्षो में निरन्तर वृद्धि हुई है । 1989-90 में 98766 थी जो कि 2001-2002 में 137587 हो गयी। इस प्रकार खाताओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है । विगत कुछ वषों का विवरण निम्नलिखित है ।

तालिका - 6.9 - इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमा खाता संख्या :

क्रमांक	*वर्ष*	*खाता संख्या*	*विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि*
1	*2*	*3*	*4*
1	1989-90	98766	12.01%
2.	1990-91	106885	8.22 %
3.	1991-92	118791	11.14 %
4.	1992-93	128068	7.81 %
5.	1993-94	136131	6.30 %
6.	1994-95	120484	(-) 11.49 %
7.	1995-96	111836	(-) 7.18 %
8.	1996-97	116839	4.47 %
9.	1997-98	119724	2.47 %
10.	1998-99	135589	13.25 %
11.	1999-2000	139253	2.70 %
12.	2000-2001	130282	(-) 6.44 %
13.	2001-2002	137587	5.61 %

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन इटावा क्षेत्रीय बैंक इटावा ।

उपरोक्त तालिका से परिलक्षित होता हैं कि खातों में निरन्तर वृद्धि हुई है लेकिन 1994-95 में ऋणात्मक रही तथा 1995-96 में खातों की संख्या में और कमी आ गयी थी । इसके पश्चात 2000-2001 में भी खातों की संख्या में वृद्धि ऋणात्मक रही है। अन्य वर्षो में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है । वर्ष 2001-02 में खातों की संख्या 137587 थी जो विगत वर्ष की अपेक्षा 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

अग्रिम :

बैंक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनानें के लिए लक्ष्य के अनुकूल ऋण प्रदान किये हैं । बैंक को ग्रामीण विकास के लियें विभिन्न योजनाओं में ऋण प्रदान किये हैं । वर्ष 1989-90 में 1069 लाख रूपये का ऋण तथा 2001-2002 में 3156 लाख रूपये के ऋण वितरण किये गये हैं । विगत वर्षो में दिया गया ऋण निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका - 6.10 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण एवं अग्रिम का विवरण :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*खाता संख्या*	*ऋण एवं अग्रिम*	*विगत वर्ष पर प्रतिशत ऋण एवं अग्रिम पर*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	1989-90	35958	1069	24.3 %
2	1990-91	40987	1303	21.88 %
3	1991-92	42485	1516	16.34 %
4	1992-93	42590	1699	12.07 %
5	1993-94	43448	2039	20.00 %
6	1994-95	42773	2323	13.93 %
7	1995-96	42799	2694	15.97 %
8	1996-97	42979	3002	11.43 %
9	1997-98	43559	3297	9.93 %
10	1998-99	43571	3299	0.06 %
11	1999-2000	43714	2981	(-) 9.64 %
12	2000-2001	44106	2823	(-) 5.30 %
13.	2001-2002	44311	3156	11.80

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक 1989-90 में 24.3 प्रतिशत की वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में हुई थी जबकि इसी समय 35958 खातें खोले गये थे । सबसे कम ऋण वितरण विगत वर्ष की तुलना में 0.6 प्रतिशत 1998-99 में रहा । 2001-2002 में विगत वर्ष की तुलना में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 1999-2000 व 2000-2001 में ऋणों के वितरण में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। इन दो वर्षो में ऋणात्मक वृद्धि का मुख्य कारण था कि बैंक ने ऋण की वसूली नही कर पायी जिससे इन बैकं की शाखाओं ने कम ऋण वितरण किया । वसूली न होने का कारण जनपद का पिछड़ा होना है । पिछड़े होने की वजह से बैंक को वसूली न करने के लिये राजनीतिक दबाव डाला जाता है । विगत दो वर्षो में ऋण कम वितरण करने के लिये बैंक की नीतियां भी दोषी रही हैं।

तालिका - 6.11 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक साख जमा अनुपात :

क्रमांक	*वर्ष*	*साख - जमा अनुपात*
1	*2*	*3*
1	1990-91	61.98 %
2	1991-92	62.58 %
3	1992-93	65.25 %
4	1993-94	62.78 %
5	1994-95	59.21 %
6	1995-96	59.01 %
7	1996-97	54.42 %
8	1997-98	54.63 %
9	1998-99	41.84 %
10	1999-2000	32.59 %
11	2000-2001	27.23 %
12	2001-2002	25.93 %

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1992-93 तक साख जम अनुपात बढ़ा है। इसके बाद के वर्षो में निरन्तर कमी हो रही है और वर्ष 2001-2002 में यह घटकर मात्र 25.93 प्रतिशत ही रहा है । इसके साथ ही अग्रिमों में वृद्धि, जमा वृद्धि की अपेक्षा कम रही है । अग्रिमों में वृद्धि कम होने का कारण बैंक की परिवर्तित नीतियां रही हैं ।

शाखा विस्तारण :-

इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की स्थापना 18 मार्च 1980 को मुख्य शाखा के रूप में हुई थी । इसकी एक मात्र शाखा शहर में स्थापित हुई । इसके बाद इसी वर्ष बैंक ने 8 शाखाओं का विस्तार किया । स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक इसकी शाखाओं की संख्या निम्न तालिका से स्पष्ट है:

तालिका - 6.12 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखावार प्रगति :

विवरण	*1980*	*1981*	*1982*	*1983*	*1984*	*1985*	*1989*	*1991*	*2002*
शाखाओं की संख्या	9	10	11	6	3	9	1	1	--
कुल शाखाऐं	9	19	30	36	39	48	48	50	50
वृद्धि	9	+10	+ 11	+ 6	+ 3	+ 9	--	+ 2	--

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बैंक की स्थापना के वर्ष 9 शाखायें खोली गयी थीं । इसके बाद से निरन्तर शाखाओं में वृद्धि होती रही है । वर्ष 1986, 87, 88, में कोई नयी शाखा नही खोली गयी है । वर्ष १९९१ के बाद कोई नयी शाखा नही स्थापित गयी । वर्तमान समय में दोनों जनपदों में कुल शाखाओं की संख्या 50 है ।

तालिका 6.13 - दोनों जनपदों की शाखाओं का वर्गीकरण :

(31.3.3002 की स्थिति)

क्रमांक	*क्षेत्रवार शाखायें*	*शाखाओं की संख्या*		*योग*
		इटावा	***औरैया***	
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1.	शहरी शाखाएं	1	1	2.
2.	अर्द्ध शहरी	2	4	6
3.	ग्रामीण शाखाएं	22	20	42
	कुल योग	25	25	50

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2002 तक बैंक की 50 शाखायें कार्य कर रही थी । इसके पहले 2000-2001 में असैनी की शाखा को दिबियापुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है क्योंकि यह शाखा ग्रामीण क्षेत्र में होने की वजह से घाटे में चल रही थी ।

बैंक अपनी 50 शाखाओं द्वारा इटावा व औरैया के 15 विकासखण्डों एवं 1536 ग्रामों में अपनी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं ।

नयी अनुज्ञानीति के अन्तर्गत 1991 से 31 मार्च 2002 तक जनपद में कोई नयी शाखा विस्तारण के लिये अनुज्ञा नही दी गयी थी ।[4]

स्रोत 4 - नरसिम्हन समिति 1991 **बैकिंग प्रणाली की पुर्नसंरचना ।**

प्रति खाता जमा तथा अग्रिम धनराशि :

तालिका - 6.14 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रति खाता जमा एवं अग्रिम :

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*प्रतिखाता जमा*	*प्रतिखाता अग्रिम*
1	*2*	*3*	*4*
1	1990-91	1.97	3.18
2	1991-92	2.04	3.57
3	1992-93	2.02	3.99
4	1993-94	2.39	4.69
5	1994-95	3.26	5.43
6	1995-96	4.08	6.29
7	1996-97	4.72	6.91
8.	1997-98	5.04	7.57
9	1998-99	5.60	7.57
10	1999-2000	6.57	6.82
11	2000-2001	7.95	6.40
12	2001-2002	8.85	7.12

स्रोत– विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रति खाता जमा धनराशि प्रति खाता अग्रिम धनराशि से कम है । इसका कारण है कि प्रति खाता जमा धनराशि से अधिक ऋणों का वितरण किया गया । वर्ष 2001-2002 में कुछ सुधार हुआ और ऋणों की अपेक्षा और धनराशि अधिक जमा हुई है ।

प्रति शाखा जमा तथा अग्रिम धनराशि :

बैंक अपने स्थापना के समय से ही प्रति शाखा जमा तथा प्रति शाखा ऋणों में बढ़ोतरी कर रहा है । विगत कुछ वर्षो की स्थिति निम्नवत है :

तालिका - 6.15 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रति शाखा जमा एवं अग्रिम का प्रगति विवरण:

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*प्रतिशाखा जमा*	*प्रति शाखा अग्रिम*	*जमा अनुपात*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	1989-90	34.77	22.27	64.05 %
2	1990-91	42.90	26.59	61.98 %
3	1991-92	48.45	30.32	62.58 %
4	1992-93	51.80	33.80	65.25 %
5	1993-94	64.96	40.78	62.78 %
6	1994-95	78.46	46.46	59.21 %
7	1995-96	91.30	53.88	59.01 %
8	1996-97	110.32	60.04	54.42 %
9	1997-98	120.71	65.94	54.63 %
10.	1998-99	157.74	65.99	41.83 %
11	1999-2000	182.95	59.62	32.59 %
12	2000-2001	207.27	56.46	27.24 %
13	2001-2002	243.41	62.11	25.93 %

स्रोत -- विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रति शाखा जमा राशि प्रति शाखा अग्रिम से अधिक तथा दोनों में आगामी वर्षो में निरन्तर वृद्धि हुई है । इस प्रकार एक शाखा पर जमा राशि से कम ऋण प्रदान किया गया है । जो कि बैंकिग व्यवस्था की कुशलता का परिचायक है । वर्ष 1989-90 में 34.77 लाख रूपये जमा किये गये तथा 22.27 लाख रूपये का ऋण दिया गया जो कि वर्ष 2001-2001 में बढ़कर 243.41 लाख रूपये की जमायें स्वीकार की गई तथा 63.11 लाख रूपये का ऋण वितरित किया गया ।

तालिका - 6.16 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकासखण्डवार प्रगति (31 मार्च की स्थिति): (धनराशि हजार रूपये में)

क्रम संख्या	विकास खण्ड	1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000			2000-2001		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	बढपुरा	65800	26700	40.58	81145	32410	39.94	113337	29988	26.45	121786	28862	23.70	121927	26184	21.48
2.	जसवन्त नगर	24364	20600	84.55	26900	22000	81.78	35949	20708	57.60	41598	18818	45.24	50234	16318	32.48
3.	भरथना	40100	15000	37.41	42700	17700	41.45	62922	20095	31.94	65134	18963	29.11	80713	21433	26.55
4.	महेवा	44200	20000	45.25	44500	21600	48.54	57419	21429	37.32	69533	18296	26.31	78930	18069	22.89
5.	बसरेहर	30900	26300	85.11	31300	28600	91.37	42221	29986	71.02	45541	27278	59.90	55295	27548	49.82
6.	सैंफई	11900	14300	120.17	13600	15800	116.18	19189	15936	83.05	21850	13468	61.64	27121	12255	45.16
7.	ताखा	19000	14700	77.37	21300	17000	79.81	28073	17074	60.82	31790	15670	49.29	39662	16225	40.98
8.	विधूना	39700	26500	66.75	45500	32000	70.32	58468	30641	52.41	71081	27278	38.38	76618	25474	33.25
9.	अछल्दा	37500	32500	86.67	39500	28700	72.66	51410	31225	60.74	62104	29098	46.85	69143	26077	37.71

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
10.	सहार	44700	19200	42.95	42000	21600	51.42	59200	21587	36.46	71286	18641	26.15	70895	17179	24.23
11.	ऐरवा कटरा	36200	27200	75.14	42200	29100	68.96	56090	27981	49.89	63624	23620	37.12	72850	21639	29.70
12.	औरैया	55000	22700	41.27	59900	24400	40.73	71345	26177	36.69	89875	24297	27.03	115056	23206	20.17
13.	अजीतमल	63900	17600	27.54	67500	19000	28.15	79576	17059	21.44	91566	16151	17.64	103309	13507	13.07
14.	भाग्यनगर	43400	16900	38.94	45500	19700	43.30	53486	20094	37.57	67975	17664	25.99	76416	17061	22.33
	योग	**551636**	**300200**	**54.42**	**603545**	**329700**	**54.63**	788685	**329968**	**41.84**	**914744**	**298104**	**32.59**	**1036363**	**282301**	**27.24**

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा ।

तालिका 6.16 इटावा व औरैया दोनों से सम्बन्धित विकासखण्डों की जमा ऋण प्रगति को दर्शाती है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1996-97 से सबसे अधिक विकासखण्ड बढ़पुरा में धनराशि जमा की गई है तथा सबसे कम सैंफई विकासखण्ड में जमा हुई है । इसी प्रकार सबसे अधिक ऋण सैफई विकासखण्ड में वितरण किया गया है । वर्ष 2000-2001 को तालिका में देखने से पता चलता है कि सबसे अधिक जमा बढ़पुरा में 121927 हजार रूपये की धनराशि जमा की गयी है । ऋण जमा अनुपात को देखने से पता चलता है कि सबसे अधिक ऋण बसरेहर विकासखण्ड में (49.82 प्रतिशत) रहा तथा सबसे कम विकासखण्ड अजीतमल में (13.67 प्रतिशत) ऋणों का वितरण किया गया ।

तालिका - 6.17 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तहसीलवार प्रगति विवरण (31 मार्च की स्थिति) (धनराशि हजार रूपये में)

क्रम संख्या	तहसील	1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000			2000-2001		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	इटावा	96700	53000	54.81	111400	59000	52.96	153558	59974	39.06	167327	56140	33.55	177319	53732	30.30
2.	भरथना	100836	50600	50.18	109545	58400	53.31	158414	58598	36.99	166094	52927	31.87	197202	55790	28.29
3.	सैंफई	11900	14300	120.16	13600	15800	116.18	19189	15930	83.01	21850	13468	61.64	27121	12255	45.19
4.	जसवन्त नगर	24300	20600	84.77	26900	24000	89.22	35949	20708	57.60	41598	18818	45.24	50234	16318	32.48
5.	औरैया	162300	57200	35.24	172900	63100	36.50	204407	63330	30.98	249416	58112	23.30	294781	53837	18.26
6.	विधूना	155600	104500	67.16	169200	108400	64.07	215168	111428	51.77	268459	98639	36.74	289506	90369	31.21
	योग	**551636**	**300200**	**54.42**	**603545**	**329700**	**54.63**	**788685**	**329968**	**41.84**	**914744**	**298104**	**32.59**	**1036363**	**282301**	**27.24**

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा ।

तालिका 6.17 से स्पष्ट है कि दोनों जनपदों में 1996-97 में सर्वाधिक जमा औरैया तहसील और न्यूनतम जमा सैंफई तहसील में रही है । वर्ष 2000-2001 में सर्वाधिक जमा धनराशि तहसील औरैया में तथा न्यूनतम जमा धनराशि सैफई तहसील में रही है । ऋण जमा अनुपात को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1996-97 में सर्वाधिक ऋण सैफई तहसील में 120.16 प्रतिशत दिया और उसके बाद के वर्षो में 100 प्रतिशत से अधिक ही रहा है। न्यूनतम ऋण 1996-97 में औरैया तहसील में 35.24 प्रतिशत रहा तथा उसके बाद के वर्षो में भी इसी तहसील में कम ऋणों का वितरण किया ।

सैफई तहसील में ऋण शत प्रतिशत से अधिक रहा । इसका आशय है कि जमा से अधिक इस तहसील की शाखाओं ने ऋणों का वितरण किया। ऐसी दशा में इन शाखाओं को मुख्य शाखा से धनराशि उधार लेनी पड़ी ।

तालिका - 6.18- इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ऋण-जमा की प्रगति (31 मार्च की स्थिति) :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	जमा	ऋण	ऋण-जमा प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	1989-90	1669.10	1069	64.05 %
2.	1990-91	2102.40	1303	61.98 %
3.	1991-92	2422.65	1516	62.58 %
4.	1992-93	2590.00	1690	65.25 %
5.	1993-94	3248.15	2039	62.78 %
6.	1994-95	3923.43	2323	59.21 %
7.	1995-96	4565.25	2694	59.01 %
8.	1996-97	5516.36	3002	54.42 %
9.	1997-98	6035.45	3297	54.63 %
10.	1998-99	7586.85	3299	41.84 %
11.	1999-2000	9147.44	2981	32.59 %
12.	2000-2001	10363.63	2823	27.23 %
13.	2001-2002	1270052	315564	25.93 %

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1989-90 से ऋण–जमा अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही थी । लेकिन 1993-94 से ऋण–जमा अनुपात में लगातार कमी आयी है । और 2001-2002 में आकर 25.93 प्रतिशत तक आ गयी है । इसका कारण कि जनपद पिछड़ा होने की वजह से ऋणों की वसूली पूरी नही हो पाती है जिससे बैंक ऋण देने में कतराने लगे हैं । इसके साथ बैंक की ऋण की नीतियों में भी परिवर्तन रहा है ।

GROWTH OF DEPOSIT / ADVANCE

तालिका - 6.19 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ऋण एवं अग्रिम का विवरण (31 मार्च की स्थिति)

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	ऋण एवं अग्रिम	विगत वर्ष पर प्रतिशत ऋण एवं अग्रिम पर
1	2	4	5
1	1989-90	1069	24.30 %
2	1990-91	1303	21.88 %
3	1991-92	1516	16.35 %
4	1992-93	1699	11.48 %
5	1993-94	2039	20.65 %
6	1994-95	2323	13.93 %
7	1995-96	2694	15.97 %
8	1996-97	3002	11.43 %
9	1997-98	3297	9.93 %
10	1998-99	3299	0.08 %
11	1999-2000	2981	(-) 9.66 %
12	2000-2001	2823	(-) 5.30 %
13	2001-2002	3156	11.80

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1989-90 में 1069.00 लाख रूपये का ऋण वितरण किया जो पिछली वर्ष की तुलना में 24.30 प्रतिशत अधिक था । तब से ऋण वितरण में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन 1999-2000 एवं 2000-2001 में यह वृद्धि ऋणात्मक रही है । वर्ष 2001-2002 में 3155.64 लाख रूपये का ऋण प्रदान किया गया जा विगत वर्ष की अपेक्षा 11.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । ऋणों में लगातार कमी हो रही है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में उतार चढ़ाव आते रहे हैं । वर्ष 1998 के बाद बैंक की प्रवृत्तियों में परिवर्तन के कारण ऐसे व्यक्तियों को ऋण नही दिया गया है जो लौटने की स्थिति में नही थे । इसके अलावा जो ऋण दिया गया था उसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव के कारण वसूल नही हो पा रहा था । जिसकी वजह से ऋणों में लगातार कमी हो रही है ।

तालिका - 6.20 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्षेत्रवार प्रगतिः

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	इटावा			औरैया		
		जमा	ऋण	ऋण-जमा अपुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण-जमा अपुपात प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1995-96	198832	129661	65.21	257693	139739	54.23
2.	1996-97	233736	137400	58.78	317900	161000	50.64
3.	1997-98	260400	153100	58.79	343145	176600	51.47
4.	1998-99	347110	155216	44.72	439575	174752	39.75
5.	1999-00	397232	141355	35.58	517512	156749	30.29
6.	2000-01	452076	138095	30.55	584287	144206	24.68
7.	2001-02	683422	166680	24.39	533630	148884	27.90

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इटावा में वर्ष 1995-96 में 1988.32 लाख रूपये का संग्रह किया गया तथा 1296.61 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया । जो कि 2002 में बढ़कर 6834.22 लाख रूपये की जमायें स्वीकार की गई तथा 1666.80 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया । इसी प्रकार औरैया क्षेत्र को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1995-96 में 2576.93 लाख रूपये जमा हुये तथा 1397.39 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया जो कि वर्ष 2002-2002 में बढ़कर क्रमशः 5336.30 व 1488.84 लाख रूपये हो गया है।

तालिका - 6.21 - इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्षेत्रवार ऋण प्रगति विवरण (31 मार्च की स्थिति) :

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	इटावा		औरैया	
		ऋण	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	ऋण	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1.	1995-96	129661	9.16	139739	6.86
2.	1996-97	137400	5.96	161000	15.21
3.	1997-98	153100	11.42	176600	9.69
4.	1998-99	155216	1.38	174752	(-) 1.05
5.	1999-00	141355	(-) 8.93	156749	(-) 10.31
6.	2000-01	138095	(-) 2.31	144206	(-) 8.11
7.	2001-02	166680	20.70	148884	3.24

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

तालिका 6.21 को देखने से यह स्पष्ट है कि इटावा क्षेत्र में 1995-96 में 129661 हजार रूपये का ऋण दिया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है । वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में ऋणों का वितरण पिछले वर्ष की तुलना में कम किया गया इन दोनों वर्षों में ऋणों का वितरण ऋणात्मक रहा है । इसी प्रकार औरैया क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में 139739 हजार रूपये का ऋण वितरण किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.86 प्रतिशत अधिक था । इस क्षेत्र में भी अन्तिम चार वर्षों में से ऋण वितरण 3 वर्षों में ऋणात्मक रहा है तथा 2001-02 में वृद्धि धनात्मक रही । ऋण वितरण ऋणात्मक होने का मुख्य कारण ऋणों की वसूली न हो पाने के कारण बैंक की शाखाओं ने कम ऋण वितरण किया है । इसके साथ–साथ बैंक की परिवर्तित नीतियां भी रही है ।

तालिका - 6.22 - इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्षेत्रवार ऋण प्रगति विवरण (31 मार्च की स्थिति) :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य समूह		गैर लक्ष्य समूह		कुल ऋण
		ऋण एवं अग्रिम	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	ऋण एवं अग्रिम	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1994-95	1951.32	8.32	371.68	1.81	2323.00
2.	1995-96	2307.75	18.26	286.25	3.92	2694.00
3.	1996-97	2519.85	9.19	482.15	24.82	3002.00
4.	1997-98	2882.26	14.38	414.74	- 13.39	3296.00
5.	1998-99	2874.49	- 0.27	425.19	2.83	3299.68
6.	1999-00	2476.21	-13.86	504.83	18.73	2981.04
7.	2000-01	2276.43	- 8.07	546.58	8.27	2823.01
8.	2001-02	2407.58	5.75	748.06	36.86	3155.64

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

तालिका 6.22 से स्पष्ट है कि 1994-95 में लक्ष्य समूह को 1951.32 लाख रूपयों का ऋण दिया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.32 प्रतिशत अधिक था तथा 1997-98 में 2882.26 लाख रूपये का ऋण दिया गया । इसके बाद के वर्षो में बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में लक्ष्य समूह को अधिक ऋणों का वितरण किया और 2001-2002 में 2407.58 लाख रूपये का ऋण दिया । इसी तरह गैर लक्ष्य समूह को देखा जाय तो स्पष्ट है कि बैंक के ऋण वितरण में लगातार उतार–चढ़ाव आते रहे हैं ।

तालिका - 6.23 - इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण व अग्रिम प्राथमिकता एवं गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण व अग्रिम	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण व अग्रिम	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	कुल ऋण एवं अग्रिम	पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1994-95	2033.02	10.25	385.52	10.78	2418.54	18.61
2.	1995-96	2190.18	7.73	504.25	30.80	2694.43	11.41
3.	1996-97	2454.45	12.07	548.43	8.76	3002.88	11.44
4.	1997-98	3012.56	22.74	285.42	-47.04	3297.98	9.82
5.	1998-99	3972.78	31.87	326.90	14.53	3299.68	-0.05
6.	1999-00	2585.31	-34.08	395.73	21.06	2981.04	-9.66
7.	2000-01	2343.16	- 9.63	479.85	21.26	2823.01	-5.30
8.	2001-02	3632.60	12.35	523.04	9.00	3155.64	11.78

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

तालिका 6.23 से स्पष्ट है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में 2033.02 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया जो कि वर्ष 2001-2002 में बढ़कर 3155.64 लाख रूपये हो गया था प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्ष 1998-99 तक पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि होती रही लेकिन 1999-2000 तथा 2000-2001 में प्रगति ऋणात्मक रही । गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कुल ऋण वर्ष 2000-2001 में 479.85 लाख रूपये था जबकि वर्ष 1994-95 में 385.52 लाख रूपये था । वर्ष 2001-2002 में प्राथमिकता प्राप्त व गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण क्रमशः 2632.60 व 523.04 लाख रूपये प्रदान किये गये ।

तालिका-6.24- इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऋण वितरण की प्रगति :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	कुल ऋण वितरण
1	2	3	4	5
1	1988-89	487	317	804
2.	1989-90	625	444	1069
3.	1990-91	746	527	1303
4.	1991-92	918	598	1516
5.	1992-93	1061	629	1690
6.	1993-94	1289	750	2039
7.	1994-95	1373	950	2323
8.	1995-96	1465	1229	2694
9.	1996-97	1593	1409	3002
10.	1997-98	1869	1428	3297
11.	1998-99	1881	1418	3299
12.	1999-2000	1551	1430	2981
13.	2000-2001	1513	1310	2823
14.	2001-2002	1935	1221	3156

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

उपरोक्त तालिका से दृष्टव्य है कि कृषि क्षेत्र में 1988-89 में जहां 482 लाख रूपये का ऋण दिया गया जो कि वर्ष 2001-2002 में बढकर 1935 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया । गैर कृषि क्षेत्र में 1988-89 में 317 लाख रूपये का ऋण दिया गया जो कि 2001-2002 में बढ़कर 1221 लाख रूपये हो गया । जो 385.17 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है । कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में से कृषि क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है ।

तालिका-6.25- इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऋण वितरण की प्रगति

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	मदवार विवरण	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1	सकल ऋण बकाया शेष	298104	282301	315564
2.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	258531	234316	253260
3.	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	39573	47985	52304
4.	लक्ष्य समूह को ऋण	247621	227643	240758
5.	गैर लक्ष्य समूह को ऋण	50483	54658	74806
6.	अनुसूचित जाति / जनजाति को ऋण	117369	103799	94200
7.	अल्प संख्यक समुदाय को ऋण	6054	5801	64600
8.	लघु/सीमान्त किसानों/कृषि मजदूरों को ऋण	198965	165628	170103
9.	कृषिगत ऋण	155139	151304	193544
10.	लघु उद्योगों को ऋण	9964	----	9987
11.	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	93428	83012	59729
12.	आई०आर०डी०पी०/एस०जी०एस०वाई के अन्तर्गत	192915	160722	126014
13.	अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ऋण	45013	40217	94125

र्षक प्रगति प्रतिवेदन, 2000-2001 एवं 2002 इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बैंक लघु/सीमान्त किसानों/कृषि मजदूरों तथा आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत मिलने वाले ऋणों पर बैंक अधिक ऋण दे रही है । इसके साथ ही बैंक कृषि ऋण को भी प्राथमिकता दे रहे है ।

ADVANCE MIX अग्रिम मिक्स

इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमा राशि में :

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	विवरण	मार्च 2001		मार्च 2002		वृद्धि दर प्रतिशत में
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	चालू खाता	941	15395	1010	23961	56 %
2.	घरेलू खाता	100842	472925	107462	601479	27 %
3.	सावधि जमा खाता	28499	548043	29115	591612	8 %
4.	**कुल योग**	**130282**	**1036363**	**137587**	**1217052**	**17 %**

स्रोत -- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2001-2002--इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चालू खाता एवं घरेलू खाता में जमा वृद्धि दर क्रमशः 56 व 27 प्रतिशत रही है तथा सावधि जमा खातों में जमा वृद्धि दर 8 प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में रही है । यदि समग्र रूप से देखा जाय तो जमा वृद्धि दर लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत रही है ।

DEPOSIT MIX जमा मिक्स

तालिका - 6.26 - इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में वसूली का प्रगति विवरण :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	कृषि क्षेत्र				गैर कृषि क्षेत्र			
		मांग	वसूली	अतिदेय	वसूली प्रतिशत	मांग	वसूली	अतिदेय	वसूली प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	1994-95	578.49	210.39	368.10	36.37	382.28	108.17	274.11	28.29
2.	1995-96	537.38	263.30	274.08	48.99	308.17	128.07	180.10	41.56
3.	1996-97	623.52	268.12	355.40	43.07	345.86	134.23	217.63	38.74
4.	1997-98	778.74	285.24	493.50	36.58	448.20	143.63	304.57	32.00
5.	1998-99	1008.07	300.18	707.89	29.15	591.73	167.64	424.09	29.32
6.	1999-2000	1138.32	599.51	538.81	52.67	652.34	335.40	316.94	51.41
7.	2000-2001	1005.55	517.99	487.56	51.51	561.65	276.99	284.66	49.32
8.	2001-2002	762.27	408.27	354.00	53.60	427.72	229.51	198.21	53.65

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीण ग्रामीण बैंक, इटावा ।

तालिका 6.26 से स्पष्ट है कि वर्ष 1994-95 में कृषि क्षेत्र में ऋणों की मांग 578.49 लाख रूपये की थी जिसमें वसूली 210.39 लाख रूपये की हो पायी जो 36.35 प्रतिशत की वसूली दर्ज करता है । वर्ष 2000-2001 में मांग बढ़कर 1005.55 लाख रूपये के ऋणों की थी । जबकि वसूली 51.51 प्रतिशत ही हो पायी । इस प्रकार 42.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में मांग की अपेक्षा वसूली का प्रतिशत 28.29 प्रतिशत था वर्ष 2000-2001 में 49.32 प्रतिशत की वूसली हुई । जो 74 प्रतिशत को दर्शाता है । वर्ष 2002 में कृषि क्षेत्र में ऋणों की माँग घटकर 762.27 लाख रूपये तथा गैर कृषि क्षेत्र में ऋणों की माँग 427.72 लाख रूपये थी तथा दोनों क्षेत्रों में वसूली का प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 53.60 व 53.65 प्रतिशत हो गया ।

तालिका - 6.27 - इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्मिक जमा - अग्रिम का विवरण

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	कुल कार्मिक	प्रति कार्मिक जमा	प्रति कार्मिक अग्रिम	कुल व्यवसाय	प्रति कार्मिक व्यवसाय	कुल शाखाएं	प्रति शाखा व्यवसाय
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	1988-89	134	10.27	6.42	2237	16.69	48	46.60
2.	1989-90	148	11.28	7.22	2738	18.50	48	57.04
3.	1990-91	157	13.39	8.30	3405	21.69	49	69.49
4.	1991-92	157	15.43	9.66	3939	25.09	50	78.78
5.	1992-93	156	16.60	10.89	4289	27.49	50	85.78
6.	1993-94	156	20.82	13.07	5287	33.89	50	105.74
7.	1994-95	156	25.14	14.89	6246	40.04	50	124.92
8.	1995-96	157	29.08	17.16	7259	46.24	50	145.18
9.	1996-97	156	35.36	19.24	8569	54.92	50	171.38
10.	1997-98	157	38.43	21.00	9350	59.55	50	187.00
11.	1998-99	157	48.38	21.02	10900	69.43	50	217.73
12.	1999-2000	155	59.01	19.23	12129	78.25	50	242.57
13.	2000-2001	155	66.86	18.21	13187	85.07	50	263.73
14.	2001-2002	156	78.02	20.22	15326	98.24	50	306.52

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीण ग्रामीण बैंक, इटावा ।

तालिका 6.27 से परिलक्षित होता है कि बैंक में कार्मिकों की संख्या वर्ष 1988-89 में 134 थी जो कि 2001-2002 में बढ़कर 156 तक आ गई है । प्रति कार्मिक जमा तथा अग्रिम में निरन्तर वृद्धि हुई है । लेकिन 1999-2000, 2000-2001 में इसके जमा व अग्रिम में कमी आयी है । प्रति कार्मिक जमा 1988-89 में 10.27 लाख रूपये था जो कि 2001-2002 में बढ़कर 78.02 लाख रूपये हो गई है । इसी प्रकार अग्रिम मे भी 1988-89 में 6.42 लाख रूपये से बढ़कर 2001-2002 में 20.22 लाख रूपये की बढ़ोतरी हुई है । प्रति कार्मिक व्यवसाय 1988-89 में कुल व्यवसाय का 16.69 लाख रूपये का था । जो कि 2001-2002 में बढ़कर 98.24 लाख रूपये हो गया जबकि कुल व्यवसाय इसी समय 13187 लाख रूपये का था । यदि प्रति शाखा व्यवसास पर दृष्टि डाली जाय तो 1988-89 में 49 शाखायें थीं और इनमें प्रति शाखा का कुल व्यवसाय 2.04 प्रतिशत था । जो वर्ष 2001-2002 में कुल व्यवसाय का 2.00 प्रतिशत रह गया है। प्रति कार्मिक व्यवसाय में तो वृद्धि हुई है लेकिन उसके प्रतिशत में कमी आयी है ।

तालिका - 6.28 - इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्मिक जमा - अग्रिम का विवरण

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	शाखाएं	प्रति शाखा जमा	प्रति शाखा अग्रिम	कुल जमा	कुल अग्रिम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	1989-90	52	32.09	20.56	1669.10	1069
2.	1990-91	53	39.71	24.58	2102.40	1303
3.	1991-92	53	45.71	28.60	2422.65	1516
4.	1992-93	53	48.87	31.87	2590.00	1699
5.	1993-94	53	61.28	38.47	3248.15	2039
6.	1994-95	53	74.02	43.83	3923.43	2323
7.	1995-96	53	86.14	50.83	4565.25	2694
8.	1996-97	50	110.33	60.04	5516.36	3002
9.	1997-98	50	120.71	65.94	6035.45	3297
10.	1998-99	50	157.74	65.99	7586.85	3299
11.	1999-2000	50	182.95	59.62	9147.44	2981
12.	2000-2001	50	207.27	56.46	10363.63	2823
13.	2001-2002	50	243.41	63.12	12170.52	3156

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीण ग्रामीण बैंक, इटावा ।

तालिका 6.28 से परिलक्षित होता है कि प्रति शाखा जमा वर्ष 1989-90 में 32.09 लाख रूपये था । जो वर्ष 2001-2002 में बढ़कर 243.41 लाख रूपये हो गया। इस प्रकार 658.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । स्थापना के बाद से प्रति शाखा जमा में लगातार वृद्धि हो रही है । इसी प्रकार प्रति शाखा अग्रिम में 1989-90 में 20.56 लाख रूपये था जो निरन्तर बढ़ते–बढ़ते 2001-2002 में प्रति शाखा अग्रिम 63.12 लाख हो गया जो कुल अग्रिम का मात्र 2.00 प्रतिशत है ।

DEPOSIT/BUSINESS PER BRANCH/EMPLOYEE

तालिका - 6.29- इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आय-व्यय का विवरण (31 मार्च की स्थिति) :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	आय	व्यय	लाभ/हानि
1	2	3	4	5
1.	1989-90	191.91	226.01	- 34.10
2.	1990-91	224.71	239.30	- 14.59
3.	1991-92	243.00	311.00	- 68.00
4.	1992-93	312.59	418.53	- 105.94
5.	1993-94	349.05	490.73	- 141.68
6.	1994-95	446.47	585.69	- 139.22
7.	1995-96	411.69	608.39	- 196.70
8.	1996-97	486.13	1143.88	- 657.75
9.	1997-98	566.61	922.33	-355.72
10.	1998-99	911.30	816.86	+ 94.44
11.	1999-2000	1185.40	975.23	+ 210.17
12.	2000-2001	1318.05	1003.79	+ 314.26
13.	2001-2002	1336.06	1248.72	+ 87.34

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

तालिका 6.29 से स्पष्ट है कि बैंक अपनी स्थापना से ही लगातार घाटे में चल रहा था लेकिन वर्ष 1998-99 से बैंक को लाभ होने लगा है और 2000-2001 में बैंक ने 314.26 लाख रूपये का लाभ कमाया है और 2001-2002 में बैंक ने मात्र 87.34 लाख रूपये का लाभ कमाया । बैंक लाभ की स्थिति में आने का मुख्य कारण बैंक की परिवर्तित नीतियां रही हैं ।

लाभप्रदता PROFITABILTY

गैर निष्पादनीय सम्पतियां (NPAs) :-

बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारत के सर्वांगीण विकास मे वाणिज्यिक बैको ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी है, लेकिन इसी के साथ–साथ विगत वर्षो की लाभ प्रदता गिरी है । नीची लाभ प्रदता का एक प्रमुख कारण बैंको की गैर निष्पादनीय सम्पतियो में भारी वृद्धि हो जाना है । गैर निष्पादनीय सम्पतिया बैकों एव वित्तीय सस्थानो द्वारा वितरित वे ऋण है जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नही हो पाती या बिल्कुल ही नही हो पाती । गैर निष्पादनीय सम्पतियों के बढने से बैकों व वित्तीय संस्थाओं की समस्यायें बढ जाती है ।

इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की गैर निष्पादनीय सम्पतियो मे पिछले कुछ वषो मे कमी आ रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका - 6.30- इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की गैर-निष्पादनीय सम्पत्तियां (31 मार्च की स्थिति) :

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	*वर्ष*	*गैर निष्पादनीय सम्पतियां*	*प्रतिशत*
1.	1996-97	188184	--
2.	1997-98	188888	12.31
3.	1998-99	165184	-12.55
4.	1999-2000	160696	- 2.72
5.	2000-2001	150120	- 6.58
6.	2001-2002	127394	- 15.14

स्रोत -- विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शुरू के वर्षो में गैर निष्पादन सम्पतियो में वृद्धि हुई है । वर्ष 1996-97 मे 168184 हजार रूपये से बढ़कर 1997-98 में 188888

हजार रूपये हो गये जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 12.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसके बाद के वर्षों में निरन्तर कमी आयी है । 1996-97, 1997-98 में गैर निष्पादन सम्पतिया के बढ़ोतरी का प्रमुख कारण वहाँ की क्षेत्रीय राजनीति है । जिसके दबाव की वजह से बैंकों ने ऋण वसूल नही कर पाये थे। वर्ष 2000 मे विगत वर्ष की तुलना में गैर निष्पादन सम्पतियों में 15 प्रतिशत की कमी आयी है ।

इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा 'महिला विकास कक्ष' की स्थापना :

केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से महिला को घर की परिधि से विकास की मुख्य धारा में लाने के लिये किये गये प्रयासो से प्रेरित हो तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के निर्देशों एवं सहभागिता के फलस्वरूप बैंक में 1 मार्च 2000 को महिला विकास कक्ष की स्थापना की गयी । बैक द्वारा वित्तीय और सामाजिक विकास सेवाओं के पैकेज के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि बैंक में प्रचलित वित्तीय योजनाओं का लाभ उठाकर महिलायें अपनी आय के स्तर को आगे बढ़ायें, बैक की शाखाओं द्वारा महिला समूहों के गठन में पूर्ण सहयोग दिया । फलस्वरूप बैक की 40 शाखाओं में 411 महिला समूह का गठन 31 मार्च 2001 तक हो गया । वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाते हुये जहाँ एक और नये समूह के गठन में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी स्थापित समूहों की महिलाओं में आवश्यक कौशल को प्रोत्साहित एवं संवर्धित करने की योजना पारित करने हेतु महिला उत्थान में जुटी हुई विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया गया । इन सभी के पीछे एक ही लक्ष्य रहा कि महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक विकास में सहभागिता का अवसर मिले और वह आत्मनिर्भर बने।

इस वित्तीय वर्ष में एक नयी जमा सह अग्रिम योजना 'गृहलक्ष्मी' ग्रामीण महिलाओं की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुभारम्भ किया गया ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 की अवधि हेतु तकनीकी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कक्ष के खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड से रूपये 85965.00 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में चालू वर्ष में दावित की गयी । वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु इस मद में कुल रूपया 119656.78 तथा 2001-2002 में 166 लाख रूपये की राशि प्रदान की गयी । महिला विकास कक्ष हेतु नाबार्ड से वित्तीय वर्ष में 96882.46 रूपये दावित राशि की विरूद्ध कुल 48159.00 रूपये वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त हो गयी है ।[5]

स्रोत-5 - वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2000-2001, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा।

तालिका - 6.31 -इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखावार जमा ऋण प्रगति का विवरण (31 मार्च की स्थिति)

इटावा क्षेत्र :

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रम संख्या	शाखा	1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000			2000-2001		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	इटावा	40200	8700	21.64	48900	10100	20.65	61231	8192	13.38	69848	7859	11.25	62105	7419	11.95
2.	हेवंरा	2800	7200	257.14	3500	8300	237.14	4851	8183	168.69	4975	7088	142.47	6062	7156	124.65
3.	चेापला	7300	6700	91.78	6800	7600	111.76	7264	9223	126.97	8214	8610	104.82	9517	9134	95.98
4.	कुनेरा	9100	7100	78.02	10100	7500	89.29	13339	7753	5812	16875	6380	37.81	21059	5099	24.21
5.	राजा का बाग	7600	6300	82.89	8400	7100	84.52	11968	7169	59.90	13255	6857	51.73	16244	5811	35.71
6.	निवाड़ी कला	10800	4200	38.89	11500	4200	36.52	14897	4349	29.19	19040	3572	18.76	23184	4650	20.06
7.	बसरेहर	13500	4900	36.30	13000	5000	38.46	18031	6230	34.55	20480	6679	32.61	25731	7613	29.55
8.	महेवा	13000	7200	55.38	10800	7500	69.44	13311	6436	48.35	14591	5379	36.87	14280	4775	33.44
9.	बिजौली	8700	3300	37.93	9800	3800	38.78	12899	4141	32.10	15567	3805	24.44	19658	4321	21.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	भरथना	15200	3600	23.68	16700	4600	27.54	21494	5265	24.50	25058	5400	21.55	30715	6788	22.10
11.	चन्द्रपुर कलां	8100	6000	74.07	10500	7200	68.57	14462	8874	61.36	18298	8735	47.74	20499	8044	39.24
12.	करीबीना	5000	7200	144.00	5900	8000	135.59	6915	8047	116.37	7649	6576	85.97	8630	6062	70.24
13.	ऊमरसेंड़ा	9400	3500	37.23	10300	4000	38.83	12519	4970	39.70	15722	4774	30.37	19182	5782	30.14
14.	ऊसराहार	8000	5400	67.50	8600	6400	74.42	11964	6313	52.77	14279	5330	37.33	17546	5365	30.58
15.	लुधियानी	11700	5300	45.30	12400	6300	50.81	16312	6503	39.87	20335	5541	27.25	22808	4323	18.95
16.	साम्हों	3600	3100	86.11	4000	3700	92.50	5083	4092	80.50	7207	3677	51.02	9208	3077	17.26
17.	धारवार	9200	7500	81.52	10200	7900	77.45	12331	7421	60.18	14651	7018	47.90	17827	5887	33.02
18.	मानिकपुर मोहन	9900	5700	57.58	12300	6000	48.78	15676	5743	36.64	20385	5411	26.60	23176	4910	21.19
19.	बिरौंधीं	5000	2600	52.00	4900	3200	65.31	5788	3755	64.88	6899	3467	50.25	7298	3692	50.58
20.	ताखा	6400	6000	93.75	7800	7100	91.03	8883	6983	78.61	9297	6802	7316	12116	6907	57.00
21.	नरायनगंज (भरथना)	6900	2200	31.88	6800	2200	32.35	8038	2013	25.04	10248	1645	16.06	14410	2094	14.53
22.	मलाजनी	5100	3500	68.63	5100	4900	96.08	6612	5009	75.76	8248	5002	60.65	10290	4757	46.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.	कुम्हावर	5100	7500	147.06	5600	8000	142.85	8011	6486	80.96	8838	5413	61.25	11387	4739	41.62
24.	कैस्त	10000	9600	96.00	11600	9200	79.31	17006	8278	48.68	18699	6798	36.35	22117	5737	25.94
25.	मामन हिम्मतपुर	4600	3300	71.74	4900	3500	71.43	7225	3778	52.29	8214	3538	43.07	10000	3953	39.53
	योग	**233736**	**137400**	**58.78**	**260400**	**153100**	**58.79**	**347110**	**155216**	**44.72**	**397232**	**141355**	**35.58**	**452096**	**138095**	**30.55**

औरैया क्षेत्र:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	विधूना	18500	6400	34.59	20900	7700	36.84	26773	8013	29.93	35441	7661	21.62	38224	7180	18.78
2.	फफूंद	20400	7800	38.24	20800	8700	41.83	22893	8198	35.88	30260	7143	23.61	34363	7579	22.06
3.	अट्सू	20300	4600	22.66	19800	4600	23.23	23634	2823	11.94	27732	2916	10.51	31079	2871	9.24
4.	उमरैन	12800	7900	61.72	16700	8100	48.50	24717	8032	32.24	26033	6186	23.76	27257	6640	24.36
5.	कुदरकोट	12700	6800	53.54	12700	7500	59.06	15495	7101	45.83	17382	6277	36.11	21662	5559	25.66
6.	बाबरपुर	32100	7800	24.30	36900	9900	26.83	42980	10081	23.46	47745	9667	20.25	51984	7721	14.85
7.	रुरुगंज	8500	11500	135.94	10600	11700	110.38	14066	11360	80.77	14326	10211	71.28	14671	9365	63.83
8.	औरैया	34500	8300	24.06	37100	8300	22.37	43209	9004	20.84	53953	8944	16.58	71134	8701	12.23
9.	नेविलगंज	16800	5900	35.12	14000	7200	51.43	20205	8064	39.91	23778	7285	30.64	26663	6448	24.18
10.	ककोर	18100	5400	29.82	19500	6300	32.31	24031	6809	28.33	30386	5790	19.05	33939	5102	15.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	असैनी (दिबियापुर)	10300	5700	55.34	11800	6100	51.69	16000	5731	35.82	28522	5034	17.65	25546	4788	18.74
12.	अयाना	9000	4700	52.22	10500	5300	50.48	12599	5982	47.48	14353	5643	39.32	17502	5407	30.89
13.	अनन्तराम	11500	5200	45.22	10800	5300	49.07	12962	4155	32.06	16091	3568	22.17	20246	2978	47.91
14.	हरचन्दपुर	5800	14000	241.38	5200	14000	269.23	7120	11309	158.82	8894	11153	125.40	9906	9900	99.94
15.	याकूबपुर	13700	4400	32.12	14500	4500	31.03	14413	4739	32.88	21140	3930	18.59	22447	3369	15.01
16.	सहायल	18200	8200	45.05	15700	10000	63.69	18787	11111	59.14	21624	9677	44.75	22902	9022	39.39
17	मल्हौसी	9300	4600	49.46	9800	3600	36.73	11898	3271	27.49	15135	2645	17.48	18049	2476	13.72
18	पाता	10500	6600	62.86	11300	3600	31.86	11808	8030	68.00	14210	6649	46.79	15562	5744	36.91
19.	भीखेपुर	6000	5100	85.00	6300	5600	88.89	7934	6254	78.83	11250	5162	45.88	13680	4655	34.02
20.	बरौनाकला	7500	7500	100.00	8700	7700	88.51	10381	7431	71.58	11532	6524	56.57	12232	5642	46.12
21.	मोहम्मदाबाद	6400	6000	93.75	9000	3900	43.33	12277	3822	31.13	15586	4013	25.75	17012	3985	23.42
22.	बांधमऊ	3400	4000	117.65	4200	7000	166.67	5733	7997	139.49	6179	6761	109.42	5674	6453	113.73
23.	बमुरीपुर	5500	4600	83.64	6000	5200	86.67	7603	4937	64.93	10319	4548	44.07	12740	4443	34.87
24.	ऐरवा	3200	5000	156.25	4100	5800	141.46	5297	5417	102.27	8677	4633	53.39	11699	3798	32.46
25.	मुढ़ी	4900	3700	75.51	5200	4700	90.38	6562	5087	77.52	7329	4731	64.55	8114	4380	53.98
	योग	**317900**	**161000**	**50.64**	**343145**	**176600**	**51.47**	**459525**	**174752**	**39.35**	**517512**	**156749**	**30.29**	**584287**	**144206**	**24.68**

स्रोत – विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक़, इटावा ।

तालिका 6.31 से स्पष्ट है कि जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की 50 शाखाओं ने ऋण देने में उदारता दिखायी है । कुछ शाखाओं ने तो 1200 प्रतिशत से भी अधिक ऋणों का वितरण किया है । जिसमें हेंवरा, चोपला, करींबिना, धारवार, कुम्हावर रुरूगंज, हरचन्दपुर, बरौनाकलां, मोहम्मदाबाद, बाँधमऊ तथा ऐरवा की शाखायें शामिल है । उसमें से कुछ शाखाओ ने अपने ऋण वितरण में 2000-2001 तक आते आते सुधार कर लिया है । फिर भी हेंवरा, बाँधमऊ की शाखाओं में अभी भी 100 प्रतिशत से अधिक ऋण दिया गया है । बैंक जब अपनी जमाओं से अधिक ऋणों का वितरण करते हैं तो उन्हें मुख्य शाखा से उधार लेना पड़ता है । हेंवरा शाखा की स्थापना 1980 को हुई थी तथा बाँधमऊ की शाखा को 1985 में खोला गया था । इन शाखाओं की स्थापना ऐसी क्षेत्रों में हुई है जो अति पिछड़े क्षेत्र कहे जाते हैं जहाँ पर ग्रामीण ऋण तो ले लेते हैं, लेकिन वे लौटाने की स्थिति में नही रहते हैं । जिन शाखाओं ने अधिक ऋण वितरण किया है, उनकी वसूली न करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जाता है क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़े होने की वजह से ऋण को वापस करने की स्थिति में नही होते है । बैक यदि ऋण की वसूली नही कर पाते तो वे ग्रामीण विकास में अपना योगदान नही दे पायेगें और बैंक सिर्फ दान देने वाली संस्था बनकर रह जायेंगें ।

तालिका - 6.32 - इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का तुलनपत्र (बैलेन्स शीट) (31 मार्च 2002 की स्थिति) :

(धनराशि हजार रूपये में)

पूँजी एवं दायित्व	*31.3.2001*	*31.3.2002*	*अस्तियां*	*31.3.2001*	*31.3.2002*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
पूँजी	10000	10000	नकदी और भारतीय रिचर्व बैंक में अतिशेष	39125	72335
अंश पूँजी जमा	126234	126234	बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचनाओं पर प्राप्य धन	877350	988398
आरक्षित और अधिशेष	--	--	निवेश	6767	15767
निक्षेप	1036363	1217052	अग्रिम	234610	267488
उधार	50393	48153	स्थिर अस्तियां	1389	1276
अन्य दायित्व और उपबन्ध	54429	53581	अन्य आस्तियां	118178	109756
योग	**1277419**	**1455020**		**1277419**	**1455020**

स्रोत – वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 2001-2002

तालिका 6.32 से परिलक्षित होता है कि इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सम्पतियो तथा दायित्वों में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुई है । मार्च 2002 में कुल सम्पतियां एवं दायित्व 1455020 हजार रूपये हो गयी है जबकि कि मार्च 2001 में 1277419 हजार रूपये ही थीं। इस प्रकार सम्पतियों एवं दायित्वों मे विगत वर्ष की अपेक्षा 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । नकद तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अवशेष विगत वर्ष पर 84.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा बैंक की पूँजी में कोई वृद्धि नही हुई है । निक्षेपों में भी बढ़ोत्तरी हुई तथा उधार एवं अन्य दायित्वों में कमी हुई है ।

निःसन्देह इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने समस्याओं के होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में अभूतपूर्व योगदान देकर स्थापना में निहित उद्‌देश्यों को पूरा करने की हर सम्भव कोशिश की है । इसका कारण यह है कि हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्ग के लिये जितनी भी योजनायें बनायी हैं, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन्हें पूरा करनें में समर्पण की भावना से लगा हुआ है । फिर भी बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य बैंकों की तरह समान सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिये और बैंक में कार्यरत कर्मचारी भी बैंक क्रियाओं के संचालन में तत्परता और रूचि के साथ सहयोग करें । तभी बैंक अपनी स्थापना में निहित उद्‌देश्यों को और खूबसूरती के साथ पूरा कर पायेगा ।

तालिका - 6.33- इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं की स्थापना का क्रमवार विवरण) :

क्रम संख्या	*इटावा*		*क्रम संख्या*	*औरैया*	
	शाखा का नाम	*स्थापना तिथि*		*शाखा का नाम*	*स्थापना तिथि*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	इटावा	18.3.80	1.	बिधूना	4.11.80
2.	हेंवरा	4.9.80	2.	फफूंद	13.12.80
3.	चोपला	23.9.80	3.	अट्सू	03.11.81
4.	कुनेरा	24.09.80	4.	उमरैन	05.11.81
5.	राजा का बाग	10.10.80	5.	उदरकोट	12.11.81
6.	बसरेहर	26.11.80	6.	बाबरपुर	14.11.81
7.	महेवा	12.12.80	7.	रुरूगंज	23.11.81
8.	भरथना	27.05.81	8.	औरैया	04.12.81
9.	निवाड़ी कलां	10.11.81	9.	नेविलगंज	09.12.81
10.	बिजौली	01.12.81	10.	ककोर	26.02.82
11.	चन्द्रपुरकलां	29.03.82	11.	असैनी (दिबियापुर)	26.02.82
12.	कर्रीबिना	20.05.82	12.	अयाना	30.03.82
13.	उमरसेंड़ा	25.11.82	13.	अनन्तराम	31.03.82
14.	ऊसराहार	25.11.82	14.	हरचन्दपुर	06.10.82
15.	लुधियानी	25.03.83	15.	याकूबपुर	06.10.82
16.	साम्हों	16.11.83	16.	सहायल	07.10.82

क्रम संख्या	इटावा		क्रम संख्या	औरैया	
	शाखा का नाम	*स्थापना तिथि*		*शाखा का नाम*	*स्थापना तिथि*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
19.	बिरौधी	30.12.83	19.	भीखेपुर	27.03.85
20.	ताखा	11.01.84	20.	बरौनाकलां	27.03.85
21.	नरायनगंज (भरथना)	16.04.84	21.	मोहम्मदाबाद	28.03.85
22.	मलाजनी	26.03.85	22.	बांधमऊ	28.03.85
23.	कुम्हावर	26.03.85	23.	बमुरीपुर	28.09.85
24.	कैस्त	30.09.85	24.	ऐरवा (बढिन)	21.12.89
25.	मामन हिम्मतपुर	30.09.85	25.	मुढ़ी	19.03.91

स्रोत – वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 2000-2001, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा ।

अध्याय : 7

निष्कर्ष एवं परामर्श

"बिना अनुशासन ऋणदान के अलावा और कुछ नही है”

— प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो० मोहम्मद युनुस
(चटगाँव विश्वविद्यालय, बंग्लादेश)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उपलब्धियां :

ग्रामीण बैंकों के सन्दर्भ में यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि जिन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गयी थी उसके लाभदायक परिणाम प्राप्त हुये हैं । सीमान्त कृषक, लघु कृषक, भूमिहीन एव ग्रामीण दस्तकारेां को पूँजीगत सहायता प्रदान की गयी है, उनके लिये रोजगार के साधन सुलभ कराकर आंचलिक अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्वराज्य और स्वाबलम्बन की ओर उन्मुख किया । ग्रामीण स्तर पर देशी महाजनों द्वारा ऋण ग्रस्तता के दुश्चक्र से लघु किसानों एव दस्तकारों को बचाया जा सका । ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को बैंक, उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है । इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की अशिक्षित एवं साक्षर जनता को छोटी–छोटी बचतों के लिये प्रात्साहित करना है । प्रदत्त ऋण सुविधाओं का समुचित उपयोग करने के लिये लोगों को प्रेरित किया गया, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा । सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकिंग सुविधा तथा सरकार की नवीनतम नीतियों से परिचित हो सके ।

फलतः यह देखा गया कि कम लागत अवधारणा सरकार की पूरी नही हुई । अंततः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपनी कार्य पद्धति व्यावसायिक बैंकों के समान अपनना पड़ा और वे काफी हद तक इसमें सफल रहे हैं क्योंकि जब तक ग्रामीण बैंक कम लागत की अवधारणा पर कार्य करते रहे तब तक ग्रामीण बैंक घाटे में चलते रहे और जैसे ही इन बैंको ने व्यवसायिक बैंकों के समान कार्य पद्धति अपनाने लगे, ये बैंक लाभ की स्थिति में आ गये वर्तमान समय में मात्र 24 बैंकों को छोड़कर बाकी सभी ग्रामीण बैंक लाभ कमा रहे हें । निम्नलिखित से स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंक निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं ।

1. जमा संग्रह :

इन बैंको ने ग्रामीण जमा संग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई है । अनुमानतः इसमें से 75 प्रतिशत जमा इन बैंको के अभाव में किसी भी बैंक को प्राप्त नही होती और या तो बेकार पड़ी रहती या फिर अनुत्पादक कार्या में लगायी जाती है। अपने कमान क्षेत्र की ग्रामीण जमाओं को संग्रह कर इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लगाया जा रहा है । मार्च 2001 तक 196 ग्रामीण बैंको द्वारा 3827778 लाख रूपये जमा किये गये जिनमें से 71.85 प्रतिशत पूँजी ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित थी । मार्च 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों से 3029929 लाख रूपये जमा किये गये । अध्याय 3 और 6 से परिलक्षित होता है कि ग्रामीण बैंको में की जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है । इससे यह इंगित होता है कि ये बैंक छोटे एवं गरीब व्यक्तियों के बैंक हैं जो कि ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गो की जमा संग्रह करने का प्रयास करते हैं ।

2. अग्रिम राशि :

जहाँ व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंक दूर–दराज के ग्रामीण अंचलों में साख प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समाज के गरीब लोगों के लिये मददगार साबित हुये हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उचित मात्रा में कृषि, कृषि आश्रित धन्धों, दस्तकार, लघु उद्योग और लघु व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है । मार्च 2001 तक कुल अग्रिम राशि 1581489 लाख रूपये थी । जिसमें 75.82 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब एवं पिछड़े व्यक्तियों को ऋण के रूप में प्रदान किया गया। मार्च 2002 में ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गो को 1319120 लाख रूपये प्रदान किये गये । अध्याय 3 और 6 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के ऋणों में निरन्तर वृद्धि हुई है ।

सेवा क्षेत्र योजना मे ऋणी द्वारा ऋण के लिये शाखा चुनने की स्वतन्त्रता समाप्त होने से अब एक निश्चित शाखा से ऋण लेने के लिये बाध्य है लेकिन जमाओं के मामले में वह स्वतन्त्र हैं, वह किसी भी शाखा में जमा कर सकता है तथा ऋण दूसरी शाखा से ले सकता है । इस योजना में इन बैको को पूर्णतः लक्षित निर्बल वर्ग तक सीमित कर दिये जाने के कारण सम्पन्न ग्रामीणों का सहयोग बैंकों को नही मिल पा रहा है ।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनुसन्धान और विकास निधि :

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तकनीकी निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना करने के लिये और विकास निधियों में अपना योगदान जारी रखा है। इन कक्षों का उद्देश्य परियोजना ऋण प्रणाली के अन्तर्गत योजनायें तैयार करना और उनका मूल्यांकन करना है । इस सम्बन्ध में योजना का लाभ 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको मे से वित्तीय वर्ष 1987-88 में 53, 1988-89 मे 65, 1989-90 में 74, 1990-91 में 87, 1991-92 में 96, 1992-93 में 103, 1994-95 में 112, 1998-99 में 149, 1999-2000 में 160 बैंको ने इसे योजना का लाभ उठाया । इस योजना में इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल किया गया है ।

4. खराब आर्थिक स्थिति :

इन उपलब्धियों के बावजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक सफल नही हुये है । अपनी स्थापना के बाद से ही ये बैंक घाटे में चल रहे थे लेकिन विगत कुछ वर्षो में ये बैंक लाभ कमाने लगे हैं । 31 मार्च 2001 तक 24 बैंकों को छोड़कर बाकी सभी बैकों की आर्थिक स्थिति ठीक हो गयी है । और ये बैंक लाभ कमा रहे हैं । ऐसे में अब उनसे अपेक्षा की जाती हैं कि वे अपने लक्ष्यो को प्राप्त करने

में सफल होगें । बैंकों की घाटे की राशि में कमी होने का प्रमुख कारण है कि उनके द्वारा दिये गये कर्जो की वसूली अब ठीक हो रही है । इसके साथ–साथ ये बैंक कर्ज न लौटा पाने वाले व्यक्तियों को ऋण नही दे रहे हैं जिससे बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी स्थापना से ही घाटे मे चल रहे थे, लेकिन विगत कुछ वर्षो में ये बैंक लाभ कमाने लगे हैं भारत के 23 राज्यों में 196 बैंक 14456 शाखाओं द्वारा ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। कुल जमा एवं ऋण एवं अग्रिम में उ०प्र० की सबसे अधिक 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके बाद बिहार की 11 प्रतिशत तथा आन्ध्र प्रदेश की 9 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इन बैंकों का विवरण निम्न प्रकार है।

1. वर्ष 1999-2000 में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 429.97 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है जो 2000-2001 में बढ़कर 609.06 करोड़ रुपये हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 41.65 प्रतिशत की लाभ में बढ़ोत्तरी हुई है।
2. वर्ष 2000-2001 में 172 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ कमा रहे हैं जबकि 1999-2000 में 162 बैंकों ने लाभ अर्जित किया था। वर्ष 2000-2001 में सबसे अधिकतम लाभ गोरखपुर ग्रामीण बैंक व प्रथमा ग्रामीण बैंक उ०प्र० ने क्रमशः 28.60 करोड़ रुपये व 26.17 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इन दोनों बैंकों का कुल लाभ में 8 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
3. वर्ष 1999-2000 में 34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे थे। जो वर्ष 2000-2001 में घटकर 24 रह गये हैं। सबसे अधिक घाटे में क्रमशः बालासोर ग्रामीण बैंक (उड़ीसा), त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (त्रिपुरा) बालंगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक (उड़ीसा) चल रहे हैं।
4. घाटे में चल रहे 14 ग्रामीण बैंक 2000-2001 में लाभ कमाया लेकिन 4 ग्रामीण बैंक जो विगत वर्ष में लाभ की स्थिति में थे । 2000-2001 में घाटे में आ गये।

5. 31 मार्च 2000 को 2978.90 करोड़ रुपये का ग्रामीण बैंकों को हानि हुई, जो 31 मार्च 2001 में कम होकर 2803.03 करोड़ रुपये रह गयी। सबसे अधिक हानि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को 139.40 करोड़ रुपये की हुई।बालंगीर ग्रामीण बैंक को 109.78 करोड़ रुपये तथा गैर ग्रामीण बैंक (पं० बंगाल) को 92.23 करोड़ रुपये की हुई। इन तीनों बैंकों की हानि कुल हानि का 12 प्रतिशत है।

6. वर्ष 1999-2000 में कुल जमा 32204 करोड़ रुपये था जो 31 मार्च 2001 को बढ़कर 38278 करोड़ रुपये हो गया। जो विगत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सबसे अधिक गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 813 करोड़ रुपये जमा किये गये। इसके बाद संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 766 करोड़ रुपये तथा मालप्रभा ग्रामीण बैंक में 628 करोड़ रुपये जमा हुए।

7. वर्ष 1999-2000 में 13184 करोड़ रुपये ऋण वितरित किया गया। जो 2000-2001 में 15815 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। यह विगत वर्ष की तुलना में 19.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दक्षिणी मालावार ग्रामीण बैंक ने सबसे अधिक 532 करोड़ रुपये, इसके बाद मालप्रभा ग्रामीण बैंक ने 513 करोड रुपये तथा उत्तरी मालावार ने 438 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया।

8. ऋणों की वसूली 30जून 1999 को 64 प्रतिशत थी जो 30 जून 2000 को बढ़कर 69 प्रतिशत की वसूली की गयी। विगत वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे अधिक वसूली पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक ने 97 प्रतिशत, इसके बाद जामनगर व मालवा ग्रामीण बैंक ने 95 प्रतिशत, तथा दक्षिणी मालावार ने 92 प्रतिशत की रिकार्ड वसूली की।

9. 31 मार्च 2000 को गैर–निष्पादन सम्पत्तियां 23 प्रतिशत थी जो 31 मार्च 2001 को घटकर मात्र 18 प्रतिशत रह गयी। 34 ग्रामीण बैंकों की गैर–निष्पादन सम्पत्तियाँ 10 प्रतिशत से भी कम हैं, जिसमें सबसे कम गैर निस्पादन सम्पतियाँ

पिथौरा ग्रामीण बैंक की 0.14 प्रतिशत, इसके बाद जामनगर और नेट्रावती ग्रामीण बैंक की गैर–निष्पादन सम्पत्तिया 2 प्रतिशत है। सबसे अधिक गैर–निष्पादन सम्पत्तियाँ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की 64 प्रतिशत, इसके बाद सन्थाल परगना व मगध ग्रामीण बैंक की क्रमशः 61 व 59 प्रतिशत है।

10. ऋण जमा अनुपात 2000-2001 में 41 प्रतिशत का रहा। चार ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक है।[1]

इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

जनपद इटावा में ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैक असफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी । जनपद में वर्तमान समय में बैंक की 50 शाखायें कार्य कर रही हैं । जिसमें से 84 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल जमा धनराशि मार्च 2002 में 1217052 हजार रूपये थी जबकि इसी समय 315564 हजार रूपये का ऋण वितरण किया गया । जनपद में बैंक ने ग्रामीण विकास के लिये सबसे अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को वितरण किया जो कुल ऋण का 61.33 प्रतिशत है । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 263260 हजार रूपये तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र को 52304 हजार रूपये दिया गया । जनपद में लघु/सीमान्त किसानों/कृषि मजदूरों को 170103 हजार रूपये का ऋण वितरण किया गया । इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जनपद में ऋण वितरण में निरन्तर प्रगति की है, लेकिन जमाओं की अपेक्षा कम ऋण प्रदान किया है और ऋण जमा अनुपात लगातार कम हो रहा है तथा मार्च 2002 में मात्र 25.93 प्रतिशत रह गया है ।

निःसन्देह इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने समस्याओं के होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में अभूतपूर्व योगदान देकर स्थापना में निहित उद्देश्यों को पूरा करने की हर सम्भव कोशिश की है ।

स्रोत 1 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित सांख्यिकी, मार्च 2001

The underlying assumptions of such a mindset could be summarised as follows :

Future goals	:	Just to carry on
Business	:	Whatever walks in.
Customer	:	One who is in dire need of the bank's services.
Growth	:	Measured by deposits.
Competition	:	Does not exist.
Profit	:	Not a must for RRBs.
Performance Monitoring	:	To be done by others.
Reasons for weaknesses	:	Due to external factors only
Stakeholders	:	Employees.
Survival	:	Assured : a noble institution. Surving the poor can not be closed down.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की समस्याएं :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गो, छोटे एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों एव लघु उद्यमियों को समयानुसार सरलतापूर्वक उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध करा कर ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन बैंकों की अधिकांश शाखाएं बैंकिंग दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में खोली गयी हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं पहले से उपलब्ध नहीं थी। ये ग्रामीण क्षेत्रों की पारिवारिक बचतों को भी प्रोत्साहित कर रही है। वास्तव में जिन उद्देश्यों को लेकर इन बैंकों की स्थापना की गयी, वे उस ओर प्रयत्नशील हैं लेकिन फिर भी इन बैंकों की कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। जो निम्नलिखित हैं :

1. ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में वृद्धि तो हुई लेकिन जरूरत मन्द ग्रामीण के लिए ऋण उपलब्धता की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
2. ग्रामीण बैंकों की दयनीय स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमें केवल एक कर्मचारी है तथा नियन्त्रण की कोई व्यवस्था नहीं है।
3. इन बैंकों में प्रायः ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होते तथा उन्हें ग्रामीण समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता है ।
4. व्यावसायिक बैंकों के समान वेतन तथा अन्य सुविधाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को प्रदान की गयी,जिनके चलते ग्रामीण बैंक पर 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ गया है।
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज दर, बैंकों द्वारा प्रदत्त ग्रामीणों पर लिए जाने वाली ब्याज दर से अधिक है।
6. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए गरीबों को ऋण दिये तो जाते हैं लेकिन ऋण की वसूली ठीक ढंग से नहीं हो पाती है।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के हाथों होता है अर्थात् वित्तीय स्रोतों के लिए ग्रामीण बैंकों को सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।

8. कृषि विस्तार ऐजेन्सियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ताल मेल का अभाव पाया जाता है।

9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मडल का गठन आर०बी०आई० अधिनियम 1976 के अन्तर्गत होती है, जो राजनीति से प्रेरित होता है और यही कारण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष एवं निदेशक मण्डल क्षेत्रीय समस्याओं के अनुरूप कोई उपयोगी निर्णय नहीं लेते हैं।

10. नाबार्ड की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए की गयी लेकिन इसकी नीतियां उचित नहीं है।

11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा उनके प्रायोजक बैंकों के पास जमा धनराशि 2500 करोड़ रुपये हैं। प्रायोजक बैंक अपने ग्रामीण बैंकों को 10 प्रतिशत की दरसे ब्याज देते हैं,जबकि प्रायोजक बैंक उसी धनराशि को पूँजी बाजार में ऋण देकर 24 प्रतिशत तक का ब्याज अर्जित करते हैं। इससे ग्रामीण बैंकोंको 250 करोड़ रुपये ब्याज की वार्षिक हानि हो रही है।[2]

12. यह कहना सही है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सफलता प्राप्त की है। परन्तु यह समुचित नहीं है। व्यापक सुविधा देने की दिशा में जो प्रयास किये गये हैं। वे पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण जतना आज भी अपनी बचतों को घरों में रखती हैं और उधार के लिए जमीदारों व साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है।

13. इन बैंकों को आज भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इनमें सबसे बड़ी समस्या बैंक के आधारभूत ढांचे की है, इन ग्रामीण बैंकों को ऐसी जगह पर

स्रोत - 2 - योजना, मार्च 1999, पृष्ठ 11

शाखाएं खोलनी पड़ती है जहां यातायात, डाकतार, तथा भवन जैसी सुविधाएं नहीं होती है। साथ ही वहा शिक्षा व चिकित्सा की सुविधा न होती है। इन बैंकों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियां नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण ग्रामीणसे सम्पर्क बनाये रखना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इसके अतिरिक्त शहरों से गये कर्मचारी क्षेत्रीय समस्याओं से पूरी तरह से परिचित न होने के कारण वास्तव में जरूरतमन्द ग्रामीणों के साथ पूरा न्याय नही कर पाते। इसके अलावा अधिकाश शहरी कर्मचारी गांवों में जाना पसद नहीं करते हैं।

14. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नौकरी पाने के बाद व्यक्ति बैंक का रेलवे के प्रतीक्षालय की तरह उपयोग करते हैं; अर्थात् मनपसंद नौकरी मिलने तक यहां समय काटना उनका मुख्य उद्देश्य रह जाता है।

15. ऋण वसूली न होना और समय पर ऋणों की अदायगी न हो पाने से बैंकों को भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय किसान गरीब व ऋणग्रस्त होने के कारण समय पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में अन्य व्यापारिक बैंक भी अपनी शाखाएं खोल रहे हैं। जिससे इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालन अधिक होने के कारण इनमें से अधिकांश बैंकों को हानि उठानी पड़ रही है।

17. प्रायः जिन बैंकों को ऋण दिये जाते हैं उनका प्रयोग उसी में न होकर अन्यत्र किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक जिला प्रशासन को निर्देश है कि स्वयं जिला विकास आयुक्त या उनकी कोई एजेन्सी समय–समय पर इस सन्दर्भ में जांच करे। परन्तु इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया प्रायः इस तरह के निरीक्षण कागजों तक ही सिमटकर रह जाते हैं।

18. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केन्द्र सरकार,प्रायोजक बैंक एवं सम्बन्धित राज्य सरकार के स्वामित्व में होते हैं। इनकी वर्तमान समय में अधिकृत पूंजी पाच करोड़ रुपये है। जिसमें एक करोड़ रुपये निर्गमित एवं प्रदत्त पूंजी के रूप में है। इन बैंकों की पूंजी में केन्द्र सरकार, प्रायोजक बैंक तथा राज्य सरकार का योगदान क्रमशः 50 प्रतिशत, 35 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत है। अर्थात् वित्तीय स्रोतों के लिए ग्रामीण बैंकों की निर्भरता सबसे अधिक (65 प्रतिशत) सरकार पर होती है।

19. ऋण वसूली कार्यक्रम राजनीति से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष एवं निदेशक मण्डल द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के अनुकूल कोई उपयोगी निर्णय नहीं लिया जा सकता तथा इन्हीं कारणों से बैंकों द्वारा वसूली कैम्प लगाने में भी कठिनाई आती है।

20. समय–समय पर सरकारी प्रचार के साथ वितरित किये जाने वाले ऋण तथा उनमें दी जाने वाली सब्सिडी की अत्यधिक मात्रा के कारण कमजोर तथा जरूरतमन्द लोगों को न्यूनाधिक मात्रा में ही ऋण मिल पाता है, ऐसे में आवंछित लोगों को ऋण प्राप्त होते अधिक देखे जाते हैं।

21. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने योग्य प्रस्तावों के मूल्यांकन की समस्या गम्भीर है। ऋण वितरण के सन्दर्भ में बैंकों पर यह दबाव होता है कि वो निश्चित समयावधि में ही निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। ऐसी स्थिति में ऋण पाने योग्य लोगों के चुनाव में जो सतर्कता एवं सावधानी बरतनी चाहिए। वह कर पाना सम्भव नहीं होता। ऐसे में निरीक्षण एवं नियन्त्रण मात्र नियमों तक सीमित रह जाते हैं। राजनीतिक दबावों के कारण ऋण वितरण प्रक्रिया में स्थापित मानकों की भी प्रायः अवहेलना की जाती है।

22. बैंकों की कृषि विस्तार एजेंसियों के साथ आवश्यक तालमेल का अभाव पाया जाता है। यदि दोनों के सामंजस्य होगा तो ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया

जा सकेगा कि दिये गये ऋणों का प्रयोग ऐसे कार्यों में हो जिनसे कर्जदारों की आय बढ़ती है।

23. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा की नीति भी जिम्मेदार है। सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा उन्हें लागू करने के लिए ऋण वितरण की प्रतिबद्धता के कारण ग्रामीण बैंकों की ऋण वसूली शून्य होती जा रही है। ऐसे में नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा नीति में आवश्यक परिवर्तन करके ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है।

24. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों को दिये जाने वाले ऋणों की वापसी लगभग शून्य है। कृषकों को कृषि संयंत्रों के लिए दिये जाने वाले ऋण की नियमित वापसी का प्रावधान किया गया था जिसे धीरे–धीरे अब शिथिल कर दिया गया है ।

25. मात्र सरकारी लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से तेजी से शाखाओं के विस्तार को बैंकों का संगठन उचित ढंग से विनियमित नहीं कर पाया। इन बैंकों में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति हो गयी जो पूरी तरह से या तो प्रशिक्षित नहीं थे या उन्हें ग्रामीण समस्याओं का कोई ज्ञान नही था। इस प्रकार बेलगाम विस्तार के कारण ऋणों के आवेदन पत्रों की जांच, ऋणों की स्वीकृति एवं भुगतान के पश्चात की कार्यवाही निगरानी तथा ऋणों की वापसी आदि के मामलों में बैंकों की कार्यक्षमता के स्तर में भारी गिरावट आयी है।

26. अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मार्च 2001 के अन्त तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14456 शाखाओं में से अधिकांश शाखाएं मुख्य रूप से कुछ ही राज्यों यथा उ०प्र०, बिहार, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में ही थीं। शेष अन्य

राज्यों में इनका विस्तार बहुत ही कम हुआ है। अतः इनके विस्तार में क्षेत्रीय असमानताएं व्याप्त हैं जो उचित नहीं है।

27. 1998 तक देश के अन्दर कार्य कर रहे अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे पर चल रहे थे जबकि आशा की जाती थी कि अपनी स्थापना के 23 वर्षो के पश्चात वे अपना आधार तैयार कर लेगें। 1998 तक कार्य कर रहे बैंकों मे, लगभग 90 प्रतिशत बैंकों को हानि उठानी पड़ रही थी। व्यापारिक बैंकों एवं नाबार्ड की मदद से तथा कुशल प्रबन्ध प्रशासन एवं मितव्ययिता से ये बैंक 1998 के बाद लाभ की स्थिति में आ गये हैं।

28. प्रारम्भ में इन बैंकों के संचालन के लिए प्रतिनियुक्ति प्रवर्तक बैंक के अनुभवहीन अधिकारियों तथा ग्रामीण बैंकों के अल्प प्रशिक्षित अधीनस्थों द्वारा कोष प्रबंधन की खामियों के कारण इन्हें कोष का उचित लाभ नहीं मिल पाता है।

29. बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों से प्रा्प्त होने वाली जमाराशि की मात्रा काफी कम है।

30. बैंकों पर ऋण वितरणके सन्दर्भ में दबाव होता है कि वे निश्चित समय में ही निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें जिसके कारण बैंक ऋण पाने योग्य लोगों का चुनाव ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। राजनीतिक दबाव के कारण भी ऋण वितरण प्रक्रिया में स्थापित मानकों की प्रायः अवहेलना की जाती है।

31. ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषकों को ऋण देते समय जमानत देने पर अधिक जोर दिया जाता है।

परिकल्पना की पुष्टि :

इस प्रकार विभिन्न अध्यायों के समग्र अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि ग्रामीण बैंक अपने विभिन्न उद्देश्यो को पूरा करने में सफल रहे हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

की स्थापना बैंक बिहीन क्षेत्रों मे हुई है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों तथा उस क्षेत्र के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करने में सफल हुये हैं । इसके साथ ही बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान निष्क्रिय पूँजी को गतिशील बनाने में सक्षम हुये हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा साहूकारों, महाजनों, व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा अन्य व्यापारिक कमियों को दूर किया गया है । जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सका है । इससे यह प्रतीत होता है कि हमारी परिकल्पना की पुष्टि हुई है।

सुझाव :

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन के लिए ग्रामीण बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों के पुनर्गठन के पश्चात जो ढांचा तैयार होगा उसे अच्छी तरह से विकसित किया जाय। किसी एक संस्था, नाबार्ड, प्रायोजक, बैंक अथवा भारत सरकार को ही इन बैंकों के लिए नीतिगत निर्णय लेने के अधिकार दिये जाये इनकी पूंजी में वृद्धि की जानी चाहिए जैसा कि पुनर्गठन समिति ने पूँजी को 200 करोड़ रुपये किये जाने का सुझाव दिया है। यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति नाबार्ड, प्रयोजक बैंक तथा भारत सरकार संवेदनशील हो तो आर्थिक विकास और तेजी से होगा। इस दिशा में निम्न सुझाव दिये गये हैं :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबन्ध संचालन प्रशिक्षित, निष्ठावान व वचनबद्ध व्यक्तियों द्वारा होनी चाहिए, जिससे संस्थागत वित्त को सफल बनाया जा सके।
2. केवल संस्थागत स्रोतों से ही ऋण उपलब्ध होना चाहिए, गैर–संस्थागत स्रोतों पर ऋण सम्बन्धी निर्भरता पूर्णतया समाप्त होनी चाहिए। संस्थागत स्रोतों का वितरण

इस प्रकार होना चाहिए कि धनी और निर्धन दोनों प्रकार के किसान इससे लाभान्वित हो सके। इसके द्वारा कृषि की कुशलता व उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए।

3. बैंकों द्वारा कृषि ऋण पर ब्याज की दरें कम होनी चाहिए और किसानों के विभिन्न वर्गों के लिए ब्याज की अलग–अलग दरें होनी चाहिए। छोटे–छोटे किसानों को नई तकनीकी व अच्छी खेती के तौर–तरीकों आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. इन बैंकों का शाखा विस्तार कुछ ही क्षेत्रों/प्रान्तों में केन्द्रित न करके सम्पूर्ण देश में किया जाना चाहिए जिससे कि क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या को कम किया जा सके।

5. बैंकों के छोटे किसानों को ऋण देते समय जमानत देने में अधिक जोर न दिया जाय बल्कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि कृषकों की ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है।

6. छोटे व सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए अनुत्पादक ऋण भी आवश्यक है इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार की ऋण सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोगों को बन्धुवा मजदूर बनने से रोका जा सके।

7. ग्रामीण बैंकों को भी व्यावसायिक बैंकों की तरह सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय मे शामिल होने की छूट होनी चाहिए।

8. वित्तीय समस्या के सम्बन्ध में इन बैंकों को रिजर्व बैंक तथा अन्य प्रायोजक बैंक से रियायती दरों पर आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऋणों की वसूली की समस्या के निदान हेतु ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही दिये जायें और ऋणों के प्रयोग व वापसी पर कठोर नियन्त्रण लगाया जाना

चाहिए। लाभार्थियों का चयन करते समय इनकी ऋण वापसी प्रवृत्ति को भी आंकलन कर लेना चाहिए।

9. बैंक कर्मचारियों को लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने के लिए उनकी वेतन विसगंतियों, सुविधाओं एवं प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याओ का निदान करना चाहिए, जिससे कि वे सही दिशा मे कार्य करें एव जनता में बैंक की प्रतिष्ठा को बनाये रख सके। इसका यह भी प्रभाव होगा कि अधिक कुशल कर्मचारी इस ओर आकर्षित होगें।

10. कृषकों, कृषि श्रमिकों, सीमान्त कृषकों एवं दस्तकारों आदि से ग्रामीण बैंकों को सतत् सम्पर्क बनाये रखना चाहिए जिससे कि उन पर एक दबाव बना रहे कि उन्हें ऋण वापसी भी करना है। इसके साथ ही साथ ऋण सम्बन्धी नीति के सही निर्धारण एवं संचालन में अन्य वित्तीय अभिकरणों से जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, समन्वय रखना चाहिए।

11. इन बैंकों की शाखाओं को चाहिए कि जहां वे काम कर रहे हैं, वहां पर अधिक से बचतों को अपनी ओर आकर्षित करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पुरुष्कार आदि प्रोत्साहन के लिए देने की भी व्यवस्था करें।

12. इन बैंकों की ब्याज दरें डाकघरों की ब्याज दरों के नजदीक होनी चाहिए, जिससे प्रतियोगिता कम हो सके। इन्हें अपने घरेलू बचत खातों पर लाटरी द्वारा पुरुस्कार देने एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष सावधि बचत योजनाओं के संचालन की छूट दी जानी चाहिए।[3]

13. ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयों को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे किसान व साहूकारों पर निर्भरता समाप्त हो सके।

स्रोत 1 - कुरुक्षेत्र, अप्रैल, 2001, पृष्ठ, 32

14. इन बैंकों को अपनी लागत घटाकर एवं कार्य कुशलता बढ़ाकर हानियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि इनकी जीवन क्षमता बनी रह सके। इनको चाहिए कि लाभार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर सेवाएं प्रदान करे एवं समय–समय पर उनकी समस्याओं का निदान करते रहना चाहिए जिससे कि बाद में ऋण अदायगी में कोई असुविधा न हो।[4]

15. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों का प्रबन्धन व संचालन प्रशिक्षित, निष्ठावान व वचनबद्ध व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिससे संस्थागत वित्त को सफल बनाया जा सके।

16. ग्रामीण बैंकों को अपनी अधिशेष धनराशि की वैधानिक सरलता अनुपात की अनिवार्यता के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की प्रतिबद्धता से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

17. बैंक द्वारा छोटे किसानों को ऋण देते समय जमानत देने पर अधिक जोर न दिया जाय बल्कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि कृषकों की ऋण चुकानें की क्षमता कैसी है।[5]

विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनना और बने रहना दुर्जेय कार्य है। समर्पण, पूर्ण गम्भीरता, समस्याओं के समाधान के प्रयास के बिना यह सम्भव नहीं है। भारत में नियोजित ग्रामीण विकास नीति अपनाये जाने के कारण इनके विकास व विस्तार का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन बैंकों के पूर्णतया सफल होने के समस्या इन बैंकों के कार्यों के ठीक प्रकार से क्रियान्वयन न होने की है। जिन उद्देश्यों व लक्ष्यों को लेकर इन बैंकों की स्थापना की गयी है, एवं जिन तरीकों व प्रक्रियाओं को अपनाया गया है वह उचित होते हुए भी उचित क्रियान्वयन के अभाव में पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

स्रोत 4 - कुरुक्षेत्र, दिसम्बर, 2001, पृष्ठ, 26

स्रोत 5 - योजना , मार्च, 1996, पृष्ठ, 11

क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत व निष्पक्ष बनाया जाये और साथ ही ग्रामीण जनता की मानसिकता में परिवर्तन किया जाये तो सम्भव है कि ये बैंक ग्रामीण इलाको का नक्शा ही बदल दें, और भारतीय ग्राम व ग्रामीण आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जाये।

नीतिगत उपाय :

इस क्षेत्र में किये गये अध्ययनो से पता चलता है कि वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का इस प्रकार सहयोग नहीं करते, जैसा कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं का करते हैं। यदि ग्रामीण बैंकों की स्वायत्ता दी जाय तो वे बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं।

1. ग्रामीण बैंकों की कर्ज वसूली में दलालों की भूमिका को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
2. वसूली की खराब दर की स्थानीय समस्या के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकेां की शुद्ध मालियत और जमाराशियों में आयी कमी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से वर्ष 1993-94 के दौरान कई नीतिगत उपाय किये हैं जैसे –

   (अ) घाटे में चल रही शाखाओं के स्थान परिवर्तन की अनुमति।

   (ब) वर्ष 1992-93 के दौरान जिन 70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संवितरण दो करोड़ रुपये से कम था उन्हें सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के उत्तरदायित्वों से मुक्त करना और

   (स) वर्तमान 40 प्रतिशत की सीमा में से गैर–लक्ष्यगत समूह के उधार कर्ताओं का 60 प्रतिशत तक नये ऋृण प्रदान करने की अनुमति।
3. 1994-95 में 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुररुद्धार तथा पुर्नसंरचना कार्यक्रम के तहत उनकी बैलेन्स शीट के परिमार्जन के लिए 150 करोड़ रुपये प्रदान किये गये।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इस संरचना को फिर से ठीक करने की प्रक्रिया के तहत 1995 में 53 बैंकों के लिए 223.57 करोड़ रुपये प्रदान किये गये तथा 1996-97 में ये बजट में 200 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त रखी गयी। 1997-98 के उनके वजट में इसके लिए 269.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए आय निर्धारण का विवेक पूर्ण मानदण्ड तथा 1995-96 से लागू परिसंपत्ति वर्गीकरण और 1996-97 से व्यवस्था मानदण्डों की बात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू कर दी गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गयी। इसके लिए जिन केन्द्रों में उनके कारोबार की अच्छी गुंजाइश है उन केन्द्रों के वर्तमान कर्मचारियों को ऐसी शाखाओं में काम पर लगाया जा सकता है।[6]

5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 22 अक्टूबर 1997 से 25000 रुपये से 2 लाख तक की उधारियों पर ब्याज दर स्वयं निर्धारित करने की छूट प्रदान कर दी गयी है, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 13.5 प्रतिशत वार्षिक होगी, 3 वर्ष से अधिक अवधि के सावधि ऋणों के लिए बैंकों को अलग से प्राइम लैण्डिंग रेट निर्धारित करने की छूट दी गयी है। अभी तक इन बैंकों द्वारा प्रदत्त 25000 रुपये तक 12 प्रतिशत तथा 25000 रुपये से 2 लाख रुपये तक 13.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज निर्धारित था तथा 2 लाख से अधिक के ऋणो पर ब्याज दर निर्धारित करने को वे स्वतन्त्र थे।

6. 1 अप्रैल 1997 से प्राथमिक क्षेत्र उधार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की बराबरी पर लाया जाय।

7. 1995-96 में शाखा लाइसेंसिंग नीति को और आधुनिक बनाया गया है और बैंक को यह अधिकार मिला कि वे 5 किमी० के अन्दर घाटे में चल रही दो शाखाओं

स्रोत 6 - भारतीय रिजर्व बैंक, बुलेटिन परिशिष्ट, सितम्बर 1999, पृष्ठ 9 व 10

का विलय कर सकें। इस उपाय के परिणाम स्वरूप अधिकांश बैंक लाभ की स्थिति में आ गये हैं।[7]

8. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवर्तक बैंको को यह अधिकार दिया कि वे ग्रामीण बैंकों की निगरानी व परामर्श व्यवस्था पूरी तरह अपने हाथ में लें सकें। इस प्रकार अब सिर्फ वैधानिक पर्यवेक्षण व नियन्त्रण कार्य ही ग्रामीण बैकों व नाबार्ड द्वारा किया जायेगा। बाकी सभी लघु प्रबन्धकीय कार्य प्रवर्तन के जिम्मे होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण बैंकों से यह भी कहा कि वे नीतिगत मामलों पर सभी आवश्यक निर्देश नाबार्ड के बजाय सीधे प्रवर्तक बैंक से ही प्राप्त करें।

9. किसानों को ऋण सुविधा देनेके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गयी है।

10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और विशेष कर कमजोर बैंकों के कार्य निष्पादन की निगरानी करने के लिए प्रायोजक बैंक को यह सूचित किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बैंकों को तिमाही और छमाही समीक्षा करें। नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार चुनिंदा रूप में उनकी छमाही में भाग ले सकते हैं।[8]

11. निर्धन व्यक्तियों को निरन्तर आधार पर ऋण सुलभ कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों को अपनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है।

11 सितम्बर 2001 को अमेरिका पर हुए हवाई हमलों और फिर अमेरिका द्वारा जवाबी कार्यवाही के फलस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था अस्थिर और संकटग्रस्त हो गयी है। इसके बाद में भारतीय संसद पर आतंकी हमलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। जिसको बचाने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंक दर व नकद सुरक्षित अनुपात में कमी करके साहसिक प्रयास किया ताकि

स्रोत 7 - कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, 2001, पृष्ठ 26

स्रोत 8 - भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट, 1998-99, पृष्ठ 86

अर्थव्यवस्था को गति पर लाया जा सके।

इस समय सारी दुनिया जबरदस्त आर्थिक व दबाव के दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नयी नीतियां और कार्यक्रम बनाये तथा चलाये जा रहे हैं। आर्थिक पुनगर्ठन के दौर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने काम काज के तौर–तरीकों में परिवर्तन करना होगा। उन्हे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद संस्थाओं के रूप में अपने आपको स्थापित करना होगा। इधर सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण साख प्रणाली में सुधार के लिए पहल की है। आशा करनी चाहिए कि इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान स्थिति में बदलाव आयेगा और वे ग्रामीण विकास में बेहतर भूमिका निभा सकेंगे।

आज पूरे विश्व के ज्यादा अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि बंग्लादेश ग्रामीण बैंक जैसे ढांचे की मदद के बिना ग्रामीण वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, बंग्लादेश के ग्रामीण बैंकों की सफलता का अंदाजा केवल इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इनमें आज तक ऋण की वसूली 98 फीसदी तक है। वहां की सरकार का मानना है कि वित्तीय प्रबन्धन के मामले में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक गम्भीर होती हैं।[9]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गो, छोटे एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को समयानुसार सरलतापूर्वक उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन बैंकों की अधिकांश शाखाएं बैंकिंग दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में खोली गयी है जहां पर बैंकिंग सुविधाएं पहले से उपलब्ध नहीं थीं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की पारिवारिक बचतों को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। वास्तव में जिन उद्देश्यों को लेकर इन बैंकों की स्थापना की गयी, वे उस ओर प्रयत्नशील हैं। यही कारण है कि कुल दिये गये ऋणों में कमजोर वर्गो

स्रोत - 9 - योजना, अप्रैल 1998

का अंश लगभग 90 प्रतिशत या इससे अधिक है। इन बैंकों ने अपनी अल्पावधि के कार्यकाल में ही ग्रामीण साख में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आशा की जाती है ये बैंक आने वाले समय में ग्रामीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे।

अतः सरकार को भी बंग्लादेश की तर्ज पर ऋण कार्यक्रम बनाना चाहिए तथा महिलाओं को अत्यधिक ऋण प्रदान करना चाहिए क्योंकि वित्तीय मामलें में पुरुषेां से अधिक श्रेष्ठ होती है। ग्रामीण बैकों को अधिक आर्थिक अवलम्बन प्रदान करना उनके लिए अहितकर होगा। अतः उन्हें स्वय ही आर्थिक रुप से शक्तिशाली होने देना चाहिए तथा वित्तीय अनुशासन का पूर्णतया पालन करना चाहिए।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंक सरकार द्वारा निर्धारित किये ज्यादातर लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें अभी दो दिशाओं में विशेष प्रयास करना होगा। एक तो बैंकों को अपनी वसूली बढ़ानी पड़ेगी, भले ही इसके लिए सख्त कदम क्यों न उठाना पड़े। इस मामले में राजनीतिक दृढ़ता भी आवश्यक है। इसके अलावा बैंकों को ग्रामीण ऋणों में नये और कारगर तरीके अपनाने की दिशा में भी पहल करनी होगी वैसे भी सरकार धीरे–धीरे ऋणों के मामले में अपनी जटिल प्रक्रियाओं को सरल बना रही है। हमारे देश की अधिकांश जनता आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। लिहाजा ग्रामीण आबादी की वित्तीय जरूरतों को पूरा किये बिना देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का सपना एक दूरस्थ लक्ष्य ही बना रहेगा।

****

अध्याय : 7

परिशिष्ट :

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLIOGRAPHY

S.N.	AUTHOR		BOOKS TITLE
1.	Agrawal B.P.	:	"Commercial Banking in India after Nationalisation", Classical Publishing Company, New Delhi, 1982.
2.	Anand, S.C.	:	Handbook on Regional Rural Banks

Birla Institute of Scientific Research, New Delhi, (Ed) "Banks Since Nationalisation" Allied Publishers Private Limited, New Delhi, 1981.

3.	Bhandari, M.C.	:	Report of the Committee on Restructiving of RRBs (Summary of Report)
4.	Chaubey, B.N.	:	"Principles and Practices of cooperative Banking in India," Asia Publishing House, 1968.
5.	Conant charles A,	:	"A History of Modern Banks of Issues"
6.	Datta, S.K.	:	Service conditions and Discline Code in RRBs

7. Desai, Vasant : Indian Banking : "Nature and Problems" Himalaya Publishing House, Bombay, 2001.

8. Desai,S.S.M. : "Agriculture and Rural Banking in India"Himalaya Publishing House, Bombay, 2001.

9. Desai, Vasant : "Money and Central Banking" Himalaya Publishing House, Bombay, 2001.

10. Datta, S.K. : Service conditions and discipline Code in RRBs

11. Datt, V. : "Banks Nationalsiation in Perspective" Publications Division, GOI, New Delhi, 1970.

12. Desai, S.S.M. : "Rural Banking in India" Himalaya Publishing House, Bombay, 1983

13. Desai, V.K. : "Rural Economics" Himalaya Publications Bombay

14. Desh Pandey, D.V. & Mudgal, M.K. : Organisation Development Approach to Revanping of Rigional Rural Banks", Banking Institute of Rural Development, Lucknow.

15. Desh Pandey, D.V. & Mudgal, M.K. & Sharma, K.C. : Interest Rate Deregulation and, its impect of Regional Rural Bank - Banking Institute of Rural Development, Lucknow.

16. Elias, A.H. : "Operational problems of Rural Banking" Vora & Co. Publishers Bombay, 1967.

17. Eastern Book Co. : Regional Rural Banks Act 1976

18. Ghosh, D.N. : "Banking Policy in India" Allied publishers, Pvt. Ltd., New Delhi, 1979.

19. Horne, H. Oliver : "A Histroy of Savings Banks" Oxford University Press, London, 1947

20. Joshi, N.C. : "Indian Banking" Ashish Publishing House, New Delhi, 1978.

21. Jain, L.C. : "Indiginous Banking in India" Macillan, London, 1929

22. Kamble, N.D. : "Proverty within poverty" Sterling Publishers Pvt Ltd., New Delhi, 1979.

23. KAlkundrikar, A.B. : RRB & Economic Development

24. Kabra, K.N. and Suresh, R.R. : "Public Sector Banking in India" People's Publishing House, New Delhi, 1970.

25. Krishnaswamy, O.R. : "Fundamentals of Cooperation"

26. Kripashankar : "Economic Development of Uttar Pradesh" Arthik Ahusandhan Kendra, Allahabad, 1970.

27. Mathur, B.S. : "Cooperative in India" Sahitya Bhawan, Agra 1977.

28. Mishra, R.P.,Sundaram,: K.V. "Multi-level, Planning and Integrated Rural Development" Heritage Publishers, New Delhi, 1980

29. Mathur, O.P. : "Public Sector Bank in India's Economy" Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1978.

30. Muranjan,S.K. : "Modern Banking in India", New Book Company Kumala Publishing House, Bombay, 1952.

31. Mithani & Gordon : "Banking Theory and Practice" Himalaya Puiblishing House, Bombay, 1999.

32. Nigam, B.M.L. : "Banking Law and Practice" Vani Eductional Books, Ghaziabad, 1985.

33. Nigam, B.M.L. : "Financial Analysis Techniques for Banking Division" Somaiya Publication Ltd. Bombay, 1979.

34. Nigam, B.M.L. : "Banking and Economic Growth" Vora & Company, Bombay, 1967.

35. Nabard : "Statistics and Regional Rural Banks March, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

36. Nabard : "Development Through Credit" 1982.

37. Naidu, L.K. : "Bank Finance and Rural Development" 1985.

38. Panandikar, S.G. & Nithanji, D.M. : "Banking in India" Orient Longman. Ltd. Bombay , 1975.

39. Plumpre, A.F.W. : "Central Banking in the British Divisions"

40. Pandey, K.L. : Development of Banking in India. Since 1949-1968", Scientific Book Agency, Delhi, 1970.

41. Panda, R.K. : "Agricultural Indebtedness and Institutional Finance" Chugh Publications, Allahabad, 1985.

42. Pany, R.K. : "Institutional Credit of Agriculture, In India", Chugh Publications, Allahabad, 1985.

43. Rao, B. Ramchandra : "Current Trends in Indian Banking" Deep and Deep Publications, New Delhi, 1984.

44. Rao, M.K. : "Management of Central Co-operative Banks".

45. Reddy, A.G.N. : "Rural Dynamics Development" Chugh Publications, Allahabad.

46. Singh, Prabhu,N : "Role of Development Banks in Planned Economy" Vikas Publishing House Ltd. Delhi, 1974.

47. Sunil Kumar : Regional Rural Banks & Rural Development.

48. Shylendra, H.S. : Institutional Reforms and Rural Poor :A case of Regional Rural Banks.

49. Shekhar, K.C. : "Banking Theory and Practice" Vikas Publishing House Ltd. Delhi, 1974.

50. Singh, S and Chauhan, V.S. : "Regionalisation for Rural Development in India" Shree Publishing House, Delhi, 1984.

51. Sharma, H.C. : "Growth of Banking in a Developing Economy" Sahitya Bhawan, Agra, 1969.

52. Sinha, S.L.N. : "Reforms of the Indian Banking System" Orient Longman Ltd. Madras, 1973.

53. Sharma, H.C. : "Nationalisation of Banks in India" Sahitya Bhawan, Agra, 1970

54. Savage, D.T. : "Money and Banking"

55. Sarkar, K.C. : "Coorperative Movement in United Provincess"

56. Sharma, H.C. & Sharma, R.K. : "Banking Law & Practice" Sahitya Bhawan, Agra, 1993.

57. Singh, J.P. : "Supply of Demand for Agricultural Credit" Chugh Publications, Allahabad, 1985.

58. Shankar, K. : "Socialisation of Bank in India" Lokbharti Publications, Allahabad, 1968.

59. Sayers, R.S. : "Lloyds Bank in the History of Monetary System".

60. Thingalaya, N.K. : "On Bankers and Economics" Macmillan India Ltd. New Delhi, 1981.

61. Trescott, P.B. : "Money Banking and Economic Welfare"

62. Thomas, Rollin, G. : "Our Modern Banking and Monetary System".

63. Varde, S.D. : "Management Studies in Banks" National Institute of Bank Management, Bombay, 1976.

64. Vashya, M.C. : "Money Banking and Public Finance" Ratan Prakashan Mandir" Agra, 1989.

65. Vyas, M.R. : Evaluation and Management of RRBs.

66. White, Horace : "Money and Banking.

67. त्रिपाठी, डॉ० बद्री विशाल : "भारतीय अर्थव्यवस्था – नियोजन एवं विकास" किताब महल, इलाहाबाद, 2001

68. मिश्रा, डॉ० जे०एन० : "भारतीय अर्थव्यवस्था" – किताब महल, इला०, 2001

69. मिश्र, एस०के० एवं पुरी, वी०के० : "भारतीय अर्थव्यवस्था" – हिमालय पब्लिसिंग हाउस, दिल्ली, 2000

70. भारती, डॉ० आर०के० : "ग्रामीण बैंकिंग परिवर्तित परिदृश्य" आदित्य पब्लिसर्श, बीना, मध्य प्रदेश

71. यादव, डॉ० जी०पी० : "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य प्रणाली एवं उपलब्धियां" – आदित्य पब्लिसर्स, बीना, म०प्र०

72. नौटियाल, जे०पी० : कृषीतर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका, हिमालय पब्लिकेशन्स हाउस, नई दिल्ली

73. रुद्र दत्त एवं सुन्दरम्, के०पी०एम० : भारतीय अर्थव्यवस्था,एस०चन्द एण्ड कम्पनी लि० राम नगर, नई दिल्ली, 2001

74. गौंड, श्यामलाल : विकास मान बैंकिंग और ग्रामीण विकास, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1995

75. सेठ, डॉ० एम०एल० : "मुद्रा एवं बैंकिंग" शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 2000

76. गौड़ – यादव : "बैंक ऋण वसूली प्रबन्ध – विविध आयाम" हिमालया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1994

77. सेठी, डॉ० टी०टी० : "मुद्रा, बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार" लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2001

78. सिद्दीकी, डॉ०ए०ए० : मुद्रा , बैंकिंग एवं विदेशी विनिमय, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2001

79. जैन, नौटियाल, सिंह और छत्रे : "बैंक प्रबन्धन के सिद्धान्त" हिमालया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1993

80. शर्मा, डॉ० हरिश्चन्द्र : मुद्रा एवं बैंकिंग, साहित्य भवन, आगरा, 1984, 2001

REPORTS :

GOVERNMENT OF INDIA :

1. Report of the Rural Banking Enquiry Committee (1950)
2. Report of the Banking Commission (1972)
3. Report of the Working Group on Regional Rural Banks (1975)

RESERVE BANK OF INDIA :

1. Annual Reports on Currency and Finance.
2. Annual Reports on Trend and Progress of Banking in India.
3. Banking Statistics
4. Reserve Bank of India Bulletin.
5. Report on the All Rural Credit Review Committee (1969)

6. Reviews of the Cooperative Movement in India.
7. Report of the Review Committee (Dantawala Committee) (1979)

ACTS AND RULES :

1. National Bank for Agriculture & Rural Development Act 1981 with 82 & 84 Regulation.
2. Regional Rural Banks Act. 1976.
3. Reserve Bank of India Act. 1934.
4. U.P. Agricultural Credit Act. 193 with Rules.

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT :

1. Key Statistics on Regional Rural Banks.
2. Report on the Committee in Control over Baranhes of RRBs (1983)

OTHER REPORT AND PATRIKAS :

1. Socio-economic Patrikas Allahabad.

ANNUAL REPORT :

2. Etawah Kshertiya Gramin Bank, Annual Report.
3. Annual Report of Distric-Coorperative Bank Etawah.
4. Statistical Diary
(Economic and Statistical Department State Planning Commission U.P., Lucknow).
5. वार्षिक योजना (जिला योजना) – उत्तर प्रदेश शासन राज्य योजना आयोग, लखनऊ ।

6. Yojana.
7. Kurukshetra.
8. Birds View .
9. I.B.A. Bulletin.

JOURNALS AND PERIODICALS :

1. Business India , Bombay
2. Commerce Bombay.
3. Journals of the Indian Banks Association, Bombay
4. The Banker, New Delhi
5. National Bank News Review, Nabard, Bombay.

NEWSPAPERS :

1. The Economic Times, New Delhi
2. The Hindustan Times, New Delhi
3. Hindustan, Lucknow.
4. Rastriya Sahara, Lucknow.
5. Dainik Jagaran, Kanpur
6. Dainik Aaj, Kanpur
7. Desh dharm, Etawah
8. Savera, Etawah

THESIS SUBMITTED FOR D. PHIL, IN UNIVERSITY OF ALLAHABAD.

1.	Swaroop, L.	:	Resource Mobilisation for Economic Development in Uttar Pradesh.
2.	Mehrotra, P.N.	:	Role of Finanacial Institutions in Economic Development.
3.	Pandey, S.K.	:	Deposit Mobilisation by Regional Rural Banks
4.	Srivastava, A.P.	:	A study of Cooperative Credit in U.P. Since Independence.
5.	Ansari Mohd. Salman	:	Working of the Regional Rural Banks in Eastern Uttar Pradesh.

अध्याय : 7

परिशिष्ट :

परिशिष्ट : तालिकायें

State-wise Performance of RRBs - Key Ratios

(Rs.lakh)

Sl No.	Name of the state	CD Ratio	NPA %	Rec. % (June 00)	Productivity	
					Per Employee	Per Branch
1	ANDHRA PRADESH	66	11	73	89	465
2	ARUNACHAL PRADESH	107	19	38	99	338
3	ASSAM	27	33	38	58	256
4	BIHAR	23	32	50	72	307
5	GUJARAT	49	15	77	92	386
6	HARYANA	50	11	79	97	530
7	HIMACHAL PRADESH	25	6	76	107	485
8	JAMMU & KASHMIR	17	21	42	61	282
9	KARNATAKA	81	11	77	76	404
10	KERALA	121	5	90	68	545
11	MADHYA PRADESH	32	21	62	72	304
12	MAHARASHTRA	49	21	66	68	291
13	MANIPUR	38	46	35	30	109
14	MEGHALAYA	25	45	43	84	300
15	MIZORAM	34	35	54	51	169
16	NAGALAND	28	42	28	24	85
17	ORISSA	51	19	66	65	336
18	PUNJAB	38	9	85	110	414
19	RAJASTHAN	41	13	72	75	323
20	TAMILNADU	64	6	84	77	393
21	TRIPURA	30	64	18	72	602
22	UTTAR PRADESH	31	27	60	85	429
23	WEST BENGAL	32	28	47	72	433
	ALL INDIA	41	18	69	77	378

State-wise Performance of RRBs - Business Parameters

(Rs.lakh)

Sl No.	Name of the state	Deposits Outstanding			Loans Outstanding		
		2001	2000	Growth %	2001	2000	Growth %
1	ANDHRA PRADESH	309237	256862	20	202905	166198	22
2	ARUNACHAL PRADESH	3103	2478	25	3316	2772	20
3	ASSAM	89989	80997	11	24720	22102	12
4	BIHAR	465679	397480	17	107736	92721	16
5	GUJARAT	101329	80851	25	49220	41267	19
6	HARYANA	103024	88323	17	51702	42691	21
7	HIMACHAL PRADESH	50369	42296	19	12632	10081	25
8	JAMMU & KASHMIR	63121	51816	22	10677	9130	17
9	KARNATAKA	243362	201835	21	197978	163923	21
10	KERALA	80242	65774	22	96981	76753	26
11	MADHYA PRADESH	345456	287306	20	110024	96755	14
12	MAHARASHTRA	113171	94920	19	55660	47438	17
13	MANIPUR	2276	2107	8	875	728	20
14	MEGHALAYA	12263	9897	24	3034	2662	14
15	MIZORAM	6840	5052	35	2293	1758	30
16	NAGALAND	528	470	12	150	142	6
17	ORISSA	183185	149210	23	93594	76171	23
18	PUNJAB	60746	48419	25	22958	18158	26
19	RAJASTHAN	234896	198885	18	96618	81537	1[illegible]
20	TAMILNADU	50902	42013	21	32371	25029	29
21	TRIPURA	39249	31378	25	11937	10227	17
22	UTTAR PRADESH	982869	843150	17	302745	254086	19
23	WEST BENGAL	285942	238915	20	91364	76096	20
	ALL INDIA	3827778	3220434	19	1581489	1318425	20

State-wise Performance of RRBs - Coverage

(Rs.lakh)

Sl No.	Name of the state	No. of RRBs	% Share	RRB Brs	% Share	Staff	% Share
1	ANDHRA PRADESH	16	8	1101	8	5786	8
2	ARUNACHAL PRADESH	1	1	19	0	65	0
3	ASSAM	5	3	401	3	1983	3
4	BIHAR	22	11	1869	13	7966	11
5	GUJARAT	9	5	388	3	1629	2
6	HARYANA	4	2	292	2	1600	2
7	HIMACHAL PRADESH	2	1	130	1	591	1
8	JAMMU & KASHMIR	3	2	262	2	1218	2
9	KARNATAKA	13	7	1093	8	5809	8
10	KERALA	2	1	325	2	2596	4
11	MADHYA PRADESH	24	12	1496	10	6362	9
12	MAHARASHTRA	10	5	581	4	2475	4
13	MANIPUR	1	1	29	0	104	0
14	MEGHALAYA	1	1	51	0	183	0
15	MIZORAM	1	1	54	0	179	0
16	NAGALAND	1	1	8	0	28	0
17	ORISSA	9	5	823	6	4259	6
18	PUNJAB	5	3	202	1	763	1
19	RAJASTHAN	14	7	1025	7	4395	6
20	TAMILNADU	3	2	212	1	1082	2
21	TRIPURA	1	1	85	1	710	1
22	UTTAR PRADESH	40	20	2994	21	15139	22
23	WEST BENGAL	9	5	871	6	5216	7
	ALL INDIA	196	100	14311	100	70138	100

State-wise Performance of RRBs - Coverage

(Rs.lakh)

Deposit Accounts	% Share	O/s Adv-A/cs	% Share	Disbursal A/cs	% Share	Sl No
4269782	9	1553411	13	969744	21	1
62052	0	12875	0	4418	0	2
895563	2	184995	2	30402	1	3
4956426	10	1305825	11	160607	3	4
985749	2	248918	2	115996	3	5
931064	2	170076	1	74659	2	6
446997	1	49712	0	20759	0	7
683825	1	55425	0	9552	0	8
3713768	8	976477	8	516247	11	9
903038	2	737275	6	777177	17	10
3593425	8	654042	6	144362	3	11
1509155	3	310688	3	134194	3	12
53470	0	8300	0	755	0	13
136255	0	25248	0	4754	0	14
62179	0	11955	0	4167	0	15
4528	0	1077	0	319	0	16
2416416	5	960039	8	332220	7	17
496391	1	82718	1	58594	1	18
2285185	5	450798	4	130620	3	19
584893	1	334235	3	338337	7	20
396846	1	205561	2	14858	0	21
14534107	30	2225685	19	548617	12	22
3965281	8	1188685	10	223770	5	23
47886395	100	11754020	100	[illegible]	[illegible]	

State-wise Performance of RRBs - Share in All India

(Rs.lakh)

Sl No.	Name of the state	Owned Funds	% Share	Deposits	% Share	Borro-wings	% Share
1	ANDHRA PRADESH	30728	9	309237	8	62206	15
2	ARUNACHAL PRADESH	311	0	3103	0	840	0
3	ASSAM	8959	3	89989	2	4249	1
4	BIHAR	26651	8	465679	12	16209	4
5	GUJARAT	10121	3	101329	3	16446	4
6	HARYANA	10261	3	103024	3	11234	3
7	HIMACHAL PRADESH	1837	1	50369	1	2167	1
8	JAMMU & KASHMIR	5580	2	63121	2	2746	1
9	KARNATAKA	29758	9	243362	6	63237	16
10	KERALA	13032	4	80242	2	37460	9
11	MADHYA PRADESH	31463	9	345456	9	20887	5
12	MAHARASHTRA	10375	3	113171	3	17012	4
13	MANIPUR	1002	0	2276	0	89	0
14	MEGHALAYA	1681	0	12263	0	647	0
15	MIZORAM	904	0	6840	0	668	0
16	NAGALAND	312	0	528	0	19	0
17	ORISSA	17177	5	183185	5	30664	8
18	PUNJAB	8041	2	60746	2	7583	2
19	RAJASTHAN	16803	5	234896	6	23218	6
20	TAMILNADU	5127	1	50902	1	10573	3
21	TRIPURA	4246	1	39249	1	477	0
22	UTTAR PRADESH	98754	28	982869	26	65637	16
23	WEST BENGAL	14905	4	285942	7	11758	3
	ALL INDIA	348027	100	3827778	100	406026	100

State-wise Performance of RRBs - Share in All India

(Rs.lakh)

Invest-ments	% Share	Loans Out-standing	% Share	Loans issued	% Share	Acc loss	% Share	Profit/ Loss (Net)	% Share	Sl No
205573	8	202905	13	152327	17	5492	2	7096	12	1
495	0	3316	0	390	0	68	0	33	0	2
64396	2	24720	2	6733	1	11029	4	347	1	3
333599	12	107736	7	37338	4	57862	21	3886	6	4
80761	3	49220	3	28012	3	3110	1	2114	3	5
67422	3	51702	3	30750	3	2866	1	3104	5	6
38308	1	12632	1	7146	1	0	0	664	1	7
58503	2	10677	1	4042	0	7937	3	172	0	8
139629	5	197978	13	129794	15	2485	1	7479	12	9
32869	1	96981	6	89828	10	0	0	3260	5	10
242620	9	110024	7	44143	5	42889	15	2048	3	11
72223	3	55660	4	25430	3	11421	4	1310	2	12
1677	0	875	0	308	0	1093	0	-32	0	13
10583	0	3034	0	1162	0	0	0	319	1	14
4735	0	2293	0	1091	0	600	0	42	0	15
605	0	150	0	91	0	144	0	9	0	16
112480	4	93594	6	45535	5	39542	14	-1108	0	17
51575	2	22958	1	17203	2	405	0	2327	4	18
157354	6	96618	6	45403	5	23671	8	1533	3	19
32620	1	32371	2	39029	4	1776	1	918	2	20
18922	1	11937	1	3547	0	13940	5	-819	0	21
790684	29	302745	19	130036	15	24313	9	24640	40	22
172289	6	91364	6	40400	5	29661	11	1565	3	23
2693025	100	1581489	100	879737	100	280303	100	60906	100	

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Sl. No.	Name of the RRB	Sp. Bk.	Brs.	Owned Funds	Deposits	Borr-wings	Invest-ments
1	CHAITANYA GB	ANDHRA	44	1103	13725	3775	9599
2	GODAVARI GB	ANDHRA	33	1036	7514	1853	5054
3	GOLCONDA GB	S.B.H	23	685	6296	1189	5195
4	KAKATHIYA GB	S.B.I	37	1038	11299	2385	6764
5	KANAKADUGRA GB *	INDIAN	28	400	6122	1609	4511
6	MANJIRA GB	S.B I	50	1856	17037	5768	13736
7	NAGARJUNA GB	S.B I	139	2197	28497	5025	17029
8	PINAKINI GB	SYND	78	2004	26028	5523	13630
9	RAYALSEEMA GB	SYND	145	5088	45948	8342	28065
10	SANGAMESHWRA GB	S.B I	67	2164	14535	4389	11433
11	SHRI SATHAVAHANA GB	S.B.H	47	886	14356	2193	10368
12	SHRI VENKETESHWARA GB	INDIAN	75	1573	22224	2781	10916
13	SREE ANANTHA GB	SYND.	73	4559	23002	5152	15692
14	SRI SARASWATHI GB	S B.H	72	1649	25143	3251	22088
15	SRI VISAKHA GB	S B I	163	3320	40940	7569	28534
16	SRIRAMA GB	S.B H	27	1171	6572	1402	6063
	ANDHRA PRADESH		1101	30728	309237	62206	208678
17	ARUNACHAL PRADESH RB *	S.B I	19	311	3103	840	495
	ARUNACHAL PRADESH		19	311	3103	840	495
18	CACHAR GB	U.B.I	44	1173	9752	304	7459
19	LAKHIMI GAONLIA BANK *	U B.I	100	2189	19510	586	12637
20	LANGPI DEHANGI RB	S.B.I	43	1200	4400	165	3741

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc. loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec. % (June 00)	Productivity Per Empl.	Productivity Per Br.	Sl. No.
8598	8336	0	166	63	5	71	90	507	1
5102	3876	0	87	68	15	67	111	382	2
3068	2305	0	182	49	14	70	109	407	3
7978	5773	884	129	71	10	67	107	521	4
4195	2951	0	212	69	11	81	96	368	5
12731	9427	0	612	75	11	77	89	595	6
17869	12336	2041	378	63	11	66	65	334	7
19275	13837	0	811	74	8	72	93	581	8
31345	25985	0	1102	68	10	63	81	533	9
11344	8976	0	725	78	14	67	89	386	10
9770	7491	152	165	68	17	62	119	513	11
15277	13576	0	549	69	5	79	90	500	12
16164	11266	0	1035	70	11	73	95	537	13
11435	6803	0	259	45	15	68	119	508	14
24162	15910	2416	503	59	10	65	80	399	15
4593	3478	0	181	70	15	62	99	414	16
202905	152327	5492	7096	66	11	73	89	465	
3316	390	68	33	107	19	38	99	338	17
3316	390	68	33	107	19	38	99	338	
2346	975	1099	192	24	9	67	69	275	18
3458	1778	2992	222	18	17	66	47	230	19
1091	240	1817	-163	25	55	21	30	128	20

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs Lakh)

Sl No.	Name of the RRB	Sp. Bk	Brs.	Owned Funds	Deposits	Borr-wings	Invest ments
21	PRAGJYOTISH GAONLIA BANK	U B I	169	3178	48522	2881	34018
22	SUBANSIRI GAONLIA BANK	U B I	45	1220	7604	313	6543
	ASSAM		401	8959	89969	4249	64396
23	BEGUSARAI KGB	U C.O	21	394	5125	130	4514
24	BHAGALPUR-BANKA KGB	U C O	24	410	7200	241	5528
25	BHOJPUR ROHTAS GB	P N B	157	2390	54330	2408	42175
26	CHAMPARAN KGB	C B.I	145	100	25758	1749	10503
27	GIRIDIH KGB	B O I	27	406	7517	348	5388
28	GOPALGANJ KGB	C B.I	59	1864	18226	366	14877
29	HAZARIBAGH KGB	B O I	31	939	9170	553	7972
30	KOSI KSH GRAMIN BK	C B I	164	1321	31166	1350	16912
31	MADHUBANI KGB	C B I	84	750	13933	520	7062
32	MAGADH GB	P N B	165	2790	46026	1649	41092
33	MITHILA KGB	C B I	79	708	16817	395	11447
34	MONGHYR KGB	U C O	106	2671	27226	394	19365
35	NALANDA GB	P N B	66	721	20601	384	14262
36	PALAMAU KGB *	S B I	75	950	16708	615	11574
37	PATALIPUTRA GB	P N B	21	426	5055	96	3763
38	RANCHI KGB	B.O I	80	1132	14855	639	9785
39	SAMASTIPUR KGB *	S B I	73	1118	16004	1014	13444
40	SANTHAL PARGANAS GB	S.B I	103	2213	22639	1001	21719
41	SARAN KSH GRAMIN BK	C B I	64	566	14787	420	9330

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc. loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec. % (June 00)	Productivity Per Empl	Productivity Per Br.	Sl. No.
16201	3082	4095	8	33	39	32	68	383	21
1624	656	1026	88	21	32	36	51	210	22
24720	6733	11029	347	27	33	38	58	286	
1093	432	0	216	21	21	59	77	296	23
2189	431	504	83	30	48	23	90	391	24
14911	3749	0	1018	27	52	65	87	441	25
7017	2615	7024	-497	27	15	63	54	226	26
2623	1304	126	60	35	13	43	98	376	27
2634	1008	0	450	14	21	66	92	354	28
2449	1067	0	313	27	11	49	108	375	29
9236	4300	7586	252	27	12	43	66	265	30
2632	1205	4420	20	19	15	44	47	197	31
8375	2963	1297	1408	18	30	59	77	330	32
2718	1458	3858	102	16	18	43	60	247	33
5739	1687	4659	-281	21	59	12	64	311	34
3681	1263	4354	-226	18	43	61	77	368	35
5637	1317	2739	187	34	39	55	70	298	36
1258	559	150	71	25	20	65	89	301	37
4549	1343	2936	-137	31	29	45	59	243	38
4020	1904	2537	140	25	16	69	66	274	39
5835	1511	1827	175	26	61	20	64	276	40
3534	595	3027	-35	24	40	42	75	286	41

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Sl. No.	Name of the RRB	Sp. Bk.	Brs.	Owned Funds	Deposits	Borr-wings	Invest-ments
42	SINGHBHUM KGB	B.O I	76	1270	23254	410	16477
43	SIWAN KSH GRAMIN BK	C.B.I	69	2014	25617	317	19637
44	VAISHALI KGB	C.B.I	180	1498	40666	1210	26753
	BIHAR		1869	26651	465679	16209	333599
45	BANASKANTHA-MEHSANA GB	DENA	68	2182	14071	2915	10779
46	JAMNAGAR GRAMIN BK	S B.S	50	1169	13728	3545	11334
47	JUNAGADH-AMRELI GB	S B.S	36	747	5888	1381	5023
48	KUTCH GB	DENA	36	1077	12326	1335	11503
49	PANCHMAHAL GB	B.O.B	55	1339	12240	1522	8247
50	SABARKANTHA-GANDHINAGAR GB	DENA	27	908	9719	1037	9635
51	SURAT-BHARUCH GB	B O B	37	688	11154	1702	6589
52	SURENDRANAGAR-BHAVNAGAR GB	S B S	42	793	10571	2328	8423
53	VALSAD-DANGS GB	B.O B	37	1218	11633	680	9227
	GUJARAT		388	10121	101329	16446	80761
54	AMBALA KURUKSHETRA GB	P N.B	39	547	10540	1579	5888
55	GURGAON GB	SYND.	119	7070	53828	5407	41096
56	HARYANA KGB	P.N.B	90	1431	27786	2072	14080
57	HISSAR-SIRSA KGB	P N.B	44	1213	10871	2176	6359
	HARYANA		292	10261	103024	11234	67422
58	HIMACHAL GB *	P.N.B	103	1272	42113	1719	31776
59	PARVATIYA GB *	S.B I	27	565	8256	448	6532
	HIMACHAL PRADESH		130	1837	50369	2167	38308

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec. % (June 00)	Productivity Per Empl.	Productivity Per Br.	Sl No.
5732	2587	2022	126	25	25	68	92	381	42
3809	1229	0	422	15	33	52	109	426	43
8065	2810	8795	21	20	20	44	63	271	44
107736	37338	57862	3886	23	32	50	72	307	
7978	5236	2199	182	57	11	82	71	324	45
8225	6973	0	465	60	2	95	102	439	46
3233	2207	0	210	55	12	79	67	253	47
3879	1918	0	359	31	10	79	91	450	48
6315	2956	793	105	52	21	63	87	337	49
2921	1241	0	216	30	21	63	116	468	50
6782	2017	0	43	61	33	57	112	485	51
5593	3947	118	203	53	6	88	108	385	52
4294	1518	0	331	37	28	57	103	430	53
49220	28012	3110	2114	49	15	77	92	388	
6755	4313	0	180	64	13	78	103	443	54
23957	14382	0	2209	45	9	87	93	654	55
13373	5762	2866	362	48	14	66	97	457	56
7618	6293	0	353	70	8	86	106	420	57
51702	30750	2866	3104	50	11	79	97	530	
10511	5954	0	476	25	5	77	107	511	58
2121	1192	0	189	26	11	74	107	384	59
12632	7146	0	664	25	6	76	107	485	

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

Rs Lakh

Sl. No.	Name of the RRB	Sp Bk	Brs	Owned Funds	Deposits	Borr-owings	Invest ments
60	ELLAQUI DEHATI BANK *	S B I	90	1375	11176	113	7433
61	JAMMU RB	J&K BK	92	3097	34348	1842	375[illegible]
62	KAMRAZ RB *	J&K BK	80	1108	17597	792	13432
	JAMMU & KASHMIR		262	5580	63121	2746	58503
63	BIJAPUR GB	SYND	86	4020	23794	5857	14125
64	CAUVERY GB	S B M	124	1434	17575	3602	12786
65	CHICKMAGALUR-KODAGU GB	CORPN	44	1241	8370	2176	5275
66	CHITRADURGA GB	CANARA	93	1872	16690	4960	9788
67	KALPATHARU GB	S B M	84	1541	15504	1716	10350
68	KOLAR GB	CANARA	60	1701	12880	1828	8265
69	KRISHNA GB	S B I	107	1937	21763	6956	13765
70	MALAPRABHA GB	SYND	231	6354	62815	16929	32159
71	NETRAVATI GB	SYND	22	487	4181	1425	2105
72	SAHYADRI GB	CANARA	29	870	6893	2434	4808
73	TUNGABHADRA GB	CANARA	160	6953	43324	12109	21080
74	VARADA GB	SYND	28	815	5189	2458	2869
75	VISVESHWARAYA GB	VIJAYA	25	533	4284	786	2255
	KARNATAKA		1093	29758	243362	63237	139629
76	NORTH MALABAR GB	SYND	137	7709	35680	17704	16139
77	SOUTH MALABAR GB	CANARA	188	5323	44562	19756	16729
	KERALA		325	13032	80242	37460	32869
78	BASTAR KGB	S B I	59	100	8804	283	4243

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc. loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec % (June 00)	Productivity Per Empl	Productivity Per Br.	Sl. No
1617	410	4998	-598	14	23	9	33	142	60
6129	2395	0	762	18	24	44	93	440	61
2931	1237	2939	8	17	16	55	53	257	62
10677	4042	7937	172	17	21	42	61	282	
19476	11007	0	1188	82	10	69	102	503	63
12753	9004	832	197	72	18	71	56	215	64
6923	3170	0	177	83	22	66	83	348	65
13377	8696	861	383	80	14	71	66	323	66
9326	5316	556	500	60	19	67	65	296	67
8603	5226	0	388	67	16	72	61	358	68
18702	13802	0	964	86	3	73	83	378	69
51258	29048	0	1580	82	10	80	78	494	70
3706	2213	194	83	89	2	89	84	359	71
5078	3007	0	252	74	13	78	94	413	72
39806	33308	0	1603	92	7	85	77	520	73
5733	3513	0	64	110	10	77	93	390	74
3238	2485	42	101	76	8	74	74	301	75
197978	129794	2485	7479	81	11	77	76	404	
43768	35250	0	1785	123	5	88	79	580	76
53213	54578	0	1475	119	5	92	62	520	77
96981	89828	0	3260	121	5	90	68	545	
2200	1086	3817	-437	25	14	61	39	187	78

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Sl. No.	Name of the RRB	Sp. Bk.	Brs.	Owned Funds	Deposits	Borr-wings	Invest. ments
79	BILASPUR-RAIPUR KGB *	S B.I	137	3490	23814	1495	19303
80	BUNDELKHAND KGB	S B I	86	2577	18525	806	15189
81	CHAMBAL KGB	C.B.I	33	853	12415	1201	8148
82	CHHINDWARA-SEONI KGB	C.B.I	61	950	13169	353	6264
83	DAMOH-PANNA-SAGAR KGB	S B I	71	2267	14632	706	12209
84	DEWAS-SHAJAPUR KGB	B.O.I	59	1036	15956	948	10224
85	DURG-RAJNANDGAON GB *	DENA	98	2621	23503	927	21183
86	GWALIOR-DATIA KGB *	C.B.I	26	528	7631	637	4319
87	INDORE-UJJAIN KGB	B O I	38	628	7607	1046	5759
88	JHABUA-DHAR KGB	B O.B	85	628	17307	2280	8152
89	KSHETRIYA GB HOSHANGABAD	C.B.I	85	2670	21568	2332	14381
90	MAHAKAUSHAL KGB	U C O	41	100	5926	115	2802
91	MANDLA-BALAGHAT KGB	C B I	54	1300	9427	201	6083
92	NIMAR KGB *	B.O.I	73	1701	17417	834	9778
93	RAIGARH KGB	S B I	60	1775	11432	521	9836
94	RAJGARH-SEHORE KGB	B.O.I	46	964	11366	966	6823
95	RATLAM-MANDSAUR KGB	C.B I	42	738	11134	846	8967
96	REWA-SIDHI GB	UNION	79	1312	27144	1139	23320
97	SHAHDOL KGB	C B.I	41	100	9780	337	5918
98	SHARDA GB	ALLAHA.	59	1614	14181	506	11837
99	SHIVPURI-GUNA KGB	S.B I	57	2273	15675	557	11421
100	SURGUJA KGB	C.B.I	83	639	18773	457	11049

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc. loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec % (June 00)	Productivity Per Empl.	Productivity Per Br.	Sl. No
6096	2218	3961	-170	26	27	72	54	218	79
4666	2690	2273	250	25	24	67	59	276	80
5122	2319	1115	104	41	7	89	104	531	81
4948	1824	2065	29	38	18	59	69	297	82
3110	2490	2093	263	21	20	84	60	250	83
5951	2746	1149	160	37	8	70	92	371	84
7356	897	2202	152	31	47	33	72	315	85
3367	1288	438	151	44	20	66	103	423	86
3223	1392	426	2	42	13	65	75	285	87
9364	3557	3478	-92	54	24	53	72	314	88
9453	4086	2282	206	44	21	67	79	365	89
1590	671	2247	-190	27	20	31	44	183	90
2207	725	1807	21	23	12	42	71	215	91
6632	3127	1431	-24	38	27	64	79	329	92
2471	1018	1490	177	22	24	76	54	232	93
4880	2147	1317	42	43	6	73	83	353	94
3766	1612	304	118	34	15	62	96	355	95
5309	2016	0	659	20	35	58	85	411	96
1751	776	2064	-76	18	20	46	71	281	97
3525	1311	1346	231	25	39	37	75	300	98
4882	1550	2300	123	31	19	74	71	361	99
3392	1028	3285	61	18	12	45	69	267	100

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs Lakh)

Sl. No	Name of the RRB	Sp. Bk	Brs.	Owned Funds	Deposits	Borr-wings	Invest ments
101	VIDISHA-BHOPAL KGB	S B.IND	23	600	8271	1395	5413
	MADHYA PRADESH		1496	31463	345456	20887	242620
102	AKOLA GB	C.B I	47	994	6703	1565	3683
103	AURANGABAD-JALNA GB	B O.M	56	1240	15247	3794	11015
104	BHANDARA GB *	B O I	45	1492	8624	1050	3829
105	BULDHANA GB	C B I	24	342	4108	927	1761
106	CHANDRAPUR-GADCHIROLI GB	B O.I	60	1060	12009	499	7329
107	MARATHWWADA GB	B O M	233	1959	43100	6721	28547
108	RATNAGIRI-SINDHUDURG GB	B O I	39	796	7384	558	4084
109	SOLAPUR GB	B O I	33	890	4512	1201	2267
110	THANE GB	B.O M	21	945	5812	51	5820
111	YAVATMAL GB *	C B I	23	657	5673	646	3887
	MAHARASHTRA		581	10375	113171	17012	72223
112	MANIPUR RB	U B.I	29	1002	2276	89	1677
	MANIPUR		29	1002	2276	89	1677
113	KHASI JAINTIA RURAL KA BANK *	S B.I	51	1681	12263	647	10583
	MEGHALAYA		51	1681	12263	647	10583
114	MIZORAM RB*	S B.I	54	904	6840	668	4735
	MIZORAM		54	904	6840	668	4735
115	NAGALAND RB	S B I	8	312	528	19	605
	NAGALAND		8	312	528	19	605
116	BAITARANI GB	B O.I	92	2784	21178	3268	13200

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc. loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec % (June 00)	Productivity Per Empl	Productivity Per Br.	Sl No
4765	1571	0	290	58	7	78	159	567	101
110024	44143	42689	2048	32	21	62	72	304	
3783	2241	1332	133	56	11	74	60	223	102
11190	4352	0	455	73	15	71	109	472	103
4031	1845	1534	4	47	11	72	65	281	104
3636	1989	0	125	89	17	80	87	323	105
4394	2068	1682	73	37	23	61	71	273	106
18283	8205	5347	51	42	32	62	58	263	107
3839	1934	661	57	52	10	73	71	288	108
3604	1537	796	37	80	15	73	58	246	109
663	294	0	205	11	30	54	77	308	110
2237	965	0	169	39	14	67	78	344	111
55660	25430	11421	1310	49	21	66	68	291	
875	308	1093	-32	38	46	35	30	109	112
875	308	1093	-32	38	46	35	30	109	
3034	1162	0	319	25	45	43	84	300	113
3034	1162	0	319	25	45	43	84	300	
2293	1091	600	42	34	35	54	51	169	114
2293	1091	600	42	34	35	54	51	169	
150	91	144	9	28	42	28	24	85	115
150	91	144	9	28	42	28	24	85	
9958	5004	3964	103	47	11	63	72	338	116

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Sl. No.	Name of the RRB	Sp. Bk	Brs.	Owned Funds	Deposits	Borr-wings	Invest ments
117	BALASORE GB	U C.O	63	100	9541	472	3048
118	BOLANGIR ANCH GB	S.B I	149	1597	22743	3481	10832
119	CUTTACK GB	U C O	121	4567	29917	2127	20459
120	DHENKANAL GB	I O B	49	876	15616	4359	10011
121	KALAHANDI ANCH GB	S B.I	77	2219	11244	3247	7263
122	KORAPUT PANCHABATI GB	S B I	90	936	18003	4213	13938
123	PURI GB	I O B	110	2182	31407	7072	15828
124	RUSHIKULYA GB	ANDHRA	72	1915	23537	2425	17902
	ORISSA		823	17177	183185	30664	112480
125	FARIDKOT-BHATINDA KGB	P&S BK	22	1038	4973	946	3759
126	GURDASPUR-AMRITSAR KGB	P.N B	56	1975	20613	1589	16819
127	KAPURTHALA-FEROZPUR KGB	P.N B	42	1090	10073	1132	8262
128	MALWA GB	S B P	41	1856	9057	2560	8472
129	SHIVALIK KGB	P.N B	41	2083	16029	1356	14264
	PUNJAB		202	8041	60746	7583	51575
130	ALWAR-BHARATPUR ANCH GB	P.N B	85	1237	20051	3377	11063
131	ARAVALI KGB	B.O B	63	962	11997	1238	5671
132	BHILWARA-AJMER KGB	B.O B	53	933	12481	2159	7091
133	BIKANER KGB	S B.B J	28	540	3184	723	1999
134	BUNDI-CHITTORGARH KGB	B O B	65	1849	12608	2141	7254
135	DUNGARPUR-BANSWARA KGB	B O B	44	984	7528	881	4297
136	HADOTI KGB	C.B.I	82	610	19680	2227	9859

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc. loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec % (June 00)	Productivity Per Empl.	Productivity Per Br.	Sl. No.
2840	980	6426	-926	30	53	44	41	197	117
9565	5155	10978	-708	42	30	61	42	217	118
12510	5399	8303	-210	42	29	34	58	351	119
11289	5014	504	281	72	8	78	127	549	120
7128	3137	2243	17	63	18	68	54	239	121
11758	5739	154	178	65	29	67	59	331	122
19646	10690	5823	-149	63	12	81	82	464	123
8901	4418	1146	306	38	10	68	97	451	124
93594	45535	39542	-1108	51	19	66	65	336	
2880	2157	0	185	58	22	80	119	357	125
6111	4949	0	862	30	9	84	108	477	126
3654	2270	405	225	36	10	78	96	327	127
6099	5251	0	509	67	3	95	113	370	128
4214	2576	0	545	26	9	82	118	494	129
22958	17203	405	2327	38	9	85	110	414	
10147	6255	2554	413	51	8	78	82	355	130
5372	1964	3341	-473	45	27	52	68	276	131
8117	3732	0	218	65	15	66	101	389	132
2100	912	567	11	66	10	66	80	189	133
7294	2883	1607	77	58	12	74	73	306	134
3587	1732	1056	4	48	13	72	71	253	135
8385	3356	2700	201	43	15	65	76	342	136

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Sl. No.	Name of the RRB	Sp Bk.	Brs.	Owned Funds	Deposits	Borr-wings	Invest. ments
137	JAIPUR NAGAUR ANCH GB	U.C O	144	1799	34612	2743	30849
138	MARUDHAR KGB	B.O.B	60	1201	8615	1260	3233
139	MARWAR GB	S.B.B.J	134	108	44336	1518	31675
140	MEWAR ANCH GB	B.O.RAJ.	58	1184	14096	959	11565
141	SHEKHAWATI GB	P.N.B	100	3129	29614	1776	21778
142	SRIGANGANAGAR KGB	S B.B.J	43	962	7168	992	4444
143	THAR ANCH GB	U.C.O	66	1304	8927	1223	6576
	RAJASTHAN		1025	16803	234896	23218	157354
144	ADHIYAMAN GB	INDIAN	25	763	5144	1249	3658
145	PANDYAN GB	I.O.B	164	3072	41745	8193	25385
146	VALLALAR GB	INDIAN	23	1292	4013	1131	3577
	TAMILNADU		212	5127	50902	10573	32620
147	TRIPURA GB	U B I	85	4246	39249	477	18922
	TRIPURA		85	4246	39249	477	18922
148	ALAKNANDA GB	S B.I	47	503	8120	491	7147
149	ALIGARH KGB	CANARA	85	4585	36907	1279	27518
150	ALLAHABAD KGB *	B.O.B	89	778	32681	1235	19494
151	AVADH GB *	B O I	116	3384	45789	1708	15928
152	BALLIA KGB	C.B I	89	1811	28834	1403	26277
153	BARABANKI GB *	B.O.I	90	2394	28483	1514	23279
154	BAREILLY KGB	B.O.B	83	955	19913	1879	12991
155	BASTI GB	S.B.I	104	3059	28234	2242	29351

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc. loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec % (June 00)	Productivity Per Empl	Productivity Per Br	Sl No.
10660	3021	0	537	31	7	74	68	314	137
3429	1494	3941	-448	40	7	69	[illegible]	[illegible]	
14855	7281	1569	262	34	4	88	97	442	139
4496	2100	1421	-60	32	9	67	79	[illegible]	
9741	4298	2190	642	33	32	57	78	394	141
4271	4543	812	144	60	8	87	75	266	142
4163	1831	1915	5	47	13	66	50	198	143
96618	45403	23671	1533	41	13	72	75	323	
3502	3508	0	187	68	9	80	84	346	144
26095	32826	1776	516	63	5	86	76	414	145
2774	2694	0	215	69	12	79	75	295	[illegible]
32371	39029	1776	918	64	6	84	77	393	
11937	3547	13940	-819	30	64	18	72	[illegible]	
11937	3547	13940	-819	30	64	18	72	602	
2022	1207	0	139	25	7	77	59	216	[illegible]
14809	8084	0	1169	40	18	75	108	608	149
7937	2410	3378	475	24	50	52	99	456	
10636	3983	0	850	23	26	61	97	486	151
5819	1525	422	611	20	45	34	89	389	[illegible]
6464	3370	0	475	23	18	61	74	388	153
7194	3704	1140	511	36	13	71	72	327	154
8844	3100	0	1041	31	33	43	82	357	155

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Sl. No.	Name of the RRB	Sp. Bk.	Brs.	Owned Funds	Deposits	Borr-wings	Invest-ments
156	BHAGIRATH GB	ALLAHA.	107	7499	36765	1611	35324
157	CHHATRASAL GB	ALLAHA	85	1497	16550	759	12931
158	DEVI PATAN KGB	P.N B	75	2275	28880	1045	24362
159	ETAH GB	CANARA	58	1262	16373	1236	11770
160	ETAWAH KGB	C B I	50	1362	10364	504	8841
161	FAIZABAD KGB	B.O B	67	1594	22995	1050	18231
162	FARRUKHABAD GB	B.O.I	82	3126	26980	1657	23688
163	FATEHPUR KGB	B O B	51	1704	13260	832	10503
164	GANGA-YAMUNA GB	S B.I	39	485	8179	649	7045
165	GOMTI GB	UNION	84	2051	36198	1611	29319
166	GORAKHPUR KGB	S B I	200	16461	81296	7645	94257
167	HINDON GB	P N B	22	419	4797	289	3491
168	JAMUNA GB	CANARA	39	1292	16364	1312	13769
169	KANPUR KGB *	B.O B	95	3241	34678	2303	26028
170	KASHI GB	UNION	80	2644	31414	1289	23609
171	KISAN GB	P N B	54	1654	10765	1431	6739
172	KSHETRIYA KISAN GB *	U P S C B	64	1038	12313	1124	5240
173	MUZAFFARNAGAR KGB	P.N B	25	494	6751	757	5471
174	NAINITAL-ALMORA KGB *	B.O B	59	1098	13435	1110	9440
175	PITHORAGARH KGB	S B.I	25	1056	7843	417	7984
176	PRATAPGARH KGB	B.O.B	71	768	24394	1013	19640
177	PRATHAMA BANK	SYND	164	8029	56782	8415	41772

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc. loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec. % (June 00)	Productivity		Sl No
							Per Empl.	Per Br.	
7110	3745	0	1930	19	20	74	75	410	156
6085	2406	724	257	37	34	41	68	266	157
6167	2731	0	698	21	17	63	89	467	158
7043	2985	0	221	43	17	75	83	404	159
2823	468	1160	314	27	53	51	63	264	160
5778	2303	0	590	25	29	45	96	429	161
8047	3443	0	622	30	31	51	75	427	162
3457	1339	1715	133	26	28	53	62	323	163
2557	1430	331	91	31	17	65	77	275	164
9708	2607	0	394	27	41	51	122	546	165
27362	12993	0	2860	34	31	55	92	543	166
1649	713	0	203	34	12	73	80	293	167
5410	1817	0	190	33	39	62	107	558	168
10182	3100	2793	310	29	42	59	89	472	169
8740	4031	2222	580	28	30	39	109	502	170
4269	2306	1337	203	40	19	70	55	278	171
6575	2148	2777	-175	53	31	55	68	295	172
2382	1161	0	136	35	23	63	75	365	173
6625	3966	0	435	49	8	78	91	340	174
2190	1014	0	217	28	0	97	107	401	175
5719	2634	1017	399	23	34	39	83	424	176
31573	16646	0	2617	56	14	69	73	539	177

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs Lakh)

Sl. No.	Name of the RRB	Sp. Bk.	Brs	Owned Funds	Deposits	Borr-wings	Invest-ments
178	RAEBARELI KGB	B.O.B	66	1476	22828	981	15847
179	RANI LAKSHMI BAI KGB	P.N B	44	100	8344	554	2930
180	SAMYUT KGB	UNION	160	7686	76581	1222	72481
181	SARAYU GB	ALLAHA.	43	2689	14152	1587	12462
182	SHAHJAHANPUR KGB	B.O.B	36	2254	11670	2217	10594
183	SRAVASTI GB *	ALLAHA.	89	2557	24426	1807	16730
184	SULTANPUR KGB	B.O.B	93	847	35498	2955	26947
185	TULSI GB *	ALLAHA	81	1037	20393	2329	10998
186	VIDUR GB	P N B	38	944	10456	1297	8629
187	VINDHYAVASINI GB	ALLAHA	45	645	12185	882	8626
	UTTAR PRADESH		2994	98754	982869	65637	790684
188	BARDHAMAN GB *	U C O	90	921	28873	1121	25056
189	GAUR GB	U.B I	148	100	42007	2683	18033
190	HOWRAH GB	U C O	59	816	23297	1170	23934
191	MALLABHUM GB *	U.B.I	176	5820	60532	1448	16104
192	MAYURAKSHI GB	U.C O	65	1682	22861	876	15404
193	MURSHIDABAD GB	U B I	40	100	11547	674	8344
194	NADIA GB	U.B.I	65	1962	17746	1622	14857
195	SAGAR GB	U B I	115	2412	45530	1325	36252
196	UTTAR BANGA KGB *	C.B.I	113	1092	33550	839	14303
	WEST BENGAL		871	14905	285942	11758	172289
	GRAND TOTAL		14311	348027	3827778	406026	2693025

Key Statistics on RRBs as on 31 March 2001

(Rs. Lakh)

Loans Out-standing	Loans issued	Acc. loss	Profit/ Loss	CD Ratio	NPA %	Rec % (June 00)	Productivity Per Empl	Productivity Per Br.	Sl No
5302	2177	359	348	23	29	47	75	426	178
2672	1302	3309	-239	32	24	59	54	250	179
9699	3827	0	1980	13	36	60	92	539	180
5498	3194	0	754	39	12	68	127	457	181
5438	3457	0	728	47	11	82	124	475	182
9749	2704	0	1424	40	27	52	83	384	183
11829	4026	0	146	33	31	47	82	509	184
8850	3313	1325	619	43	30	51	77	361	185
3174	1774	0	333	30	10	76	73	359	186
5358	894	304	52	44	45	29	99	390	187
302745	130036	24313	24640	31	27	60	85	429	
9021	4287	310	115	31	25	55	78	421	188
16514	8088	9223	110	39	30	45	65	395	189
4618	1755	0	122	20	24	55	91	473	190
20219	8822	5715	250	33	26	49	69	459	191
8736	4894	4123	155	38	15	50	68	486	192
3721	1085	666	56	32	25	61	88	382	193
4944	1135	1585	184	28	42	47	72	349	194
9878	4051	2654	503	22	35	36	84	482	195
13712	6283	5385	70	41	28	51	63	418	196
91364	40400	29661	1565	32	28	47	72	433	
1581489	879737	280303	60905	41	18	69	77	378	